खण्ड-413, अंक-4
बुधवार, 2 भाद्र, शक संवत् 1916
(24 अगस्त, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1994)

खण्ड 413 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश की चीनी मिलों के निजीकरण संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1–96
वित्तीय वर्ष 1994-95 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान (स्वीकृत) ..	96–101
उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 (पारित)	101–109
सदन के संज्ञान में लायी गयी विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग ..	109
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	109–110
बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित बालिका डिग्री कालेज एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका एवं पशुबध के होने से उत्पन्न जनाक्रोष के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार विभाग की नौकरी से निकाले गये हजारों दैनिक कर्मचारियों को सेवा में वापस लिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली में स्थिति बूचड़खाना को बस्ती से दूर स्थानान्तरित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
लखनऊ फर्रुखाबाद उन्नाव आदि जनपदों में विस्फोटक सामग्री बरामद होने तथा प्रदेश में आतंकवादियों का आतंक एवं भय व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
गाजियाबाद स्थित शहीद स्मारक स्थल की सुरक्षा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112–113
लखनऊ के काफी हाउस के बरामदे में पत्र-पत्रिकाओं के विक्रेताओं की उजाड़ी गयी दुकानों को पुनः बसाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
आगरा जनपद के क्षेत्र फतेहाबाद–फिरोजाबाद मार्ग के यमुना नदी पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
वर्तमान सत्र में सदन में अव्यवस्था तथा एक दिन भी प्रश्न प्रहर न हो पाने के सबंध में औचित्य का प्रश्न	114–122
पंचायती राज के चुनावों के लिये कक्ष परिसीमन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र निर्धारण में शासनादेश का उल्लंघन कर विधान सभा सदस्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के सबंध में औचित्य का प्रश्न	123–125
उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	125
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	125

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	125
जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड अकोला की न्याय पंचायत जेगारा में विद्युत विहीन दसगांव सभाओं का विद्युतीकरण किये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गई)	125
जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में खराब हुए राजकीय नलकूपों को पी० वी० सी० पाइपों द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	126
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर राजकीय इन्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गई)	126
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर प्रताप विहार व विजय नगर आदि कालोनियों को मुख्य नगर से जोड़ने के लिये दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन के नीचे गौशाला अन्डर ब्रिज बनाये जाने विषयक याचिका । (प्रस्तुत की गयी)	126
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत राज्य औद्योगिक क्षेत्र व साइट–4 साहिबाबाद में पानी के निकासी हेतु नालों एवं सड़कों के मरम्मत कराये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गयी)	127
जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी और मऊ के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गयी)	127
जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी के चित्रकूट धाम कर्वी को नया जिला बनाये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	127
जनपद बांदा के अन्तर्गत वेहटा के पास पयस्वनी तथा साईपुर के पास वार्ग नदी और राजापुर भरवारी मार्ग के जमुना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक याचिका (प्रस्तुत की गई)	127
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	128–129
उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के वर्तमान जिलों को सम्मिलित करते हुए 'उत्तराखण्ड' नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का संकल्प (स्वीकृत)	129–131
नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित समेकित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं...	131–161
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित)	161–162
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सुने जाने की मांग	162–163
नियम 56 की अन्य सूचनाओं के संबंध में मा० नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यों द्वारा जानकारी की मांग	163
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित)	163–164
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (पारित)	164–175

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	175–183
उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित)	183–196
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	196–197
उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 1994 (पारित)	197–209
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, लखनऊ में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	209–210
विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	210
श्री हृदय नारायण, सदस्य, विधान सभा द्वारा माध्यमिक शिक्षक संघ, उन्नाव के पूर्व जिला मंत्री श्री कामता सिंह चौहान तथा विज्ञप्ति देने वाले शिक्षकों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	211–212
श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, आगरा के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	212–214
डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	214–215
श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	215–216
श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० परिवहन मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	216–217
श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री श्याम पाल सिंह, क्षेत्राधिकार, कानपुर के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	217–218
श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा के द्वारा श्री सुरेश चन्द धुसिया अपर पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	218–221
श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	220–221
श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	221–222

विषय	पृष्ठ संख्या
निर्वाचन आयोग से संबंधित व्यवस्था के प्रश्न पर पीठासीन अधिष्ठाता के दिये गये निर्णय पर श्री अध्यक्ष द्वारा पुनर्विचार और निर्णय परिवर्तित किये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	222–224
विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्नों पर समेकित रूप से निर्णय लिये जाने पर आपत्ति	224
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	224–225
सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	225–226
नत्थियां	227–231

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 अगस्त, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
इरशाद, श्री	आजमगढ़	राम धनी, श्री	गाजीपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा	विक्रम सिंह, श्री	बलिया
घूरा राम, श्री	बलिया	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
चन्द्र शेखर, श्री	गाजीपुर	विश्वम्भर सिंह, श्री	मथुरा
जगत सिह, श्री	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच	वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
दीनानाथ भाष्कर, श्री	वाराणसी	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
महाबीर सिंह, कुंवर	हरदोई	हृदय नारायण, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रदेश की चीनी मिलों के निजीकरण संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, चीनी मिलों का निजीकरण के नाम पर बोफोर्सीकरण हुआ है, इसको हमने नियम–311 में दिया है आप प्रश्न प्रहर को रोककर पहले इसको ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल हो जाने दें।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

चीनी मिलों का निजीकरण नहीं बोफोर्सीकरण हुआ है। जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। आप प्रश्न प्रहर को समाप्त करके पहले इसको ले लें। यह मामला नियम–311 में दिया है, इसको ले लें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11.00 बजकर 3 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 1994

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बजट राशि में कटौती के कारणों की जानकारी

**1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले बजट सत्र में वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के लिए स्वीकृत बजट अनुदानों में लगभग 150 करोड़ रुपये की कटौती सरकार कर रही

नोट :– (कार्य संचालन प्रक्रिया तथा नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये)

है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इससे प्रदेश की सिंचन क्षमता में वृद्धि के स्थान पर गिरावट नहीं पैदा होगी ? यदि हां, तो इससे बचने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक निदेशालय द्वारा दवाओं की खरीद में करोड़ों रुपये घोटाले की जांच

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद निदेशालय द्वारा दवाओं के खरीद में किये गये करोड़ों रुपये के कथित घपले के विरुद्ध क्या कोई जांच कमेटी बैठाई गयी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां ।

जांच कमेटी की जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । जांच आख्या प्राप्त होने पर उसमें पाये गये दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मिर्जापुर की तहसील लालगंज में तीस सैय्या के चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव

*1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 की जनपद मिर्जापुर की जिला योजना में तहसील लालगंज में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा 30 शैया के चिकित्सालय हेतु धनराशि की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो लालगंज में चिकित्सालय निर्माण अब तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या इस धनराशि का उपयोग अन्यत्र कहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति का उल्लंघन करके अन्यत्र धनराशि व्यय करने के लिये दोषी अधिकारी पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । वर्ष 1994-95 में लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री बची सिंह रावत–

[2रे सोम में ता० प्र० सं० । के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य निदेशालय में कार्यरत लिपिकों के एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय से रहने के कारणों की जानकारी

*1–श्री राधेश्याम–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 4थे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–118 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में कार्यरत लिपिकों से 3 वर्ष से अधिक दिनों तक किस अपरिहार्य कारणों से कार्य एक ही स्थान पर लिया जाता है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को लखनऊ से बाहर भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की कार्य कुशलता, दक्षता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करने के लिए एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक भी कार्यरत रखा जा सकता हैं ।

निदेशालय के कर्मचारियों को उनके प्रार्थना-पत्र पर अथवा प्रशासनिक आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों में स्थानान्तरित किया जा सकता हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री मुक्ति नाथ–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में व्याप्त चीनी संकट एवं उसे दूर करने के उपाय की जानकारी

*3–श्री ऊदल तथा श्री बदन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 अप्रैल से लेकर 28 मई, 94 तक चीनी का संकट क्यों और कैसे पैदा हो गया जिससे खुले बाजार में 20 रु० किलो तक चीनी बिक गयी ? क्या सस्ते गल्ले की दुकानों पर चीनी बिल्कुल नहीं दी गयी थी ? अब क्या स्थिति है ? इसको दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश को माह मार्च, 1994 तक 55.572 मी० टन लेवी चीनी का प्रति माह आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था जिसे माह अप्रैल, 1994 से घटाकर 52,926 मी० टन कर दिया गया जिससे मासिक आवंटन में 2646 मी० टन की कटौती हो गई। इसके अतिरिक्त माह जनवारी, 94 से मई, 94 तक केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 18.000 मी० टन ऐसी चीनी, चीनी मिलों से आवंटित की गई जिनके पास या तो लेवी चीनी का कोटा उपलब्ध नहीं था या ऐसी खराब गुणवक्ता की चीनी थी जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कराया जाना उचित नहीं था। केन्द्र सरकार से इस मामले को उठाने पर उन्होंने जनवरी, 94 से अप्रैल, 94 तक आवंटित लगभग 9,000 मी० टन चीनी को लैप्स मान लिया जब यह चीनी प्रदेश को प्राप्त होनी चाहिए थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वैसे तो केन्द्र सरकार ने लगभग 5 प्रतिशत की कटौती की थी परन्तु वास्तविक कटौती लगभग 35 प्रतिशत हुई। दूसरी चीनी मिलों से केन्द्र सरकार द्वारा चीनी आवंटित कराने में विलम्ब हुआ जिसके कारण अप्रैल एवं मई के महीनों में जनपदों में चीनी पहुंचने में विलम्ब हुआ। भारत सरकार से विशेष प्रयास करके चीनी मिलों से आवंटन परिवर्तित कराकर चीनी लेने में यद्यपि विलम्ब हुआ परन्तु अप्रैल एवं मई की चीनी शत प्रतिशत दुकानों में पहुंच गई।

चीनी की कटौती को देखते हुए सीमित उपलब्धता का ही यथा सम्भव सुचारु रूप से वितरण कराने हेतु कई प्रभावी उपाय किये जये जिनमें से मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :–

1–यह आदेश दिये गये कि सभी दुकानदार चीनी उठाने हेतु धनराशि एक साथ जमा कर दें।

2–यह आदेश दिये गये कि प्रदेश के समस्त ब्लाकों में स्थित खाद्य विभाग के ब्लाक स्तरीय गोदामों, पर्वतीय क्षेत्रों के सभी 161 आन्तरिक गोदामों तथा राशन की दुकानों में चीनी पहुंचने का सत्यापन सिटी मजिस्ट्रेट, अपर सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में राशन की दूकानों में चीनी पुंचने का सत्यापन इन्हीं टीमों द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये। ऐसा प्रथम बार सुनिश्चित किया गया कि वितरण के पूर्व इस बात का सत्यापन कर लिया जाये कि नगरीय क्षेत्र में राशन की दुकानों तथा ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों में चीनी आगमन का सत्यापन शत-प्रतिशत हो जाये।

3–5 तारीख से प्रारम्भ करके 15 तारीख तक वितरण करने के आदेश दिये गये।

4–उपरोक्त व्यवस्था के साथ-साथ खाद्य विभाग के 45 अधिकारियों/कर्मचारियों की टीमें बनाकर विभिन्न मण्डलों में आकस्मिक जांच के लिए भेजी गयी तथा इन टीमों को यह निर्देश दिये गये कि वे चीनी के सुचारु रूप से वितरण की जांच करे तथा प्रति दिन की गई कार्यवाही की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को भेजें।

5–इसके अतिरिक्त खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए चीनी के थोक विक्रेताओं और आढ़तियों आदि की जांच के आदेश दिये गये।

उपरोक्त कार्यवाही का परिणाम यह निकला कि माह मई एवं जून, 1994 के प्रथम सप्ताह में 20.00 रु० प्रति किलोग्राम के आसपास बिकने वाली चीनी का मूल्य जून 1994 के अन्तिम सप्ताह तक

16.00 रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास आ गया और वर्तमान में उनका मूल्य 15.00 रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास है ।

जनपद सुल्तानपुर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा में फर्जी बिलों के आधार पर लाखों रुपये की अनियमितता की शिकायत

*4–तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा कार्यालय में फर्जी बिलों के आधार पर लाखों रुपये की, की गयी अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-4-94 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या 1 मार्च, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक समस्त बिलों की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 12-4-94 शासन को प्राप्त हुआ हैं ।

जांच हेतु निदेशक आयुर्वेद को आदेश दे दिये गये हैं ।

जांच कार्य पूर्ण होने पर परिणाम बताया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी चिकित्सालय (सिविल) हजरतगंज लखनऊ हेतु नवीन भवन बनाये जाने की मांग

*5–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकि० (सिविल), हजरतगंज, लखनऊ में साधारण/पेइंग/प्राइवेट शैय्याओं की संख्या अलग-अलग क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में अत्यन्त जर्जर पुरानी बिल्डिंग में केवल दो ही प्राइवेट वार्ड हैं ? यदि हां, तो उक्त अति विशिष्ट स्थानीय चिकित्सालय में चतुर्थ तल नवीन भवन में बना कर क्या वहां पर कम बीस प्राइवेट वार्ड्स इसी वित्तीय वर्ष में निर्मित कराने का आदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

इस चिकित्सालय में साधारण/पेइंग/प्राइवेट शैय्याओं की संख्या निम्नवत् है :–

1–साधारण	287
2–पेइंग	15
3–प्राइवेट	2

चिकित्सालय भवन अत्यन्त जर्जर नहीं है । इसमें दो प्राइवेट वार्ड हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माणाधीन सर्जिकल एवं आधुनिक इमरजेन्सी काम्पलेक्स के नवीन भवन के द्वितीय तल पर 8 प्राइवेट वार्ड्स का प्राविधान है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी संकट से प्रभावित जनता की समस्या का निराकरण

*6–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को चीनी प्राप्त नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खुले बाजार में कीमतों में हो रही अत्यधिक वृद्धि को रोकने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है । जिसके कारण गरीब जनता को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? क्या शादी ब्याह आदि के लिये अतिरिक्त चीनी नहीं प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश को मार्च, 1994 तक 55.572 मी० टन चीनी का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हो रहा था । अप्रैल 1994 से इस आवंटन में 2.646 मी० टन चीनी की कटौती करते हुए 52.926 मी० टन चीनी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कुछ प्रभाव पड़ा है । जहां तक खुले बाजार में हो रही कीमतों में वृद्धि को रोकने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा 45 अधिकारियों/कर्मचारियों की टीमें बनाकर विभिन्न मण्डलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तथा चीनी के थोक विक्रेताओं तथा आढ़ातयों की जांच कराई गयी जिससे वितरण व्यवस्था में सुधार आया और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में कमी आई है । शादी ब्याह के लिये भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त चीनी नहीं प्राप्त हुई है । राज्य सरकार द्वारा सामान्य आवंटन से काटकर माह मई एवं जून में शादी ब्याह हेतु 5.000 मी० टन चीनी उपलब्ध कराई गयी है ।

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी

*7–श्री सुरेश संगल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों को जिला स्तरीय या अन्य राजकीय चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या इनके इलाज के लिये कोई राशि प्रति माह या प्रति वर्ष प्राविधानित है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कोई पुस्तिका प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो वह पुस्तिका क्या है ? क्या उनका उपचार या आपरेशन जिला चिकित्सालय में सम्भव न होने पर उक्त सेनानियों को प्राइवेट डाक्टर से इलाज अथवा आपरेशन कराने में कोई धनराशि दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बलराम यादव–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राज्य के समूह "क" वर्ग के अधिकारियों के समान प्रदेश के राजकीय अस्पतालों से निःशुल्क चिकित्सा उपचार व औषधियों की सुविधाओं अनुमन्य हैं। अस्पताल में भर्ती के दौरान इन्हें भोजन भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग द्वारा कोई पुस्तिका नहीं प्रकाशित की गयी है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा सन्दर्भित किये जाने तथा शासन द्वारा पूर्वानुमति/कार्योत्तर अनुमति प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त प्राइवेट डाक्टर/नर्सिंग होम में उपचार करने पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त गृह विभाग के प्रस्ताव पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

।न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

लघु सिंचाई योजना गोण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक छीजन (स्क्रेप) से प्राप्त राजस्व एवं अन्य विवरण की जानकारी

*9–कुंवर अजय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में लघु सिंचाई योजना द्वारा की जा रही बोरिंग के लिये पी० वी० सी० पाइपों में छिदाई के उपरान्त जो छीजन (स्क्रेप) प्राप्त होती है उससे लघु सिंचाई विभाग, जनपद गोण्डा को वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या यह भी बतायेंगे कि एक मीटर पाइप की छिदाई (स्क्रेप) में कितनी छीजन प्राप्त होती है ? क्या उक्त कार्य निविदा द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 में अलग-अलग किस रेट पर, विभाग द्वारा निविदायें स्वीकृत की गयी है ? क्या यह सही है कि आवंटित पी० वी० सी० पाइपों से जो छीजन (स्क्रेप) प्राप्त हुआ उसको राजस्व मद में न लाकर उसका दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत विषय की जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

पी० वी० सी० पाइपों की छिदाई के उपरान्त जो छीजन (स्क्रेप) प्राप्त होती है, उससे जनपद गोण्डा में प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	राजस्व की प्राप्ति	विवरण
89-90	40,706-25	(स्टाक मद में जमा)
90-91	1,46,755-80	(राजस्व मद में जमा)
91-92	1,19,716-20	तदैव
92-93	2,26,142-20	तदैव
93-94	4,76,084-00	तदैव
	योग–10,09,404-45	

एक मीटर 6 कि०ग्रा० प्रतिवर्ष से०मी० दाब वाले पी० वी० सी० पाइप की छिदाई में लगभग 0.335 कि०ग्रा० प्रति मी० स्क्रेप तथा 4 कि०ग्रा० प्रति वर्ग से०मी० दाब वाले पी० वी० सी० पाइप की छिदाई में लगभग 0.237 कि०ग्रा० प्रति मीटर स्क्रैप होता है ।

उक्त कार्य प्रायः निविदा द्वारा ही कराया जाता है । छिदाई का कार्य विभाग द्वारा निविदायें आमंत्रित कर अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में स्वीकृत दर पर कराया गया है । वर्षवार निविदाओं द्वारा प्राप्त रेट जो स्वीकृत किये गये उनका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष		दर प्रति तीन मीटर
89-90	(–)	6.25
90–91	(–)	6.30
	(–)	6.35
91-92	(–)	6.35
	(–)	11.90
92–93	(–)	11.90
93–94	(–)	11.90
	(–)	9.80
	(–)	9.85
	(–)	5.20 4 के०जी०एफ० पी०वी०सी० पाइप

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिकित्सा विभाग के स्टोर कीपर/स्टोर कीपर लिपिक के वेतन विसंगति समिति द्वारा संस्तुति दिये जाने की मांग

*10–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया अवगत करायेंगे कि चिकित्सा विभाग के स्टोर कीपर/स्टोर कीपर लिपिक के स्वीकृत वेतनमान का शासनादेश क्या है ? क्या शासन के संज्ञान में है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति में उक्त पद का वेतनमान रु० 1200-2040 करने की संस्तुति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उस संस्तुति के आधार पर अब तक शासनादेश जारी न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–3233–सेक–5/पांच–700(52)/89, दिनांक 30-5-90 द्वारा स्टोर कीपर/स्टोर कीपर लिपिक पुनरीक्षित स्वीकृत वेतनमान रु० 950-1500 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आफ मेडिकल साइंसेज में आहार विद का कार्य अयोग्य व्यक्ति द्वारा किये जाने की शिकायत

*11–श्रीमती प्रेमलता कटियार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आफ मेडिकल साइंसेज के मरीजों के किचेन में आहार विद का कार्य होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा धारी से, जोकि सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं और आहार विद के पद की योग्यता नहीं रखते हैं, से लिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार मरीजों के हित में भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु पूर्व भांति मरीजों के किचन का समस्त चार्ज आहार विद को तत्काल हस्तान्तरित किये जाने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ के मरीजों के किचेन का कार्य होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमाधारी अधिकारी से लिया जा रहा है । यह अधिकारी किचेन के मैनेजमेन्ट तथा

भोजन में प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता, कुकिंग, किचेन के रखरखाव व भोजन वितरण आदि का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हास्पिटल किचेन के मैनेजमेन्ट का कार्य सुचारु रूप से संचालन किये जाने हेतु होटल मैनेजमेन्ट में प्रशिक्षित व्यक्ति ज्यादा लाभकारी होता है । इसलिए किचेन का कार्य आहार विद को दिया जाना मरीजों के हित में नहीं होगा ।

माह मई 1994 के अन्तिम सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक सप्ताह चीनी न होने की शिकायत

*12–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1994 के अन्तिम सप्ताह में पूरे प्रदेश में चीनी आपूर्ति किये जाने हेतु शासन ने कोई निर्देश जनपदों को भेजा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ? सात दिन तक प्रदेश के उपभोक्ताओं को चीनी न मिलने से उत्पन्न कठिनाई के निराकरण करने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश को मार्च, 1994 तक 55572 मै० टन चीनी का आवंटन हो रहा था । अप्रैल, 1994 से इस आवंटन में 2646 मै० टन की कटौती करके 52926 मै० टन चीनी भारत सरकार द्वारा दी जाने लगी । इनके अतिरिक्त माह जनवरी, 94 से मई 1994 तक 18000 मै० टन चीनी भारत सरकार द्वारा ऐसी चीनी मिलों से आवंटित की गई जिनके पास या तो लेवी चीनी का कोटा उपलब्ध नहीं था या ऐसी खराब गुणवत्ता की चीनी थी जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कराया जाना उचित नहीं था । इस प्रकार माह मई, 94 में यद्यपि कि भारत सरकार ने 5 प्रतिशत की ही कटौती की थी परन्तु वास्तविक कटौती लगभग 35 प्रतिशत की परिलक्षित हुई । उपरोक्त चीनी के स्थान पर अन्य चीनी मिलों से चीनी का आवंटन मिलने में कुछ विलम्ब हुआ जिससे विभिन्न जनपदों में माह अप्रैल और मई के महीनों में चीनी विलम्ब से पहुंची । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा लगभग 5 सप्ताह पूर्व दिये जाने वाले आवंटन को केवल 10 दिन पूर्व दिया जाने लगा जिसके कारण एक शासनादेश दिनांक 24 मई, 1994 को जारी करना पड़ा जिसमें सीमित आवंटन को ही अत्यन्त व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिये गए । इसके मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

1–यह आदेश दिये गये कि सभी दुकानदार चीनी उठाने हेतु धनराशि एक साथ जमा कर दें ।

2–यह आदेश दिये गये कि प्रदेश के समस्त ब्लाकों में स्थित खाद्य विभाग के ब्लाक स्तरीय गोदामों, पर्वतीय क्षेत्रों के सभी 161 आन्तरिक गोदामों तथा राशन की दुकानों में चीनी पहुंचने का सत्यापन सिटी मजिस्ट्रेट, अपर सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में किया जायेगा । नगरीय क्षेत्र में राशन की दुकानों में चीनी पहुंचने का सत्यापन इन्हीं टीमों द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये । ऐसा प्रथम बार सुनिश्चित किया गया कि वितरण के पूर्व इस बात का

सत्यापन कर लिया जाय कि नगरीय क्षेत्र में राशन की दुकानों तथा ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों में चीनी आगमन का सत्यापन शत प्रतिशत हो जाय ।

3–5 तारीख से प्रारम्भ करके 15 तारीख तक वितरण करने के आदेश दिये गये ।

4–उपरोक्त व्यवस्था के साथ-साथ खाद्य विभाग के 45 अधिकारियों/कर्मचारियों की टीमें बना कर विभिन्न मण्डलों में आकस्मिक जांच के लिए भेजी गयी तथा इन टीमों को यह निर्देश दिये गये कि वे चीनी के सुचारु रूप से वितरण की जांच करें तथा प्रतिदिन की गई कार्यवाही की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को भेजें ।

5–इसके अतिरिक्त खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए चीनी के थोक विक्रेताओं और आढ़तियों आदि के जांच के आदेश दिये गये ।

यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनीशुदा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1-1-1986 से लागू वेतनमान शीघ्र दिलवाये जाने की मांग

*13–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों का नया वेतनमान वर्ष 1-1-1986 से देय है ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों/अधिकारियों के नये वेतनमान को लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी छटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों की दयनीय दशा को देखते हुए उनके नये वेतनमान की बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

यू०पी० स्टेट हार्टिको के छटनीशुदा अधिकारियों/कर्मचारियों को 1-1-86 से नया वेतनमान हार्टिको के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शहर की भांति ग्रामीण अंचलों में प्रतियूनिट एक किलो चीनी एवं पांच लीटर मिट्टी के तेल दिये जाने की मांग

*14–डा० रामबाबू हरित–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति यूनिट 250 ग्राम से बढ़ाकर एक किलो चीनी व मिट्टी का तेल 5 लीटर प्रति यूनिट देने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा चीनी के वितरण का मानक 425 ग्राम प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के लिए 60,000 मी॰ न प्रतिमाह चीनी की आश्यकता होती है । इस आवश्यकता के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 55,572 मा० टन चीनी मार्च 1994 तक प्रदेश को उपलब्ध कराई जाती रही है जिसे माह अप्रैल 94 से घटाकर 52,926 मी० टन कर दिया गया है । इस प्रकार भारत सरकार से जो आवंटन प्राप्त हो रहा है उसमें भी 2,646 मी० टन चीनी की कटौती कर दी गयी । इसी प्रकार मिट्टी के तेल का आवंटन भी जो भारत सरकार से प्राप्त होता है उसके आधार पर वर्तमान मात्रा में परिवर्तन किया जाना सम्भावित नहीं हैं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की भांति नान प्राक्टिस एलाउन्स दिये जाने की मांग

*15–श्री दयासिंधु शंखधर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को वर्तमान में एन० पी० ए० दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समान कार्य के लिये समान वेतन को, सिद्धान्त रूप में स्वीकार करके एलौपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को भी एन०पी०ए० दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । एन०पी०ए० उन्हीं चिकित्सा अधिकारियों को अनुमन्य है जिनकी प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । चूंकि आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतः उन्हें एन०पी०ए० दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में व्याप्त भीषण पेयजल संकट को दूर करने की मांग

2–श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री अ० रईस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट के कारण जिससे क्षेत्र में अधिकांशतया नलकूप फेल हो चुके हैं ? क्या इस संबंध में कोई विभागीय सूचना शासन के पास है ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता की उस सूचना के आधार पर उक्त क्षेत्र को इस संकट से बचाने के लिए तुरन्त सर्वे कराकर किसी नयी योजना को तुरन्त लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत में चौखुटिया उपखण्ड के मांसी अनुभाग में तैनात अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

3–श्रीमती शशि बाला पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत में चौखुटिया उपखण्ड के मांसी अनुभाग में जुलाई, 87 से अक्टूबर, 92 तक उसी अनुभाग में कार्य करने के बाद पुनः दिसम्बर, 1993 में एक ऐसे अवर अभियन्ता की तैनाती की गयी है, जिसके विरुद्ध सन् 1992 में उसी अनुभाग के कार्यों में गम्भीर अनियमितता के आरोप के कारण उसे निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अवर अभियन्ता को किन परिस्थितियों में पुनः उसी अनुभाग में पद स्थापित किया गया है ? क्या इसके कारण उसके विरुद्ध चल रही जांच प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानान्तरण आदेश को वापस ले लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 2-12-92 को पारित आदेश के अनुसार उनका निलम्बन प्रास्थगित किये जाने पर उन्हें वहीं पुनः नियुक्त किया गया । इसके कारण उनके विरुद्ध चल रही जांच प्रभावित नहीं हो रही है । संबंधित अवर अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिनांक 3-8-94 को अवमुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज लोधियाखान, जिला अल्मोड़ा में पूर्व स्वीकृत भवन के निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

4–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा राजकीय इण्टर कालेज, लोधियाखान, जिला अल्मोड़ा में पूर्व स्वीकृति विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में, उन्हें पत्र दिनांक 29-1-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय इण्टर कालेज, लोधियाखान, जिला अल्मोड़ा के भवन निर्माण के संबंध में दिनांक 29-1-94 के स्थान पर दिनांक 27-1-94 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

मामला लोक निर्माण विभाग में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले के एक डिप्टी सी० एम० ओ० द्वारा तहसील मुख्यालय पर निवास न करने की शिकायत

5–श्री हृदय नारायण–

विधान सभा 1994 के प्रथम सत्र, के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव, रायबरेली, कानपुर व लखनऊ के उप मुख्य चिकित्साधिकारीगण तहसील केन्द्रों पर रहते हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव जिले का एक भी डिप्टी सी० एम० ओ० व दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? उन्नाव जिले की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में उन्हें कितने प्रश्न प्रश्नकर्ता ने दिये हैं और उन पर कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम यादव–

भवन की व्यवस्था न होने के कारण सदर तहसील को छोड़कर शेष अन्य तहसीलों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी नहीं रह पा रहे हैं ।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तहसील सदर को छोड़कर भवन के उपलब्ध न होने के कारण अन्य उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील सदर पर नहीं रह पा रहे हैं ।

जब तक अन्य व्यवस्थायें नहीं हो जाती किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जैसे ही कार्यालय के लिए भवन आदि उपलब्ध हो जायेगा उप मुख्य चिकित्साधिकारी तहसील स्तर पर निवास करेंगे ।

उन्नाव जिले की चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत प्रश्न के अतिरिक्त विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–105 तथा आठवें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या–14 प्राप्त हुए जिन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत बने घटिया पुल की मरम्मत एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

6–श्री तुलाराम सैनी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट नाले पर जून, 1993 डी० आर० डी० ए० से स्वीकृत पुल बनाया गया था ? क्या उक्त पुल निर्माण के 2 माह बाद ही नाले में पानी के बहाव के कारण टूट गया है ? यदि हां, तो क्या पुल का पुनर्निर्माण होगा ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त पुल के घटिया निर्माण में किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ? शासन द्वारा दोषीजनों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में आरक्षित कोटा की जानकारी

7–श्री चन्द्र किशोर, श्री राजबली जैसल तथा श्री गया चरण दिनकर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि ुत्पादन मण्डी परिषद्/कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति सभी श्रेणी के पदों में प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है क्या आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? इस विभाग में कितनी महिला कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितनी महिला कर्मचारी/अधिकारी सामान्य जाति के पुरुष कर्मचारी/अधिकारी से विवाह किया है ? क्या इनको आरक्षण का लाभ मिला है ? यदि हां, तो आधार/नियम क्या हैं ? क्या किसी महिला अधिकारी को सामान्य जाति के पुरुष अधिकारी से विवाह करने के बाद आरक्षण कोटा का लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या उनको आरक्षण लाभ से वंचित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्/मण्डी समितियों में कार्यरत के विरुद्ध श्रेणीवार प्रतिनिधित्व निम्नवत् है :–

क्र० सं०	श्रेणी	प्रतिनिधित्व		
		अनु० जाति	जनजाति	पिछड़ी जाति
1	श्रेणी–1	8%	–	15.62%
2	श्रेणी–2	6%	–	16.43%
3	श्रेणी–3	13%	0.2%	19.39%
4	श्रेणी–4 (सफाईकार के पदों को छोड़कर)	16%	0.2%	31.90%

जी नहीं ।

पदोन्नति हेतु निचले संवर्ग में आरक्षित वर्ग के अर्ह कर्मचारियों की अनुपलब्धता, सीधी भर्ती का न होना एवं नियमानुसार स्वीकृत पदों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पदों पर आरक्षण पूरा नहीं है ।

पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के कर्मियों के न्यूनतम अर्हता पूर्ण कर लेने पर, सीधी भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होते तथा नियमानुसार स्वीकृत पद रिक्त होने पर ।

इस विभाग में 134 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं 26 महिला कर्मचारियों ने सामान्य जाति के पुरुषों से विवाह किया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, लखनऊ के विरुद्ध पूर्व अनियमितता की शिकायतें

8-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० लखनऊ वर्ष 1982-83 एवं इसके पूर्व आयातित खाद्य तेल गोदाम चौलक्खी के पद पर कार्यरत थे उन्होंने खाद्य तेल गोदाम में हानि/परिवहन हानि के रूप में लाखों रुपये की छीजन हानि दर्शाकर घोटाला किया था ? क्या इसकी विभागीय जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच के आधर पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

संबंधित वर्षों की सत्यापित हानियों को उक्त वर्षों के लेखों में लिया गया है । उक्त लेखे निगम के संचालक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त महालेखाकार के द्वारा सम्प्रेक्षित किये जा चुके हैं । सामान्य सभा द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है । परिणामतः स्पष्ट है कि संबंधित वर्षों में घोटाले का कोई मामला दर्ज नहीं है ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत तीन साल की पूरी सेवा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

9-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुए कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ? क्या अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? क्या शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश की अवहेलना किये जाने की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री बलराम यादव-

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण किये हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या-23,559 है ।

15,518 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है ।

शेष कर्मियों के स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या टिहरी गढ़वाल निर्मित भवन के खाली पड़े रहने की शिकायत

10–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू० हा० स्कूल, त्यूखर लस्या, टि० ग० का भवन कब बना था ? यह स्कूल भवन इस समय किस संस्था के पास है ? यदि यह भवन खाली पड़ा है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्य दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1982-83 में जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या टिहरी गढ़वाल का भवन बना था ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग टिहरी गढ़वाल के पास है ।

उक्त निर्माण एजेन्सी ।

जी नहीं ।

शिक्षा विभाग ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी टिहरी एवं ग्रामीण अभियन्त्रण के प्राधिकारियों से सम्पर्क कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं ।

बेसिक पाठशाला गंवाडा पट्टी हिन्सारियाखाल विकास खण्ड देव प्रयाग के निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

11–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे० पा० गवांणा, पट्टी हिन्सारियाखाल, वि० ख० देवप्रयाग का भवन कब बनना शुरू हुआ था ? क्या इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि विगत 10 वर्षों से यह विद्यालय भवन अधूरा है ? क्या इस भवन का निर्माण पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बेसिक प्राइमरी पाठशाला गवांणा पट्टी हिन्सारियाखाल का भवन निर्माण वर्ष 1980-81 में रु० 50,000 की स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से शुरू हुआ था ।

जी नहीं ।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भवन निर्माण का कार्य तत्कालीन प्रधान ग्राम सभा से कराने हेतु आदेश किया किन्तु प्रधान ग्राम सभा द्वारा निर्माण कार्य में बरती गयी असावधानी के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण पूर्ण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पशु चिकित्सालय विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय मथुरा में कार्यरत असिस्टेंट लैब टेक्निीशियन को समता समिति के अनुसार वेतनमान न दिये जाने की शिकायत

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत असिस्टेंट लैब टेक्निीशियनों को समता समिति की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों में वेतनमान में अन्तर क्यों है ? शासन द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों में पद सृजन की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं ।

कोई विसंगति नहीं है, अतएव प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सालय विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय मथुरा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की शाखा होने के बाद भी पदोन्नति नीति में भिन्नता की शिकायत

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा जो वर्ष 1975 से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का ही एक प्रांगण है, के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कानपुर के लिपिक कर्मचारियों से सेवा अवधि में वरिष्ठतम होते हुए समान प्रोन्नति के अवसर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने क्रम में ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक तथा कितने क्रम में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोनों के अनुपात निर्धारित हैं यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मथुरा के वरिष्ठ लिपिकीय कर्मचारियों को लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोनों लिपिकीय कर्मचारियों की संयुक्त वरीयता सूची बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मथुरा प्रांगण के लिए भी कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मथुरा प्रांगण तथा कानपुर प्रांगण के दोनों संकाय राज्य सरकार के अधीन थे तथा इनका नियंत्रण अलग-अलग विभागों द्वारा क्रमशः पशुधन विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा होता था । अतः विश्वविद्यालय बनने के बाद इन राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारिया/अधिकारियों के विश्वविद्यालय की सेवा में आने के लिए अलग-अलग शासनादेश जारी हुए । वरिष्ठता भी अलग-अलग निर्धारित हुई । इन शासनादेशों में नियमानुसार अनुमन्य लाभ इन्हें उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

दोनों प्रांगणों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग-अलग निर्धारित है अतः अनुपात निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा प्रांगण में अनुमन्य प्रोन्नति के लाभ वहां के लिपिकीय कर्मचारियों को समय--समय पर वरिष्ठता सूची के अनुसार दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

क्योंकि दोनों संकायों की वरिष्ठता सूची अलग-अलग है अतः इस कारण संयुक्त वरीयता सूची की आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के संगणक पद धारकों के पदोन्नतियों में अनियमिततायें

14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिव्यू याचिका संख्या–46/89, उत्तर प्रदेश शासन बनाम पी० डी० सिंह के रिज्वाइंडर एफीडेविट में क्या शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया था उन्होंने अनर्ह प्रारूपकारों को अर्ह प्रारूपकारों की वरिष्ठता सूची में लगाकर संगणक पद पर पदोन्नतियां दी हैं ? क्या संगणक पद, अर्ह प्रारूपकार पद से प्रोन्नति का पद है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त त्रुटि का सुधार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अर्ह प्रारूपकारों एवं अनर्ह प्रारूपकारों के पदोन्नति की नीति

15–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1951 में ड्रांइग संवर्ग हेतु ड्राफ्ट सर्विस रूल तैयार हुए थे ? क्या उनके आधार पर सिंचाई विभाग में अर्ह प्रारूपकारों एवं अनर्ह प्रारूपकारों के वेतनमान रु० 120–250 तथ 85–200 क्रमशः नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त ड्राफ्ट्स सर्विस रूल के आधार पर नियुक्तियां कब तक की जाती रही हैं ? क्या अनर्ह प्रारूपकारों को विभाग में प्रोन्नतियां उक्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1951 में कोई ड्राफ्ट सर्विस रूल्स तैयार नहीं किये गये । लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये ड्राफ्ट सर्विस रूल्स के अनुसार ही सिंचाई विभाग में भी कार्यवाही की जाती थी ।

जी हां ।

उक्त ड्राफ्ट्स सर्विस रूल के आधार पर वर्ष 1972 तक नियुक्तियां की गयीं ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा सेवा नियमों के तहत प्रोन्नतियां की गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों को सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

16–श्री बचनू राम पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के किसानों को सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा पायी है ? यदि नहीं, तो क्या यह भी बतायेंगे कि उर्वरक जमीन और बारहों महीनों बहने वाली नदियों के होने हुए एवं जमीन के नीचे सरलता से पानी निकालने की परिस्थितियां होते हुए भी प्रदेश में कुल कितनी कृषि भूमि असिंचित रह गयी है ? उसे सींचने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश का वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 173.00 लाख हेक्टेअर है, जिसमें समस्त साधनों से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 106 लाख हेक्टेअर है । केवल 67.00 लाख हेक्टेअर बोया गया क्षेत्रफल असिंचित है । असिंचित भूमि की सिंचाई राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के साधनों से किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में सिंचाई विभाग की 33 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है जिनकी कुल अवशेष लागत रु० 4,400 करोड़ है । धन की उपलब्धता पर इनके पूर्ण होने पर लगभग 31 लाख हेक्टेअर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी । अवशेष 36 लाख हेक्टेअर भूमि की सिंचाई राजकीय एवं निजी/लघु सिंचाई स्रोतों से की जायेगी ।

रुद्रपुर नगर जनपद नैनीताल में स्टेडियम बनाये जाने की मांग

17–श्री तिलक राज बेहड़–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के रुद्रपुर नगर में खेल स्टेडियम का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो खेल स्टेडियम की स्वीकृति कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खेल विभाग की वर्तमान सामान्य नीति के अनुसार जनपद मुख्यालय में एक स्टेडियम बनाये जाने की है ।

काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु व्यवस्था की जानकारी

18–श्री राजीव कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ? क्या सभी नहरों से सिंचाई हेतु समुचित पानी उपलब्ध रहता है ? यदि हां, तो उनकी कुल क्षेत्रवार संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी खराब नहरों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था शासन स्तर से विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का रख-रखाव उपलब्ध धनराशि से निर्धारित एवं अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

जी हां।

काशीपुर विकास खण्ड में 32 जसपुर विकास खण्ड में 42 तथा बाजपुर विकास खण्ड में 33 नहरें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद फैजाबाद के वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण कोटा की जानकारी

19–श्री जगन्नाथ प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के विज्ञापन संख्या 1/1986 में विज्ञापित वरिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां की गयीं ? यदि नहीं, तो कितनी और किन-किन की नियुक्तियां की गयीं ? क्या उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का निर्धारित आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चयन समिति द्वारा किन-किन नामों की संस्तुति की गयी थी और उनमें किन-किन को नियुक्ति आदेश निर्गत किया गया तथा कितने को रोक दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

वरिष्ठ लिपिक के पद पर निम्नलिखित ग्यारह व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं :–

<u>सर्वश्री–</u>

1–मो० अहमद

2–रमेश कुमार सिंह

3–सुरेश दत्त ओझा

4–अनुरुद्ध शुक्ल

5 राम देव (अनुसूचित जाति)

6–तेज प्रताप सिंह

7–पारस नाथ शुक्ल

8–चन्द्र प्रकाश

9–कृष्ण गोपाल दुबे

10–ओम प्रकाश गौड़

11–आनन्द प्रताप सिंह

ये नियुक्तियां वर्ष 1986 में कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परिनियम के अध्याय–XIII के अनुसार मेरिट के आधार पर की गयी थीं और तत्समय इस विश्वविद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उक्त 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे । कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में आरक्षण का प्राविधान शासन की अधिसूचना संख्या–1670/12-8-89–ए० क्यू०3003/82, दिनांक 6 मई, 1989 द्वारा इन नियुक्तियों के पश्चात् किया गया ।

उक्त प्रश्नगत विज्ञापन द्वारा वरिष्ट लिपिक के ग्यारह पदों के अतिरिक्त समान वेतनमान के स्टोरकीपर/क्लर्क टाइपिस्ट कम स्टोरकीपर के पदों को सम्मिलिति करते हुए कुल 13 पदों के लिए चयन समिति द्वारा निम्नलिखित 15 नामों की संस्तुति की गयी :–

<u>सर्वश्री–</u>

1–मो० अहमद

2–रमेश कुमार सिंह

3–सुरेश दत्त ओझा

4–अनुरुद्ध शुक्ल

5–राम देव (अनुसूचित जाति)

6–तेज प्रताप सिंह

7–पारस नाथ शुक्ल

8–चन्द्र प्रकाश

9–कृष्ण गोपाल दुबे

10–ओम प्रकाश गौड़

11–आनन्द प्रताप सिंह

12–राम उजागिर वर्मा

13–मंजूर अहमद खां

14–प्रमोद कुमार

15–सुपर्श श्रीवास्तव

उपर्युक्त पन्द्रह नामों में से क्रमांक–1 से 13 पर अंकित नामों को नियुक्ति प्रदान की गयी तथा क्रमांक 14 एवं 15 पर अंकित व्यक्तियों को नियुक्ति आदेश निर्गत नहीं किये गये ।

सिंचाई व्यवस्था के संबंध में प्रश्नकर्ता का सुझाव

20–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-6-92 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है ? क्या उन तथ्यों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो किससे तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में 17 नलकूपों की बन्दी एवं उनकी खराबियों के संबंध में प्रकाश डाला गया है ।

जी हां ।

नलकूप खण्ड–प्रथम सुल्तानपुर के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता से जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य विभाग के पी० एम० एस० पैरामेडिकल नर्सिंग, बी० एच० डब्लू एच० बी०/एच० एवं लिपिकीय व अन्य संवर्गों में आरक्षण कोटा की जानकारी

21–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पी० एम० एस०, पैरामेडिकल, नर्सिंग, बी० एच० डब्लू, एच० बी/एच० एवं लिपिकीय व अन्य संवर्ग में शासन द्वारा कुल कितने स्थायी पद स्वीकृत हैं ? क्या उनमें शासनादेश संख्या–15/25/75रा०एकी० दिनांक 10-5-76 व संशोधित शासनादेश संख्या–22/6/83 कार्मिक–2 दिनांक 25 मार्च, 1989 का पालन करके प्रथम स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी ? गयी क्या उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करके तत्काल स्थायीकरण में कोटा पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान विषय के अभाव के संबंध में शिकायत

22–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विज्ञान के इस युग में भी पर्वतीय क्षेत्र के अधिकतर विद्यालयों में विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है ? क्या सरकार ज० इ० का०, सुरखेत एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल

व प० इ० का० इन्दिरापुरी, एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल तथा प० हा० भवाड़ीधार में विज्ञान की मान्यता शीघ्र देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पर्वतीय क्षेत्र में विज्ञान विषय पढ़ाने हेतु शिक्षा परिषद् के संस्तुत प्रस्ताव पर शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है ।

जनता इण्टर कालेज, सूरखेत एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल व पब्लिक इण्टर कालेज, इन्दिरापुरी, एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल को इण्टर वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग की मान्यता दिये जाने का आवेदन-पत्र सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के यहां प्राप्त नहीं हुआ । प० हाई स्कूल भवाड़ीधार का प्रकरण मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु समिति ने वांछित अर्हता की पूर्ति न कर सकने के कारण विद्यालय का आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल जनपद में कतिपय गांवों में अतिवृष्टि से हुई हानि

23-श्री बंशीधर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली अतिवृष्टि में नैतीताल जनपद के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़ धारी रामनगर कोटाबाग में कितने गांव तबाह हो गये ? क्या उन्हें अन्यत्र बसाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद नैनीताल में, सितम्बर, 1993 में अतिवृष्टि से प्रश्नगत विकास खण्डों में से कुल आठ ग्राम प्रभावित हुए ।

विकास खण्ड बेताल घाट के दो ग्रामों के प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटित कर पुनर्वासित कर दिया गया है । विकास खण्ड भीमताल तथा रामनगर के क्रमशः 3 और 1 ग्रामों के प्रभावित परिवारजनों को पुनर्वासित करने की कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में निश्चित अवधि तय नहीं की जा सकती है । अतिवृष्टि से प्रभावित विकास खण्ड बेतालघाट के प्रभावित दो अन्य ग्रामों में किसी को अन्यत्र बसाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज इलाहाबाद में मण्डी निर्माण परिषद् द्वारा दो सम्पर्क मार्गों के स्वीकृत लेपन कार्य के अपूरा रहने की शिकायत

24-श्री नजमुद्दीन-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद में मण्डी निर्माण परिषद्, इलाहाबाद द्वारा मऊ आइमा, थाना-चौराहा से बाका जलालपुर सम्पर्क मार्ग एवं मऊ आईमा विकास खण्ड चौराहा से सराय बादशाहा कुली वाया, अलावलपुर सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक वर्ष 91 में स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति किये गये उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पर्क मार्ग का निर्माण न कराने के कारण एवं सम्पर्क मार्ग पर नियुक्त ठेकेदार, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मऊ आइमा थाना चौराहा से बाका जलालपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 31-7-91 को आरम्भ किया गया था ।

अनुबन्धानुसार कार्य समाप्त करने की तिथि 30-11-91 निश्चित की गयी, अनुबन्ध के अन्तर्गत चार कि०मी० में कुटाई कार्य कराया गया है, परन्तु मार्ग के 5वे कि०मी० पर कुछ समय तक भूमि विवाद होने एवं ठेकेदार द्वारा भी निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने तथा ठेकेदार का एक अन्य प्रकरण में पंजीकृत निरस्त करते हुये उसे काली सूची में अंकित करते हुये उनके द्वारा कराये गये कार्य को अन्तिम रूप देने एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । अधूरे कार्य के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गयी है । निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

मऊ इमा विकास खण्ड से सराय बादशाहपुर कुली वाया अलावलपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 4.5 किमी० को प्रारम्भ एवं पूर्ण कराने की तिथियां क्रमशः 16-9-91 एवं 15-1-92 निश्चित की गई थी । मण्डी समिति में धनाभाव व मार्ग निर्माण हेतु मैक्सफाल्ट की आपूर्ति न मिलने के कारण भी कार्य अवरुद्ध रहा । ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न कराने में बरती गयी शिथिलता को देखते हुये रु० 5000.00 का अर्थदण्ड भी लगाया गया है । इस मार्ग के सम्पूर्ण भाग पर कुटाई का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा एक कि०मी० लम्बाई में लेपन कार्य भी हो चुका है शेष लेपन कार्य सम्प्रति बरसात के कारण रुका है । मऊ आइमा से थाना चौराहा बांका जलालपुर सम्पर्क मार्ग से संबंधित ठेकेदार का एक प्रकरण में पंजीकरण निरस्त कराते हुये उसे काली सूची मे अंकित करते हुए उनके द्वारा कराये गये कार्य को अन्तिम रूप देने एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । विलम्ब परिस्थितिवश हुआ है । किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक खण्ड 39 इलाहाबाद (नारायणपुर राजबहा) के कि०मी० 6 से 9 तक की नहर में जल रिसाव की शिकायत

25–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद (नारायणपुर राजबहा) जो मणियाहूं ब्रान्च से निकली है, के कि०मी० 6 से 9 तक काफी जल रिसाव होने के कारण किसानों की उपजाऊ भूमि नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम हेतु कौन सा प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नारायणपुर राजबहे के कि०मी० 6.0 कि०मी० 9.0 के मध्य जल रिसाव की कोई समस्या नहीं है और न ही कृषकों की उपजाऊ भूमि नष्ट हुयी है । चूंकि जल रिसाव की कोई समस्या नहीं है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अर्ह प्रारूपकार एवं अनर्ह प्रारूपकार के पदोन्नति एवं वेतनमान की विषमताएं दूर करने की मांग

26–श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० एम० ओ० में अधीक्षण अभियन्ता के अधिकारों के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग एवं ड्राइंग संवर्ग के कर्मचारियों को ग्रेड से ग्रेड प्रोन्नति प्रदान किये जाने की शासकीय व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या लिपिक संवर्ग की वरिष्ठता सूची, उनको देय अलग-अलग ग्रेड की अलग-अलग बनायी जाती है ? क्या उनको पदोन्नतियां ग्रेड से ग्रेड में प्रदान की जाती हैं, जबकि ड्राइंग संवर्ग में प्रारूपकारों के वर्ष 1947 से दो ग्रेड थे ? क्या अर्ह प्रारूपकार ग्रेड–I वेतमान 120-250 तथा अनर्ह प्रारूपकार ग्रेड–II वेतन रु० 85-200 में नियुक्तियां की गयी थीं ? क्या इस संवर्ग की वरिष्ठता सूची ग्रेड–I की वरिष्ठता सूची में ग्रेड–II को लगाकर उनके विभाग में नियुक्ति की दिनांक से नयी वरिष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो दोनों संवर्ग के कर्मचारियों हेतु भिन्न-भिन्न मापदंड अपनाये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार से सम्मिलित वरिष्ठता सूची सिंचाई विभाग मे अन्य कितने संवर्गों की बनायी गयी है ? क्या इस प्रकार से वरिष्ठता सूचियां बनाये जाने का संवैधानिक/शासकीय सिद्धान्त है ? यदि सम्मिलित वरिष्ठता सूची बनाये जाने का सिद्धान्त नहीं है तो किसकी गलती से ऐसा हुआ है ? क्या इसका निराकरण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

रिट याचिका सं० 2127/83 सिंचाई विभाग, ड्राइंग स्टाफ एसोसियेशन बनाम लोक सेवा अधिकरण में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पत्रांक 11575/इ–4 ख दिनांक 30-11-89 द्वारा प्रस्तावित संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई गई है ।

ड्राइंग संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन बनाई गई है ।

इस प्रकार की वरिष्ठता सूची मा० न्यायालय के निर्देशानुसार ही बनाई गई है । अन्य संवर्गों की वरिष्ठता सूचियां उनकी सेवानियमावलियों के अनुसार अलग-अलग बनाई जाती है ।

ड्रांइग सवंर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बनाई गई है ।

ड्रांइग सवंर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बनाई गई है इसमें किसी की गलती नहीं है ।

रिट याचिका सं० 2127/83 सिंचाई विभाग, ड्रांइग स्टाफ एसोसियेशन बनाम लोक सेवा अधिकरण में अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता । ड्रांइग सवंर्ग की वरिष्ठता सूची मा० उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर तद्नुसार बनाई जायेगी ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल बहराइच के मामले में दिये गये आदेश के कार्यान्वयन की जानकारी

27–श्री फजलुर्रहमान अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार याचिका सं०–6762/83, दिनांक 22-2-86 के आदेशानुसार अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-2-86 (नकि 22-2-86) के अनुसार याची श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कार्य पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11-6-93 को दिया था जिसे नियमानुसार विचार कर अस्वीकृत कर दिया गया ।

विधान सभा क्षेत्र पुरवा जिला उन्नाव के पुरवा और मौरांवा ब्रांच के रजबहों के टूटी पुलियों के निर्माण की मांग

28–श्री हृदय नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव की पुरवा ब्रांच व मौरावां ब्रांच नहर प्रणाली से निकलने वाले रजबहों माइनरों पर कितनी पुलिया टूटी है ? यह पुलिया कब टूटी थी ? इन सबकी जगह क्या नयी पुलिया बनाने का प्रस्ताव है ? किन-किन स्थानों की टूटी पुलिया के स्थान पर नई पुलिया बनाने व किन-किन स्थानों की टूटी पुलिया की मरम्मत का प्रस्ताव है ? मरम्मत/नई पुलिया के निर्माण कब तक हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में पुरवा ब्रांच से निकलने वाले रजबाहों, व माइनरों में 11 पुलियों के स्लैब व आर्च तथा 49 पुलियों के पैरापेट्स तथा मौरांवा रजबाहा प्रणाली की 7 पुलियों के स्लैब एवं 24 पुलियों के पैरापेट्स आदि क्षतिग्रस्त हैं ।

पुरवा शाखा प्रणाली पर वर्ष 1989-90 में 2, 1990-91 में 23, 1991-92 में 15, 1992-93 में 19, तथा वर्ष 1993-94 में 1 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई । मौरांवा रजवाहा प्रणाली पर वर्ष 1990-91 में 8, 1991-92 में 10, 1992-93 में 10 तथा वर्ष 1993-94 में 3 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई ।

पुरवा ब्रांच से निकलने वाले रजबाहों व माइनरों में से 4 नई पुलिया बनाने तथा 56 पुलियों के मरम्मत की आवश्यकता है । मौरांवा रजवाहा प्रणाली में नई पुलिया बनाने का प्रस्ताव नहीं है परन्तु

क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत आदि अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत कराये जाते हैं।

धन उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्ष 1976 से 1993 की अवधि में उपचारिकाओं की सिस्टर के पद पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटा की जानकारी

29–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 से वर्ष 1993 तक कुल कितनी उपचारिकाओं को सिस्टर के पद पर प्रोन्नति की गयी ? उनमें से अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कितने अभ्यर्थियों को प्रोन्नतियां की गयी ? क्या 18 व 2% प्रतिशत की दर से अनु० जाति/जनजाति की प्रोन्नतियां दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है ? उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासनादेश संख्या–22/453, 1982-कार्मिक–2, दिनांक 22-8-91 के अनुसार क्या प्रोन्नतियों में सम्पूर्ण बैक लाग तत्काल पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1976 से वर्ष 1993 तक कुल 1148 उपचारिकाओं को सिस्टर के पद पर प्रोन्नतियां की गयीं।

कुल 72 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उपचारिकाओं की प्रोन्नतियां की गयीं।

जी नहीं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उपचारिकाओं की पदोन्नतियां किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनके रिक्त पदों को अग्रनीत कर दिया गया। ऐसी दशा में किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के समक्ष इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अर्ह ड्राफ्टमैन को न लेकर आई० टी० आई० डिप्लोमा होल्डरों को लिए जाने की शिकायत

30–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग की 1 जनवरी से 30 जून, 1980 तक अवधि की अर्द्धवार्षिक गति प्रतिवेदन के माध्यम से सिंचाई विभाग के लिये दरों/दर विश्लेषण, प्राक्कलनों की समुचित प्राविधिक जांच हेतु सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के कर्मचारी को लोक निर्माण विभाग की भांति अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की नियुक्ति की संस्तुति की गयी है, जिसे शासन द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में शासनादेश संख्या पु० ओ० आ०–88/93-27-सी-8-94/193/83, दिनांक 31-5-93 द्वारा पारित आदेश प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की संस्तुति का उल्लंघन है ? क्या विभाग में अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के समकक्ष इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अर्ह ड्राफ्टमैन उपलब्ध होने के बावजूद निम्न अर्हता आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण पत्र धारकों से उक्त डिप्लोमा धारी पद का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

इंजीनियरिंग अधिष्ठान सेवानियमावली 1985 के भाग चार अर्हताएं प्रस्तर 8 में क्रमांक 1 से 8 तक में आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र की योग्यता सम्मिलित होने तथा वेतन आयोग द्वारा वर्ष 1972 से आई० टी० आई० ट्रेड प्रमाण-पत्र को डिप्लोमा के बराबर मान लेने, समान वेतनमान देने तथा अर्ह प्रारूपकार मान लेने के कारण कार्य किया जा रहा है ।

जनपद झांसी में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की स्थिति

31–श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा० सुरेन्द्र मोहन राय की नियुक्ति आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) में हुई है अथवा सामान्य में ? यदि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) में हुई है तो इनकी जाति क्या है ? क्या यह जाति उ० प्र० अनुसूचित जाति में आती है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गयी ?

श्री बलराम यादव–

डा० सुरेन्द्र मोहन राय की नियुक्ति आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) में हुई है ।

डा० राय की उपाजाति खांगर है ।

जी हां ।

डा० राय की नियुक्ति पी० एम० एच० एस० सवंर्ग में जिला ट्राइबल वेलफेयर असिस्टेन्ट, सागर मध्य प्रदेश द्वारा निर्गत संविधान (शिडयूल कास्ट आर्डर 1950-51) के अन्तर्गत की गई है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में संस्कृत महाविद्यालयों में स्टाफ के विवरण की जानकारी

32–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं ? प्रत्येक संस्कृत महाविद्यालय में कितने अध्यापक, परिचारक एवं छात्र हैं ? यदि छात्रों की संख्या बहुत कम या शून्य है तो कार्यरत अध्यापक एवं परिचारक क्या काम करते हैं ? क्या उन्हें बिना कार्य के वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या टिहरी गढ़वाल भवन की उपयोगिता के संबंध में जानकारी

33–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कब किया गया था ? क्या निर्मित भवन पर विद्यालय चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इस निर्मित भवन को किसके सुपुर्द किया हुआ है ? यदि उक्त विद्यालय भवन वीरान पड़ा है, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या दोषी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1982-83 में निर्माण किया गया था ।

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने पंजीकृत भूमि पर निर्माण न करवाकर किसी अन्य स्थान पर करवाया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, टिहरी गढ़वाल ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने पंजीकृत भूमि पर निर्माण न कराके अन्य स्थान पर कराया है जिस पर ग्रामवासियों को आपत्ति है । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ।

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करने हेतु निर्देशित हैं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग में कतिपय बेसिक पाठशालाओं के निर्माण कार्य में व्यय तथा अधूरे होने की शिकायत

34–श्री मानवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग में बेसिक पाठशाला गवांण, डांग एवं नोसावगी के भवन निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था ? इन भवनों के निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या इनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या भवन निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवहन अभियन्ता को वेतन भुगतान के संबंध में श्री राम आसरे वर्मा विधायक का पत्र

35–श्री चरन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन अभियन्ताओं को वेतन भुगतान हेतु विधायक श्री राम आसरे वर्मा का कोई पत्र दिनांक 14-2-94 या फरवरी, 94 उसमें उल्लिखित संलग्नकों सहित शासन एवं महानिदेशालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का मुख्य विवरण क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । यह पत्र श्री एम० जी० सिंघल सेवाच्युत सहायक अभियन्ता को दिनांक 11-8-88 से 20-8-89 तक की अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त है । मामलें का पुनः परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के ग्राम अरनिया के सैकड़ों एकड़ जमीन पर सिंचाई सुविधा का अभाव

36–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अरनिया मन्सूरपुर विकास खण्ड खुर्जा की अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों की पट्टे की लगभग 140 एकड़ भूमि जो लाखों रुपया व्यय कर समतल कराई गई थी, सिंचाई साधन के अभाव में बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सिंचाई हेतु नलकूप की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत कराया जाता है । जिला सलाहकार समिति की संस्तुति पर स्थल चयन "जिला नलकूप चयन समिति" द्वारा किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक युनानी औषधि निर्माण शाखा मोहान रोड लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम वेतन दिये जाने की शिकायत

37–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 20 जनवरी, 1992 संख्या 215/36-3-6 (एम० डब्लू)–90 अधिसूचना के तहत उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी दैनिक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शासनादेश के तहत ही अधीक्षक, निर्माणशाला के पत्र संख्या 93/1429, दिनांक 17-8-93 के अनुपालन में इन दैनिक लिपिक कर्मचारियों का ई० एस० आई का पैसा नियमानुसार काटा जा रहा है ? क्या एतदर्थ निदेशक, आयुर्वेद की सहमति मांगी गयी है, जिसे निदेशक, आयुर्वेद यूनानी को भेजा गया है ? यदि हां, दो दैनिक लिपिक कर्मचारियों को अब तक न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दी गयी ? यदि मजदूरी दी जायेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक लिपिक कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संयुक्त कृषि निदेशक/परियोजना निदेशक दलहन कृषि भवन लखनऊ द्वारा फर्जी निरीक्षण की शिकायत

38–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेगे कि संयुक्त कृषि निदेशक परियोजना निदेशक, दलहन, कृषि भवन, लखनऊ श्री उमाशंकर द्वारा दलहन स्कीम का निरीक्षण वर्ष 1988 से मई, 1994 तक कितने बार, कहां-कहां पर किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त संयुक्त निदेशक द्वारा निरीक्षण कार्य दिखा कर अपने गृह जनपद बदायूं और हरिद्वार की यात्रा की गयी है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी विवरणवार जांच कराते हुए उन्हें दण्डित करने एवं कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री उमाशंकर पाठक ने संयुक्त कृषि निदेशक/परियोजना निदेशक दलहन, कृषि भवन, लखनऊ के पद पर दिनांक 22-7-89 को योगदान किया था। योगदान की तिथि से मई, 1994 तक दलहन योजना के निरीक्षण का कार्य विभिन्न जनपदों में संलग्न विवरण के अनुसार किया गया।

जी नहीं।

श्री पाठक द्वारा बदायूं तथा हरिद्वार जनपद की राजकीय यात्रायें भी उक्त अवधि में की गई थीं जो सभी राजकीय हित में थीं और कृषि निदेशक/विभागाध्यक्ष से अनुमोदित थीं। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–227 पर)

तत्कालीन अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहन रोड लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर गठित जांच की आख्या की जानकारी

39–श्री मुक्ति नाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ, श्री राजनरायन मिश्रा द्वारा उक्त निर्माणशाला में तैनाती के समय काफी ओवर बजटिंग व अन्य भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल में की गयी थी, जिसकी शिकायत कई मा० विधायकों द्वारा शासन को भेज दी गयी थी, जिसकी जांच आख्या शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उस जांच आख्या पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? सरकार द्वारा उक्त भ्रष्टाचार हेतु दोषी अधिकारी को दण्डित कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और अब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

श्री मिश्रा को औषधि निर्माण शाखा लखनऊ से हटा दिया गया है और जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है तथा दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड तेलियानी के ग्राम बैजानी का सरकारी ट्यूबवेल के खराब होने की शिकायत

40–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बैजानी, विकास खण्ड तेलियानी, जिला फतेहपुर में गत 10 वर्ष पूर्व पूर्व एफ० 84 स्टेट ट्यूबवेल लगाया गया था, जिसमें कम शक्ति की मोटर लगाने के कारण व अधिकांशतः यह खराब रहता है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गत 5 वर्षों में यह कुल कितने घण्टे प्रति वर्ष चला है ? क्या मंत्री जी यह व्यवस्था करायेंगे कि वहां अधिक अश्वशक्ति का एक नया मोटर लगाया जाय ? यदि हां, तो नया मोटर कब तक लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विगत पांच वर्षों में नलकूप के चलित घण्टे निम्नानुसार रहें :–

वर्ष	:	चलित घण्टे
89–90		178
90–91		104
91–92		16
92–93		10
93–94		87

नलकूप पर अधिक अश्वशक्ति का पम्प सेट बदल दिया गया है ।

41–डा० सरजीत सिंह डंग–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

स्क्रीनिंग कमेटी में श्री हीरा लाल बाजपेयी भू० पू० सहायक अधीक्षक लाला लाजपत राय चिकित्सालय के मामले को न लिए जाने की शिकायत

42–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सरकार को जानकारी है कि कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 442/बी० क० अ० 13/48/क–1/91, दिनांक 24-8-91 के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासन के अ० शा० पत्र संख्या 4630/से०क०8/पांच/9, दिनांक 4-10-91 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकार सेवक का प्रकरण 50 वर्ष की आयु

के उपरान्त प्रति वर्ष स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आगे सेवा वृद्धि के संबंध में निर्णय हेतु सत्यनिष्ठा कार्य व्यवहार, सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिका देखे जाने की प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में कार्यरत भू० पू० सहायक अधीक्षक श्री एच० एल० बाजपेई के मामले में अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

विभागीय स्क्रीनिंग की कार्यवाही के समय श्री एच० एल० बाजपेई भू० पू० सहायक अधीक्षक के मामले में भी निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के यू० एच० एम० चिकित्सालय के भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री हीरालाल बाजपेयी द्वारा सरकारी धन का गोलमाल किये जाने की शिकायत एवं वरिष्ठता निर्धारण पर आपत्ति

43–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-2-94 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–35 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जांच आख्या अ० शा० पत्र संख्या एच० एल० क 085/2400. दिनांक 21-9-85 में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर अभी कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो शेष बिन्दु क्या-क्या हैं ? उन बिन्दुओं पर अब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

जांच आख्या की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा चुकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हीरा लाल बाजपेयी तत्कालीन स्टोर कीपर/लिपिक के विरुद्ध डेड स्टाफ बुक हस्तान्तरित न करके गायब करने एवं सरकारी सम्पत्ति नष्ट करने के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की मांग

44–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री बच्चा पाठक, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया तथा श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार, दिनांक 23-2-94 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हीरा लाल बाजपेयी ने स्टाफ बुकें ही हस्तान्तरित नहीं कीं, तो गायब वस्तुओं का आंकलन एवं सरकारी धनराशि की वसूली सरकार कैसे करेगी ? क्या सरकार उन्हें निलम्बित करके पुलिस को सौंपेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

डेड स्टाक का मिलान चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध डेड स्टाक बुक, कंज्यूमेबुल स्टाक बुक तथा श्री बाजपेयी की कार्य अवधि में क्रय किये गये सामान तथा भुगतान वाउचर्स से मिलान करने पर स्टाक में 155 पौण्डस् (पैकेट्स) एवजारवेन्ट काटन कम पाया गया, जिसके मूल्य की वसूली प्रमुख अधीक्षक, एल० एल० आर० चिकित्सालय द्वारा की जा चुकी है।

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जांच आख्या की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर की पदोन्नति को अनियमित घोषित किये जाने के संबंध में शासन से मांग

45–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार, दिनांक 23-2-94 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976 में जारी वरिष्ठता सूची में श्री हीरा लाल बाजपेयी को क्रमांक क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वह सूची किस अधिकारी द्वारा, किस संवर्ग के कर्मचारियों के लिये निर्गत की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त वरिष्ठता सूची प्रान्तीय संवर्ग के कर्मचारियों की है और श्री बाजपेई को उनके द्वारा न्यायालय में दायर परिवाद के निर्णय के फलस्वरूप उन्हें लोकल कैडर का माना गया है ? यदि हां, तो क्या यह शिशु चिकित्सालय से अन्यत्र स्थानान्तरण पर जाने में माननीय न्यायालय के अवमानना के दोषी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

46–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

। दि० 22-8-94 को अता० प्र० सं० 176 द्वारा उत्तरित।

श्री हीरा लाल बाजपेयी सहायक अधीक्षक के पद से स्टीवर्ड के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने की मांग

47–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन के चिकित्सा अनुभाग–1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–यू० ओ० 25-सेक–1/पांच–वि० स०–65/92, दिनांक 19 फरवरी, 1994 द्वारा स्वास्थ्य विभाग के किस कर्मचारी को, उसके किस पद से किस मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रधानाचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक महाविद्यालय, कानपुर द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1457/नि०लि०–2/94, दिनांक 22 फरवरी, 1994 में सन्निहित स्पष्ट आदेशों का अनुपालन संबंधित प्रमुख अधीक्षक, एल० एल० आर० एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर द्वारा अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि

प्रत्यावर्तित कर्मचारी आज भी उक्त पद पर आसीन है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या सरकार शासनादेश का देर से पालन करने एवं बिना शासन की अनुमति से कार्य कराने में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, श्री हीरा लाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक के पद से "स्टीवर्ड" के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश प्राप्त होने के कारण अनुपालन नहीं हुआ ।

जी हां, मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश से ।

दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

रबी की फसल में मड़ाई से दुर्घटना ग्रस्त किसानों का विवरण

48–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रबी की फसल के मड़ाई करते समय प्रदेश में कितने मजदूर और किसानों के हाथ कटे या दुर्घटना के शिकार हुए ? क्या सरकार ने उनको मुआवजा दिया ? यदि हां, तो किसको तथा कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत रबी की फसल की मड़ाई करते समय एवं अन्य कृषि यन्त्रों से दुर्घटनाग्रस्त हुये किसानों/मजदूरों के 385 दावे दिनांक 15-8-94 तक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ।

जी हां ।

सूची संलग्न है । †

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधान लिपिक श्री बाबू लाल के विरुद्ध तत्कालीन विधायक श्री गिरधारी लाल का शिकायती-पत्र

49–श्री बच्चा पाठक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधान लिपिक, श्री बाबू लाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में उन्हें श्री गिरधारी लाल, विधायक (तत्कालीन) का पत्र संख्या क–267636, दिनांक 16 जुलाई, 1992 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक

---

† छापी नहीं गई ।

क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण के पत्रोल्लिखित सभी बिन्दुओं की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चिकित्सा विभाग के कतिपय संवर्ग के ड्यूटी लिस्ट के विवरण की जानकारी

50–श्री बच्चा पाठक, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक तथा श्री बाबूराम वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर कम क्लर्क/स्टीवर्ड/सहायक अधीक्षक/उप अधीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट शासन/महानिदेशालय द्वारा जारी की गयी है ? यदि हां, तो वह ड्यूटीलिस्ट क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों से वर्तमान में क्या-क्या कार्य सम्पादित कराये जाते हैं ? उक्त ड्यूटी लिस्ट, नियमावली कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

केवल स्टोर कीपर कम क्लर्क एवं स्टीवर्ड की ड्यूटी लिस्ट महानिदेशालय द्वारा क्रमशः 18 मार्च, 1952 एवं 27 अप्रैल, 1979 में जारी किया गया है । सहायक अधीक्षक/उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की कोई ड्यूटी लिस्ट नहीं है, क्योंकि इनका कार्य केवल स्टोर कीपर कम क्लर्क/स्टीवर्ड द्वारा सम्पादित कार्य का पर्यवेक्षण करना है ।

ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य सम्पादित कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलरामपुर एवं महिला चिकित्सालय हेतु सहायक एवं उप अधीक्षक के पदों के सृजन की मांग

51–श्री बच्चा पाठक, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया तथा श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थिति बलरामपुर, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा महिला चिकित्सालय वी० आई० पी० श्रेणी के हैं, जहां चिकित्सालय के मुखिया के अधीन चिकित्सालय कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों का अत्यधिक भार है ? यदि हां, तो क्या उनकी सेवाओं को और अधिक लाभकारी बनाने हेतु उनके अधीनस्थ उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक के पद सरकार सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हीरा लाल बाजपेयी तत्कालीन स्टोर कीपर/लिपिक लाला लाजपतराय, चिकित्सालय कानपुर नगर की अनियमित पदोन्नति के संबंध में शिकायत

52–श्री बच्चा पाठक, श्री सुरेश चन्द्र तिवारिया, श्री राम कुमार वर्मा, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–तथा श्री बाबू राम वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार, दिनांक 23-2-94 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 19. 21 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री हीरा लाल बाजपेयी की दोनों प्रोन्नतियां (स्टीवर्ड तथा सहायक अधीक्षक) अनियमित मानी गई हैं, तो फिर उन्हें उनके मूल पद स्टोर कीपर कम क्लर्क के पद पर प्रत्यावर्तित न करके स्टीवर्ड पद पर क्यों नियुक्त किया गया है ? अब उन्हें स्टोर कीपर कम क्लर्क के पद पर कब तक प्रत्यावर्तित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

केवल सहायक अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति अनियमित मानी गयी हैं। अतः श्री बाजपेयी को स्टोर कीपर कम क्लर्क के पद पर प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मंडी समिति मुजफ्फरनगर के द्वारा विगत दो साल पूर्व स्वीकृत सड़कों को बनवाये जाने की मांग

53–श्री सुरेश संगल–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि करीब 2 वर्ष पहले मंडी समिति, मुजफ्फरनगर ने किसानों की सुविधा हेतु अपने क्षेत्र में करीब 30 सड़कें बनाने का प्रस्ताव पारित कर मंडी परिषद् उ० प्र० को स्वीकृति हेतु भेजा था ? क्या परिषद् ने प्रस्ताव स्वीकृत करके मंडी समिति, मुजफ्फरनगर से इस कार्य हेतु 1 करोड़ से भी अधिक धनराशि मंगा ली थी जो परिषद् के पास डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय पहले पहुंच गई थी ? यदि हां, तो क्या परिषद् ने इतना समय बीत जाने पर भी उस राशि का बहुत छोटा अंश ही उन स्वीकृत सड़कों पर व्यय किया है ? क्या शेष धन अभी परिषद् के पास ही पड़ा हुआ है ? क्या मंत्री जी उस धनराशि को नियमानुसार तुरन्त सड़क निर्माण पर लगाने के आदेश पारित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, 30 मार्ग नहीं अपितु 38 सम्पर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव समिति ने पारित कर स्वीकृति हेतु दिनांक 9-4-92 द्वारा मण्डी परिषद् को उपलब्ध कराया था।

8 मार्गों में से 30 नग मार्ग तथा वर्ष 91 में प्राप्त 10 मार्गों के प्रस्ताव को मिलाकर परिषद् पत्र दिनांक 1-10-92 द्वारा 40 नग मार्गों के निर्माण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि मण्डी समिति में भविष्य के वर्षों में अर्जित की जाने वाली आय तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुसार चरणों में निर्माण कराया जाय।

मात्र इन मार्गों के निर्माण के लिए नहीं, अपितु शासनादेश सं०–4890/12-5-90-600 (108)/88. दिनांक 28-12-90 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप अंशदान के रूप में मण्डी समिति, मुजफ्फरनगर से मण्डी परिषद् को धन प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत 30 मार्गों के निर्माण पर कोई धन व्यय नहीं किया गया है।

शेष धनराशि केवल उक्त सड़कों के निर्माण के लिए ही नहीं है।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

भूतपूर्व विधायकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण

54–श्री सुरेश संगल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायकों को जिला स्तरीय व अन्य राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि जिला अस्पताल में कोई इलाज संभव है तो क्या पूर्व विधायक द्वारा प्राइवेट डाक्टर से इलाज या आपरेशन कराने पर उसे कोई धनराशि दिये जाने का प्राविधान है ? क्या पूर्व विधायकों के इलाज के लिए कोई धनराशि प्रति माह या प्रति वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या पूर्व विधायकों को दी जाने वाली चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कोई पुस्तिका उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री बलराम यादव–

पूर्व विधायकों को समूह "क" वर्ग के अधिकारियों के समान निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है ।

जी नहीं परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्राधिकृत चिकित्सक के संदर्भ में तथा शासकीय अनुमति के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त व्यय धनराशि की अनुमति प्रदान की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनी शुदा एवं अन्य विभाग में समायोजित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन संरक्षण के अन्तर्गत लाभान्वित लोगों का विवरण

55–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट हार्टिको के छटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में समायोजित कर दिया गया है, के वेतन संरक्षण के संबंध में विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान को संरक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56-57–श्री किशन लाल दिलेर–

। मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम तपसी पुरवा धमोड़ा जनपद सीतापुर में कच्ची सड़क के निर्माण की मांग

58–श्री पूर्णमासी देहाती–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 7वें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–9 के उत्तर के संबंध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नगत ग्राम से धमौड़ा ग्राम तक जो 1,110 मीटर की कच्ची सड़क का निर्माण स्वीकृत है उसमें से अब तक कितने मीटर सड़क का निर्माण हो चुका है और अभी कितने मीटर सड़क का निर्माण शेष है तथा शेष सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के सातवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–9 के संबंध में विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम तपसी पुरवा से धमौड़ा ग्राम तक जो 110 मीटर की कच्ची सड़क का निर्माण स्वीकृत है उसमें से अब तक 360 मीटर कच्ची सड़क का निर्माण हो चुका है और अभी 750 मीटर कच्ची सड़क का निर्माण शेष है ।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट विसवां के स्टे आदेश के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

59–श्री हरपाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक एवं संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किये जाने की मांग

60–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया अवगत करायेंगे कि चिकित्सा विभाग में समूह "ग" के कौन-कौन कर्मचारी अप्रशासकीय एवं प्रशासकीय श्रेणी एवं संवेदनशील तथा असंवेदनशील की श्रेणी में आते हैं ? उनके वर्गीकरण का आधार एवं शासनादेश क्या है ? क्या शासन द्वारा प्रशासनिक एवं संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

ऐसे कर्मचारी जिनके अन्तर्गत उसी संवर्ग के कनिष्ठ कई कर्मचारी है एवं उनके कार्य का परीक्षण यदि उनके द्वारा सम्पादित होता है तो प्रशासकीय श्रेणी में माने गये हैं । अन्य सभी अप्रशासकीय है । स्थानान्तरण नीति संबंधी शासनादेश संख्या–2172–सेक–3/पांच–7 (55)/86, दिनांक 18 मई, 1994 के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, लेखा सहायक, मुख्य लिपिक, आशुलिपिक, स्टोर कीपर कम क्लर्क के पद संवेदनशील केवल स्थानान्तरण संबंधी कार्यों के लिये वर्गीकृत किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

लघु सिंचाई विभाग गोण्डा द्वारा विगत चार साल में खिड़की पेंटिंग के लक्ष्य के विवरण की जानकारी

61–कुंवर अजय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 तक कितनी बोरिंगों का लक्ष्य जनपद गोण्डा के लघु सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ तथा इसके विपरीत लघु सिंचाई विभाग गोंडा को कितने मीटर पी० वी० सी० पाइपों का आवंटन प्राप्त हुआ ? लघु सिंचाई विभाग ने जनपद गोण्डा मे प्रश्नगत वर्षों में आवंटित लक्ष्य के विपरीत कितना कार्य करा लिया है ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद गोण्डा में बोरिंग का वर्षवार लक्ष्य निम्नवत् रखा गया था :–

वर्ष	लक्ष्य		
	लघु सिंचाई विभाग	अन्य	कुल
89-90	3500	4000	7500
90-91	5000	2400	7400
91-92	5000	2400	7400
92-93	5570	1950	7520
93-94	5800	2434	8234

आवंटित पी० वी० सी० पाइप का वर्षवार विवरण निम्नवत् था :–

वर्ष	पी० वी० सी० पाइप की प्राप्ति मीटर में	
	4 के० जी० एफ० प्रतिवर्ग से० मी०	6 के० जी० एफ० प्रतिवर्ष से० मी०
89-90	16998.00	41931.00
90-91	56317.97	83787.00
91-92	34937.70	36198.00
92-93	94105.52	95898.00
93-94	82746.00	117389.00

आवंटित लक्ष्य के विपरीत लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य संस्थाओं की मिलाकर वर्षवार निम्न विवरण के अनुसार बोरिंग कार्य किया गया :–

वर्ष	लघु सिंचाई विभाग	अन्य	कुल
89-90	3610	2100	5710
90-91	5460	3544	9004
91-92	4968	3042	8010
92-93	5848	1950	7798
93-94	6139	2163	8302

जनपद जालौन के ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत विभागों में कार्य हेतु आवंटित धनराशि एवं कार्य का विवरण

62–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में जनपद जालौन में ग्राम्य विकास अभिकरण को विभिन्न विभागों से किस-किस कार्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ? उपलब्ध कराई गई धनराशि से कहां-कहां कौन से कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो कब तक और किसके द्वारा ? क्या जिन विभागों से जिन कार्यों को कराया गया है शासन की नीति के अनुसार यह विभाग उन कार्यों को करने के लिये अधिकृत थे ? यदि हां, तो शासन की नीति या राजाज्ञा द्वारा ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में तैनात स्टीवर्डों के नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि का मामला

63–श्री सुन्दर लाल लोधी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवे बुधवार के लिये निर्धारित अ० प्र० संख्या 104 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यरत एवं कार्य कर चुके स्टीवर्डों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी कौन-कौन हैं ? समस्त कर्मचारियों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी, निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ कब तक रहे हैं ? वर्तमान में किस आदेश संख्या व दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी, प्रमुख अधीक्षक एवं प्रोन्नति अधिकारी महा निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ अथवा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज कानपुर हैं ? क्या यह भी सत्य है कि महा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ के अधीनस्थ स्टीवर्ड का वेतनमान 975-1660 है ? यदि हां, तो 1200-2040 का वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार क्या है ? इस अनियमितता के

लिये कौन अधिकारी दोषी है ? वर्तमान सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासनादेश का पालन न करने वाले संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या यू० ओ० 25 से क–14/पांच-वि०स० 65/92, दिनांक 19-2-94 के अनुपालन में सम्बन्धित कर्मचारी को दिनांक 22-2-94 से स्टीवर्ड के पद पर प्रत्यावर्तित करके संबंधित आदेश प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर को हस्तगत करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो प्रमुख अधीक्षक ने दिनांक 23-2-94 से स्टीवर्ड के पद का वेतन आहरण क्यों नहीं किया है ? इस वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी कर्मचारी कौन है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण संबंधित कर्मचारी के प्रत्यावर्तित पद का वेतन आहरण नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के तहसील हाटा के मुख्यालय अस्पताल में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

65–श्री किरनपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में तहसील हाटा में मुख्यालय के अस्पताल में श्री राम नाथ पांडे एस० पी० एस० श्री जोश्वर प्रसाद, एच० आई०, श्री पारस नाथ उपाध्याय, श्री उदय भान सिंह, एम० डी०/एल०एल, श्री विश्वनाथ प्रसाद, एच० ए० श्री सिंहासन प्रसाद यादव, वरिष्ठ लिपिक, श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव एल० टी० कितने दिनों से एक ही अस्पताल व मुख्यालय जनपद देवरिया के हाटा अस्पताल में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शासन की नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलराम यादव–

जनपद देवरिया के तहसील हाटा के मुख्य अस्पताल में श्री राम नाथ पाण्डे नाम का कोई एस० पी० एस० कार्यरत नहीं है । श्री राजनाथ मणि नाम का एस० पी० एस० दिनांक 9-7-77 से कार्यरत है । श्री जलेश्वर प्रसाद एच० आई० प्रा० स्वा० केन्द्र हाटा में दिनांक 14-7-71 से, श्री पारस नाथ

उपाध्याय, फार्मासिस्ट दि० 5-11-84 से कार्यरत हैं । उक्त अस्पताल में श्री उदय भान सिंह एम० डी०/एस०एल० नाम का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है, बल्कि डा० उदयभान सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर दि० 1-1-94 से कार्यरत हैं । श्री विश्व नाथ प्रसाद एच० ए० दिनांक 1-9-65 से व श्री सिंहासन प्रसाद यादव वरिष्ठ लिपिक दि० 30-11-92 से एवं श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, एल० टी० दि० 1-7-89 से कार्यरत हैं ।

एस० पी० एस० का पद सेन्सिटिव पद नहीं माना गया है अतः श्री राजनाथ मणि एस० पी० एस० का स्थानान्तरण जनरल स्थानान्तरण नीति के अनुसार नहीं किया गया है । श्री जलेश्वर प्रसाद एच० आई० का स्थानान्तरण अपर निदेशक गोरखपुर मण्डल द्वारा जनपद आजमगढ़ के लिये किया गया था जो बाद में सामूहिक रूप से निरस्त कर दिया गया । श्री पारसनाथ उपाध्याय, फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण हाटा से नया प्रा० स्वा० केन्द्र ठेपवल दुबे (भागलपुर) देवरिया के लिये किया गया है । डा० उदयभान सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा मे दिनांक 1-1-94 से तथा जनपद में 17-10-87 से कार्यरत हैं, स्थानान्तरण नीति में न आने के कारण इनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है । श्री विश्वनाथ प्रसाद एच० ए० का स्थानान्तरण नहीं किया गया है । कारणों की जानकारी की जा रही है । श्री सिंहासन प्रसाद यादव वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण महानिदेशालय से वाराणसी के लिये किया गया था तथा अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा आजमगढ़ के लिये किया गया था परन्तु बाद में सामूहिक रूप से स्थगित कर दिया गया । श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव एल० टी० प्रा० स्वा० केन्द्र हाटा में दिनांक 1-7-89 तथा जनपद में 10-9-84 से कार्यरत हैं । यह स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः इनका स्थानन्तरण नहीं किया गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा बेस चिकित्सालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत उपचारिकाओं के संबंध मे प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

66–बैजनाथ रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-5-94 जो श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत उपचारिकाओं के स्थानान्तरण के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त कर्मियों को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पत्र पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता

67–कुंवर अजय प्रताप सिंह–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से चल रही फर्जी संस्थाओं की शिकायत

68–श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अधिकृत संस्थाओं के अतिरिक्त अनधिकृत रूप से दर्जनों फर्जी संस्थाओं द्वारा डाक्टरी की डिग्रियां बेची जा रही हैं, जिनके सहारे महानगरों तथा दूर-दराज गांवों तक हजारों डाक्टर जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बने हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69–श्री लालमणि प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री गौरी शंकर सर्वेयर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वितीय बस्ती के पदोन्नति का मामला

70–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वितीय बस्ती में कार्यरत श्री गौरीशंकर सहायक सर्वेयर जो अनुसूचित जाति के हैं, की पदोन्नति सर्वेयर पद पर कार्यालय ज्ञाप सं०–1532/एस-7/दिनांक 19-8-88 द्वारा की गयी परन्तु अधीक्षण अभियन्ता नलकूप खण्ड मण्डल गोरखपुर द्वारा अन्य कनिष्ठ सहायक सर्वेयर की पदोन्नति सर्वेयर पद पर अनुमोदित कर दी गयी जो सामान्य जाति के थे ? क्या अभी तक अनुसूचित जाति के वरिष्ठ सहायक सर्वेयर श्री गौरीशंकर की पदोन्नति का अनुमोदन पुनः कार्यालय बस्ती के पत्रांक–336/एस–7/दिनांक 13-2-89 द्वारा मण्डल कार्यालय गोरखपुर में भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल द्वितीय, गोरखपुर द्वारा श्री गौरीशंकर सहायक सर्वेयर को पदोन्नति सर्वेयर पद पर करने हेतु अनुमोदन क्यों प्रदान नहीं किया गया है ? क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो श्री गौरीशंकर के पदोन्नति का अनुमोदन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

तत्कालीन अधि० अभि० पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड बस्ती (वर्तमान में नलकूप खण्ड–2 बस्ती) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1532/एस–7/दिनांक 19-9-88 द्वारा श्री गौरी शंकर, सहायक सर्वेयर की सर्वेयर के पद पर अनन्तिम पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु इसके लिये सक्षम न होने के कारण उन्होंने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–2017/एस–7/दिनांक 15-12-88 द्वारा इन आदेशों को निरस्त कर दिया ।

जी नहीं ।

नलकूप खण्ड–2 बस्ती में कार्यरत किसी भी सहायक सर्वेयर की सर्वेयर के पद पर की गयी पदोन्नति का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है ।

तत्कालीन अधि० अभि० पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड, बस्ती के पत्रांक 336/एस–7/दिनांक 13-2-89 द्वारा खण्ड में कार्यरत समस्त सहायक सर्वेयर के सेवा विवरण व सेवा अभिलेख तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल, गोरखपुर (वर्तमान में नलकूप मण्डल–2 गोरखपुर) को भेजे गये हैं ।

सर्वेयर के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्धित होने के कारण ।

नलकूप खण्ड–2 बस्ती के अन्तर्गत सर्वेयर के कुल 4 पद है जो सभी रिक्त हैं ।

सर्वेयर के पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण सम्प्रति पदोन्नति संभव नहीं है ।

राजकीय कर्मचारी स्थायीकरण नियमावली के तहत जनपद बस्ती में स्थायी किये गये सर्वेयर की संख्या की जानकारी

71–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारी स्थाईकरण नियमावली, 1991 के तहत प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान–3 अनुभाग) सि० वि० उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–4795 दिनांक 7-6-92 का अनुपालन नलकूप खण्ड–2 बस्ती में कार्यरत सहायक सर्वेयर की स्थाईकरण करने की दिशा में पहल की गयी है ? यदि हां, तो किस तिथि को कितने सर्वेयर को स्थाई नहीं किया गया और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 30 जून, 1992, 3 जुलाई 1992, 14 अगस्त, 1992 तथा दिनांक 6 अगस्त, 1993 को स्थायीकरण की कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

कार्यवाही पूरी होने पर स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक सर्वेयर और सर्वेयर को समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू किये जाने की मांग

72–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक सर्वेयर और सर्वेयर की सेवा नियमावली बन चुकी है ? इनके वेतन विसंगति के मामले जो शासन में लम्बित है, क्या उनको समान कार्य हेतु समान वेतन के तहत पुनरीक्षित किये जाने पर विचार होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । अभी विचाराधीन है ।

वेतन विसंगति का प्रकरण विचाराधीन है ।

झींझक मण्डी समिति कानपुर देहात द्वारा बनायी गयी सड़कें, पुलिया तथा अस्पताल का विवरण एवं दुकानों के आवंटित होने की जानकारी

73–श्री रामदास पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत झींझक मण्डी समिति नें अपने व्यय से कृषकों के लिये कितनी सड़कें, पुलिया तथा अस्पताल आदि बनाये हैं ? क्या मण्डी समिति झींझक द्वारा बनाई सड़कों की मरम्मत की कोइ योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मण्डी समिति में व्यापारीगण आवंटित दुकानों में व्यापार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1986-87 में झींझक रेलवे स्टेशन से खानपुर "सम्पर्क मार्ग का निर्माण सोलिंग स्तर तक 1.60 किमी० लम्बाई में कराया गया तथा वर्ष 1987-88 में झींझक रेलवे स्टेशन से खानपुर" सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग लम्बाई 0.37 किमी० का निर्माण सोलिंग स्तर तक व इसी मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया है ।

जी नहीं ।

मण्डी समिति द्वारा पारित व जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण ।

लाइसेंस धारी व्यापारियों को दुकानें आवंटित हैं । उनमें से कुछ व्यापारी नवीन मण्डी स्थल में आवंटित दुकानों में कारोबार कर रहे हैं । शेष व्यापारियों द्वारा भण्डारण का कार्य किया जा रहा है । शत प्रतिशत व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है .

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहनगर माइनर लखावटी ब्रांच नहर जनपद बुलन्दशहर के निर्माण से संबंधित अवर अभियन्ताओं को दण्डित किये जाने की मांग

74–श्री धर्मपाल यादव––

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शाहनगर माईनर लखावटी ब्रांच नहर जनपद बुलन्दशहर के निर्माण हेतु श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री अब्दुल रशीद निवासी गुठावली टीकरी जनपद बुलन्दशहर का खेत नं०–181 दिनांक 23-2-93 के सर्वे नक्शे व सूचित नम्बरान में बचा हुआ था ? क्या एस० एल० ओ० (कार्यालय) बुलन्दशहर द्वारा यह आपत्ति की गयी थी कि खेत नं०–181 अर्जित भूमि से दूर स्थित है तथा दिनांक 4-1-94 उपरोक्त फाईल एस० एल० ओ० ने उपरोक्त सिंचाई विभाग मध्य गंगा–6 मेरठ को

भेज दी गई थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अर्जित खेत नं०–182 का कुआं बचाकर जबरदस्ती उपरोक्त माईनर खेत नं०–181 में से नजायज रूप से निकाला जा रहा है ? क्या उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करते हुये विभाग द्वारा 23-2-93 व 24-11-93 के सर्वे अनुसार नक्शे पर उपरोक्त माईनर निकलवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

एस० एल० ए० ओ० बुलन्दशहर को दिनांक 26-11-93 में भूमि अर्जन केस के साथ भेजी गयी अनुसूची में अन्तिम समरेखन के हिसाब से ही खेतवार अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की गणना की गयी थी, जिसमें खेत नं०–181 का 9 बिस्वा 5 बिस्वांसी रकबा भी शामिल था । किन्तु इस केस के साथ भेजे गये नक्शे में अन्तिम समरेखन पर रंग न भरने के कारण एस० एल० ओ० द्वारा 17-1-94 को (4-1-94 को नहीं) आपत्ति के साथ पत्रावली खण्ड–6 मेरठ को भेज दी गयी थी ।

ग्राम सभा गुठावली टीकरी ने दिनांक 24-9-93 को प्रस्ताव भेजा कि माईनर को खेत सं० 182, 185, 186 एवं 187 के बीच से न निकाल कर डोल के किनारे से निकाली जाए । कृषकों की मांग उचित पायी गयी, इसलिए समरेखन को जनहित में डोल के किनारे रखकर अन्तिम रूप दिया गया, जिससे खेत नं० 182 का कुआं बच गया तथा खेत सं० 181 में 9 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि प्रभावित हुई । यह कार्य जनहित में किया गया न कि नजायज रूप से किया गया ।

ग्राम सभा गुठावली टीकरी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संशोधित समरेखन पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव 26-11-93 को एस० एल० ओ०, बुलन्दशहर को भेजा गया । इस प्रस्ताव में खेत संख्या 181 का 9 बिस्वा 5 बिस्वांसी रकबा शामिल है । इस ही समरेखन पर नहर निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि प्राप्त होने पर निर्माण किया जाएगा ।

श्री डीरालाल बाजपेयी भू० पू० स्टोर कीपर यू० एस० एल० चिकित्सालय कानपुर सम्प्रति सहायक अधीक्षक लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर का मामला स्क्रीनिंग कमेटी में भेजे जाने की मांग

75–श्रीमती प्रेम लता कटियार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एच० एल० बाजपेई, भूतपूर्व स्टोर कीपर यू० एच० एम चिकित्सालय, कानपुर सम्प्रति सहायक अधीक्षक, लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर को जांच संख्या एच० एल० बा०/35/2400, दिनांक 21-9-85 में अयोग्य एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा का कर्मचारी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश सं०–442/वि०क०अ०/12/48/क–1/91, दिनांक 24-8-91 के क्रम में शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अ० शा० पत्र सं०–4620/से०क०8/पांच–9, दिनांक 4-10-91 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उक्त जांच रिपोर्ट को रखकर उन्हें 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने के कारण आगे सेवा में वृद्धि न करने का निर्णय लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

दिनांक 21 सितम्बर, 85 की जांच आख्या में श्री बाजपेई को अयोग्य एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा का कर्मचारी पाने का उल्लेख नहीं है। विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ श्री बाजपेई के बारे में भी विचार किया जायेगा।

76–77–श्री हरपाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिए गए]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के विकास खण्ड मगरौरी पट्टी शिवगढ़ व गौरा में मण्डी समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

78–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के विकास खण्ड मगरौरी, पट्टी, शिवगढ़ व गौरा में मण्डी समिति प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में कितनी धनराशि का कौन सा कार्य कहां-कहां किया गया ? क्या वित्तीय वर्ष 1994–95 में मण्डी समिति प्रतापगढ़ द्वारा बीरापुर विधान सभा के उक्त विकास खण्डों में किसी कार्य का प्रस्ताव है ? कहां-कहां और कितनी धनराशि का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष 1993-94 में विकास खण्ड, मगरौरी,पट्टी, शिवगढ़ व गौरा में रु० 8.20 लाख की लागत से अधोलिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य किया जा रहा है :–

क्र० सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई	लागत
1.	खम्भौर सम्पर्क मार्ग	0.5 कि० मी०	2.50 लाख
2.	महुली से खेमपुर	0.5 कि० मी०	2.20 लाख
3.	तालागांव से तालाबाजार	1.00 कि० मी०	3.20 लाख

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को सप्लाई आर्डर की अधिकतम सीमा की जानकारी

79–श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग, इलाहाबाद के शारदा सहायक खण्ड–39 शारदा सहायक खण्ड व सिंचाई खण्ड प्रथम ने वित्तीय वर्ष 1993-94 में कितनी धनराशि का सप्लाई आर्डर (आपूर्ति आदेश) दिया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एक वित्तीय वर्ष में एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा कितनी धनराशि किस सप्लाई आर्डर (आपूर्ति आदेश) के माध्यम से क्रय करने का अधिकार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में शारदा सहायक खण्ड–39, शारदा सहायक खण्ड–30, सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद द्वारा निम्न धनराशि आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये हैं :–

खण्ड का नाम	आपूर्ति आदेश की धनराशि
1–शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद	रु० 3,90,367.67
2–शारदा सहायक खण्ड–30 इलाहाबाद	रु० 82,695.00
3–सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद	रु० 42,701.00

विभिन्न सामग्रियों के क्रय करने हेतु अधिशासी अभियन्ता निम्नवत् आपूर्ति आदेश निर्गत करने हेतु सक्षम है :—

आईटम	धनराशि
1–निर्माण सामग्री	स्वीकृत अनुमान की सीमा के अन्तर्गत (रु० 10 लाख तक)
2–उपकरण एवं संयंत्र तथा अन्य (टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करने के उपरान्त एवं रेट कांट्रेक्ट आईटम)	रु० 2 लाख 40 हजार (एक वर्ष में)
3–लेखन सामग्री	रु० 20,000 (एक बार में)
4–वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के पैरा–184 के अनुसार खण्ड में स्टाक की स्वीकृति रिजर्व लिमिट के अन्दर पूरी सीमा तक	जितनी रिजर्व लिमिट स्वीकृत हो ।

विभिन्न खण्डों द्वारा आपूर्ति आदेश के माध्यम से क्रय किये गये सामान के मूल्य का विवरण संलग्न हैं । जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा क्रय की गयी सामग्री उनकी क्रय सीमा के अन्तर्गत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 228 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा डिघवट, विकास खण्ड गौरा में भवन एवं चिकित्सक विहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय की शिकायत

80–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा डिघवट, विकास खण्ड गौरा, जनपद प्रतापगढ़ में विगत 1978 से एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक छप्पर में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसके भवन निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो क्या ? क्या यह भी सत्य है कि वहां 6 माह पूर्व से कोई चिकित्सक तैनात नहीं है ? यदि हां, तो कब तक वहां पर चिकित्सक की नियुक्ति होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । ग्राम डिघवट में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खपरैल के भवन में चल रहा है, जो निःशुल्क भवन है ।

भवन निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति पर नियोजन/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

चिकित्सक की नियुक्ति यथा शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड शिवगढ़ में नागापुर रजबहा (नहर) की तेरह मील से सरखेलपुर तक नहर पटरी को पक्का कराये जाने की मांग

81–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड शिवगढ़ में नागापुर राजबहा (नहर) की पटरी तेरह मील से सरखेलपुर तक अत्यन्त खराब है ? क्या तेरह मील से सरखेलपुर तक इस पटरी को जनहित में पक्का कराये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा इस पटरी को पक्का कराये जाने के संबंध में एक आगणन रुपये 32.04 लाख का बना कर जिलाधिकारी को भेजा गया है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

82–श्री बैजनाथ रावत–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

83-84–श्री हरपाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

श्री एम० जी० सिंघल, सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता के वर्ष 1988-89 के बकाया वेतन के भुगतान की मांग

85–श्री हरपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे बुधवार के अता० प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवामुक्त सहायक अभियन्ताओं के वर्ष 1988-89 के एक वर्ष के वेतन प्रकरण श्री किरन पाल सिंह विधायक और श्री किशन लाल दिलेर, विधायक के 16मार्च, 1994 के प्रथम पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय/शासन में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों में किन अभियन्ताओं के बारे में क्या-क्या बिन्दु उठाये गये हैं ? क्या-क्या आधार दर्शाये गये हैं एवं प्रकरण में न्याय एवं कार्मिक विभाग से परामर्श करने सहित क्या-क्या संस्तुति/मांग पत्रों में की गयी हैं ? क्या मंत्री जी विधायकों की संस्तुति/मांग के अनुसार कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

उक्त पत्रों में श्री एम० जी० सिंघल, सेवाच्युत सहायक अभियन्ता के वर्ष 1988-89 के एक वर्ष के वेतन प्रकरण को उठाया गया है। मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

डा० बी० एम० माथुर, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा श्री एम० जी० सिंघल के विरुद्ध की गयी जांच आदि का विवरण

86–श्री किशन लाल दिलेर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-2-94 के अतारांकित प्रश्न सं०–108, 109 व 110 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (स्वास्थ्य) ने शासन संयुक्त निदेशक (महिला) व उपनिदेशक प्राविधिक को पृष्ठांकन सहित अभियन्ता श्री सिंघल के संबंध में ही लिखित अपने पत्रांक नि०प्र० कैम्प/630-633 दिनांक 5-11-88 द्वारा श्री एम० जी० सिंघल अभियन्ता का उक्त प्रश्नों में संदर्भित प्रश्नगत पत्र दि० 27-10-88 संयुक्त निदेशक प्रशासन एवं जांच अधिकारी डा० माथुर को अन्य 6 पत्रों के साथ भेजा है ? यदि हां, तो क्या वह पत्र निदेशालय में उपलब्ध हैं ? पत्र दिनांक 27-10-88 को उल्लिखित प्रश्नों में निदेशक (प्रशासन) के यहां प्राप्त न होने की सूचना देने का क्या आधार है ? यदि उक्त पत्र निदेशक (प्रशासन) के यहां प्राप्त हुआ है तो क्या 27-10-88 के पत्र डा० माथुर निदेशक (प्रशासन) श्री बी० एन० पाण्डेय ने वर्ष 1990 में शासन को जांच संबंधी रिपोर्ट भेजने से पूर्व क्या कार्यवाही की ? यदि इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया तो क्या मंत्री जी इस पत्र के संदर्भ में पुनर्विचार करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

87–श्री राम आसरे वर्मा–

[2रे मंगल में अता० प्र० सं० 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण शाला, लखनऊ के विरुद्ध श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

88–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माण शाला, लखनऊ श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी की शिकायत समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल कार्यालय के पत्र संख्या–1336 दिनांक 13-5-94 को मुख्य मंत्री व पत्र संख्या 1337स्वास्थ्य मंत्री व 1338 सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं 1339 निदेशक, आयुर्वेद यूनानी को विधायक श्री राधेश्याम व श्री पारसनाथ यादव द्वारा लिखी गयी हैं ? क्या सरकार उक्त पत्रों में की गयी शिकायतों की जांच कराते हुए कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जी हां।

उक्त पत्रों पर जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड कोन, जिला मिर्जापुर के गांवों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

89–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड कोन, चील्ह, जनपद मिर्जापुर में नहरों द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है और न ही वहां कोई नहरें हैं ? यदि हां, तो क्या विकास खण्ड कोन, जनपद मिर्जापुर के प्रत्येक गांव में सरकार राजकीय नलकूप का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में कितने नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होगी तथा कहां-कहां ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जनपद योजना में प्राविधान के अनुसार जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन/चयन के पश्चात् राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994 के जनपद प्लान में जनपद मिर्जापुर में 2 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण स्वीकृत है, जिनका चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा होना है। आगामी वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये अभी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम सभा भैरवा, विकास खण्ड दानेराबल, जनपद सोनभद्र की ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के पैसे का अपव्यय करने की शिकायत

90–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा–भैरवा, विकास खण्ड दानेराबल, जनपद सोनभद्र के ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 25-8-92 को जवाहर रोजगार योजना में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र ने 29-8-92 को इस शिकायत की जांच करके कोई आख्या प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 16-4-93 को पुनः इस संदर्भ में शिकायत की गयी जिस पर तत्कालीन जिला विकास अधिकारी सोनभद्र ने 3-9-93 प्रपत्र संख्या 1116 ने जिलाधिकारी को जांच आख्या प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो जांच आख्या के प्रकाश में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91–श्री दया सिन्धु शंखधर–

[2रे शुक्र में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूमि संरक्षण इकाई दस्यु हमीरपुर राठ के तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी जयराम सिंह व श्री छोटे लाल दोहरे द्वारा सत्तर लाख रुपये के घोटाले की जांच

92–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई दस्यु हमीरपुर राठ के तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री जय राम सिंह व श्री छोटे लाल दोहरे के विरुद्ध 70 लाख रुपये के फर्जी कार्य दिखाकर पूरा रुपया हड़पने तथा शासन की रोक के बावजूद नियुक्तियां करने की जांच किसी एजेन्सी से कराई गई? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण की जांच कृषि निदेशक द्वारा कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम शंकर पुराना हैदराबाद लखनऊ-7 के पत्रानुसार भुगतान कराये जाने की मांग

93–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम शंकर, 509/9, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–7 का कोई पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1993 कृषि सचिव, उ० प्र० शासन, कृषि निदेशक, उ० प्र० लखनऊ व पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि), कृषि भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है जिसमें उप

कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव द्वारा पूर्ण भुगतान न करने पर प्रार्थी व प्रार्थी के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने का गम्भीर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में मुख्य आरोप कौन-कौन से हैं ? क्या विभागीय जांच कृषि अभियन्ता, पश्चिमी एवं केन्द्रीय जोन, लखनऊ और संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि कब तथा कितना भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । संदर्भगत पत्र कृषि निदेशक, उ० प्र० एवं पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अनुसंधान शाखा को प्राप्त हुआ । सचिव, कृषि, उ० प्र० को संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मुख्य आरोप निर्माण कार्यों के अवशेष भुगतान का न कराया जाना है ।

जी हां । विभागीय जांच संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल से कराई गई है, कृषि अभियन्ता पश्चिमी जोन, लखनऊ से नहीं ।

जांच में मुख्य रूप से पाया गया कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार रुपया 65,500.00 का भुगतान किया जाना शेष था । समस्त अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण जांच कार्य पूर्ण न हो सका । मामले में आरवीट्रेटर की नियुक्ति के उपरान्त मार्च, 94 में रु० 55,708.00 का भुगतान कर दिया गया है । अब उनका निर्माण संबंधी भुगतान शेष नहीं है ।

94–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

किसान सहायक आवासों के उपयोग न हो पाने की शिकायत

95–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल में टी० एंड वी० योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये खर्च करके वर्ष 1988-89 में किसान सहायक आवासों का निर्माण कार्य विभिन्न जनपदों में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सभी आवासों में किसान सहायक रह रहे हैं ? क्या उक्त सहायक समुचित सुविधा किसानों को प्रदान कर रहे हैं ? क्या जनपद उन्नाव के कुछ भवनों के अधिकारियों द्वारा ग्रिल, बिजली की फिटिंग, बिजली के पंखे और हैण्ड पम्प आदि, को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि वहां किन-किन भवनों में उक्त सामान नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तरदायित्व किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों पर है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । रायबरेली जनपद में 14, खीरी में 18 तथा उन्नाव में 2 किसान सहायक आवास पद रिक्त होने के फलस्वरूप खाली है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

अराजक तत्वों द्वारा किसान सहायक आवास स्थल सिकन्दर परकरन एवं बम्हना के हैण्ड पम्प तथा बिजली फिटिंग, आवास स्थल इतबारपुर, सीमऊ, चमरौली और जगतनगर के किसान सहायक स्थल से हैण्ड पम्प तथा हसनगंज बिछिया और सकूराबाद की बिजली फिटिंग उखाड़ ली गयी है । अतः इन भवनों में यह सामान नहीं है ।

क्योंकि किसान सहायकों के पद रिक्त रहने के कारण खाली आवासों में अराजकतत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

96–भगवती प्रसाद शुक्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्राम प्रधान ग्राम सभा पिपरा मिश्र, पोस्ट मिठवल बाजार, विकास खण्ड मिठवल, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा सरयू नहर पर एक सम्पर्क पुल बनाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

97–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पिपरा मिश्र, पोस्ट मिठवल बाजार, विकास खण्ड मिठवल, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री (श्री सुख देव त्रिपाठी) द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 1988 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को अपेक्षित स्थान पर एक पक्का पुल बनाने का स्पष्ट आदेश किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुल के न बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त प्रधान द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बस्ती को विधायकगण (बस्ती) के माध्यम से तब से अब तक कई प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल शीघ्र बनवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, एक छोटा पुल बनाने के आदेश प्राप्त हुए थे ।

अभी तक पुल नहीं बनाया गया है क्योंकि प्रश्नगत स्थल पर नहर की खुदाई नहीं की गयी है ।

मात्र एक पत्र श्री जय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड (प्रथम) बस्ती को प्राप्त हुआ है ।

जी हां, नहर की खुदाई के साथ ही पुल का निर्माण किया जाना है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य निदेशालय से अभियन्ताओं की पत्रावलियां गायब होने का मामला

98–श्री हरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय के संयुक्त निदेशक कार्मिक के सरकुलर पत्रांक 3–फ-ए०/102, दिनांक 13/14 जनवरी, 93 द्वारा अभियन्ताओं की गायब हुई पत्रावलियों को ढूंढने हेतु कोई आदेश जारी किया गया है ? क्या सरकुलर में उल्लिखित सभी पत्रावलियां ढूंढ ली गयी हैं ? यदि हां,

तो संबंधित सभी पत्रावलियों का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभियन्ताओं की पत्रावलियां/अभिलेख गायब होने इत्यादि के संदर्भ में ही निदेशक, प्रशासन द्वारा पत्रांक–12फ/7062, दि० 12-11-93 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या पत्र दिनांक 12-11-93 से संबंधित मूल पत्रावली निदेशालय में थी ? क्या अनुभाग–12 निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उल्लिखित 14-1-93 के सरकुलर के अनुरूप पत्रावलियां गायब होने की जानकारी होने के बाद पूर्व में अथवा इस सरकुलर के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उत्तर देने की तिथि तक कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये कोई दोषी पाया गया है ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

99–श्री किशन लाल दिलेर–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

100–डा० राम मनोहर लोहिया–

[2रे शुक्र में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खेल निदेशालय, उ० प्र० के अधीन वर्गवार स्टाफ के विवरण की जानकारी

101–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद हैं ? उसमें सवर्ण एवं पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन कुल 624 पद स्वीकृत हैं । इन पदों तथा इन पर नियुक्त व्यक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :

(अ) सवर्ण जाति के लोग	...	232
(ब) पिछड़े वर्ग के लोग	...	110
(स) अनुसूचित जाति के लोग	...	135
(द) रिक्त पद	...	147
	योग	624

समूह "क" के कुल 9 पदों में से 8 पद पहले से भरे हैं। शेष एक पद पी० सी० एस० संवर्ग का है, जो वर्तमान में रिक्त है। प्रश्नगत 8 पद एक ही वेतनमान के नहीं हैं। उनके वेतनमानों में भिन्नता है। इनमें रिक्तियां उपलब्ध होने के उपरान्त वर्तमान प्राविधानानुसार आरक्षण कोटा पूर्ण करने का प्रश्न उठेगा।

समूह "ख" के कुल 17 पदों में 13 पद भरे हैं। इनमें अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है। पिछड़ी जाति का एक पद बनता है। 4 रिक्त पदों को भरते समय पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण करने पर यथा समय नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

समूह "ग" में लिपिक/प्राविधिक वर्ग के 137 भरे पदों पर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कोटा पूर्ण है। समूह "ग" के शेष पदों पर कोटा पूर्ण न होने का कारण यह है कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद/उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से सुयोग्य अभ्यर्थियों की सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

समूह "घ" के पदों पर अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग का कोटा पूर्ण है।

उक्त स्थिति में वर्तमान प्राविधानानुसार कोटा पूर्ण न होने के लिये किसी अधिकारी को दोषी अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं रह जाता है।

संस्कृति विभाग में वर्गवार स्टाफ की जानकारी

102–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ संस्कृति विभाग में कितने पद सृजित हैं? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या सरकार कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलफ कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत समूह "क" में 32, समूह "ख" में 49, समूह "ग" में 367, तथा समूह "घ" में 364 पद स्वीकृत हैं।

समूह "क" में सवर्ण 16, पिछड़ी जाति 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति शून्य, समूह "ख" में सवर्ण 26, अनुसूचित जाति 1, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जनजाति शून्य, समूह "ग" में सवर्ण 201, पिछड़ी जाति 41, अनुसूचित जाति 53, अनुसूचित जनजाति 2, समूह "घ" में सवर्ण 148, पिछड़ी जाति 109, अनुसूचित जाति 80 तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 2 है।

समूह "घ" के पदों को छोड़कर अन्य समूह के पदों में कोटा पूर्ण नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ० प्र० के वर्णवार स्टाफ का विवरण

103–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत दो निदेशालय, मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र गठित हैं। दोनों निदेशालयों के कर्मचारियों का सेवा संवर्ग अलग-अलग है। पवर्ततीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 3774 पद सृजित हैं जिसमें से 74 पद स्थगन में हैं। कुल वर्तमान में 3700 पद सृजित हैं जिसमें 302 पद रिक्त हैं।

मैदानी क्षेत्र के अधीन 206 राजपत्रित एवं 4241 अराजपत्रित पद सृजित हैं।

पर्वतीय क्षेत्र के कुल सृजित पदों में सवर्ण की संख्या 2664, पिछड़ी जाति की 127 तथा अनुसूचित जाति की 528 है।

मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजपत्रित पदों के सापेक्ष सामान्यजाति के 101, पिछड़ी जाति के 22 एवं अनुसूचित जाति के 17 लोग कार्यरत हैं। अराजपत्रित पदों के बारे में सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान विभाग उ० प्र० में वर्णवार तैनात स्टाफ का विवरण

104–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ कृषि अनुसंधान विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विभाग उ० प्र० में वर्णवार स्टाफ के तैनाती के विवरण की जानकारी

105–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में भवनहीन बेसिक पाठशालाओं का विवरण एवं भवन बनाये जाने की मांग

106–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने बेसिक पाठशालायें भवन विहीन हैं ? क्या सरकार इन भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक पाठशालाओं एवं उसमें तैनात अध्यापकों के संबंध में जानकारी

107–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने बेसिक पाठशालायें हैं ? इन बेसिक पाठशालाओं में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? जनपद में कितने अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार इन रिक्त स्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक सभी बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के एलोपैथिक अस्पताल में डाक्टरों के अभाव को दूर करने की मांग

108–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने ऐलोपैथिक अस्पताल हैं ? इनमें कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? कितने ऐलोपैथिक अस्पताल बिना डाक्टरों के चल रहे हैं ? क्या सरकार डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? जहां डाक्टर नहीं हैं वहां दवाइयों का वितरण कैसे किया जाता है ? क्या वार्ड ब्वाय भी दवाई वितरण करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 67 ऐलोपैथिक अस्पताल हैं जिनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–7, साधारण ग्रेड (पुरुष) चिकित्साधिकारी–90, महिला चिकित्सा अधिकारी–5 तथा दन्त चिकित्सक–1 अर्थात् कुल 103 चिकित्सक कार्यरत हैं। कोई नहीं।

जनपद टिहरी गढ़वाल में 28 चिकित्सकों की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 30-4-94 द्वारा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

फार्मासिस्टों द्वारा दवाईयों का वितरण किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आयुर्वेदिक अस्पतालों एवं वहां पर तैनात डाक्टरों का विवरण तथा डाक्टर रहित अस्पताल में डाक्टरों की तैनाती की मांग

109–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ? इन अस्पतालों में कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? कितने आयुर्वेदिक अस्पताल बिना डाक्टरों के चल रहे हैं ? जहां डाक्टर नहीं हैं वहां दवाइयां कैसे वितरित की जाती हैं ? क्या सरकार आयुर्वेदिक अस्पतालों में शीघ्र डाक्टरें की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 59 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जिनमें 60 पद स्वीकृत हैं। इन चिकित्सालयों में 55 डाक्टर कार्यरत हैं। 5 चिकित्सालय बिना डाक्टरों के चल रहे हैं जहां पर फार्मेसिस्टों द्वारा दवाइयां वितरित की जाती हैं। आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टरों की यथाशीघ्र नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जनपद टिहरी गढ़वाल को पपोलीधार में शिफ्ट किये जाने की मांग

110–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० उ० मा० वि० खोला टिहरी गढ़वाल के लिये उपयुक्त भूमि भवन निर्माण हेतु मिल चुकी है ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में जहां विद्यालय चलाया जा रहा है वह स्थान भूस्खलन से कटता जा रहा है ? क्या शिक्षा विभाग इस स्थान को छोड़कर पास के स्थान पपोलीधार में इस विद्यालय को शिफ्ट करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक विद्यालय को पपोलीधार में शिफ्ट हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या शिक्षा विभाग भूस्खलन से क्षतिग्रस्त स्थान पर ही विद्यालय भवन का निर्माण करेगा ? क्या पपोलीधार में उक्त विद्यालय शिफ्ट

करने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

111–श्री हरपाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

जनपद गढ़वाल में पैठाणी चाकीसैड मोटर मार्ग पर पुल बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री हरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 23-2-94 के अता० प्र० सं० 109 के उत्तर के क्रम में विधायक श्री चरन सिंह का पत्र दिनांक 2-3-94 स्वास्थ्य मंत्रालय एवं महानिदेशक के यहां कितने संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को आख्या प्रस्तुत कर दी गई है महानिदेशक द्वारा प्रकरण में अन्य संयुक्त निदेशक (कार्मिक) को अभियन्ता का कार्य स्थानान्तरित करने सहित क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र में उल्लिखित क्या-क्या तथ्य सही पाये गये हैं ? पत्र में किस-किस कार्यवाही की मांग की गई है । पत्र पर विन्दुवार सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी पत्र के क्रम में कृत कार्यवाही एवं निर्णय से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

महानिदेशालय से आख्या प्रतीक्षित है । आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सिविल अभियन्त्रण शाखा के लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1993 के चयनित अवर अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराये जाने का मामला

113–श्री मोहर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन सिविल अभियंत्रण इकाई के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1993 में चयनित एवं शासन द्वारा अनुमोदित अवर अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा ऐसे अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उक्त अवर अभियन्ताओं को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

चिकित्सा विभाग में सिविल अभियंत्रण इकाई के अन्तर्गत तदर्थ रूप से कार्यरत अवर अभियन्ताओं द्वारा अपनी तदर्थ सेवाओं को समाप्त न किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ

लखनऊ से स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने के कारण लोक सेवा आयोग से चयनित सभी अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका है ।

जी हां ।

परन्तु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत अवर अभियन्ताओं को स्थगन आदेश प्रदान करने के फलस्वरूप अग्रिम आदेशों तक निर्गत नियुक्ति पत्र को स्थगित कर दिया गया है । मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेशों की समाप्ति के पश्चात् ही कोई कार्यवाही सम्भव होगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री अशोक कुमार सिंह–

[2रे सोम में अता० प्र० सं० 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रदेश में चिकित्सा के अधीन मेडिकल कालेजों में उप-अधीक्षक के रिक्त पदों को सहायक अधीक्षक के पद धारकों को आयु सीमा में छूट देकर पदोन्नति देने की मांग

115–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

विधान सभा प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-2-94 को निर्धारित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सहायक अधीक्षक, टी० बी० सेनीटोरियम, भुवाली, नैनीताल श्री लक्ष्मी नरायन भंडारी की तदर्थ नियुक्ति लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर में शासनादेश संख्या 2557/(क)–1/पांच 750/58, दिनांक 24-5-89 के अन्तर्गत उप अधीक्षक पद पर आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए की गई थी ? यदि हां, तो सेवा नियमावली में संशोधन पर ऐसी ही प्रक्रिया कार्यहित एवं कर्मचारी हित में पुनः अपनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान नियमावली में अंकित प्राविधानों के कारण ही लोक सेवा आयोग द्वारा दो बार विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद भी उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया ? यदि हां, तो अब सरकार क्या निर्णय लेगी ?

श्री बलराम यादव–

शासनादेश संख्या–2557/(क)–1/पांच–750/58, दिनांक 24-5-69 द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भण्डारी की नियुक्ति उ० प्र० लोक सेवा आयोग के परामर्श से लाला लाजपतराय चिकित्सालय कानपुर में उप अधीक्षक के पद पर निर्धारित आयु सीमा के बन्धन से मुक्त करते हुए की गयी थी ।

उप अधीक्षक सेवा नियमावली, 1983 में कतिपय संशोधन का मामला विचाराधीन है ।

नियमावली में संशोधनोपरान्त । प्रश्न नहीं उठता ।

उप अधीक्षक सेवा नियमावली, 1983 में निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण चयन नहीं हो पाया ।

सेवा नियमावली में प्रस्तावित संशोधनोपरान्त उप अधीक्षक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय इन्टर कालेज जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषय की मान्यता न मिलने की शिकायत

116–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों की मान्यता किस वर्ष में दी गयी थी ? क्या कारण है कि लम्बा समय बीत जाने पर भी इस कालेज में

विज्ञान विषयों के पद सृजित नहीं हुए हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान विषयों के पद सृजित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक पद सृजित हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय इन्टर कालेज, जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों को मान्यता वर्ष 1990-91 में दी गयी थी। धन उपलब्ध न होने के कारण।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

117–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।

118–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

।2रे सोम में अता० प्र० सं० 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

महिला चिकित्सालय लखनऊ का विभिन्न फण्डों में जमा धनराशि की आडिट कराये जाने की मांग

119–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में शताब्दी फण्ड, डफरिंग फण्ड, चैरिटी फण्ड इत्यादि नाम से कुल कितने दान के खाते पोस्ट आफिस/बैंक में खुले हुए हैं तथा जनवरी, 1994 तक उनमें अलग-अलग कितनी धनराशि जमा है ? उक्त खातों का बैंक/पोस्ट आफिस से नियमानुसार कब से मिलान नहीं किया गया एवं उसका सम्प्रेक्षण कब कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच कराकर जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महिला चिकित्सालय लखनऊ में निम्नलिखित खाते बैंक तथा पोस्ट आफिस में खुले हैं जिनमें जमा धनराशि प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित है :–

1–राजा सरसैयद अयूब जफर ट्रस्ट औफ पीरपुर जी० पी० ओ० हजरतगंज खाता नं० 92482 रु० 3,63,975.00।

2–लाटरी फण्ड पी० एल० ए० एकाउन्ट में कोषागार लखनऊ में निदेशक चिकित्सा नम्बर–4फ/34/51/767, दिनांक 19-1-57 द्वारा शासनादेश संख्या–5872/एपी/2340/53, दिनांक 23/24-11-1956 के द्वारा खोला गया था। रु० 40,95,823.60 पैसा।

3–हास्पिटल सील पोस्ट आफिस, गोलागंज लखनऊ खाता संख्या–570985 रु० 14,439.35 पैसा।

4–लाटरी फण्ड जी० पी० ओ० लखनऊ हजरतगंज में पास बुक नम्बर 897583 रु० 71,143.01 पैसा।

निम्नलिखित खाते स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा संस्थागत में खोले गये हैं :–

1–शताब्दी समारोह–शून्य।

2–शताब्दी निधि, कैश बुक, अधुनान्त है जिसमें रु० 4,02,588.10 पैसा ।

3–इसके अतिरिक्त चैरिटी फण्ड, लाटरी फण्ड, तथा हास्पिटल फण्ड का पी० एल० ए० खाता भी कोषागार में खुला है जिसमें 1-1-94 को जमा धनराशि रु० 52,949.70 पैसे है ।

राजा सरसैय्यद अयूब ट्रस्ट आफ पीरपुर का मिलान 1-4-94 तक कराया गया है ।

2–लाटरी फण्ड या पी० एल० ए० का मिलान के लिये कोषागार से लिखा-पढ़ी चल रही है ।

3–हास्पिटल सील का मिलान दिनांक 24-4-89 तक कराया गया है उसके बाद हास्पिटल सील बन्द हो गयी है ।

4–शताब्दी समारोह शून्य है ।

5–शताब्दी निधि की कैशबुक अधुनान्त है ।

6–पी० एल० ए० कैश बुक अधुनान्त है । इस चिकित्सालय में सम्प्रेक्षा दल द्वारा फरवरी, 1994 तक का निरीक्षण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

[2रे सोम में अता० प्र० सं० 169 में अन्तर्गत स्थानान्तरित]

संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस में मेडिकल एवं नान मेडिकल आफिसरों में कतिपय मामलों में मतभेद किये जाने की शिकायत

121–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शासन नान मेडिकल और मेडिकल दोनों का ही महत्व बराबर मानता है ? यदि हां, तो लखनऊ स्थित संजय गांधी पो० ग्रे० इंस्टी० आफ मेडि० साइंसेस में माह दिसम्बर, 1993 में कितने मेडिकल और कितने नान मेडिकल अधिकारियों को विशेषता का पर्चा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनारों में व्याख्यान देने हेतु उन्हें भेजा गया है और कहां-कहां पर ? क्या यह सत्य है कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के कान्फ्रेंसों में वहां पर कार्यरत नान मेडिकल अधिकारियों को अपना पर्चा पढ़ने हेतु भेजे जाने संबंधी प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

माह दिसम्बर, 1993 में राष्ट्रीय स्तर की 26 सेमिनारों में व्याख्यान देने हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 21 मेडिकल तथा 5 नान मेडिकल अधिकारियों को भेजा गया । जिन सेमिनारों में इन अधिकारियों ने भाग लिया, उनकी सूची संलग्न है ।

जी हां ।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में संकाय सदस्यों का पर्चा स्वीकार कर लिये जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष में दो बार तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन वर्ष में एक बार किसी भी संकाय सदस्य (मेडिकल या नान मेडिकल) को संस्थान द्वारा भेजे जाने का प्राविधान है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 229–230 पर)

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज कानपुर द्वारा कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन को भेजे गये आरोप एवं शिकायत

122–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर का पत्र संख्या 2284/एस० एन० डी०/कोर्ट/94. दिनांक 19-3-94 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–14 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ? अब तक आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

तत्कालीन प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर के डी० एम० ए० सिद्दीकी के विरुद्ध लापरवाही एवं उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाये गये हैं । डा० सिद्दीकी, पी० एम० एस० संवर्ग के अधिकारी हैं, इसलिये अनुशासनिक कार्यवाही हेतु महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ को लिखा जा चुका है । महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूचना प्रतीक्षित है ।

विधान सभा सदस्य श्री रणजीत सिंह जूदेव द्वारा प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपतराय चिकित्सालय कानपुर को दिये गये पत्र पर की गयी कार्यवाही

123–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रणजीत सिंह जूदेव, विधायक का पत्र संख्या आ 237401. दिनांक 24-4-94 प्रमुख अधीक्षक, लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

माननीय विधायक जी के पत्र में निम्न आरोप का उल्लेख है :–

1–प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज कानपुर के आदेश सं० 457 दिनांक 22-2-94 का अनुपालन तत्कालीन प्रमुख्य अधीक्षक, ला० ला० राय चिकित्सालय, कानपुर द्वारा नहीं किया गया ।

2–उक्त आदेश को संबंधित कर्मचारी को हस्तगत नहीं कराया गया ।

3–संबंधित कर्मचारी को गुप्त रूप से प्रत्यावर्तित आदेश की प्रति सुलभ कराके अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने एवं न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया ।

4–दिनांक 22-2-94 से ही प्रत्यावर्तित होने के बावजूद बिना उच्च अधिकारियों के अनुमति से दिनांक 9-3-94 को सहायक अधीक्षक पद पर योगदान आख्या स्वीकार कर ली ।

तत्कालीन प्रमुख अधीक्षक जो कि पी० एम० एच० एस० कैडर के हैं, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल संकट की बढ़ती समस्या एवं उसके समाधान की मांग

124–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जटिल होती जा रही भूगर्भ जल संकट पर केन्द्रीय भूजल परिषद् ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को अगाह किया है ? यदि हां, तो केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा कौन सी सिफारिशें की गई हैं और उक्त दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा भूजल उपलब्धता, गुणवत्ता आदि की दृष्टि से क्रिटिकल क्षेत्रों के सीमांकन तथा ऐसे क्षेत्रों के सीमांकन तथा ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ जल के नियोजित दोहन तथा उचित प्रबन्धन हेतु कतिपय संस्तुतियां की हैं । मुख्य संस्तुतियां निम्न हैं :–

(1) भूगर्भ जल का विस्तृत एवं सघन आंकलन

(2) भूजल गुणवत्ता एवं उपलब्धता के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय भूजल परिषद् के साथ समन्वय, से पीजोमीटर का निर्माण ।

(3) डार्क एवं ग्रे श्रेणी के वर्गीकरण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन,

(4) भूजल दोहन से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता विभागों में सर्वेक्षण, दोहन एवं विकास आदि से संबंधित कार्यों के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नोडल विभाग का गठन

(5) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम रिचार्ज तकनीक का विकास,

(6) नहर समादेश क्षेत्रों में सतही एवं भूगर्भ जल का समन्वित विकास ।

प्रदेश में भूगर्भ जल की उपलब्धता और उसके संतुलित उपयोग, एतद् संबंधी विभिन्न समस्याओं के विस्तृत अध्ययन हेतु शासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा भूजल उपलब्धता, दोहन एवं विकास के संबंध में जिन विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया है, उनमें केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा दी गई संस्तुतियां भी शामिल हैं । समिति द्वारा प्रेषित अन्तरिम रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में

कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूजल उपलब्धता एवं उसके संतुलित उपयोग के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये हैं। उच्च स्तरीय समिति द्वारा 26-7-94 को प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

मुण्डेश्वर (कल्जी खाल) पौड़ी गढ़वाल में स्थित राजकीय हाईस्कूल के उच्चीकरण की मांग

125–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है मुण्डेश्वर (कल्जीखाल) पौढ़ी (गढ़वाल) में स्थित राजकीय हाईस्कूल को उच्चीकरण करने की मांग जनता लम्बे अरसे से कर रही है ? क्या यहां के छात्र छात्राओं को 15 कि० मी० दूर कल्जीखाल इण्टर कालेज में इण्टर के लिये अध्ययन करने जाना पड़ता है ? क्या सरकार रा० हा० मुण्डेश्वर (कल्जीखाल) को उच्चीकृत करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं। छात्र/छात्राओं को 15 कि० मी० दूर न जाकर केवल 8 कि० मी० जाना पड़ता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद टिहरी गढ़वाल में राजकीय आदर्श विद्यालयों में अनुदान दिये जाने एवं उन्हें परिषदीय जू० हा० स्कूल में परिवर्तित करने की जानकारी

126–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने राजकीय आदर्श विद्यालय एवं कितने क्रमोत्तर विद्यालय हैं ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों को भवन अनुदान नहीं दिया जाता है ? क्या ऐसे विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं ? क्या सरकार रा० आ० वि० एवं क्रमोत्तर विद्यालयों को परिषदीय जू० हा० स्कूल में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय अस्पताल देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल की खराब पड़ी एक्सरे मशीन को ठीक कराने की मांग

127–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में एक्सरे मशीन कब से खराब पड़ी है ? क्या कारण हैं कि लम्बे समय से यह एक्सरे मशीन खराब पड़ी है ? क्या सरकार इस एक्सरे मशीन को ठीक करवाने की आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उक्त मशीन वर्ष 1990 से खराब है ।

उक्त मशीन की मरम्मत हेतु यू० पी० हिल्ट्रान से आगणन मांगे गये थे । जिन्होंने 40,000 रु० का आगणन प्रस्तुत किया । उक्त धनराशि को आवश्यकता से अधिक पाये जाने पर श्रीमंत सीमेंस इंडिया लि०, नई दिल्ली से आगणन की मांग की गई । उक्त फर्म ने 13,000 रु० की धनराशि का आगणन प्रस्तुत किया जिसे स्वीकृत कर दिया गया है । अलग-अलग फर्मों से पत्र-व्यवहार के कारण मरम्मत में विलम्ब हुआ ।

मरम्मत हेतु प्रस्तुत श्रीमंत सीमेंस इंडिया लि० के आगणन को स्वीकृत करते हुए 9000 रु० की धनराशि अग्रिम भुगतान कर दी गई है । फर्म ने शीघ्र मरम्मत का आश्वासन दिया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में चल रहे हाईस्कूल एवं इन्टरमीडियेट कालेजों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

128–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने हाईस्कूल एवं इन्टर कालेज हैं ? इन विद्यालयों एवं कालेजों में कितने पद प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार इन पदों की पूर्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्तमान में 79 राजकीय इण्टर कालेज बालक/बालिकाओं के तथा 60 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 6 राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ।

विद्यालयों एवं कालेजों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्रधानाचार्या/प्रधानाचार्य	67 पद
प्रधानाध्यापक	28 पद
प्रधानाध्यापिका	5 पद
प्रवक्ता (पुरुष शाखा)	171 पद
प्रवक्ता (महिला शाखा)	11 पद
सहायक अध्यापक/अध्यापिका	378 पद

जी हां ।

सीधी भर्ती से एवं विभागीय चयन की कार्यवाही गतिमान्य है ।

जनपद आगरा में नहरों माइनरों एवं पुलों के मरम्मत की मांग

129–डा० रामबाबू हरित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में नहरों व माइनरों पर पक्के पुलों की क्या सरकार मरम्मत करायेगी ? राजवाहा गोमऊ के 9 मील के टूटे पुल तथा माइनर कराहरा के 2 मील 2 फर्लांग के टूटे पुल को सरकार कब तक बनवायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहरों एवं माइनरों पर पक्के पुलों की मरम्मत का कार्य यथा सम्भव रखरखाव मद में उपलब्ध अत्यन्त सीमित धन से किया जाता है । आगरा जनपद में नहर प्रणाली के 12 पुलों की मरम्मत का प्रस्ताव इस वर्ष के अनुरक्षण मद में किया गया है । राजवाहा गोमऊ के मील 9 पर बने हुए क्षतिग्रस्त पैदल पुल एवं माइनर कराहरा के मील 2-2 के टूटे पुल को इस वर्ष 1994-95 के मरम्मत के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है ।

प्रदेश के छोटे बड़े सभी चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाओं में आहारविदों की संख्या की जानकारी तथा उनके रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

130–श्री समरपाल सिंह तथा श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा जिला चिकित्सालयों में आहारविद के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? आहार विद (डायटीशियन) के पद के उत्तरदायित्व क्या-क्या हैं ? डायटीशियनों के पद कहां-कहां पर रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? डायटीशियनों के पद के वेतनमान क्या हैं तथा उन्हें केन्द्र के बराबर वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

राजकीय मेडिकल कलेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में आहारविद (डायटीशियन) के कुल तीन पद सृजित हैं ।

आहारविद (डयटीशियन) के पद के उत्तरदायित्व निम्न हैं :––

1–समूह विशेष के रोगियों के लिये जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता हो, उसे खाद्य पदार्थ के माध्यम से रोगियों के लिये उपलब्ध कराना ।

2–पूर्व नियोजित व्यंजन सूची तैयार करना ।

3–चिकित्सालय के आहारीय विभाग में रोगियों के लिये तैयार होने वाले भोजन की पौष्टिकता की देख-रेख करना ।

4–खाद्य सामग्री का चयन एवं क्रय करना ।

5–रोगियों के भोजन तैयार करने से संबंधित बर्तन एवं इक्यूपमेंट क्रय करना ।

6–रोगियों को अपनी देख रेख में आहार तैयार करवाना एवं वितरण सुनिश्चित करना ।

7–आहारीय विभाग में हाइजीन एवं सेनीटेशन की देख-रेख करना ।

8–रोगियों के आहार पर व्यय होने वाले बजट तैयार करना ।

9–विशेष रोगियों के लिये थेराप्यूटिक डाइट अपनी देख-रेख में तैयार करना इत्यादि ।

आहारविद (डायटीशियन) का पद मेडिकल कालेज, आगरा में रिक्त है तथा भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

डायटीशियन के पद का पुराना वेतनमान रुपये 470–735 है जिसका दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

131–डा० राम बाबू हरित–

[2रे शुक्र में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की माइनरों, रजबहों तथा ब्रांचों की पटरियों का लेपन कराये जाने का अनुरोध

132–श्री नजमउद्दीन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की माइनर व रजबहा व ब्रांच की पटरियों को आवागमन हेतु लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण करवाने की व्यवस्था सरकार ने की है ? यदि हां, तो कब तक नहर की पटरियां आवागमन हेतु लेपन स्तर तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नहर की पटरियां पक्की कराई जाती हैं ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना के सरकारी नलकूपों को चालू कराने की मांग

133–श्री रतनपाल पंवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील बुढ़ाना में सरकारी नलकूपों की संख्या कितनी है ? इनमें से कितने चालू स्थिति में हैं ? रुग्ण नलकूप क्यों नहीं चल रहे हैं ? क्या सरकार इनको चालू कराने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस क्षेत्र में नये सरकारी नलकूप बनाने की योजना भी शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने और कब तक ये नलकूप बनाये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना में कुल छिद्रित राजकीय नलकूपों की संख्या दिनांक 1-4-94 को 201 है ।

उपरोक्त कुल 201 में से 167 राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं तथा 34 नलकूप परित्याग हेतु बन्द कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नये नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता है वर्ष 1994-95 में जनपद योजना के अन्तर्गत नये नलकूपों का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

काशीपुर, नैनीताल के अन्तर्गत पेयजल हेतु लगे नलकूपों की संख्या एवं खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की मांग

134–श्री राजीव कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर, नैनीताल के अन्तर्गत पेयजल हेतु कुल कितने नलकूप हैं ? क्या सभी नलकूप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो सही नलकूपों की संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त नलकूप कब तक ठीक होंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्यारह नलकूप ।

जी नहीं ।

सात,

चार खराब नलकूपों में से दो नलकूपों का पुनर्विकास कार्य मार्च, 1995 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है । दो नलकूप निष्क्रिय हैं । इन दो नलकूपों के स्थान पर दो नये नलकूपों का निर्माण कराने हेतु स्थल चयन व हाइड्रोजियोलाजिकल इन्वेस्टिगेशन का कार्य कराया जा रहा है । कार्य पूर्ण होने पर खनन का कार्य आरम्भ कराया जायेगा ।

श्री अरुण चन्द्र श्रीवास्तव, स्थायी टेक्निकल सहायक को गलत ढंग से सेवा से निकाले जाने एवं दोषमुक्त होने के बाद भी सेवा में न लिये जाने की शिकायत

135–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपट्रान इण्डिया लि० के टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर स्थायी तथा कम्प्यूटर सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्यरत श्री अरुण चन्द्र श्रीवास्तव की सेवाएं जून, 1991 से समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या उक्त कर्मचारी को सेवाच्युत किये जाने के पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच शासन के गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–4 तथा लोक शिकायत अनुभाग–4 से करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? क्या यह सही है कि जांच में इनकी बर्खास्तगी का आधार गलत पाया गया है ? यदि हां, तो इन्हें अब तक सेवा में न लिये जाने का कारण क्या है ? कब तक उन्हें सेवा में रख लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बिना अवकाश के लम्बी अवधि के लिये अनुपस्थित रहने के कारण निगम के अनुशासनिक नियम 12 "जी" के अनुसार उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी । उक्त नियम में किसी भी कर्मचारी के बिना अवकाश या अनुमति के 7 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप स्वतः सेवा समाप्ति का प्राविधान है ।

उक्त कर्मचारी को पंजीकृत पत्र दिनांक 11-6-91 द्वारा अपनी ड्यूटी पर आने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु उनके निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी ड्यूटी पर नहीं आने पर उपरोक्त पत्र की शर्तों के अनुसार यह मानते हुए कि उन्होंने अपनी सेवाओं का स्वतः परित्याग कर दिया, उनका नाम कम्पनी के रोल से हटा दिया गया ।

लागू नहीं होता ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–4 और लोक शिकायत अनुभाग–4 द्वारा जांच उक्त कर्मचारी की स्वयं शिकायत करने पर आरम्भ की गयी थी ।

पुलिस द्वारा की गयी जांच में यह सूचित किया गया श्री अरुण चन्द्र श्रीवास्तव मुकदमा अपराध संख्या 121/91 धारा 498-ए/304-बी भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम थाना कैन्ट, लखनऊ के अभियुक्त थे । इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गयी थी जिसकी सूचना अपट्रान को दी गयी थी । अभियोग में श्री अरुण चन्द्र श्रीवास्तव सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 26-7-91 को प्रेषित किया गया है । इस जांच में बर्खास्तगी के आधार का कोई उल्लेख नहीं है । लोक शिकायत अनुभाग–4 के सम्मुख शिकायत मा० उच्च न्यायालय के सामने इससे संबंधित मामले लम्बित होने के कारण सबज्यूडिस हो गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के रौजा और शाहाबाद रजबहों की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

136–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद की ब्लाक मावलखेड़ा के अन्तर्गत आने वाली दोनों नहरों रौजा रजबहा व शाहाबाद रजबहा को खुदाई के लिये पर्याप्त मात्रा में धन दिये जाने के बाद भी, दोनों नहरों व इससे सम्बद्ध माइनरों की टेल तक खुदाई न किये जाने के कारण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खुदाई के बाद टेल तक पानी पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या इनकी खुदाई समयबद्ध प्रोग्राम के अन्तर्गत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रोजा और शाहाबाद रजबाहों पर इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य अब तक पूर्ण न होने का यह कारण है कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत शारदा नहर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु वर्ष 1991 में विश्व बैंक की सहायता से 3614 लाख रु० की 1770 आई० एन० क्रेडिट संख्या की योजना स्वीकृत हुई। मार्च, 1992 में आपरेशन प्लान बना कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये । परन्तु तत्पश्चात् विश्व बैंक द्वारा इसमें कमियां इंगित की गयी तथा पहले एक माडल आपरेशन प्लान बनाकर स्वीकृत कराने के

निर्देश दिये गये । उपरोक्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न नहर प्रणालियों के आपरेशन प्लान तथा सब प्रोजेक्ट बना कर स्वीकृत कराये गये जिसमें शाहाबाद एवं रौजा रजबाहे का सब प्रोजेक्ट 16-7-93 को स्वीकृत हुआ । वर्तमान में इन रजबाहों के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है ।

उपरोक्त रजबाहों के सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण हो जाने के बाद टेल तक पानी पहुंचने की आशा है । विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत रजबाहों के आन्तरिक सैक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य प्रस्तावित है । यदि विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना की अवधि 31-3-94 से आगे बढ़ा दी जाती है और धन उपलब्ध करा दिया जाता है, तो यह कार्य करा दिया जायेगा अन्यथा सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए कार्य कराना सम्भव नहीं होगा ।

जिलाधिकारी, बरेली द्वारा डी० आर० डी० ए०, बरेली के स्टेनो से मांगे गये कारण बताओ नोटिस के जवाब को मुख्य मंत्री को भेजे जाने का मामला

137–श्री दया सिन्धु शंखधार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी० आर० डी० ए०, बरेली के स्टेनो श्री एन० एस० शंखधर को जिलाधीश, बरेली द्वारा दिये, "कारण बताओ नोटिस" संख्या–30003/व्यक्तिगत पत्रावली, 92-93 दिनांक 7-10-92 के उत्तर दिनांक 24-10-92 की प्रतिलिपि डी० एम० (परियोजना) श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी के माध्यम से मुख्य मंत्री को प्रेषित की गयी है, उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ में नये नलकूप के लगाये जाने की योजना की जानकारी एवं खराब पड़े नलकूपों के मरम्मत की मांग

138–श्री राम कृष्ण वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में कितने सरकारी नलकूप लगाने की योजना इस वर्ष है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि पुराने सरकारी नलकूप मरम्मत के अभाव में बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनकी मरम्मत कब तक होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नये नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत किया जाता है । वर्ष 1994-95 में जनपद मेरठ में नये नलकूप लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद मेरठ में (दिनांक 1-4-94 को) 20 पुराने असफल नलकूप हैं । इनके पुनर्निर्माण हेतु धनराशि जनपद योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होती है । वर्ष 1994-95 की जनपद योजना में 4 नलकूपों के पुनर्निर्माण का प्राविधान है ।

जनपद योजना की जनपदीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपद योजना में धन स्वीकृत होने पर पुनः निर्माण कराया जाना सम्भव होता है ।

जनपद सुल्तानपुर के हरदोईया माइनर में वर्ष 1993 में खरीफ में पानी न आने से काश्तकारों को सिंचन लाभ प्राप्त होना

139–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री हौसिला प्रसाद यादव व अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम-हरदोईया, ब्लाक–शाहगढ़, सुल्तानपुर का दिनांक 20-10-93 को जिलेदारी अलीगंज व 5-11-93 को राजेन्द्र कुमार सिंह का पत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता को प्राप्त कराया गया है, जिसमें हरदोईया माईनर में विगत खरीफ में पानी न आने के बावजूद सिंचाई पड़ताल में लिख लेने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने, किस तारीख को, किन-किन किसानों के समक्ष की है ? क्या इस माईनर में ग्राम हरदोईया तक, दिनांक 12-2-94 तक पानी पहुंचा है ? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को पानी से सिंचन लाभ प्राप्त हो सका है ? यदि नहीं, तो क्या फर्जी सिंचाई को माफ करके सिंचाई लिखने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

ग्राम हरदोईया के 242 (दो सौ बयालिस) काश्तकारों को सिंचन लाभ प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता द्वारा मा० मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

140–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-5-94 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम विकास अधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी, बदायूं के आदेश संख्या 6080/स्था०-3/वि०/व्य० पत्रा०/94, दिनांक 12 जुलाई, 1994 द्वारा 419 दिनों का अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत कर दिया गया और इन अवकाशों को अस्वीकृत किये जाने विषयक मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं के

पूर्वदिश संख्या 789/स्था०-3/वि०/व्य०पत्रा०/93, दिनांक 24-6-1993 जिलाधिकारी के इसी आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जहां तक मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं के कार्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध उत्कोच मांगने की शिकायत पर कार्यवाही का प्रश्न है, प्रश्नगत ग्राम विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी, बदायूं को लिखित रूप में सूचित किया है कि अवकाश स्वीकृति के इस प्रकरण पर न तो उन्होंने किसी को कोई धन दिया है और न ही उन्हें किसी अधिकारी/कर्मचारी व प्रधान लिपिक से इस संबंध में कोई शिकायत है । अतः इस बिन्दु पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई की मांग

141–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत पलिया हुसैनपुर, इन्हौंना, पेचुरवा, चिलुला, रक्सहा ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य 1994 के माह मई, जून में पूरा कराने की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत पलिया ड्रेन के 2.35 कि०मी० लम्बाई में तथा रक्सहा ड्रेन में 0.6 कि०मी० लम्बाई में मशीन द्वारा खुदाई, हुसैनपुर ड्रेन में 6.0 कि० मी० तथा इन्हौंना ड्रेन में 4.00 कि० मी० लम्बाई में आंशिक सफाई कार्य कराया गया है । शेष में कोई कार्य नहीं कराया गया है।

शामिल बरहां सींच नियम समाप्त करने की मांग

142–श्री बेचन राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेड और टेल में सिंचाई कर में माइनर की नहरों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसी क्रम में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि "शामिल बरहां सींच" नियम लागू है ? यदि हां, तो कया सरकार इसे जनहित में समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में नहरों द्वारा की जाने वाली सिंचाई पर सिंचाई दर के आधार पर राजस्व की वसूली की जाती है और हेड और टेल में सिंचाई की दरों में कोई अन्तर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई की दरें सीमित क्षेत्र पर आधारित हैं, पानी की मात्रा पर नहीं ।

जी हां ।

ऐसा प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बनवाये गये निर्बल वर्ग आवासों में धांधली की शिकायत

143–श्री अब्दुल रईस–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दोस्तपुर वि० खण्ड के अन्तर्गत 19-9-90 में लखराजी पत्नी झिंगुरी, दुलारी पत्नी धनेसर, ग्राम खैरहा, जयपत्ती पत्नी निर्मल, चन्द्रावती पत्नी पहल, करमा पत्नी राम समुझ, सकाबी पत्नी बरसाती ग्राम काछा भिटौरा तथा भग्ना पत्नी राम अधार ग्राम दियरा के निर्बल वर्ग आवास की पत्रावली तैयार करायी गयी थी ? क्या उक्त पात्र व्यक्तियों के निर्बल वर्ग आवास पूर्ण निर्मित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्बल वर्ग आवास अगर नहीं पूरा कराया गया है, तो क्या संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि आवास पूरा न बनाये जाने की स्थिति में उन व्यक्तियों से सरकार द्वारा वसूली की कोई नोटिस दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विधायक अब्दुल रईस के शिकायती प्रार्थना-पत्र के आधार पर सचिव, ग्राम्य विकास के० आर० भाटी द्वारा जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड दोस्तपुर की लापरवाही के कारण आवास पूर्ण नहीं हुए हैं ।

संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है । अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अन्तिम रूप से दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जायेगा ।

जी हां ।

वसूली की कार्यवाही के अन्तर्गत नोटिस दी जाती है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में उक्त लाभार्थियों का कोई दोष प्रकाश में नहीं आया है ।

अतः उक्त लाभार्थियों से वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

जी हां ।

संदर्भगत शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी । जांच में श्री लाल बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये और उन्हें निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र जिला सुल्तानपुर में तीस शैय्या वाले अस्पताल खोले जाने की मांग

144–श्री अब्दुल रईस–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद सुल्तानपुर में तीस शैय्या के अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति हेतु सरकार में कोई पत्रावली विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बलराम यादव-

जी हां, जनपद सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहपुर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश सं० 4902/5-7-93-113/93, दिनांक 25 मार्च, 1994 द्वारा धनराशि की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने के उपरान्त इसी माह के अन्त तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में अम्बेदकर ग्राम घोषित किये जाने वाले गांवों की संख्या एवं उनमें लागू योजनाओं की जानकारी

145–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में कितने ग्राम अम्बेदकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? उक्त ग्रामों के विकास हेतु क्या कोई कार्य योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 41 ग्राम अम्बेदकर ग्राम घोषित किये गये हैं।

उक्त 41 चयनित ग्रामों में पूर्व से ही निम्नलिखित योजनायें लागू हैं :–

1–निःशुल्क बोरिंग

2–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना

3–ट्राइसेम

4–मुख्य मार्गों को से सड़क को जोड़ना

5–खड़ंजा एवं नाली का निर्माण

6–पेयजल सुविधा हेतु इण्डिया मार्क हैण्डपम्प की स्थापना

7–इन्दिरा आवास एवं निर्बल वर्ग आवास योजना

8–प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण

9–विद्युनीकरण

10–नवजात शिशुओं का टीकाकरण

11–पशुओं का टीकाकरण

12–कृत्रिम गर्भाधान

13–स्वच्छ शौंचालय

14–उथले नलकूप और सामुदायिक गहरे नलकूप का निर्माण

15–समन्वित बाल विकास योजना

श्री जगन्नाथ प्रसाद, सेवा निवृत्त सींचपाल, शारदा नहर खण्ड, हरदोई के देयों में हो रहे विलम्ब की शिकायत

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद (आरख) सेवा निवृत्त सींचपाल, शारदा नहर खण्ड, हरदोई के सेवानिवृत्त होने के लगभग 5 वर्ष बाद भी आज तक पेंशन संबंधी अवशेष धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? उक्त उदासीनता का उत्तरदायी कौन है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनका समुचित भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री जगन्नाथ प्रसाद (आरख) सेवा निवृत्त सींचपाल, शारदा नहर खण्ड, हरदोई को वर्ष 1975 से 15-1-87 तक विभिन्न अवधियों में स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अनुपस्थित अवधि के अवकाश स्वीकृत कराने हेतु समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उनकी पेंशन संबंधी अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । इसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

2–नियमानुसार औपचारिकतापूर्ण हो जाने के बाद ही श्री जगन्नाथ प्रसाद (आरख) के अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव होगा ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के निलम्बित जूनियर इंजीनियर के द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के अधिकार को चुनौती

147–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का अधिकारी है ? यदि नहीं, तो क्या जूनियर इंजीनियर के नियुक्ति अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के जूनियर इंजीनियर को निलम्बित करने का अधिकार शासन द्वारा प्रदत्त किया गया है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणी व पारित अनेक स्थगन आदेश के अनुसार जिलाधिकारी को प्रदत्त निलम्बन अधिकार समाप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जिलाधिकारी अवर अभियन्ता के नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं । शासनादेश संख्या–73/38-9-89-59एम०/89, दि० 18-1-89 द्वारा अवर अभियन्ताओं को लघु दण्ड एवं निलम्बित करने का अधिकार जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, को दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिले स्तर पर जिलाधिकारी अपने जिले के समस्त कार्यों का जिम्मेदार अधिकारी होता है । अतः अपने अधीनस्थ जवाहर रोजगार तथा विकास खण्डों में किये जा रहे कार्यों का सीधा नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का है । ऐसी स्थिति में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अवर अभियन्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिलाधिकारी का ही है । अतः प्रभावी नियंत्रण को बनाये रखने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिलाधिकारियों को अवर अभियन्ताओं को निलम्बित/लघु दण्ड देने का अधिकार प्रदत्त किया गया है । इस अधिकार को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के भविष्य निधि में दोहरी नीति से होने वाली असुविधा को दूर करने की मांग

148–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का जूनियर इंजीनियर जब विभागीय अधिकारियों के अधीन रहता है, तो क्या उसका भविष्यनिधि लेखा महालेखाकार, द्वितीय के यहां ही जाता है ? यदि हां, तो यह भी सही है कि वही जूनियर इंजीनियर, जब खण्ड विकास अधिकारी के अधीन हो जाता है, तो उसका भविष्यनिधि लेखा, महालेखाकार प्रथम के यहां चला जाता है ? यदि हां, तो क्या इस दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जूनियर इंजीनियर को भविष्य निधि का लाभ सम्भव नहीं हो पाता ? क्या शासन इस अव्यवस्था को दूर करने की कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । भविष्य निधि का लाभ मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 1993-94 में हुए नसबन्दी आपरेशनों का विवरण

149–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 93-94 में कितने नसबन्दी आपरेशन हुए हैं ? इसमें से कितनी महिला नसबन्दी हुई तथा कितनी पुरुष नसबन्दी हुई ? इसमें कितनी नसबन्दी सरकारी चिकित्सालयों में हुई तथा कितनी नसबन्दियां प्राइवेट क्लीनिक में हुई ? क्या यह भी सच है कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने नसबन्दी के लिये प्राइवेट क्लीनिक भी अधिकृत किये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उनके नाम क्या है ? क्या सरकार जनपद शाजहांपुर में प्राइवेट क्लीनिक पर हुई समस्त नसबन्दियों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1993-94 में कुल 3706 नसबन्दी आपरेशन हुये हैं। वर्ष 1993-94 में जनपद में कुल 3050 महिला नसबन्दी आपरेशन हुये तथा 656 पुरुष नसबन्दी आपरेशन हुये।

इनमें सरकारी चिकित्सालयों में 3257 नसबन्दियां हुयी तथा 449 नसबन्दियां प्राइवेट क्लीनिक्स.नर्सिंग होम्स में हुई।

जी हां।

कुल 4

1–मेरी स्टीम्स क्लीनिक

2–बृजदीप नर्सिंग होम

3–मोहन नर्सिंग होम

4–वसीम नर्सिंग होम।

जी नहीं। क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' नगर युवक कांग्रेस कमेटी मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुदागंज शाहजहांपुर में प्राप्त भ्रष्टाचार के संबंध में लिखे गये शिकायती पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

150–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुदागंज, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था के संबंध में दिनांक 24-3-94 को सी० एम० ओ०, शाहजहांपुर को तथा 23-3-94 को डिप्टी सी० एम० ओ० तृतीय, शाहजहांपुर को दिये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर सी० एम० ओ० तथा डिप्टी सी० एम० ओ० ने क्या कार्यवाही की है ? क्या इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन अपने स्तर से कार्यवाही करेगा ? क्या प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र में भ्रष्टाचार की जांच शासन अपने स्तर से कराकर, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, खुदागंज के दोनों डाक्टरों का स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

शिकायती पत्रों पर पहले ही जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तृतीय शाहजहांपुर द्वारा की जा चुकी है । जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । जांच में भ्रष्टाचार की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है । केवल चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्साधिकारी एवं केन्द्र में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के बीच आपसी मनमुटाव का मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी को दोषी पाया गया है । दोषी पाए गए संबंधित चिकित्सा अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

151-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" महामंत्री, नगर युवक कांग्रेस कमेटी, मीरानपुर कटरा जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुदागंज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायती पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 30-3-94 या इसके आसपास प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन/अपर स्वास्थ्य निदेशक, बरेली मण्डल तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन उपरोक्त शिकायती पत्र के समस्त बिन्दुओं पर जांच कराकर दोषी अधिकारी डाक्टर दिनेश चन्द्रा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

शिकायती पत्रों पर जांच कराई गई है ।

जी हां, संबंधित चिकित्साधिकारी को जनपद शाहजहांपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु महानिदेशक को आदेश जारी कर दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की मांगे मिट्टी तेल की खुले बाजार में बिक्री की मांग

152-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने छोटे गैस सिलेण्डरों पर लगा प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से उठा लिया है ? क्या मिट्टी का तेल भी खुले बाजार में बेचने की अनुमति सरकार ने दे दी है ? यदि हां, तो सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये शासनादेश संख्या 3339/29-7-1993-78(सी) क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ समानान्तर विपणन व्यवस्था के द्वारा भी मिट्टी के तेल दिये जाने की व्यवस्था किरोसीन (उपयोग पर निबन्धन और अधिकतम कीमत नियतन आदेश, 1993) के अन्तर्गत की है, जिसे शासनादेश संख्या–3339/29-7-1993, दिनांक 17-12-93 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजा गया है ।

जनपद पौड़ी के पिपला टेका मार्ग का आगे तक विस्तार किये जाने की मांग

153–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी जनपद में वौसाल-टेका-मोटर केवल रिठौली तक ही निर्मित हुआ है ? क्या इसके आगे विस्तार से (टेका तक) पौड़ी मुख्यालय जाने वाली जनता को लाभ मिलना था ? क्या संसाधनों की कमी को देखते हुए सरकार इस मार्ग का विस्तार टेका तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान सरकार पहाड़ों के विकास की घोषणा अनुसार निर्माण करेगी ? क्या इसी वित्तीय वर्ष 1994-95 में कार्य करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । परन्तु मार्ग का नाम पिपला-टेका है जिसकी स्वीकृति लम्बाई 15 कि०मी० है । उक्त मार्ग रिठौली गांव को जोड़ता है । जी नहीं । आगे मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

संसाधनों की कमी को देखते हुए सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त कारणों से प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान सरकार पहाड़ों के विकास के लिये कटिबद्ध है परन्तु उपरोक्त कारणों से समयसीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मिरचोड़ा (कल्जी खाल) पौड़ी गढ़वाल के मोटर मार्ग के पास के परिवार के लिए पेयजल की व्यवस्था

154–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा–मिरचेड़ा (कल्जीखाल) पौड़ी (गढ़वाल) के मोटर मार्ग के पास के परिवारों तथा दुकानों, जूनियर हाईस्कूल के छात्रों के लिये पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उपरोक्त बस्ती के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल हेतु श्राव मापन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

खाद्य रसद विभाग में विभिन्न वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

155–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या सरकार कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के अर्न्तगत सभी अधीनस्थ विभाग में कुल 12,866 पद सृजित हैं इनमें से 7394 सामान्य श्रेणी, 2087 पिछड़े वर्ग एवं 2191 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत है । जिन संवर्गों में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं है, उसे भरने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । अतः कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

156–श्री लालमणि प्रसाद–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कतिपय इंजीनियरों को बिना उनकी सहमति के खण्ड विकास अधिकारियों के अधीन तैनात करने की शिकायत

157–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के कुछ इंजीनियरों को उनकी सहमति लिये बिना खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या मूल विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाने के लिये शासन द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू की गई हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । सहमति की आवश्यकता नहीं है । इस सेवा का गठन शासनादेश सं० 2961/38-4-904/72 दि० 1-7-72 द्वारा मूलरूप से ग्राम विकास के वे सभी कार्य सम्पादन हेतु किया गया था जो इसे समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जावेंगे । विकास खण्डों में चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के एक अवर अभियन्ता को तैनात किये जाने का निर्णय शा०सं० 151 आर०ई०/38-4-1985, दि० 23-8-85 द्वारा लिया गया था । उक्त शासनादेश के अनुसार ही अवर अभियन्ताओं को विकास खण्डों में तैनात किया जाता है, ताकि विकास खण्डों तथा क्षेत्र समितियों/गांव सभाओं के माध्यम से किये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण प्राप्त

हो सके । ग्राम्य विकास विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के ही नियंत्रण में है अतः प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उ०प्र० के डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा शासन को दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही की जानकारी

158–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ, अभियंत्रण सेवा, उ०प्र० ने दिनांक 22-2-94 को शासन को कोई पत्र दिया है, जिसमें ग्रामीण अंचलों में व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, ग्रामीण अभियंत्रण के पत्र दिनांक 22-2-94 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार कर संस्तुतियां उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2397/38-9-94, दिनांक 3-5-94 द्वारा शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के विपरीत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया द्वारा बिलों के प्रतिहस्ताक्षरित करने का मामला

159–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 5 एफ०/101-बी/88/9511-711, दिनांक 10-8-92 के विपरीत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों की वेतन, भविष्यनिधि अग्रिम की बिलों को छोड़कर अन्य बिल किस आदेश के तहत प्रतिहस्ताक्षर करते हैं ?

श्री बलराम यादव–

महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के परिपत्र सं०–5फ/101–बी/88/3/3600, दिनांक 31-3-92 के निर्देशों के अनुसार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के वेतन एवं भविष्यनिधि बिलों को छोड़कर अन्य बिलों को मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया प्रतिहस्ताक्षरित करते हैं । उपरोक्त परिपत्र दिनांक 31-3-92 में उल्लिखित निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के परिपत्र सं०–5फ/101-बी/88/9511-711, दिनांक 10-8-92 के विपरीत नहीं है ।

खण्ड विकास अधिकारी रुधौली जनपद बस्ती के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

160–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी, रुधौली जनपद बस्ती इसी जनपद में विगत एक दशक से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसके पूर्व भी इसी जनपद के जिन विकास खण्डों में रहे, वहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी धन को जनहित में देने में ग्राम प्रधानों से अनियमितता करने, सरकारी धन से जनहित के कार्य कराने के बजाय पैसा को सरकार को सलैन्डर करते रहने की नीति के कारण वर्तमान विकास खण्ड में आज तक एक भी अनुसूचित तथा दुर्बल वर्ग आवास नहीं बन पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तत्काल निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं । प्रश्नगत अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के रूप में विकास खण्ड–सल्टौआ, गोपालपुर में दिनांक 22-8-89 से 12-4-93 तक तथा विकास खण्ड–रुधौली में दिनांक 13-4-93 से दिनांक 31-7-94 तक कार्यरत रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[2रे गुरु में अता० प्र० सं० 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में रौजा व शाहाबाद रजबहा में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की आपूर्ति किये जाने की मांग

162–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में रौजा रजबाह व शाहाबाद रजबाहा में पानी टेल तक न पहुंचने का क्या कारण है ? इन दोनों रजबाहों में वर्ष 1993-94 में पानी कितनी-कितनी दूर तक, कितने बार पहुंचा है ? क्या यह पानी स्थानीय कृषि की सिंचाई के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसके लिए व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शाहाबाद और रौजा राजबाहों पर पिछले कई वर्षों से सिल्ट के जमाव के कारण आन्तरिक सैक्शन सकरे हो जाने के फलस्वरूप निर्धारित क्षमता से पानी नहीं ले पा रही है और टेल तक पानी पहुंचने में कठिनाई होती है ।

वर्ष 1993-94 में शाहाबाद रजबाहा (लम्बाई 32–70 कि०मी०) 150 दिन चला जिसमें से 89 दिन टेल तक, 18 दिन कि०मी० 30 से 32 तक 7 दिन कि०मी० 25 से 29 तक 17 दिन कि०मी० 20 से 24 तक, 5 दिन कि०मी० 16 से 19 तक तथा 14 दिन कि०मी० 0 से 15 तक पानी पहुंचा । रजबाहा रोजा (लम्बाई 23-14 कि०मी०) वर्ष 1993-94 में 136 दिन चला जिसमें से 25 दिन कि०मी० 10 से 5

तक 52 दिन कि०मी० 10 तक, 15 दिन कि०मी० 9 से 4 तक 12 दिन कि०मी० 9 तक तथा 32 दिन कि०मी० 6 तक पानी पहुंचा ।

कृषकों द्वारा अब उन्नतशील बीज, खाद के प्रयोग के कारण पानी पर्याप्त नहीं है । सिंचाई की सुरक्षात्मक सुविधा हेतु विश्वबैंक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत इन रजवाहों के आन्तरिक सैक्शन की पुनर्स्थापन का कार्य प्रस्तावित हैं । यदि विश्वबैंक द्वारा इस परियोजना की अवधि 31-3-94 से आगे बढ़ा दी जाती है और धन उपलब्ध करा दिया जाता है, तो यह कार्य करा दिया जायेगा, अन्यथा सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए कार्य कराना सम्भव नहीं होगा ।

नयी राशन की दुकानों के आवंटन नीति की जानकारी

163–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राशन की दुकानों को आवंटित करने की क्या नीति बनायी है ? क्या इस नीति के अन्तर्गत कानपुर ए० आर० ओ० कृष्णानगर में दुकानें आवंटित की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है । इन दुकानों के आवंटन में कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत दुकानों का आवंटन लड़ाई में मारे गए सैनिक परिवार के सदस्य/लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी/विधवा/विकलांग व्यक्ति/अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण से करने के आदेश हैं तथा शेष 50 प्रतिशत दुकानों का आवंटन सरकारी अथवा अर्धसरकारी नियम, उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ अथवा प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा संचालित सहकारी समितियां/शिक्षित बेरोजगार तथा अन्य को वरीयताक्रम के अनुसार किये जाने के आदेश है ।

जी हां । कानपुर नगर के कृष्णानगर खाद्य क्षेत्र के अन्तर्गत शासन की उपरोक्त नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के 15 व्यक्तियों को उचित दर की दुकानें चयन समिति द्वारा आवंटित की गई हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड सुल्तानपुर में वर्ष 1987-88 में सम्पर्क मार्ग निर्माण के कार्य में कतिपय मजदूरों का भुगतान न किये जाने की शिकायत

164–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहन सिंह, मा० सदस्य, लोक सभा के उपरिपत्र दिनांक 5-1-94 के साथ संलग्न श्री देवी प्रसाद पाण्डेय एवं अन्य मजदूरगणों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जिसमें वर्ष 1987-88 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड–सुल्तानपुर के सहायक अभियन्ता–चतुर्थ के निर्देशानुसार सरैया-चन्दौकी सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी

न दिये जाने की शिकायत की गयी है, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो क्या प्रश्नगत समस्त मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन मजदूरों को, कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों पर भुगतान अभी नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भुगतान न होने के मामले में जांच प्रगति पर है ।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र चकिया में स्थिति नेवाजगंज पम्प कैनाल पर पानी लिफ्टिंग हेतु लगे पम्पों की जानकारी

165–श्री राजेश कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित नेवाजगंज पम्प कैनाल पर पानी लिफ्टिंग हेतु कितने पम्प लगाये गये हैं ? वर्तमान समय में कितने पम्प कार्यरत हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पांच पम्प लगाये गये हैं ।

सभी पम्प कार्य योग्य हैं । वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप दो ही पम्प चलाये जा रहे हैं ।

वाराणसी जनपद के विधान सभा क्षेत्र चकिया स्थित गांधीनगर में स्थापित नलकूप से प्राप्त राजस्व की जानकारी

166–श्री राजेश कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले के चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित गांधी नगर में स्थापित सरकारी नलकूप कई वर्षों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो इतने दिनों से उसे ठीक न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि विगत पांच वर्षों में वर्षवार उक्त नलकूप से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, अपितु जल वितरण प्रणाली के क्षतिग्रस्त हो जाने आदि के कारण अपेक्षित सिंचाई नहीं हो सकी है ।

नलकूप कमाण्ड का अधिकांश क्षेत्र नहर द्वारा सिंचित होने के कारण ।

विगत पांच वर्षों में उक्त नलकूप से क्रमशः रु० 117.00, रु० 86.00, रु० शून्य, रु० 95.0 व रु० 41.00 का राजस्व अर्जित हुआ ।

वाराणसी जनपद के चकिया विधान सभा क्षेत्र स्थित नेवाजगंज पम्प कैनाल एवं भोका कट बांध के सिंचन हेतु कमाण्ड एरिया की जानकारी

167–श्री राजेश कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित नेवाजगंज पम्प कैनाल एवं भोका कट बांध के सिंचन हेतु कमाण्ड एरिया क्या हैं ? क्या यह दोनों योजनायें वर्तमान में चालू हैं ? यदि नहीं, तो कब से यह बन्द हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि विगत पांच वर्षों में वर्षवार कमाण्ड एरिया का कितना भाग सींचा गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी जनपद के चकिया विधान सभा क्षेत्र में चन्द्रप्रभा नदी के बायें तट पर 50 क्यूसेक क्षमता की निर्माणाधीन पश्चिमी पम्प कैनाल का प्रस्तावित कृषि योग्य कमाण्ड एरिया 1,822 हेक्टेअर है । भोका बन्धी नहर प्रणाली का कृषि योग्य कमाण्ड एरिया 1,113 हेक्टेअर है, जो नेवाजगंज (पश्चिमी) पम्प नहर के प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित है । चन्द्रप्रभा नदी के दायें तट पर सिंचाईरत नेवाजगंज (पूर्व) पम्प कैनाल का कृषि योग्य एरिया 123 हेक्टेअर है ।

तीनों योजना चालू हैं परन्तु निर्माणाधीन नेवाजगंज पम्प नहर (पश्चिमी) 20 क्यूसेक क्षमता से चलायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत पांच वर्षों में उपरोक्त तीनों प्रणालियों का सींचा गया वर्षवार कमाण्ड एरिया का विवरण संलग्नक में इंगित है ।

(संलग्नक)

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ । पर)

जनपद देवरिया में कृषि विभाग में कार्यरत संग्रह अमीनों की छंटनी एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उन्हें सेवा में लिए जाने की मांग

168–श्री बेचन राम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में कृषि विभाग में कार्यरत संग्रह अमीन वर्ष 1975 में कुल कितनी संख्या में अस्थायी रूप से कार्यरत रहे हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उन्हें 10 वर्षों तक सेवा करने के बाद छंटनी कर दिया गया है ? क्या मा० उच्च न्यायालय के समायोजन संबंधी आदेश दिनांक 17-4-91 का अनुपालन जिलाधिकारी, देवरिया के द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन छंटनी शुदा संग्रह अमीनों की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-4-92, 8-4-1988 एवं 30-4-92 को अनुपालन करते हुए उनकी नियुक्ति यथा शीघ्र करा देगी ? क्या सरकार मा० उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित पूर्व जिलाधिकारी, देवरिया के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद देवरिया में कृषि विभाग में दिनांक 31-8-75 तक 140 संग्रह अमीन अस्थायी रूप से कार्यरत रहे ।

जी हां ।

जी नहीं ।

आदेश दिनांक 17-4-91 प्राप्त नहीं हुआ ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानापन्न खण्ड विकास अधिकारियों को नियमित किये जाने की मांग

169–श्री बेचन राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने स्थानापन्न खण्ड विकास अधिकारी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? क्या वे नियमित रूप से स्थायी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनमें 5 वर्षों से अधिक के बी० डी० ओ० हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करा रही है ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रदेश में लगभग 463 खण्ड विकास अधिकारी मण्डलीय व्यवस्था में प्रचलित काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अत्यन्त तदर्थ आधार पर, मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत, कार्यरत हैं जिन्हें नियमित व्यवस्था होने या उससे पूर्व कभी भी अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अधिकारीगण उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 जिसके प्राविधानों के अधीन ऐसे अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण किया जाता है, के अन्तर्गत पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं ।

जी हां ।

रिक्तियों की उपलब्धता एवं आरक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पात्र एवं उपयुक्त व्यक्तियों को नियमित पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ।

जनपद सहारनपुर के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षित कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

170–श्री माम चन्द्र लाम्बा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी (स्टाफ नर्स) आदि कार्यरत हैं ? क्या आरक्षित पद पूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद अभी तक रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद सहारनपुर के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या समूहवार निम्नवत् है :–

1–समूह "क"	4
2–समूह "ख"	20
3–समूह "ग"	116
4–समूह "घ"	68
5–समूह "घ" (स्वीपर्स)	73
6–समूह "ग" (स्टाफ नर्स)	7

समूह "ग" का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है अन्य समूहों का पूर्ण है।

समूह "ग" के 75 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद के अनुदान प्राप्त चैरीटेबुल नर्सिंग होम अस्पतालों को अनुदान न दिया जाना

171–डा० राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में कितने चैरीटेबुल नर्सिंग होम, अस्पतालों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है ? उनकी अनुसूची क्या है ? क्या मांगलिक अस्पताल द्वारा अनुदान लेने के बाद भी गरीब जनता से डाक्टरों की फीस लेने वाले अस्पतालों पर सरकार रोक लगायेगी ?

श्री बलराम यादव–

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आगरा जनपद की किसी भी चैरीटेबुल नर्सिंग होम, अस्पतालों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग आगरा के विरुद्ध शिकायत एवं उनका स्थानान्तरण

172–डा० राम बाबू हरित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग आगरा के आचरण की जांच की मांग उनके तुरन्त स्थानान्तरण के बाद कराने के संबंध में समाजवादी पार्टी, आगरा के महानगर अध्यक्ष, श्री करतार सिंह भारती, वीरेन्द्र सोन, पूर्व विधायक, बाबू लाल, सभासद सहित चन्द्रभान मौर्य, विधायक, एत्मादपुर आगरा ने दिनांक 19-1-94 एवं 13-12-93 को मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, सिंचाई, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई नहर को दी थी ? क्या मंत्री जी निष्पक्ष जांच के हित में उक्त अधिकारी को आगरा से तुरन्त हटाने का आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

श्री अनिल कुमार शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड आगरा का स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया है।

173–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[दिनांक 2-3-94 में अता० प्र० सं०–8 द्वारा उत्तरित।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सभा हरदेवपुर गेखा के मध्य पटिया ड्रेन में सिंचाई विभाग खण्ड लखनऊ द्वारा पुल बनाये जाने की मांग

174–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत ग्राम सभा हरदेवपुर गेखा के मध्य पटिया ड्रेन में सिंचाई विभाग खण्ड 40. लखनऊ द्वारा पुल बनाने के प्रस्ताव की शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या इस पुल का निर्माण कार्य 1994 तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण वर्तमान में कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम मार्टिनपुरवा हजरतगंज लखनऊ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित होने से जनता को हो रही परेशानी की शिकायत

175–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि क्या मार्टिनपुरवा, हजरतगंज, लखनऊ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान निलम्बित हो जाने के कारण मार्टिनपुरवा क्षेत्र की दुकान को क्षेत्र से चार कि०मी० की दूरी पर माडल हाउस उपभोक्ता सहकारी समिति–4 जापलिंग रोड की दुकान पर सम्बद्ध कर दिया गया है, जिससे मार्टिनपुरवा क्षेत्र के निवासियों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा यह भी जी० ओ० में मानक निर्धारित किया गया है कि कोई भी दुकान 2 कि०मी० के अन्दर ही सम्बद्ध की जायेगी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त मामले की जांच करा कर जनता की कठिनाइयों को देखते हुए किसी नजदीक की दुकान पर मार्टिनपुरवा क्षेत्र की उक्त दुकान को सम्बद्ध करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मार्टिनपुरवा, हजरतगंज, लखनऊ स्थित उचित दर की दुकान के निलम्बित हो जाने के कारण मार्टिनपुरवा क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को लगभग दो कि०मी० की दूरी पर माडल हाउस उपभोक्ता सहकारी समिति–4 उचित दर की दुकान जापलिंग रोड से सम्बद्ध किया गया था । यद्यपि शासनादेशानुसार किसी भी उचित दर की दुकान के निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने की दशा में ऐसी किसी दुकान से सम्बद्ध राशनकार्डों को अन्य किसी दुकान से सम्बद्ध किये जाने हेतु किसी स्पष्ट दूरी का उल्लेख नहीं है, तथापि यह निर्देश दिये गये हैं कि उचित दर की दुकान खोलते समय यह व्यवस्था की जाय कि उपभोक्ताओं को 3-4 कि०मी० के अन्दर ही आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो जाय । मार्टिनपुरवा क्षेत्र में एक ही उचित दर की दुकान कार्यरत है, जिसके निलम्बित होने से यह व्यवस्था की गयी थी । दिनांक 1-7-94 से दुकान बहाल हो गयी और वर्तमान में मार्टिनपुरवा के कार्डधारकों को मार्टिनपुरवा स्थित दुकान से ही आवश्यक वस्तुयें मिल रही हैं ।

जन्म पूर्व लिंग परीक्षण के कार्य को बन्द किये जाने की मांग

176–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जन्म पूर्व लिंग परीक्षण का धन्धा जोरों पर हो रहा है जिसके कारण भ्रूण हत्यायें हो रही हैं ? क्या मंत्री जी इस पर रोक लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । इच्छित सन्तान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों द्वारा लिंग अवधारणा करना तथा तत्पश्चात् गर्भ समापन करना एक दण्डनीय कृत्य है । प्रदेश में लिंग अवधारणा का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को समय-समय पर कड़े निर्देश दिये गये हैं । प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से इस मामले में केन्द्र स्तर पर

ऐक्ट भी बनाये जाने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में कानून संसद के पिछले सत्र में प्रस्तुत कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला युवा कल्याण/प्रादेशिक विकास दल जिला अधिकारी, फैजाबाद द्वारा भेजे गये पत्र के विवरण की विस्तृत जानकारी की मांग

177–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–189 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 415/दिनांक 21 जून, 1991 के जारी होने के पूर्व व पश्चात् पत्र में सन्दर्भित ड्यूटी सत्यापन/मस्टररोल के निमित्त विभिन्न स्तरों से पुलिस विभाग को भी पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो जारी व प्राप्तकर्ता अधिकारी के नाम पद सहित पत्रांक दिनांक का पूरा ब्यौरा क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां।

जारी पत्रों का विवरण :–

क्र०सं०	जारी करने वाले अधिकारी का नाम पद सहित	प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम पद सहित	पत्रांक दिनांक
1	श्री राम शरण श्रीवास्तव जिलाधिकारी	एस० एस० पी०	352/8-1-90
2	..	..	459/30-1-90
3	..	..	583/2-3-90
4	श्री बीरेश कुमार सी० डी० ओ०	प्रभारी नि० को०	2231/7-6-91
5	श्री नन्हकू सिंह डी० ओ०	श्री राम अकबाल तिवारी ड्यूटी इंचार्ज डी० डी० ओ० सी० डी० ओ० एस०एस०पी० जिलाधिकारी निदेशक, यु०क० प्र०नि०को०	537/6-8-91
6	..	..	68/17-1-92

7	श्री आर० एन० श्रीवास्तव जिलाधिकारी	एस०एस०पी०	282/5-11-92
8	श्री विजय शंकर पाण्डेय जिलाधिकारी	,,	3346/ 20-1-93

178–श्री ऊदल–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद फैजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के विशेष परिस्थिति वश जारी आदेश को निरस्त किये जाने की मांग

179–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 7वें मंगल के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–94 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री दिनांक 3-5-91 ए० एस० पी० के आदेश के निरस्तीकरण की प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या सदन को मिथ्या रिपोर्ट दी गयी है ? क्या डी० ओ० पी० वी० डी० के ही दिनांक 3-5-91 को निरस्त आदेश को ही, एस० एस० पी० के आदेश का निरस्त करना बताकर सदन को गुमराह किया गया है ? यदि हां, तो गुमराह करने का मूलतः जिम्मेदार कौन है ? क्या उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

3-5-91 का आदेश डी० ओ० पी० वी० डी० का था न कि ए० एस० पी० का ।

श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, तत्कालीन मुख्य लिपिक (विकास फैजाबाद) यदि सिविल सर्विस रेगुलेशन 351 अ के अनुसार कार्यवाही सम्भव होगी, तो की जायेगी ।

यशाशीघ्र ।

180–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 22-8-94 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित ।

181–श्री माया शंकर पाठक–

[दिनांक 22-8-94 को अता० प्र० सं०–178 द्वारा उत्तरित ।

ग्राम सभा चिलचिली विकास खण्ड शाहगढ़ जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

182–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, शाहगढ़ जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शिवराम शुक्ल व श्री राम अचल मौर्य आदि निवासी ग्राम चिलचिली विकास खण्ड शाहगढ़ का दिनांक 14-1-94 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की जा रही अनियमितता की शिकायत अंकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभपतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार निजीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये का घपला करने जा रही है । मैंने व हमारे दल के श्री किरन पाल सिंह जी नियम 311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव दिया इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस अहम मसले पर आप चर्चा करा लें ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह 50 करोड़ रुपये के घपले का मामला है इससे 30,000 मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे मेरी मांग है कि सारा काम रोककर इस पर चर्चा करा ली जाय ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 24 अगस्त, 1994 की कार्य-सूची की मद संख्या–13 की उपमदों (1) लगायत (74) में उल्लिखित अनुदान संख्या 1 लगायत–8, 10 लगायत 22, 24 लगायत 28, 30 लगायत 32, 35 लगायत 38, 40, 42 लगायत 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55 लगायत 58, 60, 62, 63, 65, 70 लगायत 73, 75, लगायत 89, 91, 92, 94 और 95 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत 1994-95

के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित है और जिनका कुल योग 8 अरब, 74 करोड़, 86 लाख, 72 हजार रुपये है । वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जायं । जो निम्नवत् हैं :–

(1) अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(2) अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 2,25,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(3) अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 1,58,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(4) अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 79,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(5) अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,36,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(6) अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 42,51,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(7) अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 16,34,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(8) अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 51,75,,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(9) अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 46,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(10) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 10,61,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(11) अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 4,02,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(12) अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 2,20,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(13) अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 40,68,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(14) अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 3,42,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(15) अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 2,61,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(16) अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 70,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(17) अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 5,45,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(18) अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 80,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(19) अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 22,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(20) अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 37,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(21) अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 5,47,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(22) अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत (चीनी उद्योग) 32,85,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(23) अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,00,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(24) अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 28,68,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(25) अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 2,44,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(26) अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 12,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(27) अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(28) अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,78,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(29) अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 14,05,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(30) अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 9,77,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(31) अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 3,60,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(32) अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,26,45,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(33) अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 4,02,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(34) अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 17,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(35) अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 6,57,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(36) अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,69,69,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(37) अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,66,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(38) अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 23,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(39) अनुदान संख्या 47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(40) अनुदान संख्या 48-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 53,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(41) अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,77,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(42) अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,89,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(43) अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 28,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(44) अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 5,22,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(45) अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 7,44,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(46) अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 72,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(47) अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 74,88,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(48) अनुदान संख्या 60-वन विभाग के अन्तर्गत 8,87,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(49) अनुदान संख्या 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत 24,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(50) अनुदान संख्या 63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 52,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(51) अनुदान संख्या 65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,94,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(52) अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 36,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(53) अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 8,62,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(54) अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 12,59,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(55) अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,27,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(56) अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 90,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(57) अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 16,80,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(58) अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,56,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(59) अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 11,32,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(60) अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 21,29,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(61) अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 84,87,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(62) अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 1,02,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(63) अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(64) अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(65) अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 25,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(66) अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 8,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(67) अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 48,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(68) अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(69) अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 36,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(70) अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 2,22,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(71) अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(72) अनुदान संख्या 92–संस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 52,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(73) अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 57,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(74) अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 22,26,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत उपबन्धों को निलम्बित करते हुए और श्री राज्यपाल की सिफारिश से विधान सभा की आज दिनांक 24 अगस्त, 1994 की कार्यसूची की मद संख्या–13 की उपमदों (1) लगायत (74) में उल्लिखित अनुदान संख्या–1 लगायत–8, 10 लगायत 22,24, लगायत 28,30 लगायत 32, 35 लगायत 38, 40, 42 लगायत 45, 47,49,50, 52, 53, 55 लगायत 58, 60, 62, 63, 65, 70 लगायत 73, 75 लगायत 89, 91, 92, 94 और 95 के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें जो सदन में प्रस्तुत 1994–95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण में उल्लिखित हैं और जिनका कुल योग 8 अरब, 74 करोड़, 86 लाख, 72 हजार रुपए है। वित्तीय वर्ष 1994–95 के लिए स्वीकार की जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गई।)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

[* *] [* *] [* *]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(शोर)

(प्रतियां बंटने के उपरांत)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994

31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) अधिनियम, 1994 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1994-95 के लिये 8,77,15,38,000 रुपये का दिया जाना — 2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8,77,15,38,000 रुपये (केवल आठ अरब सतहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार रुपये) होना है, अधिक न हो ।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	1,26	..	1,26
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	2,25,71	..	2,25,71
		पूंजी	..	1,03,48	1,03,48
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	3,25	..	3,25
		पूंजी	1,55,00	..	1,55,00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	3,55	..	3,55
		पूंजी	75,65	..	75,65
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	2,36,46	..	2,36,46
		पूंजी	..	11	11
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	31,54,09	..	31,54,09
		पूंजी	10,97,86	..	10,97,86
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	27,93	..	27,93
		पूंजी	16,06,68	..	16,06,68
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	51,75	..	51,75
		पूंजी	..	..	..
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	46,21	..	46,21
		पूंजी	..	..	..

1	2			3	
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	10,61,63	..	10,61,63
		पूंजी	..	..	..
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,76,37	..	3,76,37
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	25,64	..	25,64
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	2,20,04	32	2,20,36
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	..	..	..
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	40,16,04	..	40,16,04
	(पंचायती राज)	पूंजी	52,58	..	52,58
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	3,04,45	..	3,04,45
		पूंजी	38,25	..	38,25
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	1,90,00	..	1,90,00
	विकास)	पूंजी	71,95	..	71,95
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	70,14	..	70,14
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	53,93	..	53,93
	(सहकारिता)	पूंजी	4,91,96	..	4,91,96
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व	80	..	80
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	22,53	6,00	28,53
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	37,55	..	37,55
		पूंजी	..	..	..
22	खेल विभाग	राजस्व	1,02,44	..	1,02,44
		पूंजी	4,45,14	..	4,45,14
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	4,29,92	..	4,29,92
		पूंजी	28,55,47	..	28,55,47
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1,00,45	..	1,00,45
		पूंजी	..	..	..

1	2				3
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	23,80.09	6.48	23,86.57
		पूंजी	4,88.31	..	4,88.31
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	2,44.16	..	2,44.16
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12.00	..	12.00
		पूंजी	..	..	..
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	8.76	8.76
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12.50	..	12.50
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1,78.62	..	1,78.62
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	6,99.31	1.38	7,00.69
		पूंजी	7,06.01	..	7,06.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	3,58.17	..	3,58.17
		पूंजी	6,19.71	..	6,19.71
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	3,30.20	..	3,30.20
		पूंजी	30.73	..	30.73
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,11,72.76	..	1,11,72.76
		पूंजी	14,73.12	..	14,73.12
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,33.35	..	2,33.35
		पूंजी	1,68.87	..	1,68.87
40	नियोजन विभाग	राजस्व	17.01	..	17.01
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	11.74	37.30	49.04
		पूंजी	6,45.26	..	6,45.26
43	परिवहन विभाग	राजस्व	59.00	..	59.00
		पूंजी	1,69,10.51	..	1,69,10.51
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	64.46	..	64.46
		पूंजी	2,02.36	..	2,02.36

* भारित विनियोग से संबंधित क्रम संख्यां ।

1	2				3
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	23.16	..	23.16
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	13.14	..	13.14
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	..	31	31
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1.00	..	1.00
		पूंजी	52.00	..	52.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1,60.00	4.29	1,64.29
		पूंजी	5.17.78	..	5.17.78
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के के संबंध में राहत)	राजस्व	..	12	12
		पूंजी	..	..	..
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6.23.24	..	6.23.24
		पूंजी	65.79	..	65.79
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	28.56	..	28.56
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	3.73.98	..	3.73.98
		पूंजी	1.48.96	..	1.48.96
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1.57.27	44.85	2.02.12
		पूंजी	5.87.48	..	5.87.48
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	72.56	..	72.56
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	14.69.50	..	14.69.50
		पूंजी	60.19.10	..	60.19.10
60	वन विभाग	राजस्व	8.77.49	..	8.77.49
		पूंजी	10.00	..	10.00
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	24.00.01	..	24.00.01
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	1	13	14
		पूंजी	52.05	..	52.05

1	2				3
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	1,94,60	..	1,94,60
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	..	8	8
		पूंजी	..	..	..
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	36.00	..	36.00
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	8,62,35	11	8,62,46
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	9,71,84	..	9,71,84
		पूंजी	2,87,22	..	2,87,22
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	3,27,85	..	3,27,85
		पूंजी	..	..	
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	..	3,85	3,85
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	90	..	90
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	16,80,31	..	16,80,31
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	88,47	..	88,47
		पूंजी	67,86	..	67,86
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	11,32,93	..	11,32,93
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	20,23,21	..	20,23,21
		पूंजी	1,05,91	..	1,05,91
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	70,77,59	..	70,77,59
		पूंजी	14,09,76	..	14,09,76

1	2		3		
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	38.33	..	38.33
		पूंजी	63.76	..	63.76
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	1.50	..	1.50
		पूंजी	..	..	..
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	25.28	..	25.28
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	8.14	..	8.14
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	48.15	..	48.15
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1.19	..	1.19
		पूंजी	..	..	..
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	36	..	36
		पूंजी	..	..	..
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	2.50	6	2.56
		पूंजी	2.20.00	..	2.20.00
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	1.50.00	..	1.50.00
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	46.46	..	46.46
		पूंजी	6.00	..	6.00
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	..	10.83	10.83
		पूंजी	..	..	..
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	57.84	..	57.84
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	11.69.70	20	11.69.90
		पूंजी	10.56.69	..	10.56.69
	योग :	राजस्व	4.85.11.76	1.25.07	4.86.36.83
		पूंजी	3.89.74.96	1.03.59	3.90.78.55
	कुल योग :		8.74.86.72	2.28.66	8.77.15.38

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(शोर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री रामविशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम प्रसाद टण्टा, श्री सुरेश चन्द्र तिवारिया तथा श्री रंगनाथ आदि सदस्य लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी यह सरकार–नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते हुये सदन के वेल पर आ गये कुछ सदस्य प्रतिवेदकों की मेज पर चढ़ गये तथा अन्य माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 27 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया, कि श्री अध्यक्ष ने सदन स्थगन को ढाई बजे तक के लिए बढ़ा दिया । 2 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । तदुपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

सदन के संज्ञान में लायी गयी विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि जो आप नियम 301 या औचित्य का प्रश्न लेना चाहते हैं । औचित्य का ले लें, लेकिन जो कार्य-स्थगन के रूप में प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें आपने स्वीकृति दे रखी है, नियम 311 की सूचनाओं को आपने कदाचित नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है उनको जरूर ले लें ताकि चीनी मिलों के विक्रय बारे में भी स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अवश्य ले लेंगे ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 अगस्त, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 की कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई ।

पहली सूचना श्री राजकुमार शिवहरे की बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित शराब के ठेके एवं चिकवाही हटाये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की ग्राम विकास परियोजना

एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत हजारों दैनिक/नदर्थ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिये जाने से उत्पन्न के संबंध में, तीसरी सूचना श्री सुरेश संगल की मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली में घनी बस्ती के बीच स्थित बूचड़खाना हटवाने के संबंध में, चौथी सूचना प्रीतम सिंह की उन्नाव, फर्रुखाबाद एवं लखनऊ जनपदों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामान उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री शिवदानी की है. वह उपस्थित नहीं है, छठीं सूचना श्री मित्रसेन यादव की है, वह उपस्थित नहीं हैं, सातवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी जी की है गाजियाबाद इतिहास समिति द्वारा निर्मित शहीद स्मारक को बर्बाद होने से बचाने के संबंध में है ।

दो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है उनकी जगह प्रतीक्षा सूची में जो दो नाम लिखे गये हैं वह लिये जा रहे हैं । नम्बर एक पर माननीय सदस्य श्री राम करन आर्य जी हैं और दूसरे नम्बर पर माननीय सदस्य श्री छोटे लाल वर्मा जी हैं । श्री राम करन आर्य जी की सूचना लखनऊ के काफी हाउस के बरामदे में पत्र-पत्रिकाओं के विक्रेताओं की उजाड़ी हुई दुकानों को पुनः बसाने के संबंध में है और श्री छोटे लाल वर्मा जी की सूचना आगरा के क्षेत्र फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर पक्का पुल बनवाने के संबंध में है ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयी है उसमें माननीय श्री रमेश कान्त लवानियां, श्री राम विशुन आजाद, श्री ऊदल, श्री भागवत शरण गंगवार, श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा, श्री मन्नू लाल कुरील, श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मुक्ति नाथ यादव, श्री इन्द्र देव सिंह, श्री बदन सिंह, श्री प्रणत पाल सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री धनराज यादव, श्री मुरली धर, श्री गया चरन दिनकर, श्री नजउद्दीन, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री स्वयंवर चौधरी तथा श्री मानवर सिंह कण्डारी जी हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार स्थित बालिका डिग्री कालेज एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका एवं पशुवध के होने से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार शिवहरे–

[1] महोदय, बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार बालिका डिग्री कालेज एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के समीप सार्वजनिक मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका एवं गाय भैंसा, बकरा काटे जाते हैं, जिससे उनका बचा हुआ शेष मांस खुले सड़क में फेंका जाता है, जिससे गन्दगी फैलती है तथा चीलें आदि उस मांस को घरों की छतों पर ले जाकर खाते हैं जिससे गन्दगी के कारण गंभीर बीमारी पैदा होने की आशंका है । ऐसी स्थिति में उस स्थान से शराब का ठेका एवं सार्वजनिक स्थान पर बस्ती के बीचों बीच कट रहे मांस बाजार एवं शराब के ठेके को अविलम्ब दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाये । इसी समस्या को लेकर 15 अगस्त, 1994 से उक्त मोहल्ले के लोग अनशन पर बैठे हैं तथा आमरण अनशन

---

[1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की घोषणा की है । स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है । इस समस्या को लेकर जनता में रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय इस सुनिश्चित प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार विभाग के नौकरी से निकाले गये हजारों दैनिक कर्मचारियों को सेवा में वापस लिए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

। महोदय, बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत हजारों दैनिक/तदर्थ नियुक्ति कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है । उपरोक्त विभाग के संयुक्त निदेशक ने प्रदेश के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र संख्या 568/70 (बाल विकास परियोजना) दिनांक 21-5-94 द्वारा सूचित किया है कि उक्त परियोजना में 17 जुलाई, 1991 को अथवा उसके बाद नियुक्त समस्त दैनिक/तदर्थ कर्मचारियों से काम लेना बन्द कर दिया जाय । उल्लेखनीय है कि इनमें हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो कि सेवा में लगातार काम करते 240 दिन पूरे कर चुके हैं । फलतः उन्हें नियमित हो जाना चाहिए था । इस प्रकार यह आदेश पूर्ण तथा गैर कानूनी है । हजारों कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने से उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं । एक ओर सरकार नौकरी देने की घोषणा करती है दूसरी ओर से, वह भी गैर कानूनी तरीके से निकाल रही है जबकि विभाग में कार्य निरन्तर बढ़ने से कर्मचारियों की आवश्यकता है । फलतः कार्य भी प्रभावित है ।

अतः मांग है कि उक्त गैर कानूनी आदेश तत्काल वापस लेकर सभी को नौकरी में वापस लिया जाय । ।

जनपद मुज़फ्फरनगर के कस्बा शामली में स्थित बूचड़खाना को बस्ती से दूर स्थानान्तरित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश संगल–

। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली में 1960 में एक बूचड़खाना स्थापित किया गया था जो तब बस्ती से काफी दूर था । मगर अब यह चारों तरफ से बस्ती से घिर गया है तथा यहां पशुवध होने से करीब 20 हजार लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है तथा वहां बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है ।

इसे बस्ती से दूर स्थानान्तरित कराने हेतु 9-8-94 से वहां के नागरिकों ने जन-आंदोलन, घेराव, अनशन आदि का अभियान चालू कर रखा है मगर प्रशासन बूचड़खाना वहीं चलाने पर बाजिद है और पुलिस संरक्षण में पशुवध करा रहा है । 7 आंदोलन कारी जेल भेज दिए गये हैं तथा लाठी चार्ज में

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दर्जनों महिलाएं सहित बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है । यह आंदोलन कभी भी अप्रिय मोड़ ले सकता है ।

निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तुरन्त चर्चा कराई जाए । ।

लखनऊ, फर्रुखाबाद, उन्नाव आदि जनपदों में विस्फोटक सामग्री बरामद होने तथा प्रदेश में आतंकवादियों का आतंक एवं भय व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह–

। मान्यवर, लखनऊ, फर्रुखाबाद उन्नाव आदि जनपदों में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई जिसमें क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । सम्पूर्ण प्रदेश में एस० आई० एस० का जाल बिछा है । सरकार एस० आई० एस० के दबाव में है । सरकार का यह नारा पूर्णतया फेल हो चुका है, कि हम भयमुक्त समाज देंगे । दैनां पुलिस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 82 टन सामग्री बरामद की गई और 24 टन बाद में पकड़ी गई सरकार ने अभी तक संबंधित अभियुक्तों को पकड़ा भी नहीं है । समस्त प्रान्त आतंकियों से भयभीत है । इतना गंभीर प्रकरण को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है । प्रदेश में आतंकियों का आतंक छाया है । सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है । अब सरकार को कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है । अतः मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर कार्यवाही की जाए । ।

गाजियाबाद स्थित शहीद स्मारक स्थल की सुरक्षा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

। महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय पर आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध स्वतंत्रता सेनानियों व अंग्रेजों के बीच हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद में लड़ा गया था जिसमें अनेक अंग्रेज सेनापति मारे गये थे जिनकी कब्रें आज भी हिंडन नदी के पास स्थित है ।

गाजियाबाद इतिहास समिति ने अनेक वर्षों तक खोज करके इन ऐतिहासिक महत्व के गौरवशाली घटनाओं को उजागर किया उन शहीदों की स्मृति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगरपालिका गाजियाबाद में सहयोग से इतिहास समिति ने शहीद स्मारक का निर्माण कराया ।

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आज वह शहीद स्मारक स्थल शराबियों व चरसियों का शरण स्थान बन गया है। उक्त स्थल पर खोखे आदि डालकर कब्जा हो रहा है स्मारक भी टूटने फूटने लगा है। लेकिन गा० वि० प्रा० नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन मौन है। ऐतिहासिक गर्व के इस स्मारक को बरबाद होने दिया जा रहा है यह हमारे लिये शर्म की बात है।

इस विषय में मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।।

लखनऊ के काफी हाउस के बरामदे में पत्र-पत्रिकाओं के विक्रेताओं की उजाड़ी गयी दुकानों को पुनः बसाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य–

।मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के काफी हाउस के बगल (बरामदे में) पत्र पत्रिकाओं के विक्रेताओं की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं उक्त विक्रेताओं ने वर्ष 1995 तक एलाटमेन्ट का किराया नगर महापालिका को जमा किया था, परन्तु सफाई अभियान के तहत उनकी दुकानें उजाड़ दी गईं और उनकी पत्र पत्रिकाओं की लूटपाट की है। साथ ही एक-एक धनाढ्य दुकानदार ने सामने अपना मटर लगा दिया है जिसके परिणाम स्वरूप पत्र पत्रिकाओं के विक्रेता भूखे मर रहे हैं और उनमें असन्तोष व्याप्त है। अतः मैं आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः दुकान लगाये जाने की अनुज्ञा चाहता हूं।।

आगरा जनपद के क्षेत्र फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग के यमुना नदी पर पक्का पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा–

।आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद, फिरोजाबाद मार्गपर यमुना नदी पर पक्का पुल न होने की वजह से क्षेत्रीय जनता को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फिरोजाबाद जनपद में चूड़ी बनाने के अनेक कारखाने हैं जिनमें फतेहाबाद क्षेत्र के हजारों मजदूर गरीब जनता कार्य के लिये आती है और वाहन आने जाने के लिये पहले आगरा जाना पड़ता है। आगरा से जब फिरोजाबाद आते हैं जबकि फतेहाबाद फिरोजाबाद के बीच की दूरी 20 कि० मी० है और आगरा होकर आने पर 80 कि० मी० है और इस पुल को बनने से तीन राज्यों को लाभ होगा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद से 20 कि० मी० की दूरी पर सीमा है और 18 कि० मी० मध्य प्रदेश सीमा है। अतः निवेदन है कि मेरी न्यायोचित मांग को सरकार द्वारा पूर्ण कराने का कष्ट करें।।

। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान सत्र में सदन में अव्यवस्था तथा एक दिन भी प्रश्न प्रहर न हो पाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियय 310 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें सुनने के लिए प्रारम्भ कर रहा हूं। माननीय सदस्य और नेता कांग्रेस दल की ओर से श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल जी हैं।

श्री पाल जी द्वारा नियम 310 में नोटिस दी गयी है उस पर वह विचार व्यक्त करें।

[3 बजकर 20 मिनट]

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, यह जो हमने औचित्य का प्रश्न इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा है उसमें मेरी मंशा यह है कि इस सदन में और इस सत्र में संभवतः यह ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि एक दिन भी प्रश्न प्रहर नहीं चल पाया है। जो जनमानस की ज्वलंत समस्यायें हैं किसी भी दल के सदस्य हैं उन सब सदस्य के प्रति जो जनता की अपेक्षायें हैं, वे अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने में सदस्य अपने को असमर्थ पा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि कहीं न कहीं कोई विशेष संकट है जिसके कारण इस सदन में जो व्यवस्था सुचारु रूप से चलनी चाहिए थी और पीठ की व्यवस्थायें होने के बावजूद भी जब अव्यवस्था हो जाती है तो हमारे जैसे तमाम सम्मानित सदस्य गण के मन में यह पीड़ा होती है कि जिस अपेक्षाओं के साथ प्रश्नों के माध्यम से हम यहां ज्वलन्त समस्याओं को उठाने आते हैं, क्या कारण है कि उन समस्याओं के उठाने में वंचित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पीठ पर मान्यवर, पर आप बैठे हैं संविधान के अनुच्छेद 178 के साथ और हम अपनी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के 310 में जो आपको शक्तियां प्रदत्त हैं उनके अनुरूप। 314 में आप विनिश्चय करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। उसके बावजूद माननीय सदस्य इच्छा जाहिर करते हैं, आप कस्टोडियन हैं इस सदन में, हमारे सदस्य समस्या उठाते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं, विनिश्चय पर पुनर्विचार की बात करते हैं।

जब सम्पूर्ण सदन का आप में विश्वास है सभी दल के लोगों ने आपको चुना है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि चुन लेने के बाद जब आप पीठ पर बैठते हैं तो सर्वसम्मति से, आप सभी लोगों ने सर्वसम्मति से चुनाव किया है। मान्यवर, पिछले सत्र में नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक अविश्वास का प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया गया था।

श्री अध्यक्ष–

उसे छोड़िये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उस पृष्ठभूमि का जिक्रकर रहा हूं मान्यवर जो आक्षेप माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लगाये मुझे याद है कि आपके आचरण से लोकतंत्र, संविधान ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, जो प्रकरण समाप्त हो चुका है, पिछले दिन खत्म हो गया उसका क्या औचित्य है और रोज-रोज इसका जिक्र करते हैं यह अनुचित है कि नहीं मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी उसको न उठाइये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने औचित्य में अनुमति दी, केवल पृष्ठभूमि का जिक्र किया मेरी पूरी बात ऊदल जी सुन लेते तो वे भी मुझसे सहमत होते । वे अविश्वास का प्रस्ताव व्यपगत हो गया । वे आक्षेप माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वापस लिये या क्या किया यह उनका विषय है मैं सदन में यह नहीं कह रहा हूं कि वे खेद प्रकट करें । लेकिन मान्यवर, जो स्थिति इस सत्र में विद्यमान है उसका उल्लेख करना चाहता हूं । इस सत्र में जो परिस्थितियां हैं, कल भी प्रश्न काल में वही स्थिति विद्यमान थी, आज भी प्रश्न प्रहर में वही स्थिति विद्यमान थी । अब प्रश्न प्रहर न चलने पाये या दूसरी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें तो जो जनमानस की ज्वलन्त समस्यायें हैं अगर मान्यवर उनमें व्यवधान होता है तो यह अपने आप में औचित्य का प्रश्न है ।

और औचित्य का प्रश्न इसलिए है कि अगर कहीं ऐसी कोई स्थिति है तो सदन में परस्पर सहमति, आपस में विश्वास के साथ सुलझानी चाहिए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि प्रजातंत्र में उसका दायित्व और अहमियत कम नहीं है । इसलिए सत्ता पक्ष सभी दलों के साथ चलता है । लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां रोज सदन में चल रही हैं उससे सदस्य सहमत होंगे जैसे आज सदन में प्रश्न प्रहर जब शुरू हुआ तो चीनी मिल का मामला उठा । अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया जाता, कि चीनी मिल का मामला लेंगे या नहीं लेंगे लेकिन आपने व्यवस्था नहीं दी और चल दिये तो निश्चित रूप से क्रोध आना स्वाभाविक था । प्रश्न प्रहर में ऐसे सवाल लगे हुए थे जो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सवाल थे । जैसे मेरा एक महत्वपूर्ण अल्पसूचित प्रश्न लगा हुआ था आयुर्वेद निदेशालय में हुए घोटाले के संबंध में था, करोड़ों रुपयों का मामला था और तमाम जनपदों में ओवर ड्राफ्ट हुआ था उसके संबंध में एक समिति बनायी गयी थी, उसकी बैठक हुई थी उसकी क्या कार्यवाही हुई और उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये यह प्रदेश की जनता जानना चाहती थी इस सदन के माध्यम से लेकिन प्रश्न प्रहर चल नहीं पाया और प्रश्न व्यपगत हो गया और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न व्यपगत हो गये । तो हम यह चाहेंगे कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा न होने पाये । सरकार से हमारा अविश्वास हो सकता है, वे नीति और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कार्यक्रमों के खिलाफ कार्य करें तो हम अविश्वास व्यक्त कर सकते हैं और हमारा यह दायित्व है कि हम उसकी आलोचना करें ।

जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके नाते सदन में व्यवधान हो तो यह एक गंभीर प्रश्न बन जाता है इसलिए मेरा कहना है कि मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और अपनी व्यवस्था दें । यह सत्र भी छोटा है और कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें लगे हैं, चाहे प्रदेश में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति का सवाल हो या किसानों का सवाल हो, बुनकरों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो या विद्यालय में प्रवेश का सवाल हो यह मात्र दो दिन में कैसे उठ सकते हैं ? इसमें हमारा नुकसान है इसलिए सामान्य परिस्थितियां बने नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं के साथ तो यह सदन नियमित रूप से चल सकता है और जो अविश्वास का प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष ने रखा है उसके संबंध में नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट करें ।

श्री ऊदल–

मुझे बड़ा खेद है कि इस औचित्य के प्रश्न पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस औचित्य के प्रश्न को समझ ही नहीं पाया क्योंकि बहुत से प्रश्न इसमें सम्मिलित किये गये हैं और माननीय पाल जी का यह कहना है कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले, चलाना भी हम चाहते हैं और सबकी सहमति भी थी । परसों पहाड़ के प्रश्न पर सबसे पहले यही निश्चित हुआ था कि इस प्रश्न को, क्योंकि यह ज्वलन्त समस्या है और यह प्रदेश व्यापी ही नहीं बल्कि देश व्यापी भी है इस पर विचार करना चाहिए । लेकिन प्रश्न प्रहर शुरू होते ही, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं, हमारे माननीय कांग्रेस के सदस्य वहीं आपके सामने बेन्च पर चढ़ गये और उसके बाद भा० ज० पा० के सदस्य पता नहीं क्यों चले गये, मैं समझ नहीं पाया । चीनी वाला मामला, जैसा अभी पाल जी ने बताया कि कल के लिए निश्चित था और आज के लिए, जो माहमारी है, बाढ़ है जिसके लिए सभी लोगों की सहमति थी कि एक-एक दिन जैसे बिजली की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, चीनी वाला मामला है, महामारी है इस तरह से सात समस्याएं थीं जिनको नम्बरवार रखा गया था लेकिन वैसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं परसों से आपके कक्ष में नहीं आ रहा हूं जो चीज हम मान लेते हैं, सर्वसम्मति से, आपको सब अधिकार दे देते हैं, कि आप इसको सूचीबद्ध करेंगे । अब पाल जी का यह कहना है कि कल ये हो गया होता, आज ये हो गया होता, ठीक नहीं है । जब हम खुद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं तो फिर इस प्रश्न का क्या मतलब है ? मैं इस औचित्य के प्रश्न का विरोध करता हूं और आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इसको स्वीकार न करें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय ऊदल जी ने जो भावना प्रकट की है, वह सच में विचाराधीन है, मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से साफ-साफ बात कही है । माननीया जगदम्बिका पाल जी ने इस आदरणीय सदन का बहुत मूल्यवान समय लेकर हम सबका ज्ञानवर्धन करने का प्रयास किया । मान्यवर, अभी आपके कक्ष में भी वार्ता हुई थी । यह हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबकी इच्छा है कि यह सदन सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले । हो सकता है, कभी हमसे कोई गलती हुई होगी या किसी माननीय सदस्य से कोई गलती हुई होगी, लेकिन आज यह कोई समय नहीं है कि फिर से गड़े मुर्दे उखाड़कर एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जाय, जिससे फिर अशान्ति हो । बहुत सी सूचनायें आज दी गयीं थी, बहुत से अन्य समझदार सदस्य हैं, उन्होंने भी सूचनायें दी होंगी । यदि इसी तरह इस विषय को लेकर प्रकारान्तर से इस आदरणीय सदन में शासन का ध्यान खींचने की प्रक्रिया अपना लें तो यह बड़ा दुखद होगा इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि इस आदरणीय सदन का आगे का जो कार्य है, उसको लें और इसमें हम सबका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, यह सच है कि जनता की जिन्दगी से जुड़ी हुई बात बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलन्त समस्यायें इस सदन में चर्चा के लिये प्रस्तावित हैं और हम सब चाहते हैं कि उन समस्याओं के ऊपर हमारा भी दृष्टिकोण आ जाय और सरकार का भी दृष्टिकोण आ जाय । जनता ने हमको निर्वाचित करके भेजा है । जनता की हम सबसे अपेक्षा है, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों कि उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं को यहां उजागर किया जाय और उस पर सरकार का दृष्टिकोण जाना जाय । हमारी तरफ से उस पर सुझाव भी दिये जायें, यह सरकार का अपना अधिकार है कि वह उन सुझावों को स्वीकार करे या न करे । मैं समझता हूं कि जो प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रहर है और इस प्रश्न प्रहर में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं, उस पर सरकार की ओर से उत्तर आते हैं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे वह उत्तरांचल के आन्दोलन का प्रश्न हो, चाहे चीनी मिलों के विक्रय के अन्दर घोटाले का प्रकरण हो, चाहे महामारी का प्रकरण हो जिसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं और चाहे प्रदेश के अन्दर ध्वस्त कानून व्यवस्था का प्रश्न हो या पूरे प्रशासन तंत्र में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियों का प्रश्न हो, इस पर हमारा भी दृष्टिकोण आ जाय और सरकार भी अपना उत्तर दे दे । सरकार के द्वारा दिये गये उत्तर और हमारा दृष्टिकोण दोनों जनता की अदालत में जायेंगे, वह उस पर निर्णय करे, कि कौन सही है, कौन गलत है । मुझे खेद इस बात का है कि आज जिस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस पर माननीय जगदम्बिका पाल जी, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत सुलझे हुये हैं, विद्वान भी हैं, ने यह बात उठा दी । मैं यह नहीं समझ पाया कि पिछली विधान सभा के सत्र में जो कुछ भी हुआ था, वह समाप्त हो चुका और जब नये वातावरण में नये विश्वास के साथ सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई, हलांकि बीच में भी यह प्रश्न उठा था, इस प्रसंग को लेकर, तब भी यह कहा गया था कि प्रसंग समाप्त है

परन्तु मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बार-बार इस प्रसंग को उठाकर माननीय जगदम्बिका पाल जी कहना क्या चाहते हैं ? रही वेल में आने की बात, या हमारे जो रिपोर्टर्स बन्धु बैठते हैं उनके पास पहुंचने की या आपके डायस पर जाने की बात,तो रिपोर्टर्स हमारे हैं, उनके साथ कोई धींगामुश्ती नहीं होनी चाहिए । गार्ड हमारे भाई हैं उनके साथ कोई धींगामुश्ती नहीं होनी चाहिए,. मेज पर भी किसी को नहीं चढ़ना चाहिए । आपके डायस पर जाकर ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचती हो । हम इन सभी चीजों की निन्दा और भर्त्सना करते हैं लेकिन आज इन

बातों को लेकर माननीय पाल जी क्या कहना चाहते हैं ? माननीय ऊदल जी ने कह दिया कि आखिर प्रारम्भ किससे होता है, यह बात मैं आपके सामने रखने के लिये तैयार हूं। पर्वतीय क्षेत्र का मामला था, एक दल विशेष के लोग सबसे पहले कूद-कूद कर कुर्सियों, मेजों पर चढ़कर वहां तक पहुंचे। अगर हम चुप बैठे रहे तो यही माना जायेगा कि हमने सवाल को उठाया नहीं।

वेल में आकर अपना प्रोटेस्ट करते हैं, आप सुनते भी हैं और कई बार सदन का स्थगन भी करते हैं। अपनी बात पर बल देने के लिये कदाचित ही कोई दल बचा होगा जो वेल में न आया हो। इस नाते से यह काम तो हमारा भी है और सदन में बैठे हुये सत्ता पक्ष का भी है कि हम आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कष्ट तब होता है जब जानबूझकर आक्षेप लगाने की नीयत से कोई बात की जाती है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। इस सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये, सदन में अनुशासन बनाये रखने के लिये पूरा-पूरा सहयोग करने के लिये तैयार हैं और हमें यह विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह किसी पक्ष का हो, उसकी भावनाओं को समझते हुये निर्णय लेंगे। सदन व्यवस्थित चले, यह हमारी जरूर मंशा है। लेकिन आज पहले 12.20 बजे सदन स्थगित किया गया, फिर डेढ़ बजे, फिर ढाई बजे और पुनः सवा तीन बजे तक के लिये जब सदन स्थगित किया गया तो हम लोग आपके कक्ष में गये कि यदि सदन चलना है कि तो सही समय पता लग जाये, हमें तो नहीं लगता कि सदन चलेगा। लेकिन आपने बताया कि सवा तीन बजे सदन चलेगा और कार्यवाही प्रारम्भ होगी। जब कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी तो बीच में एक ऐसा औचित्य का प्रश्न खड़ा कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था। इस नाते मैं भी अपने को माननीय ऊदल जी की भावना से सम्बद्ध करता हूं, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए इसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात हमें सुनने में लज्जा व शर्म आती है, वह हम नहीं कहना चाहते। इस विधान सभा का एक पुराना प्रकरण है जिसको सुनने में भी लज्जा आती है कि पीठ के बारे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ? मैं माननीय पाल साहब से निवेदन करूंगा और अन्य लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण का जिक्र इस सदन में बार-बार न करें। यदि मुझे ठीक से याद है तो पहले दिन जब यह सदन शुरू हुआ था तो मैं समझता हूं कि विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि निधन के निर्देशों से पहले किसी ने कोई विषय उठाने की कोशिश की थी। ऐसे निधन के निर्देश जब हमारे ही साथी, इस विधान सभा के सदस्य जो हमको छोड़कर चले गये। असामयिक मौत हो गयी है, उन लोगों की शान्ति के लिये श्रद्धान्जलि अर्पित करनी चाहिए थी, उसके पहले एक अभूतपूर्व काम करने की कोशिश की गयी। मैं समझता हूं कि यह पाल साहब भी थे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन उत्तराखण्ड की समस्या आई जो आज भी जीवित है। पाल साहब के प्रति मेरे हृदय में बहुत ही सम्मान है और उनके प्रति भावना भी थी। मैं किसी बात की नुक्ताचीनी नहीं निकाल रहा हूं और न ही किसी के निर्णय की नीति बता रहा हूं। प्रश्न प्रहर में इस प्रकरण को लिये जाने का औचित्य है और लिया जाना चाहिए थी। विधान परिषद् में प्रश्न प्रहर स्थगित करके लिया गया, इससे कोई हंगामा नहीं होगा और काम हुआ। क्या प्रश्नकाल होना चाहिए, लेकिन दो दलों की प्रतिस्पर्धा में प्रश्नकाल खत्म हो गया ? अध्यक्ष की डायस तक लोग गये जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और वही

हुआ । मैं निवेदन करूंगा कि विरोध करने के लिये वेल तक जाना तो ठीक था, नारेबाजी ठीक है लेकिन डायस तक जाना शोभनीय नहीं है, अध्यक्ष पीठ के कुर्सी पर बैठ जाय यह ठीक नहीं है और कहा जाय कि अध्यक्ष पीठ का सम्मान करने हैं, मान करते हैं, यह बहुत ही अनुचित है ।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो नियमावली है, पहले भी इसके संबंध में जिक्र किया था कि नियम-311 में ऐसी परिस्थितियों में सूचनायें लाई जाती हैं जो कि बहुत ही प्रदेश में संकटकालीन, इमरजेन्सी की स्थिति आ जाय तो सदन में इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, तात्कालीक प्रभाव की हो, अविलम्बनीय महत्व की हो तो सभी कामों को छोड़कर चर्चा करायी जाय । नियम-311 में नेताओं को आश्वासन दिया भी, लेकिन पता नहीं क्यों नियम-56 से भी हल्का इसे बना दिया गया है, यह पहले तय हो जाय । नियम-311 का जो उद्देश्य था, जो मंशा थी क्या वह समाप्त हो जाय ? विशेष परिस्थितियों में जो सूचनायें आनी चाहिए वह सब नियम-56 के तहत कवर हो सकती हैं, आ सकती हैं । मान्यवर, कक्ष में जो बातें तय हो जाती हैं और जो बातें अन्दर करते हैं वह सभी बातें नोताओं को माननीय चाहिए और अपने दल के विधायकों की जिम्मेदारी भी लिया करें । यह ठीक है कि हम लोगों को बाहर काम करना पड़ता है, फील्ड में वोटर के सामने उनको राजी करना पड़ता है । जब कि यहां पर सभी लोग बराबरी के सदस्य हैं, उसमें दिक्कत नहीं आयेगी । मैं यह चाहता हूं कि पूरे सदन की कार्यवाही ठीक से चले, इसमें सहयोग करने का आश्वासन देता हूं । हमारे आदरणीय पाल साहब ने जो उठाया है, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं और औचित्य के प्रश्न पर जो उचित समझें, वैसा निर्णय लें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, पाल साहब ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इससे नेता प्रतिपक्ष को थोड़ा सहारा मिल गया और हमारे ऊदल जी के बयान ने उसे गम्भीर करने की कोशिश की है । श्रीमन्, सदन इसलिये चलाया गया था कि प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को यहां पर रखा जाय और लोक महत्व के प्रश्न हों, विपक्ष की मांग थी कि प्रश्न प्रहर समाप्त कर सरकार इसे ले ले । लेकिन क्या श्रीमन्, जबसे यह सदन चला है, एक दिन भी प्रश्न प्रहर हो पाया है, नहीं हो पाया है तो किसके कारण नहीं हो पाया है । दलों के नेताओं की वार्ता हुयी थी, सभी नेताओं को मालूम है और आप भी जानते हैं कि तय यह हुआ था कि पहले चीनी मिलों के नवीनीकरण के संबंध में, पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में, गैस्टो के संबंध में और कानून-व्यवस्था के संबंध में एक-एक दिन बाद सब पर चर्चा होगी और आप भी जानते हैं कि हमने कहा था कि उत्तर देंगे, लेकिन श्रीमन्, इस सदन का मूल्यवान समय किसने बरबाद किया । पाल साहब ने प्रश्न उठाया है, माननीय ऊदल जी न जाने किस मामले से दुःखी हैं, उन्हें बल देना चाहिए, जबकि नेता प्रतिपक्ष को सहारा मिल गया । चोर की दाढ़ी में तिनका ....(व्यवधान) श्रीमन्, लोकतंत्र में विपक्ष की.....(व्यवधान)

श्री ऊदल–

क्या मैं गलत कह रहा हूं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपकी बुजुर्गियत का लिहाज कर रहे थे । थोड़ा हमको भी बोलने का अवसर दीजिए । हमको भी क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है । संसदीय लोकतंत्र में कुछ बातें विरोधी पक्ष व सत्ता पक्ष के परस्पर

सहयोग व आम सहमति से तय होती हैं और उसके अनुसार कार्यवाही होती है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे प्रदेश के लिये तो विशेष रूप से यह दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग 15-16 जो लोगों को लेकर सदन में बैठते थे परन्तु आज बहुत बड़ी तादाद में यहां बैठे हैं परन्तु जो यह आचरण कर रहे हैं, वह उचित नहीं है । कहते कुछ और है और करते उसका उल्टा है । सदन का जो समय बरबाद हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? कल जो यहां |xxx | हुआ है आपके चेयर के नजदीक, वह किसके दल के लोग थे ? किस दल के लोगों ने वह वीभत्स दृश्य इस सदन में उपस्थित किया ?

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, महिलाओं के बारे में जो बात कही गई है ।

(शोर/व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लोकतंत्र में संयम व धैर्य भी एक चीज होती है । हम अपनी बात कह लें, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपने दल के लोगों को नियंत्रित करना चाहिये ।

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा व अन्य भारतीय जनता पार्टी के महिला सदस्यों के खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्या का तो उन्होंने नाम लिया नहीं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात को अवश्य कहें । परन्तु चूंकि वह संसदीय कार्य मंत्री हैं इसलिए कृपा करके वह असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें और नारी समाज का अपमान नहीं करें ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर लिया होगा तो उसे मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने अपने भाषण में कहीं पर भी असंसदीय शब्द नहीं कहा है, अगर कहीं पर भी कहा होगा तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं । यह सदन जिस पर प्रति मिनट लाखों रुपए का खर्च आता है, उसके मूल्यवान समय को इस प्रकार बरबाद करना उचित नहीं है । जो असंसदीय कार्यवाही यहां पर की गई है और जो हरकत यहां पर की गई है, उसकी निन्दा किये बगैर यह कह देना कि यह औचित्य का प्रश्न अनावश्यक है, उचित नहीं है । भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे इसका ध्यान रखना चाहिये । किसी भी मसले पर आप जितनी बहस करना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं । हम उन लोगों में से नहीं हैं कि काम गलत करें और जनता के बीच में जाकर यह साबित करें कि हमने सही कार्य किया है । ...

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर–व्यवधान)

नोट–|xxx | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर हम नहीं बोल पायेंगे तो आपके नेता खड़े भी नहीं हो पायेंगे ।

(व्यवधान)

हमको टोकेंगे तो आपका कोई नेता खड़ा नहीं हो पायेगा । (व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, क्या यह संसदीय भाषा बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जरा शान्त रहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

(व्यवधान) आप बोल लीजिये तो फिर हम बोलें यह अनुशासित दल अपने को कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कहना चाहते हैं तो सुनिये भी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह एक दल हैं और अपने को अनुशासित कहते हैं, हम दो हैं, आप ही देख लीजिए ।

श्री कल्याण सिंह–

आप बोलिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पाल साहब ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है हम उसे गम्भीर भी मानते हैं और महत्वपूर्ण भी मानते हैं, आपको भी निर्देश देना चाहिये और ऐसे लोगों की निन्दा करनी चाहिये जो असंसदीय आचरण प्रस्तुत करके हमारे देश की सबसे बड़ी विधान सभा जो है उसकी गरिमा को कम करते हैं, इसकी निन्दा करनी चाहिये ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, निन्दा इस बात की भी की जानी चाहिये जो 16 दिसम्बर, 93 को सत्तारूढ़ दल की तरफ से भा० ज० पा० के विधायकों को लहूं लुहान किया और उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया तो इससे ज्यादा संसदीय इतिहास में शर्मनाक घटना कोई और हो नहीं सकती है । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

16 दिसम्बर, 93 को माननीय नेता विरोधी दल यहां थे भी नहीं, किधर से हमला हुआ, किसके माइक टूटे थे आपको पता नहीं, उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, हमारी तरफ से बचाव में हुआ । इसलिये 16 दिसम्बर की घटना की पूरी जिम्मेदारी बी० जे० पी० के लोगों की है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्ति रखें । अभी हमारे माननीय सदस्य पाल साहब ने जो नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न रखा उसके संबंध में जो विचार माननीय सदस्य श्री ऊदल जी ने, मा० सदस्य किरन पाल जी ने और मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अपने-अपने तरीके से रखे उसका संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी विश्लेषण किया । मैं इस संबंध में सभी माननीय नेताओं को और सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वह अवगत भी हैं भले ही उस चीज को न कहें । 18 ता० को ही जब सभी माननीय नेताओं की बैठक हुई उसमें तय हो गया था कि सदन व्यवस्थित और शान्तिमय ढंग से चलना चाहिये, समस्यायें भी रखी गयीं और तय हो गया कि प्रथम दिन ही उत्तरांचल पर बहस होगी 311 में दीगर उस पर नोटिस दी है उस पर चर्चा होगी, दूसरे दिन के लिये तय हो गया था कि चीनी मिलों के संबंध में चर्चा होगी, तीसरे दिन आत्रंशोध, हैजे जैसी बीमारी पर चर्चा होगी और चौथे दिन बाढ़ पर चर्चा होगी । और अन्य दिन कानून व्यवस्था के बारे में तय हुआ था । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि परसों जैसे ही सदन प्रारम्भ हुआ मैं चाहता था कि प्रश्न प्रहर को लिया जाए लेकिन प्रश्न प्रहर की गम्भीरता के बारे में अभी और पहले भी माननीय नेताओं ने सदन में बहुत कुछ कहा किन्तु मैं समझता हूं कि वे इतने गम्भीर नहीं हैं । मैं प्रयास करता हूं कि प्रश्न प्रहर पहले हो लेकिन इसके पीछे भी सदन में तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए प्रश्न प्रहर को मैंने स्थगित नहीं किया । किसी-किसी दिन तो एजेण्डा के पूरे 20 प्रश्न पूरे हुए । लेकिन परसों कहता रहा कि उत्तराखण्ड के लिये नोटिस आयी है, स्वीकार भी किया है कि चर्चा भी कराऊंगा लेकिन उसके बाद भी सदन नहीं चला । क्यों नहीं चला यह सभी लोग जानते हैं ? कल भी परसों जैसी बात हुई थी कि उत्तरांचल के बारे में चर्चा होगी तो वह मैं कराता लेकिन प्रश्न प्रहर के बाद किन्तु सभी ने कहा कि नियमों को निलम्बित करके पहले उत्तरांचल के बारे में चर्चा करायी जाए, तो उसको भी मैंने स्वीकार किया लेकिन दुख के साथ आप सभी की भावनाओं का आदर करते हुए प्रश्न प्रहर को स्थगित किया जबकि मैं नहीं चाहता था प्रश्न प्रहर स्थगित किया जाए ।

इसी प्रकार आज के लिए कल की बैठक में तय हुआ था कि चीनी मिलों के बारे में चर्चा करा ली जाए और महामारी जो फैली है उसके बारे में चर्चा हो जाए लेकिन आज भी प्रारम्भ में ही मांग की गयी कि प्रश्न प्रहर स्थगित करके इन पर चर्चा पहले करायी जाए । मैं बारबार कहता रहा कि प्रश्न प्रहर चलनें दें और उसके बाद चर्चा प्रारम्भ करा दी जाएगी और यह भी कहा कि आप लोगों ने जो नियम 311 में दिया है उसको परिवर्तित करके नियम 56 में ले लिया है । लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि माननीय सदस्य और नेतागण इतने अधिक उत्तेजित हुए और कहने लगे कि नहीं पहले जो कल तय हुआ है यही हो जाए और चर्चा करायी जाए । तो मजबूरी में प्रश्न प्रहर मुझे आज स्थगित करना पड़ा । मैंने इसलिये प्रश्न प्रहर स्थगित किया कि जिद नहीं चलेगी । जो तय हो जाने के बाद फिर हम उसी को मानेंगे । उसके बाद सदन स्थगित किया । पुनः मैंने कहा विधिवत कार्यवाही चलेगी और मैंने कोशिश किया जितने सरकारी कार्य हैं वह पहले निपटा लिए जाएं चूंकि विधान परिषद् में विचार होना था, इसलिए वह जैसे तैसे शोरगुल में पास हुए और पुनः मैं बैठा । और इस उद्देश्य से बैठा हूं कि यह जो समस्यायें आज के एजेण्डे में हैं उन्हें चाहे रात तक बैठकर निपटाना पड़े वह निपटाऊंगा ।

अब मैं श्री जगदम्बिका पाल के औचित्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं कह रहा हूं लेकिन आशा करता हूं कि आगे सदन की कार्यवाही विधिवत चलेगी, जिससे प्रदेश की जनता को मालूम हो सके कि हम उनकी समस्याओं के निदान के लिए जागरूक हैं और जनप्रतिनिधियों की भावनायें जनता तक पहुंचे और सत्ता पक्ष की ओर से समुचित उत्तर आए जिससे जनता समझे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और विपक्ष क्या भूमिका अदा कर रहा है, यह सामने आना चाहिए ?

पंचायती राज के चुनावों के लिये कक्ष परिसीमन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र निर्धारण में शासनादेश का उल्लंघन कर विधान सभा सदस्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

अब मैं यह जरूर चाहूंगा कि आगे की कार्यवाही हो, और उसके पहले एक औचित्य का प्रश्न गुप्त जी का है, उसको भी मैं सुन रहा हूं। उसके बाद अगली कार्यवाही।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस औचित्य के प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह इस आदरणीय सदन में इस सदन के अधिकांश सदस्यों के लिये चिन्ता का विषय है। इसमें सत्तापक्ष को छोड़ दिया जाये, लेकिन सभी सदस्य इस पर अपनी चिन्ता प्रकट करते रहे हैं। यह जो संशोधन हुआ है पंचायती राज का चुनाव कराने के लिये, उसके संबंध में यह व्यवस्था थी कि पहले ग्राम पंचायतों का गठन किया जाये किन्तु यह भी तय हुआ था कि शासन की ओर से निर्देश जारी किया जाए कि उसमें माननीय सदस्यों की भी राय ली जाए। तद्नुसार यह राय कहीं ली गयी और कहीं नहीं ली गई। लेकिन अब इस सूची का जब राजपत्र में प्रकाशन हुआ है तो उसको देखकर मैं कहना चाहता हूं कि हम सब हैरत में रह गये कि उसमें परिवर्तन कर दिया गया। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, यह कैसे परिवर्तन कर दिया गया, उसे कैसे बदल दिया? मैंने उस गजट को देखा है, जो आधार रखा है जनसंख्या का और दूरी का, उस किसी आधार को न मानते हुए बिल्कुल मनमाने ढंग से उसे किया गया है। इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी चिन्ता प्रकट की है, किन्तु मालूम होता है कि सत्ता पक्ष का कोई गुट रहा होगा, जिसने यह सब कराया होगा।

समझ में नहीं आता है कि कोई सत्ता दल इतना नीचे जा सकता है। किन्तु अभी जिला स्तर पर जिलों में पी० ए० सी० व सुरक्षा बलों की जो भर्तियां हुई हैं, उसमें सत्ता दल की ओर से जो सूचियां भेजी गयी हैं, नियुक्तियों के संबंध में, उसे देखकर और जानकर यह विश्वास करना पड़ता है कि सरकार ने अपने गुट को ध्यान में रखकर, विधायकों के हित और उनकी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान न रखते हुए मानमाने ढंग से पंचायतों पर कब्जा करने की दृष्टि से, उन पर अपना अधिकार कायम रखने की नीयत से उनका अपने ढंग से परिसीमन करा लिया होगा। हमने इस प्रकार के बहुत से मामले इकट्ठा किये हैं, इसमें नियम और आधार सबको ध्वस्त कर दिया गया है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है और शहरी क्षेत्रों की भी है। उसने आरक्षित कक्षों का भी निर्माण करा लिया है। इसलिये श्रीमन्, आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम सदस्यों की भावनाओं का भी सरकार सम्मान करे और निर्धारित मानक के आधार पर इन क्षेत्रों का निर्धारण हो। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह जो अभी पिछले सत्र में पंचायती राज विधेयक पारित किया गया, उसी के तहत यह परिसीमन हो रहा है और गुप्त जी तो विद्वान माननीय सदस्यों में से हैं, वह यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 महीने में इनके चुनाव हो जाने चाहिए अधिनियम बनने के बाद। और उस अधिनियम में गुप्त जी देखेंगे तो बहुत कम गुंजाइश अधिकारियों के लिये रखी गयी है इधर-उधर करने की। मिली-

जुली गांव सभाएं हैं, कोई राजस्व विभाग तोड़ा नहीं जायेगा और भौगोलिक स्थितिवश उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर भी कहीं एक-दो गल्तियां हो सकती हैं। यदि होंगी तो उनको स्थानीय स्तर पर सुधारा जा सकता है। फिर भी पूरी कार्यवाही रोकने की गुप्त जी की बात मान ली जाए तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे उनकी मंशा यह है कि 6 माह में चुनाव हो ही न सकें और खासकर उसमें जो 21 और 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है, उसको वह नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिये यह जो उनकी आपत्ति है वह केवल मात्र चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिये है, इसको आप निरस्त कीजिये, इसमें कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने जो कहा है कि अगर कहीं कोई चूक हो गयी होगी तो उसमें सुधार किया जायेगा। आरक्षण वाली बात राजनैतिक तरीके से कह दी। हम और हमारा दल आरक्षण की पक्षधर है। हमारा यह कहना नहीं है कि नियमों और संशोधनों को ताक पर रख कर कार्य किया जाय। मैं वर्मा जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि अगर कहीं कोई गल्ती हुई होगी तो उसको यह ठीक करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यही हम चाहते हैं। आप अपने सदस्यों से पूछ लें, उधर के और इधर के अगर कहीं पर कोई विसंगति का उदाहरण आता है तो उसको ठीक कराने का प्रयास करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमने कहा कि परिसीमन का कार्य हो गया है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता होगा तो अवश्य सुधार होगा अगर नियम विरुद्ध कार्य होता है तो उसके लिये कोर्ट से स्टे ले लें। चुनाव में बाधा मत डालिये। आरक्षण के तहत यह पहला चुनाव हो रहा है, इसे समय पर हो जाने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण आ जाय। ग्राम सभा का जो परिसीमन हो चुका है, जो गजट में आ चुका है उसमें चुनाव से पहले परिवर्तन हो सकता है कि नहीं ? इस बात का स्पष्ट उत्तर आ जाना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, प्रस्ताव जिले से कुछ आया है गजट में कुछ छपा है तो उसमें संशोधन क्यो नहीं हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी ने नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य का जो प्रश्न रखा था उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार रखे और आश्वासन भी दिया। मैं औचित्य के इस प्रश्न को निरस्त कर रहा हूं और आगे की मद ले रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि गजट होने के बाद भी संशोधन हो सकता है। मेरा यह अनुरोध है कि जो आपत्तियां आयी हैं वह किसी की भी हो सकती हैं किसी भी पक्ष के सदस्य की हो सकती हैं उनका निराकरण होना चाहिए। मैं समझता हूं यह हमारी ही पीड़ा नहीं है यह अपने पक्ष के सदस्यों से भी बात कर लें हो सकता है परिसीमन में भौगोलिक दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसमें संशोधन आपने बताया कि हो सकता है तो क्यों न आप माननीय सदस्यों से आपत्तियां आमंत्रित कराके उनका सुधार कराने का वायदा करते। जहां तक चुनाव की बात है, हम जरूर चाहते हैं कि आरक्षण के आधार पर जैसी सरकार की नीति है, उसी के अनुसार चुनाव हो।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त–

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त–

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त–

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड अकोला की न्याय पंचायत जेंगारा में विद्युत विहीन दस गांव सभाओं का विद्युतीकरण कराने विषयक याचिका †

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा के अन्तर्गत ब्लाक अकोला की न्याय पंचायत जेंगारा में विद्युत विहीन दस ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री पहुप सिंह, प्रधान तथा श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में खराब हुए राजकीय नलकूपों को पी० वी० सी० पाइपों द्वारा पुनः निर्मित कराये जाने विषयक याचिका †

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में खराब हुए राजकीय नरलकूपों को पी० वी० सी० पाइपों द्वारा पुनः निर्मित कराये जाने विषयक श्री नवाब सिंह प्रधान तथा श्री डूंगर सिंह प्रधान निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(श्री राम कुमार शुक्ल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर राजकीय इंटर कालेज स्थापित किये जाने विषयक याचिका †

* श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर राजकीय इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री कृष्ण मिश्र, निवासी जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर प्रताप विहार व विजय नगर आदि कालोनियों को मुख्य नगर से जोड़ने के लिये दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन के नीचे गौशाला फाटक पर अन्डर ब्रिज बनाये जाने विषयक याचिका †

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत गाजेयाबाद नगर प्रताप विहार व विजय नगर आदि कालोनियों को मुख्य नगर से जोड़ने के लिये दिल्ली–कानपुर रेलवे लाइन के नीचे गौशाला फाटक पर अधोगामी मार्ग (अन्डर ब्रिज) बनाये जाने विषयक श्री तेलूराम कम्बोज निवासी जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत राज्य औद्योगिक क्षेत्र व साइट साहिबाबाद में पानी के निकासी हेतु नालों एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक याचिका †

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र व साइट-4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण तथा सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश चन्द्र गर्ग, निवासी जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी और मऊ के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक याचिका †

* श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी के ग्राम चिल्लीमल, विलास, चांदी, रायपुर, कनकोटा बेराउस चितरा–गोकुलपुर आदि ग्रामों एवं मऊ तहसील के ग्राम देवहटा का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, निवासी जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी के चित्रकूट धाम कर्वी को नया जिला बनाये जाने विषयक याचिका †

श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील कर्वी के चित्रकूट धाम कर्वी को प्रदेश का नया जिला बनाये जाने विषयक श्री बालेन्द्र करवरिया तथा श्री हेमराज सिंह निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत बेहटा के पास पयस्वनी नदी तथा साईंपुर के पास बार्गे नदी और राजापुर भरवारी मार्ग के जमुना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक याचिका

श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत पहाड़ी बिसन्डा मार्ग एवं राजापुर भरवारी मार्ग के बेहटा के पास पयस्वनी नदी तथा साईंपुर के पास बार्गे नदी और राजापुर भरवारी मार्ग के यमुना नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री कृष्ण बहादुर सिंह, निवासी जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 एवं 24 अगस्त, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 24 अगस्त, 1994 से 26 अगस्त, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रमों को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

अगस्त, 1994

24 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । –आधा दिन ।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार उनका पारण : –आधा दिन ।

(1) उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 । –आधा घण्टा ।

(2) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 –आधा घंटा ।

(3) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 –आधा घण्टा ।

3–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(4) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–। –आधा घंटा ।

(5) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ । –आधा घंटा ।

(6) उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–। –आधा घटा ।

4–मा० मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिये अलग राज्य की स्थापना की जाए । अतः यह सदन केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करता है कि "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत संसद द्वारा विधि द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और

देहरादून के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखंड" नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाय ।"

25 गुरुवार विधायी कार्य ।

26 शुक्रवार 1–विधायी कार्य ।

2–(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन प्रदेश में निरन्तर अनियमित विद्युत आपूर्ति से विद्युत उपभोक्ताओं के सम्मुख उत्पन्न संकट पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है ।"

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बदन सिंह व श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"प्रदेश में फैले हैजा और आंत्रशोध की बीमारी पर यह सदन चिन्ता व्यक्त करता है और यह निर्देश देता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और उपयोगी बनाया जाय ।"

(3) प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं, मुख्य रूप से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भारी संख्या में छात्र/छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उससे यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में जो प्रस्ताव रखा गया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के वर्तमान जिलों को सम्मिलित करते हुए 'उत्तराखंड' नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का संकल्प

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के

लिये अलग राज्य की स्थापना की जाए । अतः यह सदन केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करता हूं कि "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत संसद द्वारा विधि द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखंड" नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाय ।"

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो, इतने महत्वपूर्ण संकल्प की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित हो जानी चाहिए थीं । इसकी प्रतियां सदन में वितरित नहीं की ।

कुछ सदस्य–

वितरित हो गयी हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

सत्ता पक्ष के लोगों को वितरित की गयी हैं, हमारे माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गयी हैं ।

श्री ऊदल–

प्रतियां बंटी हुई हैं, नेता विरोधी दल को नहीं मिली हैं

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कल इन्हें उत्तरांचल से पाकिस्तान नजर आ रहा था आज प्रतियां नजर नहीं आ रही हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

हमने उत्तरांचल राज्य बनाये जाने के लिये इसका प्रस्ताव भेज दिया था, आज भी सरकार ने उसका नाम बदल करके उत्तराखण्ड के नाम से पृथक राज्य बनाये जाने का प्रस्ताव किया है । नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले भी कहा था । हम चाहते हैं कि अलग से उत्तराखण्ड राज्य बने । इस बिल का हम पूरी ताकत के साथ समर्थन करते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार से हम सभी दल मिलकर के इस बात का दबाव डालें कि अलग उत्तरांचल राज्य को स्वीकृति प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिये एक अलग राज्य की स्थापना की जाए । अतः यह सदन केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करता हूं कि "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत संसद द्वारा विधि द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखंड" नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह–

सर्वसम्मति से माना जाना चाहिए ।

[4 बजकर 20 मिनट]

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड का विरोध करता हूं । उत्तराखंड की समस्या इस प्रकार से नहीं हल हो सकती है । वहां पर राजधानी बनानी पड़ेगी और सारी व्यवस्थायें करनी पड़ेंगी, इनमें बहुत सा समय लग जायेगा । मेरा कहना है कि जिस प्रकार से गोरखा लैंड को बंगाल से अलग किया गया था, उसी प्रकार से इसको भी किया जाये । इसको स्वायत्तता दे दी जाये और सारी सुविधायें दे दी जायें तो वहां की समस्या हल हो जायेगी । उनको विशेष अधिकार दे दिये जायें, स्वायत्तता दे दी जाये, उनको पूर्ण अधिकार दे दिये जायें, क्योंकि उत्तराखंड के नाम से वर्षों लग जायेंगे । तो मेरा कहना है कि उनके लिये अलग से व्यवस्था की जाये और एक कमेटी आज ही बना दी जाये और उसको अलग से बजट दिया जाये और जो कमेटी बनायी जाये वह आज से ही अपना काम शुरू कर दे । इसलिये मैं उत्तराखण्ड बनाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री मुख्तार अनीस–

श्रीमन्, जब आपने इस प्रस्ताव पर वोट करा लिया और प्रस्ताव पास हो गया तो यह अब कैसे उस पर चर्चा शुरू हो गयी ? प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास हुआ है और अब उसी विषय पर चर्चा हो रही है, यह नहीं होना चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरी बात को शायद सुन नहीं पाये । पूरे सदन की भावना इस के साथ है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की जो.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह पास हो गया है, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित समेकित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

आज दिनांक 24-8-94 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर और अपने विवेक से जो सूचनाएं चयनित की हैं । उनमें से प्रारम्भ से पांच सूचनाओं को सुन रहा हूं, ग्राह्यता हेतु सुन रहा हूं । पहली सूचना पर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं और वह हैं, प्रदेश की सहकारी एवं चीनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मिलों के निजीकरण में कथित रूप से बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को मैंने अपने विवेक से चुना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप किसी को सुनें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपके कार्यालय में जो सूचना पहुंची, वह किसकी सूचना सबसे पहले पहुंची।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी संघ की 28 चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में सौंपने का मंत्रि परिषद् ने निर्णय ले लिया है। मान्यवर, इस सवाल पर पूरे सदन की और पूरे प्रदेश की जनता की आंखें लगी हैं। इन चीनी मिलों में तमाम कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, तमाम किसान इन चीनी मिलों के अंशधारी हैं, उन सबसे चिन्ता है और भय है। मान्यवर, इसी सदन में 1972 में इन तमाम चीनी मिलों को जिन्हें आज निजी क्षेत्र में सरकार द्वारा बेचने का निर्णय लिया गया है और पांच चीनी मिलों को बेंच भी दिया गया है, इनके बारे में सदस्य तमाम प्रकार के प्रश्न उठाते रहे हैं। तमाम सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की मिलों में जो किसानों के गन्ने का बकाया था, उसके भुगतान के बारे प्रश्न उठाते रहे हैं, इन मिलों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, उसके बारे में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं, इन चीनी मिलों के उत्पादन में गिरावट के संबंध में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं और किसानों के शोषण के बारे में प्रश्न किये जाते रहे हैं और जब सरकार पर दबाव पड़ा, तो सरकार ने इन चीनी मिलों को अधिगृहीत कर लिया था, क्योंकि सरकार का काम कल्याणकारी होता है। लेकिन मान्यवर, जिन चीनी मिलों को चीनी फेडरेशन द्वारा चलाया जा रहा है, आज क्या कारण है कि पूरे कारपोरेशन को तोड़कर फिर निजी लोगों को दिया जा रहा है ?

मान्यवर, मैं बस्ती जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर चार चीनी मिलें हैं। एक तो बस्ती, दूसरी मुडेरवा और तीसरी वाल्टरगंज और चौथी खलीलाबाद। इनमे से तीन निजी हैं और एक कारपोरेशन की है। मान्यवर, आज भी बस्ती जनपद के अन्दर चार चीनी मिलें हैं जिसकी सरकार लगातार यह दुहाई दे रही है कि यह चीनी मिलें निरन्तर घाटे में चल रही हैं इन घाटों का बोझ सरकार बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं है, किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान हमे अपने खजाने से करना पड़ता है। उनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये हम इन चीनी मिलों को निजी हाथों में देंगे तभी किसानों के हितों की रक्षा भी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह निजी चीनी मिल मालिक प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा कर सकते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद की 4 मिलों में जिसमें से एक कार्पोरेशन की है उसको छोड़कर 3 चीनी मिलें हैं जहां पर 80 लाख रुपया किसानों का बकाया है वाल्टरगंज में एक करोड़ रुपया बकाया है दो चीनी मिलों में दो करोड़ रुपया बाकी है।

यह चीनी मिल मालिक अच्छा चलाते तो शापद बस्ती वाल्टरगंज से संबंधित सभी किसानों का भला हो चुका होता खलीलाबाद चीनी मिल को भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में एक साल के लिए बन्द करने की अनुमति दी गयी थी कि एक साल के अन्दर इस मिल को 2500 टीडीसी करके और विस्तारीकृत करके किसानों को सुविधा देंगे उनको भुगतान करेंगे लेकिन खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रि परिषद् में एक साल को जिसको बन्द करने की अनुमति दी गयी थी वो खलीलाबाद की चीनी मिल आज तक चली नहीं आज वहां कस्बे के लोग जो चीनी मिल पर आश्रित हैं। आज पूरे खलीलाबाद में किसानों को या उनके बेटों को फीस उसी गन्ना मिल की पर्चियों से भरी जाती है, उस किसान की लड़कियों के हाथ पीले इसी गन्ने से मिलने वाले मूल्य से होती है और बीमारों की तीमारदारी भी इसे गन्ने के भुगतान पर होती है क्योंकि वहां पर कोई और इसके अलावा खेती नहीं होती है कोई कपास की खेती नहीं होती है पूर्वान्चल में कोई कैश क्राप है तो वह केवल गन्ना है जिससे किसान का भला हो रहा है।

मान्यवर, एक आंकड़े से अगर देखा जाय तो प्रदेश में लगभग 25 लाख कर्मचारी होंगे और 25 लाख लोग वकील, डाक्टर, व्यापारी होंगे तो दोनों को मिलाकर 50 लाख लोग हुए और यदि एक-एक घर में 5-5 लोग हो तो कुल मिलाकर ढाई करोड़ होते हैं जिनकी जीविका तनख्वाह से या व्यापार और डाक्टर वकील के पेशे से चल रही है तो इस 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में ढाई करोड़ लोगों को निकालकर साढ़े ग्यारह करोड़ की आबादी बचती है जो केवल खेती पर आश्रित है। मान्यवर, मैंने एक सवाल लगाया था, सवाल तो मैं बार-बार लगाता हूं, कभी सदन स्थगित हो जाता है और कभी सवाल ग्राह्य नहीं होता है लेकिन आपकी कृपा से सवाल तो ग्राह्य हुआ है।

मैं चाहता हूं किसानो के खेतों में जो अन्न उत्पादन होता है उनके द्वारा उत्पादित अन्न में और फैक्टिरयों में उत्पादित वस्तुओं में सामंजस्य स्थापित हो, यह न होने से उत्तर प्रदेश के किसानों की क्रय शक्ति नहीं रह गयी है। जिस तरह से फैक्ट्रियों में उत्पादित वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं आज चाहे कपड़ा हो, दवाई हो, कृषि यंत्र हों इन सबको खरीदने के लिये किसानों को लोन लेना पड़ रहा है चाहे वह सहकारिता से लें, बैंक से लें या कहीं से लें आज किसानों की स्थिति यह हो गयी है कि एक तरफ खर्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ उनको लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पा रहा है जो प्रदेश में सबसे बड़ी आमदनी थी उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैंने प्रश्न लगाया था कि आज उत्तर प्रदेश के किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है उस पर मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि पिछले वर्षों में जितना भुगतान हुआ उतना कभी नहीं हुआ लेकिन आज भी किसानों का 50 करोड़ रुपया बकाया है और जो भुगतान हुआ वह भी कब हुआ जब केन्द्र सरकार ने फैसला लिया कि चीनी के दाम बढ़ायेंगे और शीरे को कन्ट्रोल मुक्त करेंगे।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

हर मिल का जिस तरह से करोड़ों-करोड़ का लेन-देन है, उसके रहते हुए इन मिल मालिकों को किसानों की पाई-पाई का भुगतान कर देना चाहिये इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। आज भी कारपोरेशन की चीनी मिलों का 27 करोड़ रु० बाकी है। इस संबंध में जानकारी मुख्य मंत्री जी देंगे शायद फैसला ले लिया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले सत्र की अवधि में कहा था कि सत्र की समाप्ति पर पाई-पाई

का भुगतान कराने के लिये कार्यवाही करा देंगे। इस वर्तमान सत्र के प्रारम्भ में भी मैंने निवेदन किया था मुख्य मंत्री जी ने भुगतान के संबंध में कुछ आदेश किये हैं, उसके बारे में वे बतायेंगे।

मान्यवर, 70 के दशक में राष्ट्रीयकरण की बात आयी थी चाहे मामला चीनी मिलों का हो या दूसरी मिलों का हो। जो मिल घाटे में थी नुकसान हो रहा था उनमें 70 के दशक में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। आज 1994 में सब चीजों का निजीकरण कर रहे हैं बिना किसी गुण दोष के आधार पर इस निजीकरण के क्या परिणाम होंगे ? एक साथ 28 चीनी मिलों को बेचने जा रहे हैं उ० प्र० शुगर कारपोरेशन और शुगर फेडरेशन के इसमें हजारों हजार अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी जो अधिनियम हैं 1965 उसकी धारा 70(1) में है जब तक 3/4 अंशधारक बहुमत से प्रस्ताव नहीं करते हैं तब तक मिलों का परिसमापन नहीं होगा। जब परिसमापन नहीं होगा तब तक सरकार उसे बेच नहीं सकती है। 22 जुलाई को बिना किसी निबन्धक के बिना किसी परिसमापक के 6 मिलों का विज्ञापन निकाल दिया गया। यह जो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। रसड़ा (बलिया) औराई (वाराणसी) सुल्तानपुर सठियांव (आजमगढ़) साठा, जेवर जिसमें एक जेवर बुलन्दशहर निर्माणाधीन है। यह मिलें सहकारी आन्दोलन के तहत अस्तित्व में आयीं।

जब हम एक सहकारिता आन्दोलन चलाने की बात करते हैं तो सहकारिता के क्षेत्र में सारी चीजों की वकालत करते हैं। इन सहकारी क्षेत्रों में 1963 में तत्कालीन सरकार ने एक शीर्ष संस्था का निर्माण किया उ० प्र० चीनी मिल संघ। संघ में उ० प्र० के 5 लाख किसान अंशधारक बने। 1972 से 1990 तक जो लाइसेंस मिला इन संघ को मिला प्राइवेट को नहीं दिया गया। उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना जो की गयी थी उद्देश्य जो था जो निजी मालिक द्वारा शोषण किया जा रहा है। गन्ना किसानों का, वे तो चीनी बनाकर तिजौरियों में करोड़ों रुपया रख लेते थे लेकिन गन्ना मूल्य नहीं देते थे। सरकार की ओर से रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू होता था लेकिन फिर भी वह चीनी मिल मालिक पैसा नहीं देना चाहते थे किसान की गाढ़ी कमाई नहीं मिल पानी थी।

आज इस उ० प्र० की संघ की 28-28 चीनी मिलों को बेचने की बात हो रही है। निजी मिल मालिक फिर से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगे, वे तो चीनी बनाकर बेच देंगे। प्राइवेट वालों में, चाहे वे हमारे जनपद में हो या दूसरे जनपद में हो किसानों के बकाया का भुगतान नहीं हुआ। रिकवरी सर्टिफिकेट जब जारी होते हैं तो वे कोर्ट से स्टे ले आते हैं। गरीब किसान कहां न्यायालय जा पाता जो वे जाकर उसे वेकेट कराकर भुगतान पा सके। जब हम लोगों का दवाब पड़ा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं कि जो भी बैंक में है उसको फ्रिज कर दिया जाय। वे उसके खिलाफ भी स्टे ले आते हैं इस प्रकार से सरकार और प्रशासन की उनके सामने विचित्र स्थिति हो जाती है। इन 28 चीनी मिलों को बेचने के पहले यह देखने की आवश्यकता है कि इनके पास जमीन कितनी है। मेरे बस्ती जनपद में जो मुंडेरवा की बात है उसमें 9 करोड़ की बात है। उस चीनी मिल का 25 सौ टन का लाइसेंस भारत सरकार ने दिया, आज उसकी 9 करोड़ 11 लाख में बिक्री की बात है, उसमें 5 करोड़ तो विस्तारीकरण के काम में खर्च हो चुका है।

वहां पर कन्ट्रक्शन हो गया, वाउन्ड्री वाल बन गयी, गो-डाउन बन गया राज्यपाल के शासन में राज्यपाल जी स्वयं गये थे और उन्होंने कार्य देखा था। तो 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च

कर दिया और उसके बाद उसे 9 करोड़ में बेच दिया जबकि वहां की जमीन की कीमत 9 करोड़ रुपये से कहीं अधिक की है। मेरठ की मद्दियाहूं और बरेली की मेघपुर भी इसी में आ गयीं। यह सब शहर के अन्दर थीं। 35 से 40 करोड़ रुपया एक नयी चीनी मिल को लगाने में लगता है। जब वह उस जमीन को बेचेगा तो उसे 50 से 100 करोड़ तक मिलेगा जो निजी मिल मालिक लेगा वह उस जमीन का प्लाटिंग करके और एक नयी चीनी मिल शहर के बाहर लगा लेगा और इस तरह से उसे लाभ होगा। इस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जो कि इसका मूल्यांकन करे। एस० आर० वांटलीवाय एण्ड कम्पनी थी जिसने मूल्यांकन किया। उसने अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र किया है कि अगर एक से दो करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाये तो इससे इनकी हालत में सुधार हो सकता है। यह जो 28 चीनी मिलें हैं जो घाटे में चल रही हैं उनके कारणों की जांच होनी चाहिये कि इसमें कौन जिम्मेदार है ?

क्या किसान जिम्मेदार है, क्या श्रमिक जिम्मेदार है या उन मिलों में कारपोरेशन में जो पी० सी० एस० अधिकारी बैठ गये हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव तो हो सकता है लेकिन तकनीकी अनुभव उनको नहीं हो सकता है यह किसी तकनीशियन को ही हो सकता है। उनका क्या वे तो यह सोचते हैं कि तीन साल हो गये हैं उन्हें ए० डी० एम० बनकर जाना है तो उसे ओवर स्टाफिंग करनी शुरू कर दी। मान लीजिये बिहार का है तो उसने वहां के लोगों को रखना शुरू कर दिया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पाबन्दी लगा दी थी लेकिन फिर भी वह अपने गांव के लोगों को भरना शुरू कर देता है तो क्या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी ? इस तरह से ओवर स्टाफिंग करके और जो सामान नहीं भी क्रय किया जाना है उसे कमीशन लेकर क्रय करके गोडाउन में रख देते हैं। इन्टरटेन्मेंट गाड़ियों में तमाम खर्चे हुए हैं। सरकार चीनी मिलों का विस्तारीकरण करने जा रही थी वह 2500 टन का लाइसेंस करने जा रही थी। 18 चीनी मिलों का विस्तारीकरण का कार्य शुरू हो गया था तमाम जमीन अधिग्रहीत हो गयी थी। अगर वह सात सौ या आठ सौ टन घाटे में थी तो उसे लाभप्रद बनाने के लिये 2500 टन कर देते तो लाभ में हो जातीं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में संशाधनों की कमी है और उत्तर प्रदेश सरकार पच्चीस सौ टन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार में शक्कर विशेष निधि से इसके विस्तारीकरण के लिये पैसा मिलता है, भारत सरकार के इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस से इसके लिये पैसा मिलता है। निजी मिल मालिक अपने घर से एक पैसा भी नहीं देता है। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम शुरू किया था जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में मण्डलीय विकास निगम की स्थापना की गयी थी सभी मण्डलों पर।

कुछ जगह वे मण्डल निगम अच्छा कार्य भी कर रहे थे। कुछ जगह दाल मिल और राइस मिल का कार्य अच्छा था। इन सभी मण्डलीय विकास निगमों को बन्द करने का निर्णय लिया गया। मेरी जानकारी है कि गोरखपुर मण्डल विकास निगम लाभप्रद स्थिति में था लेकिन उसको भी बन्द कर दिया गया। मैंने इसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी से किया था और बैलेन्स सीट भी बनाकर दिखायी थी। इन मिलों को बेचने का प्रस्ताव उस समय कर दिया था, दुर्भाग्य से आपकी सरकार चली गयी, वरना आपने बेच दिया होता। लेकिन मान्यवर, पिछले दिनों जब राज्यपाल शासन में एडवाजरी कमेटी जो थी, उसकी रिपोर्ट को देखें, तो उसमें सबसे पहली रिकमन्डेशन यही है कि उन मिलों को सरकार चाहे तो उसका विस्तारीकरण करके लाभप्रद बना सकती है। राष्ट्रपति शासन में अगस्त, 1993 में मिलों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के बारे में जो रिपोर्ट आई, उस पर क्या कार्यवाही हुयी है, यह भी

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में बता दें । मेरा कहना यह है कि जो आज 800-1000 टन की मिलें हैं, उनको 2500 टन की बना दें तो उसके बेचने के लिये एक स्थिति बनेगी । तमाम मिलों में आज यह स्थिति है कि इन्होंने स्थगनादेश ले रखे हैं और भी तमाम विवाद हैं, उसके बावजूद भी बेचने का निर्णय ले लिया गया है । जिन परिस्थितियों में मिलों को बेचने का तय किया गया है, वह सही नहीं है ।

जिन दामों पर इनका देना तय हुआ है, यदि वह इतने कम पर दी जायेंगी तो इससे सरकार को नुकसान है । इन सभी मिलों को बेचने के पहले, यह देखा गया होता कि कितनी इनकी सम्पत्तियां हैं, कितनी परिसम्पत्तियां हैं, कितनी मशीनरी पार्ट है, यह सारी चीजें जनता के सामने रखी जायें । आज पूरे प्रदेश में यह निजी मिल मालिक लोग सिंडीकेट बनकर इनको खरीदना चाहते हैं । सरकार अगर चाहे भी कि उसको अधिक दाम मिल जाय तो यह संभव नहीं है । अगर यह केवल 5 मिल बेचते तो ठीक था, लेकिन इन्होंने एक साथ 30 मिलों को बेचने का निर्णय ले लिया, अब यदि आक्शन होता, दूसरी चीजों की तरह आक्शन होता, खुली नीलामी कराते तो पूरे देश में, प्रदेश में लोग जानते कि मिल को बेचने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो लोग लेना चाहते, वह इसका दाम लगाते, जहां हम इसको 3 करोड़, 5 करोड़ में बेच दे रहे हैं, वहीं इसके 20-25 करोड़ मिल सकते, लेकिन यह तभी संभव था, जब हम 5 मिलों को बेचते । हमने एक साथ 25-30 मिलों को बेचने का निर्णय कर लिया, यह प्रदेश के उद्योगपतियों निश्चित तौर से हमसे ज्यादा समझदार हैं, वह कोई किसान नहीं हैं, कोई मजदूर नहीं हैं, कोई असंगठित क्षेत्र के नहीं हैं, वह सब एक दूसरे के हितों की रक्षा करना जानते हैं । अब जैसे 28 मिल बिकने वाली हैं, वह आपस में बैठकर निश्चित कर लेंगे कि यह मिल हम ले लें, यह तुम ले लो, अब अगर सरकार अधिक कीमत चाहेगी भी, तो नहीं बढ़ा पायेगी । क्योंकि होगा यह कि 2-3 टेन्डर जो आये हैं, उसमें से अधिक वाले को दे दिया गया ।

खलीलाबाद चीनी मिल में 3 साल से विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, पैसा भी मिल चुका है, शक्कर विशेष निधि से भी मिल चुका है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से मिल चुका है, आज वह लोग पैकेज तैयार कर रहे हैं और श्रमिकों की छटनी हो रही है, खलीलाबाद चीनी मिल में मालिक उन मजदूरों को निकाल रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि इतना पैसा ले लो और मिल छोड़ दो । हम वहां 3 साल से आन्दोलन चला रहे हैं । सरकार की तरफ से अभी उत्तर आ जायेगा, कि जो भी मिल हम बेचेंगे, उसमें से किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं होने देंगे, किसी को निकाला नहीं जायेगा, सरकार इसके लिये वचनबद्ध है । लेकिन वास्तव में स्थिति इसके विपरीत होगी । जब ये चीनी मिलें निजी हाथों में दे देंगे तो उनमें से श्रमिकों की छंटनी निश्चित तौर से होगी । उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में 400-500 अधिकारी हैं, 5 हजार कर्मचारी हैं, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है ।

आज एक नयी चीनी मिल को लगाने में 35-40 करोड़ का खर्च आता है । जो इन मिलों की सम्पत्तियां हैं, जो उनके पास जमीनें हैं, फार्म हैं, जिन पर खेती हो रही है, यदि इन फार्म में से, जमीन में से थोड़े की बिक्री कर दी जाय तो इन चीनी मिलों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिये सरकार को वहीं से पैसा मिल जायेगा । थोड़ी सी सम्पत्ति को बेचकर, जमीन की बिक्री करके 2500-3500 टी० डी० सी० जितने पर सरकार करना चाहे, कर सकती है तो हम उन जमीनों या उन सम्पत्तियों के रहते हुए, हम इतनी बहुमूल्य सम्पत्तियों को, उन मिलों को निजी हाथों में देंगे तो निश्चित तौर से सरकार को नुकसान होगा और इस नुकसान की जिम्मेदारी जब हमारे ऊपर आयेगी तो पूरे प्रदेश के किसानों का

चिन्तित होना स्वाभाविक है, मजदूरों का चिन्तित होना स्वभाविक है । जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आपने फैसला ले लिया पहले 8 और फिर 14 चीनी मिलों को बेचने का, इसके बाद संघ की मिलों को बेचने का लेकिन क्या कोई प्रस्ताव इन चीनी मिलों को बेचने के बारे में स्टेट शुगर कारपोरेशन और शुगर फेडरेशन ने दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का उत्तर जरूर दे देंगे ।

चीनी मिलों को बेचने के संबंध में निगम और फेडरेशन से कोई प्रस्ताव नहीं आया । शासन ने स्वयं निर्णय ले लिया बिना स्टेट शुगर कारपोरेशन और शुगर फेडरेशन को विश्वास में लिये हुए । इस पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम कारपोरेशन्स, मिलें या स्पिनिंग मिल्स हैं, जिसमें प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया लगा हुआ है । अगर हम एक व्यापारी की तरह से बैलेन्स शीट तैयार कर, लाभ-हानि देखकर इन मिलों को बेचने की कोशिश करेंगे तो हमारे और व्यापारी में क्या फर्क रहेगा । सरकार तो प्रदेश की जनता के हित में, किसानों के हित में काम करती है । सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की गारण्टी देती है, या दवायें देती है, उन पर पैसा खर्च करती है तो यह एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है । ऐसा नहीं है कि वह प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य की सुविधा देती है तो उससे टैक्स वसूल करें । इस प्रकार सरकार प्रदेश की जनता के कल्याण के लिये कुछ नांन प्रोडक्टिव आइटम में पैसा खर्च करती है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है । लेकिन आज गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, महाराष्ट्र की सहकारी आन्दोलन सबसे आगे है । मैं कहता हूं कि मान्यवर, एक कमेटी बना दी जाय और वह देखें कि महाराष्ट्र में चीनी मिलें कैसे लाभ में हैं ? वहां पर गन्ने की खुईया से जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग लाते हैं । महाराष्ट्र में शामली, सतारा आदि मिलें हैं जो काफी लाभप्रद स्थिति में हैं और कई-कई फैक्टरियां चल रही हैं । उनके अपने मेडिकल कालेज, इन्जीनियरंग कालेज और स्कूल्स चल रहे हैं । उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है । वह अपने किसानों को पूरे देश में और विदेशों में भेजते हैं कि वह जायें और जाकर अध्ययन करें कि किस तरह से हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं । मान्यवर, जिन्होंने हमारे सामने गन्ना पैदा करना शुरू किया आज वह हमसे आगे हैं । हम पूरे प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल में गन्ना बोते थे और पूरे प्रदेश के किसान खुशहाल रहते लेकिन आज स्थिति यह है कि गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है उसके लिये हम धरना प्रदर्शन करते हैं । श्रीमन्, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी या संसदीय कार्यमंत्री जी से हम मिले होंगे हमने उनसे बस्ती के खलीलाबाद, मुण्डेरवा आदि चीनी मिलों पर बकाया करोड़ों-करोड़ रुपये का भुगतान कराने का अनुरोध किया है ।

मान्यवर, यह प्रदेश के लाखों किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक गम्भीर प्रश्न है । ऐसा न हो कि आप एक सिंडीकेट बनाकर इन मिलों को लें और फिर आश्वासन हो और हम फिर विधेयक लेकर आयेंगे कि चीनी मिलों का अधिग्रहण जिसे हमने एक विधेयक से अर्जित किया था । हमने मिलों के निजीकरण के लिये पहले अध्यादेश के माध्यम से फिर विधेयक के माध्यम निजीकरण किये जाने की रक्षा के लिये कार्य किया था । आज नहीं तो दस-पांच साल बाद हम इस सदन में रहें या न रहें । इस सदन में आने वाले लोगों को, सरकार को इसका पता होना चाहिये । इन चीनी मिलों की हमें रक्षा करनी होगी । धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता जी, निजीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में सहकारी और सरकारी क्षेत्र की 28 मिलों को औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है, निजीकरण तो हो सकता है, लेकिन किसी फैक्ट्री का निजीकरण होगा यह पता नहीं होगा, कि किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जानना आवश्यक है । प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये, हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिये कि किस प्रक्रिया से जिसे बेचा गया है और किस तरह डील हो रहा है, यह तरीका बहुत ही भ्रष्ट है । भ्रष्ट शब्द मैंने जानबूझकर कहा है, क्यों कहा है इसका मैं आगे जिक्र करूंगा । उत्तर प्रदेश की जनता के मन में यह आम धारणा घर कर गयी है । यह निजीकरण नहीं है बल्कि बेफोर्सीकरण है इन 28 मिलों का । पचास करोड़ रुपये का घोटाला इन चीनी मिलों में है । मुझे जहां तक जानकारी है कि उद्योग विभाग, वित्त विभाग और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी । उनकी असहमति के बाद भी मिलों को बेचने का फैसला कर लिया गया । कमेटी ने मिलों को बचाने का प्रयास किया था । माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने कहा है वह सही है । गन्ना उत्पादक, मजदूर, सरकार और अंशदाता यह किसी के हित में नहीं है । अगर आप देखें तो क्या जरूरी ही है, अभी प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री सुब्रमण्यम जी को जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम पर हटा दिये गये थे । उन्होंने 31-12-93 को रिपोर्ट में सुझाव दिये थे ।

फैक्ट्रियों का मूल्यांकन तो रियलिस्टिक वैल्यू पर किया जाना चाहिये । जबकि इन्होंने इनका मूल्यांकन उसी कम्पनी से कराया है, जब पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उस समय की सरकार के जमाने में जिस कम्पनी ने प्रतापगढ़ में आटो टैक्टर्स लिमिटेड को मूल्यांकन किया था, मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इस बात को लिया था कि इस कम्पनी ने निजी तरीके से बम्बई में बैठकर मूल्यांकन किया और मौके पर नहीं आये गये । यह सब पत्रावली में लिखा गया है । यह भी कहा गया कि यहां अशान्ति है और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पायेगी । उन्होंने बम्बई में बैठकर ही मूल्यांकन कर दिया और अब भी उसी कम्पनी ने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन बिना वैल्यू के हुआ है । मुख्य सचिव द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार रियलिस्टिक वैल्यू, बाजार भाव पर मूल्यांकन नहीं हुआ, न ही इनकम टैक्स के बारे में देखा गया, भूमि का मूल्यांकन भी ठीक से नहीं हुआ है । मेरठ की, बरेली और बैतालपुर की जो जमीन थी, वह बहुत ज्यादा है ।

मान्यवर, अगर सही मूल्यांकन किया गया होता तो धनराशि भी बहुत ज्यादा मिलती । श्री अरविन्द वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी ने सुझाव दिये थे कि भूमि को खरीदने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिये ? श्री अरविन्द वर्मा की रिपोर्ट में दिया है कि बिक्री के बाद खरीदी गयी चीनी मिल को चलाने की बाध्यता की जानी चाहिये । पूंजीपति मिल तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको दूसरी जगह ले जाते हैं । मान्यवर, एक समस्या यह है कि फिर गन्ना उत्पादकों का क्या होगा ? दो लाख गन्ना उत्पादक बेकार हो जायेगा और 28 चीनी मिलों को गन्ना कहां लेकर देंगे । तीस हजार मजदूर काम करते हैं, उन लोगों का क्या होगा ? शर्त यह होनी चाहिये कि इन चीनी मिलों से एक भी मजदूर की छंटनी नहीं होनी चाहिये और मजदूरों को काम दिया जाना चाहिये । मान्यवर, निविदाओं का निस्तारण एक मंच पर बैठकर करने के बजाय अलग-अलग किया जा रहा है । मैंने पहले भी कहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये । एक साथ मंच पर बैठाकर इस काम को करने परन्तु अलग-अलग बैठकर नेगोसिएन्स किये जा रहे हैं । देनदारियों की जिम्मेदारी सरकार क्यों ले रही है ? रिपोर्ट में कहा गया है कि देनदारियों की जिम्मेदारी

उन्हीं की होनी चाहिये, जो फैक्ट्री खरीदेंगे । अगर देनदारी पहले ली होती तो शायद उनमें से बहुत सी फैक्ट्रियों को बेचने की नौबत ही नहीं आती । कुछ फैक्ट्रियों में अगर 1-1 करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायं तो वह ठीक हो जायेंगी परन्तु इस बात को अनदेखा कर लाइबेलिटीज अपने ऊपर आप ले रहे हैं । जिन 5 चीनी मिलों को 33 करोड़ में बेचने की बात की जा रही है तो वहीं पर सरकार 80 करोड़ रुपये की देनदारी अपने ऊपर ले रही है, जबकि प्रत्येक फैक्ट्री के पास साढ़े चार करोड़ से 7 करोड़ तक की या इससे ज्यादा जमीन उनके पास है । इसलिये सरकार के ऊपर संदेह की सुई घूम रही है । यह कहा जा रहा है कि चीनी मिलें घाटे में थी । जेवर चीनी मिल तो अभी बनकर तैयार ही नहीं हुई है । अभी वह चली ही नहीं तो घाटे का प्रश्न कहां से आता है । सठियांऊं चीनी मिल तो प्रोफिट में आ गयी है तो फिर उसे बेचने का क्या कारण है । यह तो मैं बरेली, बेतालपुर, घुघली व मडुरवा की बात कर रहा था ।

अब जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनमें यह साफ व्यवस्था है कि जब तक अंशधारक कोई प्रस्ताव नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बेच सकते हैं परन्तु आपने बेच दिया । अखबार में जब यह बात छपी तो आपने अंशधारकों से चीनी मिल को बेचने के लिये एक विज्ञप्ति जारी कर दी कि वह अपनी आपत्ति दें । अभी आपत्ति की तिथि समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपने उसे पहले ही बेचने का फैसला कर दिया । जहां तक मेरी जानकारी है रसड़ा चीनी मिल को इसी कारण स्टे मिल गया, क्योंकि अंशधारकों के प्रस्ताव के पहले ही आपने उसे बेचने का प्रस्ताव कर दिया । इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये ताकि आप पर कोई अंगुली न उठा पाये । माननीय मुख्य मंत्री जी अब भी समय है कि आप एक श्वेत-पत्र जारी करें और प्रदेश की जनता को बतायें कि इन-इन कारणों से हम इन चीनी मिलों को बेच रहे हैं । हमने अपने समय में भी कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का फैसला लिया । विशेषज्ञ समितियां बनाईं, मंत्रिमंडल की समिति बनाई । एक-एक चीज के बारे में एक्सपर्ट ओपीनियन लेकर, एक-एक पुर्जे का वैल्युएशन किया । किसी भी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया परन्तु यहां पर तो आज एक्सपर्ट ओपीनियन को अनदेखा करके बुक वैल्यू से भी कम दाम पर बेचा जा रहा है । मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, यह एक प्रकार से बोफोर्सीकरण है । प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये इसलिये आप एक श्वेत पत्र जारी करें उसमें आप यह बतायें कि किस-किस मिल को आप कितने दामों पर बेच रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, उसके लिये कितनी निविदायें आईं और एक-एक पुर्जे की लागत क्या है भूमि की लागत क्या है आदि ?

मैं अपनी बात पर पुनः बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जिन चीनी मिलों को आप बेचने जा रहे हैं, इस पर आप पुनर्विचार करें और तथ्यपरक मूल्यांकन तथा सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन करें और देनदारी को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, रिपोर्ट में कहा गया था कि जब तक पूरा पैसा हमारे पास न आ जाय तब तक कब्जा नहीं दिया जायेगा लेकिन अब कब्जा देने की बात की जा रही है यह हमारी सरकार ने निर्णय बदल दिया है अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले पैसा लिया जाना था लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पैसा किश्तों में लिया जायेगा । एक साथ पैसा लेने के निर्णय के बाद किश्तों में पैसा लेने की घोषणा से यह शंका का विषय जनता के सामने खड़ा है । इन मिलों को बेचने से किसी व्यक्ति को भले ही लाभ हो लेकिन इनको बेचने से न तो गन्ना उत्पादकों का लाभ होने वाला है और न ही मजदूरों का लाभ होने वाला है । यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी मिलों को

वहां से हटा कर कहीं और नहीं ले जाया जायेगा और गन्ना उत्पादकों का कोई अहित नहीं होगा और वहां काम करने वाले कोई भी मजदूर को बेरोजगार नहीं किया जायेगा यह बात स्पष्ट होनी चाहिये वर्ना एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिये तभी जनता को शान्ति मिलेगी ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी इस महत्वपूर्ण चीनी मिलों के मुद्दे पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह चीनी मिलों के निजीकरण का जो मामला है, जो चीनी मिलें स्थापित हैं उनको बेचने का मामला है । इसमें एक साथ 28 चीनी मिलों को निजी पूंजीपतियों के हाथ बेचा जाना है ।

इसमें दो तीन मुद्दे उठाये जा रहे हैं । एक तो यह कि जो इस चीनी मिलों में कर्मचारी काम करते हैं उनका भविष्य क्या होगा, जो हमारे समाज के सबसे मेहनतकश लोग हैं, जो सबसे ज्यादा अभाव में जीते हैं उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा एक मामला यह है । दूसरा जिन लोगों के लिये यह चीनी मिल लगाई गयी हैं, किसानों के लिये तो जो उद्योगपति चीनी मिल खरीद रहे हैं उन मिलों को उसी स्थान पर नया बनाकर चलायेंगे, दूसरी जगह नहीं ले जायेंगे या उस जमीन को बेचकर लाभ कमा कर भाग जायेंगे या उस मशीनरी का उपयोग किसी काम में नहीं करेंगे तो एक मुद्दा यह भी है ।

एक और मुद्दा है उनकी बिक्री के संबंध में देश और प्रदेश में अफवाहें उड़ रही हैं कि इन चीनी मिलों को बेचने में बोफोर्स की तरह का घोटाला हो रहा है । इनको बेचने या निजीकरण के संबंध में सरकार की मंशा साफ आनी चाहिये जबाब जब आये यह साफ होना चाहिये । नाम भी आपकी पार्टी का समाजवादी है, हम यह मानकर चल रहे हैं कि समाजवाद का जो रास्ता है उसको सरकार ध्यान में रखती होगी । अब निजी हाथों में चीनी मिलों को बेचने से सरकारी क्षेत्र में कोई चीनी मिल लगने वाली नहीं है । केन्द्र सरकार ने भी अब व्यक्तिगत क्षेत्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिये हैं । प्रदेश की स्थिति यह है कि झेवर में जो चीनी मिल लगने वाली है जब पहले आप मुख्य मंत्री थे तब चीनी मिल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, करोड़ों रुपया उसे दिया गया और जब कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हुये तो दो तीन साल तक एक पैसा भी नहीं दिया गया और उसका काम रुका रहा । आज वह मिल बेची जा रही है । उसको बेचने का आधार क्या है, मिल तैयार भी नहीं हुई । वह सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है उसको बेचने का कोई औचित्य नहीं है । सहकारी क्षेत्र की हमारे यहां बुलन्दशहर में अनूपशहर की चीनी मिल अच्छी चल रही है, वह घाटे में नहीं है, मुनाफे में है ।

मान्यवर, इन चीनी मिलों को बेचने से पहले उनकी समीक्षा होनी चाहिये, कि उनके घाटे का कारण क्या है ? बुलन्दशहर की चीनी मिल तो कुछ लाख रुपये किसानों का बकाया होने के कारण राष्ट्रीयकरण के दौर में उसे सरकारी मिल बना दिया गया था और वह मिल आज 17-20 करोड़ रुपये के घाटे में है । लेकिन उसको नया बनाने के लिये पैसा दे दिया गया है और उसी के पास में 3-4 करोड़ रुपये की जमीन खरीद ली गयी है और यह मिल ज्वांइन्ट सेक्टर में दी जा रही है । इसका क्या कारण है ? इसलिये इन चीनी मिलों के बेचने के पहले घाटे का कारण जानना चाहिये था । मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि इन चीनी मिलों को चलाने वाले जो अधिकारी रहे हैं, उनकी जांच करा लें, समीक्षा करा लें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने चीनी मिलों को खाया है और इसीलिये घाटा आया है ।

मान्यवर, बहुत से प्रबन्धक और सामान्य प्रबन्धक ऐसे बने हैं जिन्होंने सहकारी और निगम की चीनी मिलों को घाटे से उबार कर मुनाफे में लाये हैं और वहां के किसान रोते रहे हैं कि उन अच्छे प्रबन्धकों को दूसरी जगह ट्रान्सफर न किया जाय लेकिन उन अच्छे अधिकारियों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इसलिये मेरी मांग है कि उन चीनी मिलों के अधिकारी जो मिल को घाटा पहुंचाने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। और जो अच्छे प्रबन्धक रहे हैं जिन्होंने चीनी मिलों को सुधारा है उनके कारणों को ढूढना चाहिये और उसी आधार पर दूसरी मिलों में कार्य करना चाहिये। चीनी मिलों को निजी हाथों में देने से मुनाफा तो बढ़ेगा लेकिन मजदूरों का शोषण होगा और उनकी जिंदगी दूभर हो जाएगी जैसे मोदी की कपड़ा मिल बन्द है और वहां के मजदूरों की जिन्दगी दूभर है। इसलिये चीनी मिलों को निजी हाथों में देने से उनमें सुधार हो जायगा, यह समस्या का कोई समाधान नहीं है।

मान्यवर, जो चीनी मिलें बिकनी हैं उनके मजदूरों की छंटनी शुरू हो गयी है और उन्हें दूसरी चीनी मिलें नहीं ले रही हैं। इसलिये मेरी मांग है कि जिन जिन चीनी मिलों को बेच रहे हैं उनके कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी या उन्हें कहीं समायोजित किया जायेगा ऐसा आप आश्वासन दें। इसके साथ ही जो चीनी मिलें बेची जा रही हैं वह मिलें वहीं लगेंगी और वह किसानों की भलाई के लिये काम करेंगी, ऐसा आप आश्वासन दें।

मान्यवर, तीसरी बात निजी हाथों में चीनी मिलें जाने से कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन यदि सभी चीजों को निजी हाथों में दे दिया जायगा तो समाजवादी व्यवस्था कहां से आ जायेगी ? मान्यवर, व्यापारी का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है फिर चाहे उसे मिलावट ही क्यों न करना पड़े। इसलिये इसे देखते हुए यह निजी अर्थ-व्यवस्था हो रही है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप समाजवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करना चाहते हैं इसलिये आप केन्द्र सरकार के इशारे पर या विदेशी ताकतों के इशारे पर निजीकरण कर रहे हैं। कम्पनियों को न्यौता देकर प्रदेश में बुलाया गया है। यदि ऐसी बात है तो आप उस दबाव में न आयें। हमारा देश उस व्यवस्था को झेल नहीं सकता है कि सभी चीजों को सरकार प्राइवेट क्षेत्र में दे दे और सरकारी क्षेत्र में कुछ न रहे। सरकार का कार्य जन कल्याणकारी, चैरिटी का कार्य होता है, जिसके अन्तर्गत कुछ कष्ट और घाटा उठाकर भी उसे जनता की भलाई करनी होती है। अपने यहां की प्रचलित मिश्रित अर्थ व्यवस्था पर आप आंच न आने दें, हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है और न यह देश हित में ही है। हमारे यहां पर कैपिटा इन्कम बहुत कम है। यदि आपने इस प्रदेश में पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, उद्योगपतियों को सारे उद्योग सौंप देने का कार्य किया तो हमारे प्रदेश के सामने एक अत्यन्त विषम समस्या खड़ी हो जायेगी। अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी आदि देशों की तरह हमारा प्रदेश मालदार नहीं है, तो हमें मिश्रित अर्थ व्यवस्था को हर हालत में बनाये रखना है और उसे हृष्ट-पुष्ट रखना है।

बहुत बड़ा हल्ला मच रहा है कि इसमें पैसा खाया जा रहा है, जो चीनी मिलें बेची जा रही हैं उसमें करोड़ों रुपया खाया जा रहा है, लिया जा रहा है, हमारा इसमें क्या होगा, हमारा इसमें क्या हिस्सा लगेगा? अपने एक जिम्मेदार नेता को ऐसी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए थी। बिना किसी जानकारी के आधार पर इतनी बड़ी रैली में, बसपा की रैली में यह बात कह देना ठीक नहीं कहा जा सकता है। उनका अपनी सरकार के साथ कोई गुस्सा हो सकता है, उसे और तरीके से निकाला जा

सकता है । लेकिन यह कहना कि सरकारी क्षेत्र की जो मिलें निजी क्षेत्र में मुख्य मंत्री बेच रहे हैं, हमारा इसमें क्या हिस्सा होगा, किसी हालत में ठीक नहीं है । मेरठ में भी यह कहा गया और दूसरी जगहों पर भी कहा गया । ऐसा नहीं होना चाहिए था । विरोध पक्ष के लोग कहते तो वह कहते, लेकिन सत्ता में भागीदार दल के नेता की ओर से ऐसी बातें कहना गलत बात है । मैंने रैली में सुना नहीं है, न मैं रैली में गया न उनके दर्शन किये । लेकित मैंने इस चीज को अखबारों में पढ़ा अवश्य है और उसका कोई खण्डन नहीं आया है । इससे लोग सोचने हैं जो सरकार सत्ता में आई मन मर्जी से बेचने लगेगी महंगी चीजों को सस्ते में और उनके दल के बड़े लोग कहेंगे तो जनता गुमराह होगी । उसको कोई रोक नहीं सकता है । डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के संबंध में भी इसी चीज को लेकर जन विरोध हुआ था, उग्र आन्दोलन हुआ था और उसमें ७ लोग गोली से मारे गये थे । लोगों ने कहा था कि फैक्ट्री सस्ते दाम में बेची गयी है, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया था ।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

क्योंकि नेता जनता दल ने हमारे दल पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि हमारी बसपा रैली में ऐसा कहा गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरासर गलत है । ऐसा कुछ नहीं वहां कहा गया है । हमारा और हमारे दल का इस सरकार पर और उसके मुख्य मंत्री पर पूरा विश्वास और समर्थन है और हम मानते हैं कि मुख्य मंत्री का पूरा अधिकार है सरकार चलाने का । दल के किसी भी नेता की ओर से ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, इसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह–

अखबारों ने झूठ छापा होगा । यह आप कहते हैं तो इसे मैं मान ले रहा हूं । मैंने अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने अखबार में पढ़ा है और उसका कोई खंडन नहीं आया.... (व्यवधान) आपने कह दिया, आपकी बात सही होगी..... (व्यवधान) मैंने तो बड़ी विनम्रता से यह बात कही है । मैंने अपनी ओर से नहीं कहा है, अखबारों में छपने के आधार पर कहा है ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, कह रहे हैं कि अखबार में लिखा है । अखबार मंगा लें और यहां पर दिखा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं बहुत सम्मान करता हूं राम लखन वर्मा जी का और इनके नेताओं का । मेरी कोई मंशा नहीं है कि किसी की छवि धूमिल करने की या आरोप लगाने की । जो अखबार में पढ़ा था, वह बताया है । मान्यवर, मैं तो यह कह रहा था.....

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम पाल)–

मान्यवर, यह निराधार आरोप लगा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है । इस बहस को यहीं पर रोक दें कल के लिये । जब यहां पर अखबार प्रस्तुत कर दें तो उसके बाद इसे जारी करें ।

श्री अधिष्ठाता–

किरन पाल जी अब समाप्त करें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि मुझे साहित्य पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है अखबार के द्वारा ही समाचार मालूम होते हैं। जार्ज फर्नान्डीज आये तो उन्होंने अपनी बात रक्खी और भी नेता अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। कमेटी और टेण्डर किस प्रकार पास किये जा रहे हैं, इसके बारे में भी उन्हें ज्ञान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उसके बारे में सदन में सफाई आ जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें सरकार के लिये अच्छी नहीं हैं और उसकी छवि के लिये भी अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, मैं यही चाहता हूं कि इन बातों की सच्चाई आ जानी चाहिए।

श्री ऊदल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 28 चीनों मिलों के बेचने की वजह से प्रदेश के जनमानस में ऐक भ्रम सा पैदा हो गया है। हमारे यहां की अर्थ व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका विकल्प पूंजीवाद नहीं हो सकता है। यह निजीकरण नहीं है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है, यह निजीकरण नहीं है। आज निजीकरण दुनिया के पैमाने पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण यहीं हो रहा है। निजीकरण रूस में भी हो रहा है और दूसरे देशों में निजीकरण के नाम पर कोई अन्य व्यवस्था पूरी दुनिया में लागू की जा रही है। निजीकरण किये जाने का प्रश्न नहीं है। आज हमारा प्रश्न यह है कि हमारे यहां जो चीनी मिलें हैं उनको बेच देने से उससे संबंधित जो हमारे गन्ना उत्पादक हैं उनका क्या होगा ? क्या चीनी मिल बेचते समय उसमें यह शर्त रखी जा रही है कि चीनी मिलें वहीं पर स्थित रहेंगी ताकि वहां के गन्ना उत्पादक अपना गन्ना वहीं चीनी मिलों को दे सकें ?

मुझे जहां तक जानकारी है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में यह गन्ना उत्पादकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी तरह से मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि वहां चीनी मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों का भविष्य इन मिलों के बिक जाने के बाद क्या होगा? क्या मिल बेचने की शर्तों में उन मजदूरों के बारे में भी यह शर्त है कि यह मजदूर किसी भी सूरत में इन मिलों से नहीं निकाले जायेंगे।

[5 बजकर 20 मिनट]

जो मिल खरीदने वाले लोग हैं, उनको नहीं निकालेंगे। यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यह है कि गन्ना किसानों का जो रुपया बकाया है चाहे किसी के जमाने का हो। चाहे कांग्रेस के जमाने का हो, चाहे माननीय कल्याण सिंह के जमाने का हो चाहे आपके जमाने का हो। उस बकाया पैसे के देनदारी की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी ? गन्ना किसानों को आगे नुकसान होगा, कि नहीं होगा यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यह है कि अगर सरकार ने निश्चिय कर ही लिया है बेचने के लिये तो क्या उन मिलों के साथ जो फार्म हैं, जो जमीनें हैं, जो उनकी इमारतें हैं उनका मूल्यांकन किया गया है कि नहीं ? उनकी कीमत निर्धारित की गयी है कि नहीं। जैसा कि सुनने में आया है कि यह जो चीनी मिलें बेची जा रही हैं उनसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चाहे यह सरकार का नुकसान हो या जनता का किसी का तो नुकसान होगा। पांचवां प्रश्न यह है कि सरकारी मिलें स्थापित होने के पहले जिन किसानों ने शेयर खरीदे हैं।

वाराणसी में किसानों ने लाखों रुपये के शेयर खरीदे हैं उन शेयरों के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पांचवां प्रश्न है। इन प्रश्नों का निराकरण बहुत जरूरी है। मेरी जानकारी गलत हो

सकती है लेकिन सुनने में आ रहा है कि बुढ़वल चीनी मिल जिसकी बुक वैल्यू ।। से 13 करोड़ रुपये है उसको 5 करोड़ रुपये के आस पास बेच दिया गया है । यह सूचना है गलत भी हो सकती है । इसी तरह से अन्य चीनी मिलों के बारे में सूचना है । इसलिये मेरा कहना है कि अगर सरकार इन चीनी मिलों को चलाने के बारे में सक्षम नहीं है और सरकार का कहना है कि इनसे करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । लेकिन इन चीनी मिलों को ऐसी शर्त के साथ कि यह चीनी मिलें वहीं रहेंगी और उनका विस्तार किया जायेगा एक भी मजदूर इन चीनी मिलों से निकाला नहीं जायेगा । उसकी बुक वैल्यू तय होनी चाहिए । सामान की, इमारतों की, मशीनों की जब तक यह तय न हों तब तक किसी चीनी मिल को मिट्टी के मोल नहीं बेचना चाहिए । न ही यह किसी सरकार का अधिकार है । शेयर धारकों को उचित मूल्य दिया जाये । जो किसानों की 40–50 करोड़ की देनदारी है उसको चाहे सरकार अपने ऊपर ले या खरीदने वालों के ऊपर यह जिम्मेदारी फिक्स की जाए । कानपुर की तमाम मिलें जो निजी हाथों में हैं श्रीमन्, उनका कोई विकल्प नहीं है । इसलिये सरकार को अपने मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद तिवारी जी ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अत्यन्त संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिये धन्यवाद । मान्यवर, पहले यह प्रश्न उठा था और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चीनी मिलों को बेचेंगे । यह दुर्भाग्य है मान्यवर, जब हमारे दल की सरकार थी जब हमने सार्वजनिक उद्योग लगाये, सहकारिता क्षेत्र में उद्योग लगाये और हमारा प्रयास रहा कि उनको चलाया जाय । उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की हुकूमत थी । निजी क्षेत्र में जो भी उद्योग थे हमारा पूरा प्रयास रहा कि उन्हें चलाया जाय । इनको चलाने का एक ही उद्देश्य था कि जैसे भी हो उनको चलाया जाय । मैं सार्वजनिक उद्यम विभाग का मंत्री भी रहा हूं मान्यवर, सार्वजनिक उद्यमों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे लोगों को लाभ हो कर्मचारियों को लाभ हो जनता को उनका लाभ मिले । मान्यवर, यह कोई दुकान नहीं है जिसके चलने से हर चीज में लाभ कमाया जाय । इससे यदि नुकसान भी हो रहा है तो सरकार उसे जनता के लाभ के लिये चलाये ।

पिछली बार हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए और मुस्कराकर बोले कि भारत सरकार की योजना है जिसमें एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भारत सरकार के योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने क्या कहा, दूसरी बात क्या कही, क्योंकि वह सार्वजनिक हित में नहीं थी इसलिये नहीं कही । पहली बात चूंकि सरकार के हित में थी इसलिये उसे कही लेकिन दूसरी बात जो सरकार के हित में नहीं थी इसलिये उसे नहीं कहा । आप अपने को अक्षम मान लेते हैं तो आप उन्हें बेच दें । किन्ही कारणों से सरकार यह नहीं चला पा रही है, तो बेच दे । उनको बेचने का निर्णय लिया है जो उनकी अक्षमता का द्योतक होगा। जनता के साथ विश्वासघात होगा । एक बात को स्पष्ट करने के लिये खड़ा हुआ है, अपने दल की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने इस पर करोड़ों रुपया लगा दिया इसकी क्या गारन्टी है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मान्यवर, इस पर वह अपने विचारों पर पुनर्विचार करें जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

चल सकते हैं उनको चलायें, बेचें नहीं। मान्यवर, क्या वैल्यूवेशन निकाली है, जमीन की वैल्यू निकाली है, मशीनों की वैल्यू निकाली है। जो भारत सरकार के वैल्यूवर हैं उनको बुलाकर पुनः वैल्यू करा लें। और उनकी वैल्यू कराकर आप बेचें, यह मेरा पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव यह है कि जैसा पहले आटो ट्रैक्टर के बारे में हो चुका है और सीमेन्ट कारपोरेशन के बारे में हो चुका है, उनके तमाम कर्मचारी और मजदूर आज दर-दर रोजी रोटी के लिये इधर-उधर भटक रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, माननीय कल्याण सिंह की सरकार आयी, उसने आटो ट्रैक्टर को बेंच दिया, लेकिन इनकी सरकार उनके मजदूरों को रोजी रोटी नहीं दे पायी। जो नीति आज बता रहे हैं, उसको इन्होंने पहले क्यों नहीं किया ? इनकी नीति उस समय क्या थी और आज क्या है ? मेरा सुझाव है, अगर सभी दलों के नेता मान लें, इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है कि सदन की एक समिति गठित कर दी जाये और वैल्यूअर से उनकी वैल्यू करा ली जाये और उचित अनुबन्ध करके बेंच दें, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे इस सुझाव पर और नेतागण जो हैं, वह अपने विचार रख दें। मान्यवर, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जहां पर चीनी लगी हैं, उनका क्या होगा।

अगर इन चीनी मिलों के मालिक इन मिलों को वहां से हटा ले जायें और किसी दूसरे स्थान पर ले जायें, तो वहां उस क्षेत्र के किसानों का क्या होगा ? आप इसको स्पष्ट कर दीजियेगा। कर्मचारियों के बारे में आपने क्या क्या सोचा है, उनका भविष्य क्या होगा ? निजी हाथों में जाने के बाद अगर मजदूरों को वह निकाल देते हैं, तो वह कहां जायेंगे, उनका क्या होगा, इस बात पर भी आप विचार कर लें। मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा न हो जैसा कि आटो ट्रैक्टर का हुआ है। वहां के कर्मचारी दर-दर आज मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको रोजी रोटी नहीं मुहैया हो सकी है। कहीं वैसा ही इन चीनी मिलों के मजदूरों और कर्मचारियों का न हो। इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं, इसको भी आप स्पष्ट कर दीजियेगा। एक दूसरी बात यह है कि जो घाटा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आप इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट कर दीजियेगा। मान्यवर, मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर जरूर विचार करें। अगर यथा संभव प्रयास किये जायें और इन चीनी मिलों की हालत सुधर सके तो उनमें सुधार किये जायें। जहां तक सार्वजनिक उद्यम की उपादेयता का प्रश्न है, अगर उनमें उपादेयता है, तो उनको आप जरूर चलायें और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, उनमें उपादेयता नहीं रह गयी है, तो उनको उचित दर पर बेंच दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज इस प्रश्न पर लगभग सभी दल और जिन क्षेत्रों में यह चीनी मिलें स्थित हैं, वहां की जनता विशेष रूप से चिंतित है। मान्यवर, मैं उन मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा, जिन पर मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह चुके हैं। किसानों को कठिनाई होगी, मजदूरों को छटनी होगी, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। मैं मूल सिद्धान्त की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, यह नियम क्यों बनाये जाते हैं। यह इसलिये बनाये जाते हैं जिससे उस क्षेत्र की जनता को, वहां के किसानों को, उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों का पूंजीपति शोषण न कर सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सामान्य जनता के लिये उपयोगी चीजें हैं, चाहे वह सेवा के रूप में हों और चाहे वस्तु के रूप में हों, वह प्रचुर मात्रा में जनता को उपलब्ध हो जायें और लोगों को दिक्कत न हो। मान्यवर, तीसरा बिन्दु यह है

कि जो निजी क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग काम कर रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण बना रहे विशेषकर मूल्य का नियंत्रण बना रहे इसके लिये भी निगमों की स्थापना की जाती है। मान्यवर, इन निगमों की स्थापना केवल एक बिन्दु मुनाफे को लेकर चलाना, मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता नहीं होगी एक बात और स्वीकार कर लें कि जहां-जहां सरकारी निगमों को घाटा होता जायेगा उनको हम बेचते चले जायेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी आज कितनी ऐसी जगहें हैं, शायद अपवादस्वरूप कोई सरकार निगम होगा जो घाटे में नहीं होगा। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम, विद्युत परिषद् है या जितने सरकारी निगम हैं सभी घाटे में चल रहे हैं और आज हम सबको जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे वह सत्तापक्ष में बैठे हुए हमारे मित्र हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्र हों, सबको गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि सरकारी निगमों में घाटा क्यों होता है और प्रश्न यह है कि घाटा भी होता है और हमारी सेवाओं का जो स्तर है वह निजी क्षेत्र के स्तर में कहीं हल्का क्यों पड़ता है ? हम इस प्रश्न पर ईमानदारी से विचार करें तो दो-तीन बिन्दु उभरकर सामने आयेंगे। एक कारण यह है कि हम घाटे की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर नहीं लगा पाते हैं या लगाने से बचते हैं और जनरल मैनेजर या और अधिकारी साल दो साल में चला जाता है।

मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह निगम भ्रष्ट लोगों की चारागाह बन गये हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है और मैं समझता हूं कि सदन का एक-एक सदस्य इसे भलीभांति महसूस करता होगा कि सरकारी निगमों के घाटे का प्रथम कारण है भ्रष्टाचार। दूसरा है कुप्रबन्धन और इन पर हम नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो चाहे हम सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, जनप्रतिनिधि कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें नियंत्रण प्राप्त करने के लिये जनता ने चुनकर भेजा है इसलिये हमारा निवेदन है कि जो निगम घाटे में चल रहे हैं उनकी जांच कराकर यह सुनिश्चित किया जाय कि कौन-कौन अधिकारी थे जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व लगाया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है और उन्हीं के कारण निगम में घाटा हुआ है, और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि चाहे सरकार कोई हो इसके लिये जो सदन में इस समय विधान सभा के सदस्य होंगे उन्हें वास्तव में जनता पूरे हृदय से धन्यवाद देगी, समर्थन देगी अगर यह घाटे के निगम बन्द होते चले गये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक भी सरकारी निगम आने वाले 10 वर्षों में नहीं बचेगा जिसे बाध्य होकर न बन्द करना पड़े और यह देश का दुर्भाग्य होगा।

मैं निजीकरण का पक्षधर हूं लेकिन जनहित के मूल्य पर, किसानों के हित के मूल्य पर और कर्मचारियों के हित के मूल्य पर यह उचित नहीं है। दूसरा बिन्दु मैं चाहता हूं उठाना, दो मिनट का समय और लूंगा। मान्यवर, आज सामान्य रूप से जनचर्चा है कि इन चीनी मिलों की बिक्री में बड़े लम्बे पैमाने पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। बड़ी पुरानी बात है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय हुआ ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सारे मामले को एकदम पारदर्शी बना दे कि यह है, यह कठिनाई है, यह मूल्य है, चीनी मिलों का यह मूल्यांकन हमने कराया है और इस मूल्य पर बेच रहे हैं, सब के हित का संरक्षण कर रहे हैं, कोई कठिनाई है। मेरा विनम्र सुझाव है कि सदन के सभी दलों के सदसयों को सम्मिलित करते हुए अगर सरकार एक समिति बना दे और उस समिति के पर्यवेक्षण में सारे सौदे हों तो सौदे पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा उससे सरकार की साख बढ़ेगी। लेकिन जिन्हें साख की चिन्ता नहीं है उनकी प्राथमिकता तो कुछ और है यह

देश प्रदेश की जनता का दुर्भागय है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यह जो दुर्गन्ध निकल रही है इसको रोकने के लिये इस सारे सौदे को पारदर्शी बनाये हर बात जनता के सामने स्पष्ट रख दें ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्ता महोदय कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री. रंगनाथ–

मान्यवर, इस सरकार ने प्रदेश की 28 चीनी मिलों को बेचने का निर्णय लिया है उसका कारण यह बताते हैं कि यह मिलें घाटे में चल रही हैं । मान्यवर, अभी हमारे उप नेता माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी विस्तृत रूप से सदन के सामने इसे रखा है अपने दल की तरफ से । मिल के घाटे में होने के कारण जो यह बेची जा रही हैं लेकिन यह सिर्फ घाटे होना मिल बेचने के लिये पर्याप्त नहीं है । अगर यह देखा जाय तो जितने भी उपक्रम हैं यह सब घाटे में जा रहे हैं । यहां तक कि सरकार को भी अगर देखा जाय तो घाटे का ही बजट प्रस्तुत करती है इसका मतलब यह नहीं होता है कि सरकार को गिरवी रख दें या बेच दें । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में औराई चीनी मिल है यह सहकारी चीनी मिल जब बन रही थी तो किसानों से वायदा किया था तमाम किसानों की जमीनें मिल में गयी वे घर बेघर हो गये उनको आश्वासन दिया गया था कि नौकरी दी जायेगी उनको नौकरी पर लिया गया आज उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है उनकी सर्विस सुरक्षित नहीं रह गयी है । यह चीनी मिल घाटे में क्यों गयी इस पर सरकार को सोचना चाहिए था । पिछले सत्र में मैंने उसके घाटे के लिये जिम्मेदार लोगों के संबंध में सवाल किया था नियम 51, 301 में इस सदन में विषय को लाये थे, हमारी सरकार ने जवाब रखा था कि वहां पर घाटा कुप्रबन्ध के कारण है ।

अगर कुप्रबन्ध पर अंकुश लगाया गया होता तो यह मिल घाटे में न चलती । आज स्थिति यह है कि जो जहां बोर्ड बना था चुनाव नहीं कराये गये । डी० एम० को प्रशासक बना दिया गया चुनाव पिछले साल हो रहे थे सरकार ने बेन लगा दिया । किसानों के उसमें शेयर हैं किसानों का नियंत्रण होना चाहिए था अगर किसानों का नियंत्रण होता उसके चुनाव सरकार ने कराये होते तो निश्चित रूप से घाटे में नहीं जाती । जब भी प्रबन्धक बदले गये, पी० सी० एस० गये, गन्ना विभाग के गये उसमें भी जब अच्छे प्रबन्धक गये तो रिकवरी अच्छी हुई भ्रष्ट अधिकारी गये तो उसमें घाटा आया । इसी सत्र में इस पर मामला उठा । औराई चीनी मिल ने चीनी रखने के लिये वाराणसी में दो गोदाम लिये थे जब कि उनके पास दो गोदाम थे 40 हजार बोरी एक गोदाम में रखने की क्षमता थी तो 80 हजार बोरी चीनी कहां है ? दो गोदाम किराये पर लिये गये इस स्थिति में जो भी घाटे की स्थिति बनी है उसके लिये सरकार कर्मचारी जिम्मेदार हैं । किसानों के जो शेयर लगे हुए हैं, जो उन्होंने जमीन दी हुई है आज उनकी जमीन नहीं रह गयी है उनकी सर्विस भी असुरक्षित हो गयी है ऐसी परिस्थिति में औराई चीनी मिल को बेचना कतई न्यायपूर्ण नहीं है । जनमानस में चर्चा है कि सरकार निश्चित रूप से इसमें पूंजीपतियों से मिलीभगत कर रही है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बम्बई जाकर उद्योगपतियों से वार्ता कर रहे हैं उद्योग लगाने का मतलब यह नहीं कि बम्बई में जाकर बाजार लगायी जाय और इस प्रदेश की सम्पत्ति को बेचा जाय । यह नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है, चीजें बेची न जायें बल्कि किसानों के हाथ में दी

जायें, बोर्ड का चुनाव कराया जाय, उसके डायरेक्टर किसान हो इसी में किसानों का हित होगा। किसानों के बीच में जो आक्रोश पैदा हुआ है यह नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

इससे हम विधायकों के ऊपर आंच आ रही है और यह चलने वाला नहीं है। यह किसानों की सम्पत्ति को अपने लालच में कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं।

(व्यवधान)

* श्री राम स्वरूप सिंह–

यह जो समस्या है यह समस्या मूल समस्या से जुड़ी हुई है। इसमें देखना यह है कि किसानों का कितना प्रतिशत गन्ना मिलों में पेरा जाता है और कितना प्रतिशत मिलों में फालतू रहता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत गन्ना मिलों में पेरा जाता है और 40 प्रतिशत बचता है। हमारे यहां चीनी मिलों की भारी कमी है उसके लिये हमें ध्यान देना चाहिए नहीं तो किसानों और मजदूरों की हालत बुरी हो जायेगी। इससे पहले की सरकार में गन्ना कूड़े के भाव पांच रुपये और दो रुपये कुन्तल बेचा गया था। देखना यह है कि निजीकरण करने के बाद भी निजीकरण कारखाने और मिलें क्यों बन्द हो रही हैं, उनमें घाटा क्यों हो रहा है ? मेरे जिले में मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं एक किसान सहकारी चीनी मिल है और एक और चीनी मिल है उसमें कोई घाटा नहीं है। इसमें 9 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। उसके जनरल मैनेजर को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मुनाफा दिलाया था। जब तक आप ऐसे अधिकारियों को दण्डित नहीं करेंगे जो घाटा करते हैं और उनको पुरस्कृत नहीं करेंगे जो फायदा करते हैं तब तक घाटे की व्यवस्था में कमी नहीं होगी।

जब यह चीनी मिलें नहीं चलेंगी तो किसानों के गन्ने का क्या होगा ? दूसरी समस्या यह है कि निजीकरण के एक लाख साठ हजार कारखाने एक साल में बन्द हुए हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है इन चीजों को गम्भीरता से विचार करना है बचने से काम चलने वाला नहीं है। आज देश की संसद और विधान सभा को यह सोचना है कि हमारी मूल समस्या है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अभी कांग्रेस के एक सदस्य बोल रहे थे। एक समय कांग्रेस का एकसूत्रीय प्रोग्राम था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और वहीं अंग्रेजों को बुला रहे हैं तो उनकी कथनी और करनी में कितना परिवर्तन आ गया है। इस देश के ब्लाक और सूबे का किसान सबसे ज्यादा अनपढ़ है और यह कांग्रेस और भाजपा की ही देन है। यह जो मूल समस्या है जब तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा मैं निजीकरण का विरोध करता रहूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी को घबड़ाना नहीं चाहिए। वे लोहिया जी के समर्थक हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

वे इसको निजीकरण को नहीं देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ।

* श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे चीनी मिल घोटाले के मामले पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 106 चीनी मिलें हैं और उनमें से 28 को बेचने का सरकार ने निर्णय ले लिया है । इन 106 चीनी मिलों में जो गन्ने की पेराई होती थी, वह केवल 34 परसेन्ट थी । आज 66 परसेन्ट या तो कोल्हुओं के माध्यम से, या सल्फरों के माध्यम से पेरा जाता है । चीनी मिलों में 11 परसेन्ट की रिकवरी होती है जबकि कोल्हुओं में, सल्फर प्लान्टों में केवल 6 परसेन्ट रिकवरी होती है, इस तरह से चीनी मिलों के न होने के कारण 5 परसेन्ट का नुकसान हमारे किसानों को होता है, क्षेत्र को होता है, प्रदेश को होता है, इसलिये चीनी मिलें प्रदेश में अधिक से अधिक हों, इससे प्रदेश ज्यादा मालदार बनेगा, वहां के किसान मालदार बनेंगे । इसी के तारतम्य में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरठ जनपद के मलियाना में जो चीनी मिल है, वह शहर के अन्दर है, उसमें 2 लाख स्क्वायर मीटर के करीब जमीन है, वह शहर के मेन रोड पर लगी हुई है, जिसकी कीमत केवल जमीन की 40 करोड़ से अधिक बैठती है । इसके अतिरिक्त उसमें बहुत से भवन बने हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है, जिनका वेल्युयेशन किया जाय तो लगभग 50 करोड़ के आसपास कीमत निकलती है ।

इसी के साथ-साथ 50–55 एकड़ का फार्म भी है, जिसकी कीमत डेढ़-दो करोड़ होती है । इस तरह से 50-51 करोड़ की इतनी महंगी चीनी मिल को इतने कम दामों पर बेचने का निर्णय उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां चीनी मिल को बेचने जा रहे हैं, वहां उस क्षेत्र में यदि नई चीनी मिल नहीं लगाई गयी तो वहां के किसानों का, मजदूरों का, वहां नौकरी करने वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा । चूंकि मुझे पता चला है कि वहां नई चीनी मिल नहीं लगाई जा रही है, उसका कारण केवल यह बताया गया है कि 15 से 25 कि० मी० के अन्दर दूसरी चीनी मिल नहीं लगाई जा सकती । मान्यवर, मेरठ में गन्ने की बहुत बड़ी खेती होती है । मेरठ के मवाना में चीनी मिल का विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है, इसी तरह दौराला है । अगर वहां नई चीनी मिल नहीं लगाई गयी, जैसी कि शासन की साजिश है, तो मेरठ वालों के साथ, वहां के किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा । मुझे यह बताया गया था कि इसके स्थान पर मऊखास में एक चीनी मिल स्थापित हो रही है । लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि दोनों ही स्थानों पर अब चीनी मिल स्थापित नहीं की जा रही है, बल्कि मवीकलां में स्थापित की जा रही है । इसका कारण यह बताया गया कि 25 किमी० के क्षेत्र के अन्दर चीनी मिल का लगाना सम्भव नहीं है, यह वहां के किसानों के साथ बेहद ज्यादती है, उनका नुकसान है ।

चीनी मिल जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा आती है, उनका 5 करोड़ में बेचना निहायत गलत है और यह कोई शासन की अच्छी नीति नहीं है । इस चीनी मिल के नुकसान का सबसे बड़ा कारण यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रहा है कि इसमें जो भी अधिकारी आते रहे हैं, वह इसको खाते रहे हैं, फर्जी बिल बनाते रहे हैं। आज अगर इसको बेचने की स्थिति आयी तो वहां के किसान आन्दोलन करेंगे। इस मिल पर बहुत ज्यादा कर्जा भी नहीं है, केवल साढ़े 3 करोड़ का कर्जा है। मेरा निवेदन है, नम्रतापूर्वक आग्रह है कि इतनी महंगी चीनी मिल को ठीक से समीक्षा कराके, ठीक से वैल्यूएशन करा कर सही दामों पर बेचा जाय और उसके स्थान पर शासन/सरकार वहां के किसानों को यह आश्वस्त करे कि दूसरी चीनी मिल लगाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें बहुत से माननीय नेताओं के विचार आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गम्भीर विषय के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है और जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है, मैं यह प्रयास करूंगा कि उसको न दोहराऊं, केवल उतनी ही बातें दोहराई जायें जो प्रासंगिक हो, उसकी अनुमति कृपा करके आप मुझे दे देंगे। मैं पहले एक सिद्धान्त की बात रखना चाहता हूं। हम सभी सहमत होंगे कि एक जमाना था जब दुनिया में अर्थनीति राजनीति को प्रभावित करती थी। धीरे-धीरे अनुभव बदलता गया और आज राजनीति अर्थनीति को नहीं चला रही है बल्कि अर्थनीति राजनीति का संचालन कर रही है और यह एक कठोर वास्तविकता है। एक जमाना था जब राष्ट्रीकरण या सरकारीकरण की बड़ी चर्चा चलती थी। जो कोई राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण की बात कहता था उसको प्रगतिशील कहा जाता था। उस समय अगर किसी ने निजीकरण का एक शब्द भी निकाल दिया तो उसे रुढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी कहते थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम बहुत पहले से इस बात के पक्षधर हैं कि अर्थ नीति में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिये बिना न तो एक अकेला पब्लिक सेक्टर विकास कर सकता है और न ही एक अकेला निजी क्षेत्र प्रदेश या देश का विकास कर सकता है। श्रीमन्, इस नाते से आज हमारे यहां ही नहीं उन देशों की अर्थ नीति को देखेंगे जो बहुत प्रतिबद्ध थे राष्ट्रीयकरण के लिये या सरकारीकरण के लिये, आज उन देशों के अन्दर भी निजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है चाहे रूस का मामला हो या चीन का मामला हो। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है हम इस निजीकरण के पक्षपाती है, लेकिन जिन बिन्दुओं की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह कुछ और हैं। सत्ता पक्ष ने 2-3 सवाल उठाये है इसलिये एक मिनट में पहले उसका उत्तर दे दूं। हमारे बारे में कहा गया कि खलीलाबाद चीनी मिल के बारे में कुछ नहीं किया। हमने उस मिल को खड़ा किया और कहा कि और उसे चलाने के लिये पैसे भी दिया। इसी तरह से बुलन्दशहर जनपद की जेवर चीनी मिल की भी बात उठायी गयी है। हमारी सरकार ने उसमें भी पैसा दिया था वह भी अभी विचाराधीन है।

इसी प्रकार से ए० टी० एल० प्रतापगढ़ की बात आयी। इस संबंध में भी मैं बता देना चाहता हूं कि आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ को बेचने की बात हमारे दिमाग में नहीं थी। यह सौदा माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उस समय मुख्य मंत्री थे उनके जमाने का था और हमने यह प्रयास जरूर किया था कि जो उस कम्पनी के छटनी शुदा कर्मचारी थे या जिनकी रोजगार छिन गया था उनको

रोजगार दिया जाये। हम सबको रोजगार मुहैया करा पाते, तब तक सरकार चली गयी। जिस चलचित्र का निजीकरण हुआ था, पहले नहीं हुआ, वहां के कर्मचारियों को खपाया, हार्टिको के कर्मचारियों का प्रश्न है, उसका हमने प्रयास किया, कि उन्हें बेरोजगार नहीं रहने दिया जाय। श्रीमन्, मैं केवल तीन बिन्दुओं पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, जो आज 28 चीनी मिलें बेची जा रही हैं उनमें से पांच बेच दी गयी हैं। मेरा आरोप यह है कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति है उन्हे यह मिलें औने-पौने दामों पर बेची जा रही है। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया का हेर-फेर हो रहा है। जहां तक मुझे जानकारी मिल पायी है संक्षेप में उसमें मैं इस सदन में बताना चाहता हूं। मेरे पास जितनी जानकारी है उसे सदन में रखना चाहता हूं। और जो क्षति है, कितनी होगी, किसी भी प्रकार उसका निवारण भी यहां बताना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों के भी उत्तर दें। मूल्य दो प्रकार के होते हैं। पहले बुक वैल्यू, दूसरा वर्तमान बाजार भाव से किसी बिकी मिल या फैण्डी का मूल्य। पहले मैं बुक वैल्यू का हिसाब रखना चाहता हूं, इसकी सबको जानकारी मिले। जिला देवरिया की मिल वैतालपुर की बुक वैल्यू 939 लाख है जबकि सौदा 701 लाख में हुआ। बाराबंकी की सदर मिल की बुक वैल्यू 1931 लाख है, सौदा इससे कम में हुआ। बरेली की नेकपुर मिल की बुक वैल्यू 1588 लाख है जबकि सौदा कम में हो रहा है।

गोण्डा की नवाबगंज मिल की बुक वैल्यू 805 लाख है, जबकि सौदा बुक वैल्यू से कम में हुआ है। बाराबंकी की बुढ़वल मिल की बुक वैल्यू 1393 लाख है जबकि सौदा 451 लाख में होता है। महराजगंज की घुघली मिल की बुक वैल्यू 1219 लाख है जबकि 725 लाख में बेची जा रही है। मेरठ की मलियाना की बुक वैल्यू 1497 लाख की है। मुण्डेरवा बाजार की बुक वैल्यू 1271 लाख है जबकि यह 911 लाख में बेची जा रही है। अब तक तो बुक वैल्यू से कम कीमत पर ही चीनी मिलें बेच रहे हैं। इनकी अगर तुलना कर ली जाय तो भ्रष्टाचार सामने आ जायेगा। आरोप में कोई भी असत्यता नहीं पायी जा रही है। दूसरी ओर यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चीनी मिलों की वर्तमान बाजार से जो कीमत है अगर उसका हिसाब लगाया जाय तो आज की चीनी मिलों की चल-अचल परिसम्पत्तियां आज की बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा हैं, अगर आज वर्तमान मूल्य के हिसाब से लें, लेकिन उनसे कम दामों पर चीनी मिलें बेची जा रही है, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाय तो निष्कर्ष निकल आयेगा कि कितना घपला हो रहा है। बरेली की चीनी मिल नेकपुर के संबंध में मेरी जानकारी के अनुसार उसकी 88 एकड़ भूमि है। 88 एकड़ भूमि का बाजार भाव 10 करोड़ की भूमि की कीमत से भी अधिक है, जबकि इस चीनी मिल को दस करोड़ में बेचा जा रहा है, मिल की मशीनें हैं, बड़े-बड़े भवन हैं, बिल्डिंग है, उनका कोई हिसाब नहीं है। मेरठ की मलियाना चीनी मिल के संबंध में उसकी 110 या 100 एकड़ भूमि होगी, अकेले कोई कुछ भी न करे तो इस भूमि को अगर बेचा जाय तो लगभग बारह या साढ़े बारह करोड़ की भूमि हो जायेगी जबकि इसे औने-पौने दाम आठ करोड़ में बेचा जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि देवरिया की बैतालपुर चीनी मिल के लिये निविदायें आयी थीं, उनमें से एक ऊंची निविदा थी, उसके साथ सौदा नहीं किया गया और कम बोली पर सौदा किया गया है। श्रीमन्, मुण्डेरवा बाजार की चीनी मिल पर 25,000 टन की क्षमता के विस्तारीकरण पर कुछ समय पूर्व ही 5 करोड़ रु० सरकारी खजाने से खर्च किया जा चुका है। उसकी बुक वैल्यू को छोड़ दिया जाता, उसकी भूमि की वैल्यू को छोड़ दिया जाय परन्तु जो 5 करोड़ रुपये उसके विस्तारीकरण पर खर्च हुआ है, उसी 5 करोड़ रुपये में आप

बेतालपुर की चीनी मिल को बेच रहे हैं। इस प्रकार आप देखें तो कुल विक्रय मूल्य इन चीनी मिलों का 33-34 करोड़ रुपये आ रहा है और 88 करोड़ रुपये सरकार देनदारी अपने ऊपर ले रही है। अगर सही ढंग से इन चीनी मिलों को चलाये जाने की कोशिश की जाती, तो हो सकता है कुछ चीनी मिलें मुनाफे में आ जाती । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये ध्यान आकृष्ट किया कि इस भ्रष्टाचार की जड़ में कुप्रबन्धन है। वहां पर बेईमानी है। मेरे पास एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का। वह काफी घाटे में चल रहा था परन्तु जब श्री विजय शंकर पाण्डेय जी को उसका एम० डी० बनाया गया तो वहां पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हें उन्होंने निकाल बाहर किया। मात्र 6-7 महीने में ही निर्यात निगम को 60-70 लाख रुपये के मुनाफे में ले आये।

अगर एक घाटे वाले निगम को मुनाफे में लाया जा सकता है तो अन्य को क्यों नहीं लाया जा सकता है ? अब चीनी मिलों को बीमार बताकर आप बेचे जा रहे हैं। जेवर चीनी मिल तो बनकर तैयार भी नहीं हुई है वह बीमार घोषित हो गयी आप उसे बेचने जा रहे हैं। मान्यवर, हम निजीकरण के पक्ष में तो हैं लेकिन टेंगुल के नीचे बैठकर इतने बड़े घोटाले का जेबीकरण व बोफोर्सीकरण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज इन चीनी मिलों के जरिये करोड़ों रुपये का जेबीकरण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज इन चीनी मिलों के जरिये करोड़ों रुपये का जेबीकरण हो रहा है। इसमें जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो वह इसमें पारदर्शिता लाये। इसलिये मेरी मांग है कि इसके ऊपर एक श्वेत-पत्र जारी होना चाहिए। उस श्वेत-पत्र में 13 बिन्दुओं की जानकारी होनी चाहिए। 14वां हो सके तो और भी अच्छा है श्वेत-पत्र में इन तेरह बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख एवं विवरण हो कि (1) प्रत्येक चीनी मिल की परिसम्पत्तियों का मूल्य क्या है ? (2) प्रत्येक चीनी मिल में कितनी भूमि है और उस भूमि का आज बाजार भाव क्या है ? (3) प्रत्येक चीनी मिल की बुक वैल्यू क्या है ? (4) प्रत्येक चीनी मिल की वर्तमान बाजार भाव से कीमत क्या है ? (5) कौन सी चीनी मिल कितने में बेची जा रही है ? (6) कौन-कौन चीनी मिल बीमार घोषित कर दी गयी है ? (7) बीमार घोषित करने के लिये कौन सी समिति बनायी गयी है ?

मान्यवर, जहां तक हमारी जानकारी है, इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनायी गयी जो इस बात का मूल्यांकन करती कि अमुक चीनी मिल को बीमार घोषित किया जाता है (8) गन्ना उत्पादकों का क्या होगा ? जिसकी चर्चा हुई है, जिसके हाथ चीनी मिल बेची जा रही हैं उसका विस्तारीकरण वहीं वह करेंगे, सुधारीकरण करेंगे ? वर्ना उसकी मरजी होगी चीनी मिल चाहे तो चलाये या फिर नहीं चलाये। क्योंकि उससे ज्यादा वह जमीन बेच कर दूसरी जगह कारोबार कर सकता है। यह बात श्वेत-पत्र में की जानी चाहिए कि जो मिलें बेची जा रही है उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों का क्या होगा ? कर्मचारियों का क्या होगा जो वहां काम कर रहे हैं ?

यह मेरा नवां बिन्दु है कि कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, दसवां बिन्दु है कि प्रत्येक चीनी मिल का घाटा कितना है, ग्यारहवां बिन्दु है घाटे का कारण क्या है, बारहवां बिन्दु उस घाटे के लिये जिम्मेदार कौन है जो जिम्मेदार है उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? तेरहवां जो महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि 106 चीनी मिलों में से 28 को बेचने की बात है जिसमें संभवतः 5 बेच दी गयी हैं। तो बाकी में घाटा नहीं होगा इसके लिये क्या कोई योजना सरकार के पास है या सरकार चाहती है कि घाटा होता रहे और आगे चल कर उन्हें बेचने का मौका मिले।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कोई कम्पनी का नाम बताया आटो ट्रैक्टर के मामले में वैल्युयेशन के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट गया उन्होंने कहा कि यह सही नहीं हुआ है बम्बई में बैठकर उसका मूल्यांकन हो गया। तो क्या सरकार पुनर्मूल्यांकन किसी विशेष फर्म से कराने के लिये तैयार है ? चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक चीज आ चुकी है। हमने भी सौदा किया विष्णु प्रयाग का, सबके सामने किया था हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं वह जानते हैं आज तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इसी तरह नोयडा में निजी क्षेत्र में विद्युत इकाई देने का मामला है उसमें क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है ? तो क्या इस मामले को सरकार पारदर्शी सौदा बनाने के लिये तैयार है ? मैं जानता हूं एक बार पहले भी घोटाला हो चुका है आप उस समय भी मुख्य [illegible] थे जब एक पूंजीपति विशेष को चुर्क, चुनार और डाला फैक्ट्रीज की बहुत बड़ी सम्पत्ति कौड़ी के दाम बेच दी गयी। हमारी सरकार आयी हमने पूरे सौदे का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया और उस सौदे को रद्द कर दिया वह पूंजीपति हाईकोर्ट गया वहां से वह हार गया हमारी जीत हुई उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गया वहां भी हम जीते वह हारा। उस समय जो कांड हुआ वहां जो घाटा हुआ था उसका क्या कारण रहा ?

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं श्रीमन्, वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश की है यह घोटालों की सरकार है 70 करोड़ का आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद में घोटाला हुआ और कम से कम 50 करोड़ का घोटाला इन चीनी मिलों के निजीकरण में जेबीकरण के नाम पर हुआ। रही सही कसर तबादलों के घोटालों में हुआ, खूब पैसा सरकार में बैठे लोगों ने कमाया। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का उसे निकृष्ट सरकार मिली, भ्रष्ट सरकार मिली जिससे जनता को कष्ट पहुंच रहा है और इससे प्रदेश नष्ट होता चला जा रहा है (व्यवधान) अगर सरकार की नीयत साफ है तो जैसे प्रतिभूति घोटाले के मामले में संसदीय जांच समिनि बनायी गयी थी, मैं मांग करता हूं चीनी मिलों के बेचने के इस मामले में डिटेल में जांच के लिये इस सदन की एक समिति बने जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहें और विपक्ष के लोग भी रहे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आज प्रदेश लुट रहा है, भ्रष्टाचारी यह सरकार दोनों हाथों से लूट रही है इस नाते विकास के सारे काम ठप हैं, साढ़े आठ नौ महीने सरकार को होने जा रहे हैं किसी गांव में, किसी ब्लाक में, किसी तहसील में विकास के नाम पर कोई चीज नहीं हो रही है वहां कोई विकास नहीं हो रहा है। मान्यवर, मुझे आपत्ति नहीं कि मुख्य मंत्री के अपने विशेष गांव सैफई में काम हो रहा है। सैफई का खूब विकास हो। सैफई के ऊपर 4 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी गांवों को 4.4 लाख रुपये ही पहली किश्त के रूप में विकास के लिये दे दें ताकि वहां निर्माण कार्य हो सकें। जबकि आज सारे निर्माण कार्य ठप्प पड़े हैं और दोनों हाथों से सरकारी धन की लुटाई हो रही है। मान्यवर, चीनी मिलों में घोर भ्रष्टाचार है। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्वेत-पत्र इस पर जारी करें और जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति बनायी जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा पर उत्तर देने के लिये मुझे मौका दिया।

मान्यवर, जहां तक इस चर्चा में श्री जगदम्बिका पाल, मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त, मा० किरनपाल सिंह, मा० ऊदल और मा० प्रमोद तिवारी आदि लोगों ने हिस्सा लिया, मुझे खुशी है कि कई दल के नेताओं ने कुछ सुझाव भी दिये हैं और सरकार की ओर से वे कुछ जानना चाहते हैं उन बातों का भी उन्होंने जिक्र किया।

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल ने खलीलाबाद मिल के बारे में किसानों के हितों की बात कही और मजदूरों के हित सुरक्षित रहे यह भी कहा। दूसरी अच्छी बात कहा है कि किसानों की पैदावार का उन्हें मूल्य कम मिल रहा है चूंकि लागत ज्यादा लग रही है, इस पर विचार करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हम लगातार इस नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि पैदावार की लागत जो आती है उसका संतुलन कायम हो। तो इस संबंध में हम हमेशा चिंतित रहे हैं और आज भी हैं और हमारी दाम नीति का हमेशा नारा रहा है और मैं इससे सहमत हूं तथा कोशिश है कि किसानों को लागत का लाभ मिले। लेकिन आज दुर्भाग्य देश का है कि सारे धन्धे मुनाफे के हैं लेकिन किसान का धन्धा घाटे का है चूंकि उन्हें लागत नहीं मिल रही है। इसलिये मैं पाल जी से कहूंगा कि वह अपने हाई कमान से भी कहें कि जब तक संतुलन की नीति कायम नहीं होगी तब तक किसानों का भला नहीं होगा। इसलिये जो उन्होंने सुझाव दिया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

जहां तक खलीलाबाद मिल में किसानों के बारे में जो कहा है और जो सुझाव दिया है उससे मैं सहमत हूं और उन समस्याओं का समाधान शीघ्र ही निकाला जायेगा।

मान्यवर, जहां तक श्री किरन पाल जी ने कहा कि हम समाजवादी हैं तो यह सही है कि हम समाजवादी हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं, हमें याद है,जब ग्वालियर में लोकदल का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, शायद उनको पता हो, तो उसमें चौधरी चरण सिंह ने एक प्रस्ताव स्वयं लिखा था और पेश करवाया था कि जो वर्तमान व्यवस्था है जिसके चलते पूरा देश अर्थ-व्यवस्था में फंसता जा रहा है, इसलिये इसके लिये अब हमको कुछ निजी क्षेत्र में उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह सरकार को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए।

[6 बजकर 20 मिनट]

वह सरकार के हाथों में नहीं रहना चाहिए। यह प्रस्ताव रखा था, उन्होंने स्वयं लिखा था और पेश किया था, और उस समय भी हमारी उस पर आलोचना हुई थी और कहा गया था कि चौधरी साहब अपने रास्ते से हट गये हैं। कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों में इस बात के लिये चर्चा हुई थी कि चौधरी साहब ने ऐसा प्रस्ताव क्यों पास किया ? लेकिन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को यह याद होगा कि उस प्रस्ताव के कुछ अंश का उन्होंने समर्थन किया था और विशेष कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। आप कहने लगे कि हम पढ़ते-लिखते नहीं हैं, तो ऐसी बात बिलकुल नहीं है। जहां तक नीतियों का सवाल है हमारी नीति है समाजवाद की इसलिये कि हम प्रस्ताव रखते हैं। हर प्रस्ताव हमारे पास रहता है। आप नीतियों को लागू करने की बात करते हैं, आज हमारे बीच चौधरी साहब नहीं हैं, लेकिन हम उनकी नीतियों पर, उन नीतियों पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोई भटक जाये, भटक जाये, लेकिन कम से कम आप तो उनकी नीतियों पर अवश्य चलते रहें। आप उनसे न भटकें, यही किसान के और देश के हित में है।

ऊदल साहब की जो चिन्ता है, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आज निजीकरण की व्यवस्था भारत में नहीं पूरी दुनिया में शुरू हुई है। आज निजीकरण की ओर चीन तक आ रहा है। वह सारी दुनियां के उद्योगपतियों को अपने यहां उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित कर रहा है और रूस के टूटने से चिन्तित है। ऊदल जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह सही है, चीन तक निजीकरण की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ आपने किसानों के शेयर के संबंध में कहा, तो किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा इसमें की जायेगी, पूरी सूची रखी जायेगी। साथ ही कर्मचारियों के संबंध में न किसी की छठनी होगी और न अन्य कोई अहित हो सकता है।

जो माननीय प्रमोद जी ने चीनी मिलों की देनदारी के बारे में कहा है, तो यह विक्रेता की ही रखी गई है और जहां घाटा हो चुका है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 872 करोड़ का घाटा इनमे है और इसी तरह यदि सारे निगमों के घाटे की चर्चा कर ली जाए, तो देश और प्रदेश की जनता को सारी स्थिति का ज्ञान हो जायेगा। तो मान्यवर, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो देनदारी है बैंक आदि की, वह उनकी जिम्मेदारी होगी।

जहां तक मा० राम स्वरूप सिंह जी ने मिलों के निजीकरण के कारण के बारे में कहा है, वह मैं नेता विरोधी दल की बात के साथ ही कहूंगा और उसके बाद घोटाले के बारे में कहूंगा। यह जो निजीकरण का मामला आज पेश है, यह आज का नहीं है। यह 1989-90 का है, उस समय जो हमने बजट पेश किया था, उसमें हमने अपनी यह नीति रख दी थी, कि जो निगम 10 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं, उनको चलाने की सरकार की क्षमता नहीं है और हम उनका निजीकरण करेंगे। उस समय हमने अपनी यह नीति सदन में रखी थी, जिसका गुप्त जी ने और नेता विरोधी दल ने समर्थन किया था.....

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

निजीकरण के तो हम आज भी पक्षधर हैं, लेकिन निजीकरण के नाम पर जो धन का जेबीकरण हो रहा है, उसका हमने विरोध किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जहां तक यह बात कही गयी कि किसी को पता नहीं चला टेबुल के नीचे हुआ। हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया और उसके बाद जो सील्ड टेण्डर प्राप्त किये गये और उसके बाद ही जो ज्यादा दाम में ले सकती थी उसी के टेण्डर को माना। जितनी प्रक्रिया थी, उसको पूरा किया गया और उसके बाद वैल्युयेशन किया गया। अभी कम्पनी के प्रमुख सचिव की बात कह रहे थे, नाम बता देते तो अच्छा होता।

मान्यवर, कहा गया, कि कुछ चीनी मिलें लाभ में हैं। इसमें मान्यवर, ऐसा है कि कभी-कभी चीनी के मूल्य बढ़ जाते हैं तो एक आधा वर्ष लाभ जरूर हुआ है लेकिन ऐसा कभी ही एक दो बार हुआ है। ज्यादातर कुल मिलाकर सहकारी और कारपोरेशन की चीनी मिलों में 872 करोड़ रुपये का घाटा है। इसके अलावा एक करोड़ से लेकर तीन करोड़ प्रति वर्ष इन चीनी मिलों को चलाने के लिये देना पड़ता है यही कारण है कि इनका निजीकरण किया जा रहा है। दूसरी जो राज्य चीनी निगम की अधिकांश

मिले हैं उनकी क्षमता कम है और उनमें जो मशीनरी है वह पुरानी है और खराब भी हो गयी हैं। इन पुरानी मशीनों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की बात माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कही। इन मशीनों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण में कम से कम एक चीनी मिल में 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपया लगेगा। इस तरह से विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण में इतना रुपया लगाने की इस सरकार की क्षमता नहीं है कि एक-एक चीनी मिल में इतना पैसा लगा सके। जितनी सहकारी चीनी मिलें हैं अभी तक उनका निजीकरण नहीं हुआ है, बस प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। कृषकों की अंश पूंजी का लाभांश अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है। हमने इन मिलों को बेचने के साथ-साथ एक शर्त यह भी रखी कि किसानों को उनकी अंश पूंजी का लाभांश पूरा दिया जाय और 94-95 के वर्ष में वह लगातार चलाई जायेंगी ताकि किसान गन्ने बेचने से वंचित न रह जायं। मान्यवर, जहां तक मूल्यांकन का सवाल है स्टेट बैंक के मुख्य सचिव के पास रजिस्टर्ड सभी 7-8 कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है उसमें से दो कम्पनियों को देखकर केवल अभी तीन चीनी मिलों का निजीकरण हुआ है दो का स्टे है। बाराबंकी की चीनी मिल का जहां तक सवाल है, उसको कोई लेने के लिये तैयार नहीं है। माननीय गुप्त जी और कल्याण सिंह जी आप 50 करोड़ का घाटा बता रहे हैं। चलिये 10 करोड़ छोड़कर आप 40 करोड़ में ही ले लें।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी के बगल मे वर्मा जी बैठे हैं। बाराबंकी के ही रहने वाले हैं वही हिस्सेदारी करा लेंगे उसमें।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप और माननीय कल्याण सिंह जी कुछ 10–20 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोगों को भी समझा दें। यह हम लोगों को भी पता चल जाय कि यह 10–20 करोड़ का क्या चक्कर है ?

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जेबीकरण शब्द इन्हीं को याद होगा जिनकी जेबों में रहता है। प्रमोद जी जेबों के बारे में उन्हीं को याद होता है जो जेबों के बारे में समझते हैं। उस समय जब माननीय नेता विरोधी दल सरकार में थे तो हिन्दुस्तान के तमाम पूंजीपतियों कलकत्ता से बम्बई तक से इनको रुपये मिलते थे। कहने में क्या होता है लेकिन जो सरकार में रह चुका हो, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रह चुका हो उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूं इस सदन के अन्दर। यह 50 करोड़ रुपये की बात करते हैं अगर कोई दो लाख रुपये का आरोप सिद्ध कर दे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री कल्याण सिंह–

सदन की एक जांच समिति बना दी जाये, वही इन आरोपों की जांच करे। मुझे चुनौती स्वीकार है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन्होंने अपने कार्यकाल में सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को बुलाकर 100 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन उसने रुपये नहीं दिये तो उसका सौदा रद्द कर दिया। इन्होंने उससे कहा था कि अगर हमको 100 करोड़ रुपये दे दोगे तो तुम्हारा सौदा रद्द नहीं किया जायेगा। ट्रैक्टर के मालिक ने इनको रुपये नहीं दिये इसलिये उसका सौदा नहीं रद्द किया गया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

इनका जो चहेता पूंजीपति था उसकी हमारे पास आने की हिम्मत नहीं थी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आमंत्रित करता हूं सदन की एक कमेटी बना दी जाये वह इनके लड़के के आचरण के बारे में जांच करे और हमारे लड़के के बारे में जांच करे। तभी पता चल सकेगा।

श्री कल्याण सिंह–

सदन की कमेटी बनाई जाये, वह सभी आरोपों की जांच करे इसके लिये हम तैयार हैं। यह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इनके परिवार में इनके लड़के और बहन जी के बारे में जो स्कैण्डल हुए, उनकी जांच करा दें मैं अपने लड़के के बारे में जांच करा दूं सारी बातें सामने आ जायेंगी। मैं 25 साल से राजनीति में हूं ऐसी बात की जाती है जैसी यह बातें करते हैं?

श्री कल्याण सिंह–

सदन की एक कमेटी बना दी जाये और वह सारे आरोपों की जांच करे मैं इसका स्वागत करता हूं। हमने राजनीतिक जीवन में कभी दाव नहीं खाया है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए। सारी चीनी मिलों की कीमत 20 करोड़ रुपया नहीं निकलती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

जितने भी आरोप लगाये हैं, बरदास्त नहीं हो रहे हैं। अब बर्दास्त नहीं हो रहा है। मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका। 5 चीनी मिलों में 100 करोड़ का घाटा है। 3 का निजीकरण हुआ है और 2 का नहीं हुआ है, स्टे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी हमारी सरकार पर कलंक नहीं लगाया है, सरकार को गलत नहीं बताया है। यह जरूर कहा है कि पुनः दिखवा लिया जाय। डाला फैक्ट्री के संबंध में मैं बताना चाहता हूं, आप देखेंगे कि उसकी क्या हालत है? हमारी डाला फैक्ट्री का क्या हाल है? नेता विरोधी

दल नहीं मानेंगे । यह मैं जानता था कि डाला फैक्ट्री की हालत क्या है ? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय में क्या घाटा है और आपके समय में क्या घाटा था ?

मान्यवर, 31-3-94 तक डाला फैक्ट्री की हानि 180 करोड़ थी, उसको ज्वाइन्ट सेक्टर में दिया था । डाला फैक्ट्री का घाटा 180 करोड़ 13 लाख था और मैं बताना चाहता हूं कि 318 करोड़ 92 लाख का घाटा है जब इनकी सरकार थी । यह आपकी सरकार का कारनामा है । इसलिये हम निर्जीकरण कर रहे हैं । श्रीमन्, चीनी मिलों को चलाने के लिये 100 करोड़ रुपये अगर हम देंगे, 35-35 करोड़ रुपये एक-एक चीनी मिल को चलाने के लिये लगेगा, तो अगर उसकी जगह पर हम इतना पैसा किसानों के हित वाली दूसरी योजनाओं में खर्च करें । जनता के विकास में इतना रुपया लगावें जो योजनायें पूरी नहीं हम कर पा रहे हैं उनको पूरा करेंगे, तो इससे उत्तर प्रदेश की जनता विकास करेगी और हम समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश की जनता को ले जायेंगे । उत्तर प्रदेश के विकास और उसको प्रभावी बनाने की हमारी नीति है, इसलिये हम इन चीनी मिलों का निजीकरण कर रहे हैं । आपके जमाने में 52 करोड़ 51 लाख का घाटा था । आपको पता चलेगा । वहां के मजदूर आपके पास आयेंगे, किसान आके और कहेंगे कि निजी क्षेत्र में दे दीजिये और स्थिति पैदा होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज बकाये की स्थिति क्या है और जब भा० ज० पा० की सरकार थी तो बकाये की स्थिति क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वहीं पर आ रहा हूं । 1989-90 में प्रतापगढ़ की फैक्ट्री निजी क्षेत्र में दे दी गयी । जब यह फैक्ट्री दी गयी उस समय 48 इन्जन थे और 91-94 में 1249 इन्जन हैं । तो मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में दे दिया, तो उत्पादन बढ़ा है । और उस समय चला रहे थे सरकार की ओर से, जब उत्पादन कम था । उसी तरह से गन्ना किसानों के बकाये के बारे में भी है । नेता कांग्रेस ने अच्छा सवाल उठाया है । इस समय मान्यवर, कुल बकाया आधा परसेन्ट है । अभी एक सप्ताह पहले 36 करोड़ का बकाया था सहकारी और इसमें मिलकर, लेकिन पूरा का पूरा सरकार की ओर से रुपया दे दिया गया है । मुझे आशा है कि 31 अगस्त तक एक भी पैसा बकाया नहीं रहेगा । जो निजी क्षेत्र में है, या सहकारी मिलें हैं, उनका पूरा का पूरा एक पैसा बाकी नहीं है । मान्यवर, जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है उसका बकाया 8-9 करोड़ रुपये के आस-पास है । उन पर दबाव करूंगा और जो कार्यवाही होगी वह करूंगा, जिससे बकाया न रहे, लेकिन आपके समय में तो 36 प्रतिशत बकाया था ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ...

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन्हीं दिनों में जब हमारी सरकार थी, 15 अगस्त तक 36 करोड़ बकाया था और नेता विरोधी दल की जब सरकार थी तो किसानों का 279.40 करोड़ बकाया था ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

जब आपकी सरकार थी तो वह कितना बकाया छोड़कर गयी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि जो निजीकरण हो रहा है, उससे नयी योजनाएं चलेंगी और किसानों का एक परसेन्ट भी अहित नहीं होगा । 25 चीनी मिलें भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं और 20 चीनी मिलों के लिये और प्रार्थना-पत्र भेजे हैं । जितनी भी चीनी मिलें हैं उनका विस्तारीकरण किया जाय और नई मशीनें लगायी जायं और किसानों को जितना मुनाफा दे सकते हैं वह देने की कोशिश करेंगे । हम यह नहीं कर सकते हैं कि लोग अटैची लेकर आते हैं और राम कोला के मजदूरों पर गोली चलवाते हैं । इसको जेबीकरण कहते हैं । हमने भी कभी उंगली नहीं उठाई थी । दर्जनों लोग देखते थे, गोरखपुर के डाक बंगले में अटैची छोड़ जाते थे और तीसरे दिन रामकोला में किसानों पर गोली चलायी जाती है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

डाला सीमेंट के मजदूरों पर गोली चलवाई । इस पर भी आप शेम-शेम बोल दें । गोली चलाकर 8-8 लोगों को मरवा दिया । उनकी जानें ले ली थी ।

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से किसानों पर कुल कितनी बार गोली चलाई गयी है ?

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं और यह आश्वस्त करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक संसदीय परम्परा का अनुसरण किया जाय। माननीय नेता विपक्ष या नेता सदन या अन्य सदस्य भाषण करते हैं तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाय न कि तर्क वितर्क किया जाय, स्पष्टीकरण मांगा जाय, खड़े होकर स्पष्टीकरण मांगना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं फिर इस सदन के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो निजीकरण की प्रक्रिया है उसमें किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जायेगा कोई गन्ना किसान उससे वंचित नहीं रह पायेगा। वह जो आप कह रहे थे वह 7 सैकड़ा नहीं है कुछ 33-40 सैकड़ा ही पेराई में चल पा रहे है। हमारी सरकार की नीति है सरकार जितना गन्ना प्राइवेट में दे सकती है उतना देने का प्रयास करेगी, एक भी मजदूर को निकाला नहीं जायेगा, हमारी कोशिश होगी कि अभी तक जितना लाभ पहुंचा है उससे ज्यादा लाभ मिले, यह पूरी कोशिश है। जहां तक जेबीकरण का सवाल है तो यह प्रदेश सरकार ईमानदार सरकार है इस पर किसी की उंगली नहीं उठ सकती है, हम सरकार चलाना ही बन्द कर देंगे जिस दिन उंगली उठेगी। कहीं भी किसी तरह का घोटाला नहीं है। हमें मजदूरों के प्रति पूरी तरह से हमदर्दी है, पूरी तरह से गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति यह सरकार समर्पित है इसलिये जो कुछ करेंगे जनता के हित और किसान के हित के लिये करेंगे। जहां तक समाजवाद का सवाल है इसके मायने नंगा भूखा नहीं है, समता और सम्पन्नता है, नंगा भूखा नहीं है, प्रदेश में खुशहाली आये। जहां तक नीति का सवाल है कुछ हमारे नेता हैं, हमारे विरोधी दल के नेता अमेरिका में जाकर इसी निजीकरण का समर्थन करते हैं और प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि नेहरू जी के बाद दूसरे नम्बर पर यह प्रधान मंत्री हैं और आते ही उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं तो इस तरह से हम दो जीभ वाले नहीं हैं, दो जीभ वाले सर्प होते हैं और दो जीभ वाले बहुत जहरीले होते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हमने निजीकरण का समर्थन किया है हमने उदारीकरण का भी समर्थन किया है, उधारीकरण का समर्थन नहीं किया है, प्राइवेटाइजेशन का समर्थन किया है लेकिन ग्लोबलाइजेशन का समर्थन नहीं किया है। आज भी हम सिद्धान्ततः निजीकरण के पक्ष में हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, पूरे प्रदेश को आज हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं, जितनी बिजली देनी चाहिये उतनी नहीं दे पा रहे हैं और बिजली बोर्ड में भी 700 करोड़ का घाटा पहुंच चुका है लेकिन सबको निजीकरण नहीं करेंगे, यह नीति हमारी नहीं है, जिसका किसी तरह से घाटा पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से इसकी तजवीज की जा चुकी है और, अब इसी नतीजे पर सारी दुनिया के लोग पहुंचे हैं कि हम सबसे पहले अपने देश को खुशहाल बनायेंगे और देश खुशहाल होगा तभी जनता खुशहाल होगी यही हमारा लक्ष्य है और हम देश और प्रदेश के लिये काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चीनी मिल वाली इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे विभिन्न नेताओं तथा सदस्यों की शंका का समाधान हो रहा है, इसलिये सूचना अग्राह्य की जाती है।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्वेत-पत्र जारी करने की जो मांग थी, 13 बिन्दु गिनाये थे, यह उस पर श्वेत-पत्र जारी करने को तैयार नहीं हैं इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कल्याण सिंह और उनके दल के सदस्य किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

सरकार सदन की कमेटी बनाने को तैयार नहीं हैं, इसलिये हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दो शब्द कहना चाहेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 56 में सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त कोई संशोधन रखना चाहेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 56 में सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग तो वाक-आउट करके चले गये थे मैंने आगे की मद ले ली। कार्य स्थगन कुछ नहीं है।

(श्री सरजीत सिंह डंग, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" एक साथ खड़े होकर बोलने लगे व नियम 56 लिये जाने की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अशान्ति है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरी 56 में सूचना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सुने जाने की मांग

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरी 56 में सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

56 में निर्देश दे दिये हैं । इसे निरस्त कर चुका हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम 56 की अन्य सूचनाओं को ले लें, यह तो नियम 56 में एक सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप लोग तो वाक-आउट करके चले गये । मैंने सरकार को निर्देश दे दिये । इसके बाद आगे की मद ले ली है ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मेरी सूचना 311 से 56 में आ गयी अब उसमें भी नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब पीछे लौटने की कोई बात नहीं है । आप संशोधन रखने दीजिये ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 56 ले लीजिये, हमारी भी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई प्रश्न ही नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरी सूचना को ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देशित कर दिया है सरकार को । मुझे मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ेगा । गुप्त जी आप अपने विचार रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं तो खड़ा हूं ।

नियम 56 की अन्य सूचनाओं के संबंध में मा० नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यों द्वारा जानकारी की मांग

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, नियम 56 के बारे में आपने क्या निर्णय दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने पुकारा था मगर यहां कोई सदस्य नहीं थे । मैंने सरकार को निर्देशित कर दिया है ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, वे तो तत्काल आ गये थे और वाक आउट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है । हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सरकार को निर्देश दे दिया है कि नियम 56 में जिन सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनने के लिये स्वीकार किया गया है, जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया गया है, उन सब पर वांछित प्रभावी करे । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2, खण्ड 3 व खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कराधान तथा भूराजस्व विधि अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड (ख) में, शब्द "पचास रुपया" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

धारा 4 का संशोधन

"(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी होटल में सुख-साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावलि किराये पर लेता है, उस पर किराये के पांच प्रतिशत की दर पर सुख-साधन कर देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किराये का संदाय विदेशी मुद्रा में करता है, उसके द्वारा देय कर में पच्चीस प्रतिशत का रिबेट दिया जायेगा ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधयेक, 1994 की सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, जब कल यह बजट बट रहा था, जब मैंने इसको देखा, मेरे मन में यह भावना पैदा हुई कि इस बात का स्वागत करना चाहिये, क्योंकि मैं इस बात से सिद्धान्तः सहमत हूं कि आज हमको, सबको, आपको सुरक्षा का खतरा है, वह दो कारणों से पैदा होता है । एक तो यह कि अगर किसी के द्वारा किसी के जान माल का खतरा बनेगा तो उसको भी खतरा होगा । अगर हम किसी का कत्ल करेंगे तो हमको भी कत्ल का खतरा होगा । यहां जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हम स्वयं अपराध करने के बजाय, किसी अपराधी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उससे हमारी जान को खतरा बनता है । कहीं कत्ल होता है, हम हत्यारे के खिलाफ यहां आवाज उठाते हैं तो हत्यारा यह समझेगा कि इसको खत्म करो, तभी आवाज दबेगी, कदाचित इसीलिये आप हमको शैडो, गनर देते हैं । मेरे मन में यही इच्छा थी । लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा आश्चर्य हुआ और इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे मन में आया कि इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करना चाहिये । अगर इसमें लिखा होता कि माननीय मुख्य मंत्री की सुरक्षा के लिये अलग से एक बल गठन किया जायेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसमें लिखा हुआ है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री को 6 वर्ष तक के लिये सुरक्षा दी जायेगी, लेकिन यह जरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसकी धारा 2 को देखने की कृपा करें" कोई मुख्य मंत्री जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या प्रारम्भ होने के पश्चात अपना पद त्याग करता है, जिसे एतद्पश्चात् पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री कह जायेगा, को और उसके अव्यवहित परिवार के सदस्यों को भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट संरक्षा ऐसे पद त्याग करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी ।

मुख्य मंत्री की सुरक्षा के लिये बल का गठन तो हो गया, लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री किसे कहा जायेगा । वैसे तो विधान परिषद् में जायेगा, राज्यपाल के दस्तखत होंगे, पारित हो जायेगा । पारित होने के दिन जो मुख्य मंत्री यानि मुलायम सिंह यादव होंगे, उसके पश्चात अपना पद त्याग करता है, तो उस पद त्याग का क्या मतलब हुआ ? मुख्य मंत्री जब अपने पद से हटेगा, तभी तो पूर्व मुख्य मंत्री बनेगा । इसके 3 स्टेट्स होंगे । या तो पद त्याग करेगा, या 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल करेगा और या फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सरकार को बर्खास्त कर दें । इस समय श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री श्रीपति मिश्र, श्री राम नरेश यादव, माननीय कल्याण सिंह जी हैं, तो यह क्या पूर्व मुख्य मंत्री नहीं माने जायेंगे । अगर माननीय मुलायम सिंह जी यादव कल पद त्याग देंगे तो यह पूर्व मुख्य मंत्री माने जायेंगे ।

मैं इसको फिर पढ़ देता हूं, आप यदि हमें समझा देंगे तो हम मान लेंगे । कोई मुख्य मंत्री जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या प्रारम्भ होने के पश्चात अपना पद त्याग करता है, जिसे एतद्पश्चात् पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री कहा जायेगा, को और उसके अव्यवहित परिवार के सदस्यों को भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट संरक्षा ऐसा पद त्याग करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी । यह इसमें पद त्याग की बात क्यों लिखी गयी, इसकी वजह से मुझे शंका होती है कि आपके द्वारा यह धोखा दिया जा रहा है ।

मुख्य मंत्री जी ने सोचा कि कल हम पद त्याग कर देंगे तो हमको 6 वर्ष के लिये सुरक्षा की गारन्टी रहेगी इसलिये शायद अब कोई कारण समझ में नहीं आया । मान्यवर, मैं इसको प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करता हूं । इसमें सुरक्षा की व्यवस्था मुख्य मंत्री की होनी है और भावना पूर्व मुख्य मंत्री की है तो इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पूर्व मुख्य मंत्री वह है जो त्याग पत्र देने, पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेने या बर्खास्त किये जाने के कारण पद त्याग करता है और दुबारा चुनकर सत्ता में नहीं आता है । गारण्टी तो किसी व्यक्ति की नहीं है कि वह जिस कुर्सी पर बैठा है वह आजीवन बैठा रहेगा । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो समयावधि रखी गयी है वह 6 वर्ष ही क्यों ? जो सुरक्षाबल मिला हुआ है क्या वह हमारे अलंकरण का विषय है ? आज राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा की गारण्टी न दे पाने के कारण जो चिन्ताजनक स्थिति है उसी का परिणाम है कि आज इसे अलंकरण की वस्तु मान रहे हैं और अपने साथ शैडो/गनर की फौज ले कर चलते हैं । आज हर व्यक्ति असुरक्षित है, उसे खतरा है इसलिये वह सुरक्षा गार्ड लेकर चलता है, वह स्थिति सरकार के लिये कोई शुभ नहीं है ।

जिसका कागज भगवान के यहां से पूरा नहीं होगा उसको कोई माई का लाल नहीं मार सकता है । यह जो 6 वर्ष की समय सीमा रखी गयी है अगर इसको बढ़ाना चाहें तो इसका इसमें कोई प्राविधान नहीं है । इसके साथ ही अगर कोई मुख्य मंत्री यह तय करता है कि हम यह वापस करते हैं ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था होगी इसमें नहीं है । इसलिये इसमें इन बातों का प्राविधान करने की आवश्यकता है कि 6 वर्ष के बाद किसी निकाय के द्वारा रिपोर्ट ली जायेगी, वस्तुपरक परीक्षण किया जायेगा और अगर परीक्षण में यह बात आती है कि अभी कुछ दिन सुरक्षा देने की आवश्यकता है तो उसे 6 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है । यह तो कह दिया गया कि विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जायेगा लेकिन इस बल में पुलिस, पी०ए०सी० के नौजवानों में योग्य नौजवानों में योग्य नौजवान नहीं मिलेंगे तभी बाहर से लिया जायेगा या हम अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति, जिसके सहारे हम जिन्दगी सौंपना चाहते हैं उसको ले लेंगे, लेकिन उसके लेने की प्रक्रिया, उसका मानक क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख नहीं है ? इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । और 30 दिन के अन्दर रिपोर्ट आ जाये, उस पर विचार कर लें और एक बात इसमें पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री की व्याख्या स्पष्ट होनी जरूरी है । अभी-अभी मैं बोल रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय मंत्री जी ने कहा कि इसका आशय यह नहीं है और बिल्कुल स्पष्ट है । अध्यक्ष जी, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो आप स्पष्ट कर देंगे । मान्यवर, इसमें स्पष्टीकरण लगा दिया जाये कि पूर्व मुख्य मंत्री का तात्पर्य यह है कि जो एक बार मुख्य मंत्री के पद पर रहा हो और किसी कारण से वह हटा हो तो वह पूर्व मुख्य मंत्री माना जायेगा । मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से यह परिभाषा पूर्व मुख्य मंत्री की होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इसको प्रवर समिति को भेजने पर बल देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 जिसका प्रथम वाचन चल रहा है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं समझता हूं और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक जीवन बिताने वाले कार्यकर्ताओं की जिन्दगी महत्वपूर्ण होती है । सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति की, किसी भी राजनीतिक की किसी से राग-द्वेष न हो, किसी से दुश्मनी न

हो, ऐसा नहीं हो सकता है । सदन में सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, कि वर्तमान विधायक की हत्या हो जाती है, भूतपूर्व विधायक की हो जाती है और हमले माननीय मुख्य मंत्री तक के ऊपर हुये हैं । मैं तफ्सीस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, सार्वजनिक जीवन पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है । हमारे सम्मानित विधायकों को सुरक्षा मिलती है । जिस तरह से हम लोगों को जनता के सामने जाना पड़ता है उनकी जबावदेही में रात-दिन काम करना होता है, इसको सभी लोग जानते हैं । जिस तरह से विशेष शान्ति सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन मान्यवर, इस सदन में पहले भी एक निर्णय लिया गया था, लेकिन पुलिस विभाग ने क्या निर्णय लिया है इसकी जानकारी नहीं है ? माननीय विधायकों को अंगरक्षक मिले हैं । विधायकों के साथ दौरे में जाने से पूर्व अंगरक्षक या शैडो को एस०पी० से अनुमति लेनी पड़ती है और तभी उनका टी०ए०, डी०ए० बनता हैं ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि जो व्यवस्था पूर्ववत् में लागू है वही व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी, लेकिन आज तक इस सदन में दिये गये आश्वासन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया है । जनपद के एस०पी० से कह दिया होगा, लेकिन इस सदन में सार्वजनिक जीवन के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें जो अंगरक्षक मिले हैं, उनकी कई महीने से टी०ए०, डी०ए० नहीं मिला है । यह तय हो कि सरकार बड़ी है या प्रशासनिक अधिकारी बड़े हैं । खेद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कहने के बावजूद भी गृह विभाग द्वारा वह व्यवस्था विधायकों के लिये लागू नहीं की गयी । अगर मालूम हो जाय कि पार्टी के नेता का फोन आ गया है, बारह बजे आ गया है तो उसको जाना पड़ेगा, अगर मेडिकल कालेज बदायूं से किसी को लखनऊ या दिल्ली लाना है तो उसको लाया जायगा, लेकिन शैडो को साथ में चलने के लिये कहेंगे तो वह कहेगा कि पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब विधायक को कप्तान साहब के घर जाये और उन्हें रात्रि में जगाये तब अनुमति मिलेगी । क्षेत्र से किसी मरीज को या किसी और को लखनऊ-दिल्ली मेडिकल कालेज लाना है तो एस०पी० साहब ही अंगरक्षक को अनुमति देने के लिये अधिकृत हैं, अंगरक्षक से कहिये तो यह कहते हैं कि अभी पूर्व अनुमति ही नहीं मिली है, और पहले का टी०ए०, डी०ए० ही नहीं मिला है, जब एस०पी० से पता करिये तो कहा जाता है कि हमें किसी तरह की जानकारी नहीं है, इन सभी बातों का मिसयूज हो रहा है । सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता दौरे करते हैं, जिस तरीके से यह सब चल रहा है वह गलत है । अगर टी०ए०, डी०ए० का मिसयूज हो रहा है तो इसकी जांच करा ली जाय । उन्हें जो टी०ए०, डी०ए० मिलता है तो एस०पी० आफिसेज में कमीशन लिया जाता है, तभी टी०ए०, डी०ए० मिल पाता है, इतना ज्यादा भष्टाचार फैलता जा रहा है, इस पर रोक नहीं लग पा रही है । सारे शैडो को कमीशन देना पड़ता है, यह बहुत ही लज्जाजनक बात है । सार्वजनिक दौरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, निश्चित तौर पर दौरा वैरीफाई कराया जाता है, अगर इसमें कोई संदेह हो तो इसकी जांच करा दें ।

माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं । वर्तमान में पूर्व अनुमति की व्यवस्था को निरस्त कर दिया था, गृह विभाग से बात की तो पता चला कि गृह विभाग से कोई आदेश नहीं गया तो किस स्तर से आदेश गया है सरकार की तरफ से ? उत्तर प्रदेश के इतने विधायक हैं, उनको अंगरक्षक मिले हैं, उन्हें रात दिन, 24 घण्टे, 18 घण्टे क्षेत्र में काम करना पड़ता है, लेकिन उनके अंगरक्षकों को टी०ए०, डी०ए० नहीं मिल पाता है । मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि

सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, हमसे अंगरक्षक वापस ले लिये जायं, सार्वजनिक कार्यकर्ता रिस्क लेना जानते हैं और चुनौती का मुकाबला करते हैं। मान्यवर, विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छा है। सुरक्षा के लिये उनके भी कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना तथा दायित्व को निर्वहन करना अति आवश्यक है। लेकिन इस ओर भी विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

श्री सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, सुरक्षा चाहे मुख्य मंत्री की हो, चाहे किसी पूर्व मुख्य मंत्री की हो या फिर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले जन प्रतिनिधि हों, उनकी सुरक्षा की बात तो समझ में आती है और यह आवश्यक भी है। परन्तु यह भी सत्य है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण ही नहीं, केवल इस कारण भी नहीं कि किसी हत्यारे या माफिया का विरोध किया गया हो, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी घटना से किसी का कोई सीधा संबंध न हो परन्तु मानसिक विस्तीर्णता के कारण वह किसी भी मुख्य मंत्री पर, मंत्री पर या जन प्रतिनिधि पर हमला कर सकता है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि सुरक्षा का विशेष प्राविधान होना चाहिये। परन्तु जो यह विधेयक रखा गया है, उसमें 6 वर्ष की बात कही गई है। यह एक विचारार्थ विषय है। आखिर किसी ज्योतिषी से पूछकर 6 वर्ष रखा गया है। एक वर्ष क्यों नहीं, दो वर्ष क्यों नहीं ? एक समिति बन जाती जो यह देखती और सुनिश्चित करती कि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा को अभी भी खतरा बना हुआ है, इसलिए उसे एक वर्ष या दो वर्ष और बढ़ा दिया जाय। इसका स्पष्ट उल्लेख आना चाहिये था। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा और इसकी विधि क्या होगी ? अगर इसका एक-एक क्लाज सामने आता तो सदन को निर्णय लेने में आसानी होती। बात स्पष्ट होनी चाहिये। माननीय श्री गुप्त जी ने जो यहां पर प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय उसके विचार के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री जगदम्बिका पाल व श्री डंग जी ने जो विचार सामने रखे हैं, उनके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। श्री पाल जी ने अंग रक्षकों की पूर्व अनुमति की बात कही, वास्तव में यह एक चिन्ताजनक बात है। अभी जैसे यहां पर संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और मुख्य मंत्री जी उन्हें कोई आदेश दे दें, कोई भी अपरिहार्य कारण हो सकता है, जैसे कहीं पर फायरिंग हो गई, कहीं पर कत्ल हो गया यहीं पर सामूहिक बलात्कार हो जाय तो मंत्री को उसी समय भागना पड़ेगा। तो क्या उस समय आपका शैडो ये कहेगा कि साहब, पहले मैं अनुमति ले आऊं। मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस विधेयक के समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तभी मैंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए कहा। मुख्य मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जाय, इसका मैं समर्थक हूं। क्योंकि मुख्य मंत्री को कभी ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे किसी का अहित हो सकता है और किसी का हित। जिसके कारण वह अकारण मुख्य मंत्री जी का दुश्मन हो गया। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पुनः कहना चाहता हूं कि आप इसे प्रवर समिति को भेज दें, जहां पर पहली ही मीटिंग में यह तय हो जाय कि पूर्व मुख्य मंत्री की क्या परिभाषा होगी ? इसके बाद आप इसे सर्वसम्मति से पास करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह कोई नया विध्वंसात्मक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार में भी पूर्व प्रधान मंत्री के परिवार जनों के लिए 6 वर्ष की सुरक्षा हेतु विधेयक पारित किया गया है। तमिलनाडु में भी है, पाल साहब भी जानते हैं, सारे सदन के लोग भी जानते हैं।

[7 बजकर 20 मिनट]

कुछ सांप्रदायिक विध्वंसात्मक शक्तियां इस देश में काम कर रही हैं (व्यवधान) जो मुख्य मंत्री की कुर्सी पर होता है उसे कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय आजम खां साहब की सीट को बदल दीजिये उन्हीं से इनको खतरा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तो मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य मंत्री होता है आप भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं आप जानते हैं वहां रह कर कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं (व्यवधान) जब कभी देश की रक्षा के लिये कोई निर्णय लेना पड़ता है तो उसकी जान को खतरा पैदा होता है और हुआ है। मैं खासतौर से नेता विरोधी दल से कह सकता हूं (व्यवधान) आप हृदयहीन हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। आपने इस समय जो मुख्य मंत्री हैं उनकी गाड़ी छिनवा दी और कह दिया था कि कमांडो नहीं दिया जायेगा। हमने जो भी सुविधायें गवर्नर रूल में दी गयी थी वह सब आपको दी हैं, हम कोई कमी नहीं करेंगे। हम मानते हैं देश और प्रदेश में ऐसी स्थिति आ सकती है आज जो मुख्य मंत्री के पद पर बैठे हैं वह कल हो सकता है न रहे। तो उनको जानमाल का खतरा हो सकता है उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय।

जहां तक पाल साहब ने कहा और जिनका समर्थन सर्वाधिक विद्वान गुप्त जी ने किया उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसी बात को उठाने से पहले उसकी जानकारी कर लें। 15 दिन पहले जो आदेश की बात कही एम०एल०ए०, एम०एल०सी० और एम०पी० के बारे में तो वह आदेश लागू नहीं होगा। (व्यवधान) आदेश दिये गये हैं वह लागू नहीं हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह सुरक्षा के मामले में चिंतित है। आपके समय में एक एक विधायक को गनर और शैडो देने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते रहे उसके बाद भी गुप्ता जी आपने मुंह नहीं खोला,आपके मुंह से हां नहीं निकलती थी। हम पूरी तरह से दिल से जिनको खतरा है शैडो और गनर देंगे कोई कसर नहीं करेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे एम०पी०, एम०एल०ए०, एम०एल०सी० की सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे। इसलिये इसे बिना बहस पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या संसदीय कार्यमंत्री बतायेंगे पूर्व मुख्य मंत्री का मतलब कोई भी जो एक बार मुख्य मंत्री रह चुका है ? क्या वह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं या यह वर्तमान मुख्य मंत्री के परित्याग करने के कारण होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस विधेयक में पर्याप्त व्यवस्था है जरा आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष–

क्या गुप्ता जी आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 16 तक खण्ड, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994

मुख्य मंत्री और उनके अव्यवहित परिवार के सदस्यों को निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये पृथक सुरक्षा बल के गठन और विनियमन के लिये और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियत करे ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में–

(क) बल के किसी सदस्य के सम्बन्ध में "सक्रिय कर्तव्य" का तात्पर्य ऐसे सदस्य के रूप में उस अवधि के दौरान जब उसे मुख्य मंत्री और उनके अव्यवहित परिवार के सदस्यों की, जहां कहीं भी वह या वे हों, शारीरिक संरक्षा करने के लिये तैनात किया जाय, किसी कर्तव्य से है;

(ख) "मुख्य मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बल के निदेशक से है ;

(घ) "बल" का तात्पर्य धारा–4 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से है ;

(ङ) "बल के सदस्य" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा विहित किया जाय, बल के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(च) "अव्यवहित परिवार के सदस्य" का तात्पर्य पत्नी, पति, सन्तान और माता-पिता से है;

(छ) "निकट सुरक्षा' का तात्पर्य सड़क,रेल, वायुयान, जलयान द्वारा या पैदल या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा के दौरान और समारोह, कार्यक्रम, निवास या विराम के स्थानों पर समीप्य से व्यवस्थित संरक्षा से है और इसमें घेरा दल, पार्श्वक्य घेरा, विसंक्रमित घेरा, कान्वाय संरक्षा और भाषण मंच और पहुंच नियंत्रण भी समाविष्ट होंगे ;

(ज) शब्द और पद, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त संहिता में क्रमशः समनुदेशित किये गये हैं ।

3–बल का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह कहीं भी हो, इस अधिनियम के अधीन होगा ।

सदस्यों का इस अधिनियम के अधीन होना

बल का गठन

4–(1) मुख्य मंत्री और उनके अव्यवहित परिवार के सदस्यों की निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य में एक पृथक सुरक्षा बल होगा जिसे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल कहा जायेगा ।

(2) कोई मुख्य मंत्री जो अधिनियम के प्रारम्भ पर या प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना पद-त्याग करता है, जिसे एतद्पश्चात् पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री कहा जायगा, को और उसके अव्यवहित परिवार के सदस्यों को भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट संरक्षा ऐसा पद त्याग करने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि के लिए दी जायेगी ।

(3) मुख्य मंत्री के या पूर्ववर्ती मुख्य के अव्यवहित परिवार का कोई सदस्य या पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा से इंकार कर सकता है ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बल का गठन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी विहित की जाय और बल के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति या राज्य के किसी पुलिस बल का कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, बल में नियुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान बल का सदस्य समझा जायगा और इस अधिनियम के उपबन्ध, जहां तक हो सकें, ऐसे व्यक्ति या सदस्य पर लागू होंगे ।

5–(1) बल का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जायगा और उसके और इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बल का समादेशन और पर्यवेक्षण ऐसे अधिकारी में निहित होगा जिसे राज्य सरकार निदेशक के रूप में नियुक्त करे :

नियंत्रण, निदेशन इत्यादि

परन्तु राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निदेशक के कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता के लिए उतनी संख्या में उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य अधिकारी होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायं ।

(3) निकट सुरक्षा या माप और स्तर और मुख्य मंत्री द्वारा प्रयोग किया जाने वाला परिवहन का उपयुक्त साधन होगा जैसा निदेशक द्वारा अवधारित किया जाय ।

राज्य के किसी भाग में और अन्यत्र सेवा करने का दायित्व

6–बल का प्रत्येक सदस्य राज्य के किसी भाग में या भारत के किसी भाग में और भारत के बाहर भी सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

बल के सदस्यों का सदैव सक्रिय कर्तव्य पर रहना

7–बल का प्रत्येक सदस्य जो छुट्टी पर न हो या निलम्बिनाधीन न हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए सदैव सक्रिय कर्तव्य पर रहेगा और उसे किसी भी समय, ऐसी किसी रीति में नियोजित या अभिनियोजित किया जा सकता है जो इस अधिनियम के अधीन बल के कर्तव्यों और दायित्वों से संगत हो ।

पद त्याग और पद से अलग होना

8–बल के किसी सदस्य को, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित/पूर्व अनुज्ञा के सिवाय–

(क) अपने आबन्धन की अवधि के दौरान अपना पद त्याग करने की ; या

(ख) अपने पद के सभी या किन्हीं कर्तव्यों से स्वयं को अलग करने की ; स्वतन्त्रता नहीं होगी ।

सेवा की अवधि

9–बल का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

संगठन बनाने, वाक्स्वातन्त्रय इत्यादि के अधिकार के संबंध में निबन्धन

10–(1) बल का कोई सदस्य, राज्य सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना–

(क) किसी व्यापार संघ, श्रम संघ, राजनैतिक संगम या व्यापार संघों, श्रम संघों या राजनैतिक संगमों के किसी वर्ग का न तो सदस्य होगा और न उससे किसी प्रकार से सहयोजित होगा ; या

(ख) किसी अन्य समिति, संस्था, संगम या संगठन का, जो केवल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का न हो, न तो सदस्य होगा और न उससे किसी प्रकार से सहयोजित होगा ; या

(ग) प्रेस से न तो पत्र व्यवहार करेगा और न कोई पुस्तक या पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित करेगा न प्रकाशित करवायेगा किन्तु उस दशा में ऐसा कर सकेगा जबकि ऐसा पत्र व्यवहार या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन के लिए हो या विशुद्धतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति या विहित प्रकृति का हो ।

स्पष्टीकरण :–यदि कोई प्रश्न इस बारे में उठता है कि कोई समिति, संस्था संगम या संगठन खण्ड (ख) के अधीन विशुद्धतः सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं या कोई पुस्तक, पत्र या दस्तावेज खण्ड (ग) के अधीन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन के लिए पत्र व्यवहार या प्रकाशन है या नहीं विशुद्धतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति या विहित प्रकृति का है या नहीं तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) बल का कोई सदस्य ऐसे किसी अधिवेशन में न तो भाग लेगा और न उसे सम्बोधित करेगा न ऐसे प्रदर्शन में भाग लेगा जो किन्हीं राजनैतिक प्रयोजनों से या ऐसे अन्य प्रयोजनों से जो विहित किये जायं, किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया हो ।

सेवा की समाप्ति

11–नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा लोकहित में बल के किसी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है और सेवा की ऐसी समाप्ति सेवोन्मुक्ति मात्र समझी जायेगी और पदच्युत या पद से हटाये जाने की कोटि में नहीं आयेगी ।

अपील

12–बल का कोई सदस्य जो धारा 11 के अधीन किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

बल के सदस्यों को शक्तियों और कर्तव्यों का प्रदान किया जाना

13–राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि बल का कोई सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो आदेश विनिर्दिष्ट की जायं, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायं ।

14–राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विभाग या प्रत्येक स्थानीय या अन्य प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जब कभी भी निदेशक या बल के किसी सदस्य को सौंपे गये कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अग्रसर करने के लिए ऐसे निदेशक या सदस्य द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय तो वह उसकी सहायता में कार्य करे। बल को सहायता देना

15–इस अधिनियम के या तद्धीन जारी किये गये किसी आदेश या बनाये गये किसी नियम के या किसी ऐसे नियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए बल या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावना में की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

16–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) बल का गठन करने की रीति और धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन पत्र व्यवहार या प्रकाशन की प्रकृति ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन राजनैतिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति किसी अधिवेशन में भाग नहीं लेगा या उसे सम्बोधित नहीं करेगा या किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा ;

(घ) प्राधिकारी जिसे और रीति जिसमें धारा 12 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की जा सकती है ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 16 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस अधिनियम के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक में धारा 58, 115 और 123 में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । वैसे तो प्रस्तुतीकरण में ही मूल रूप से खामी है कि इस विधेयक के साथ स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं हैं । वैसे तो सरकार इन धाराओं के परिवर्तन की लगातार एक प्रक्रिया चलायी हुई है कि बिना किसी विवेक के, बिना किसी सहकारी आन्दोलन के लाभ पहुंचाने वाली धाराओं में निरन्तर परिवर्तन किये जा रहे हैं ।

मान्यवर, जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सवाल है तो धारा 58 में प्रस्ताव है कि–

> (घ) ऐसी सहकारी समिति द्वारा जिसकी अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदान हो, बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी धनराशि, जो विहित की जाय, एक निधि में, जिसे साधारण अंशपूंजी निधि कहा जायेगा और जिसकी स्थापना और उपयोग विहित प्रक्रिया में किया जायेगा, संक्रमित करेगी ।

लेकिन इसको सन्दर्भित करता हूं धारा 123 के साथ जिसमें प्रस्तुतीकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी अंशपूंजी का भागीदार कौन होगा ? वह किस प्रयोग में आयेगी और सहकारी समिति के किस लाभ में उसे प्रयोग किया जायगा ? इसका प्रस्तुत विधेयक में कोई जिक्र नहीं है ।

इसी प्रकार धारा 123 (ख) को देखें जिसमें लिखा है–

> "सहकारी समितियों को सम्प्रवर्तित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिए नीतियां बनाना ।"

इससे प्रतीत होता है कि एपेक्स सहकारी संस्थाओं को ऐसे अधिकार दिये हैं कि उनमें नियुक्त अधिकारी अपने किसी मन्तव्य के लिए अंशपूंजी का प्रयोग करे । इस तरह के अधिकार धारा 123 (ख) में दिये जा रहे हैं ।

इसी प्रकार धारा 58 में भी स्पष्ट उल्लेख अंशपूंजी के संबंध में नहीं है । इस प्रकार सदन को गुमराह किया जा रहा है, सदन के सम्मुख खुलकर प्रस्ताव आना चाहिए था कि ऐसी पूंजियों का किस आशय के लिए प्रयोग करेंगे । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उत्तर भाषण में व इसको स्पष्ट करें । साथ ही धारा 58 (ख) में जो आप 9 प्रतिशत से अनधिक के स्थान पर 20 प्रतिशत लाभांश दे रहे हैं, यह स्वागत योग्य है । लेकिन ऐसी समितियां कितनी हैं, जो अपने सदस्यों को लाभांश देती हैं । आंकड़े हैं कि प्रदेश में 80 प्रतिशत सोसाइटियां घाटे में हैं । कितनी समितियां लाभांश दे सकेंगी ? आप स्पष्ट घोषणा करते कि सदस्यों का लाभांश देना आवश्यक होगा यानी कम्पलसरी होगा । मात्र 9 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह संशोधन लाना चाहिए था । यह मात्र घोषणा के अलावा कुछ नहीं है । व्यवहारिक रूप में कितनी समितियां लाभांश देती हैं ? यह विभाग मेरे

पास था, मैंने इसका अध्ययन किया है । इसमें संशोधन यह होना चाहिए कि 20 प्रतिात लाभांश देना आवश्यक होगा, कम्पलसरी होगा ।

मान्यवर, आप धारा 115 देखें, इसके 115-क (2) में स्पष्ट लिखा है– "पास बुक में सम्यक् रूप से की गयी प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जायें, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी ।" मान्यवर, सहकारी समितियों के कर्मचारियों और सचिवों के घोटालों से पूरा प्रान्त अवगत है, किन्तु फिर भी इसके द्वारा आपने उनको इतना अधिकार दे दिया है, यानी जो प्रविष्टियां पास बुक में की जायं, सदस्य उसको प्रतिकूल पाये तो उसको साबित करने का दायित्व सदस्य का हो गया । यह चीज सहकारी समितियों की मूल भावना के विपरीत है । इसको आप देखें तो यह चीज किसानों और सदस्यों के सहकारिता के बुनियादी अधिकारों के विपरीत है । इसमें संशोधन अपेक्षित है होना चाहिए । इसमें सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जायेगा । यह जो पास बुक व्यवस्था विधेयक के द्वारा लायी जा रही है, वह पास बुक और चेक बुक की व्यवस्था तो पहले से ही पूरे प्रदेश में लागू है, हमारी सरकार के समय से लागू है, इसमें न्याय क्या है ?

साथ ही धारा 123 के खण्ड (ख) के (ठ) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो उसमें दिया हुआ है कि अपने सदस्यों के लिए सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना है, यह उसके कृत्यों में से एक होगा । आखिर इसमें आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? क्या सदस्य, सदस्य होने के लिए सक्षम नहीं है । इसे लाने से मुझे ऐसा लगता है कि इसके द्वारा एपेक्स बाडी को इतने अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं कि जो सदस्य एपेक्स बाडी के बहुमत के अनुकूल न चलें, उन्हें बाहर कर दिया जाय । इसके द्वारा इसी बात की व्यवस्था की गयी है, ऐसा प्रतीत होता है । पूरे विधेयक में अनेक खामियां नजर आती हैं । अन्त में मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें । इसलिए सदस्यों और किसानों के हित में तथा सहकारी आन्दोलन के हित में इसको आप प्रवर समिति के सुपुर्द करें । इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा ।

* श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आज जो विधेयक पेश हुआ है उसके बारे में यह कहना है कि सहकारिता के खिलाफ है और इसको नुकसान पहुंचाने के लिए है, एक ऐसे व्यक्ति से सुनना पड़ रहा है जो खुद सहकारिता मंत्री रहा है । उन्हें अपने कार्यकाल की कमियों का अन्दाजा होना चाहिए । सहकारिता से लोकतन्त्र के ढ़ांचे को किस तरह से गिराने की कोशिश की गयी ? सहकारिता से जुड़े लोगों के अधिकार किस तरह छीने ? सहकारिता आन्दोलन को आपने अपने राजनैतिक लाभ के लिए किस तरह से शामिल करना चाहा । ऐसे लोग अगर उन लोगों पर टिप्पणी करें जो कुछ करना चाहते हैं तो क्या कहा जाय ? हमारे बदले हुए नियमों का स्वागत किसी एक या दो प्रदेश में नहीं लगभग पूरे भारत में हुआ है । आपने तो यह किया था क्योंकि आपका इसमें कुछ था नहीं । आप यकीन रखते हैं नामिनेशन में । इसलिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नामिनेशन मैम्बर्स की क्वान्टिटी जस्ट डबल कर दी । जहां दो मैंम्बर थे वहां चार कर दिये ताकि सहकारिता पर नाजायज कब्जा कर सकें ।

नाजायज कब्जा करने की आपकी आदत रही है इसको मारो, उसको काटो, इसको भगाओ वही किया । आप चुनकर आ नहीं सकते थे । सहकारिता आन्दोलन से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह साम्प्रदायिकता के आन्दोलन से दूर है, इसमें साम्प्रदायिकता की कोई झलक नहीं है इसलिए सहकारिता आपकी समझ में नहीं आयी । सहकारिता पर कब्जा करने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए आपने नामिनेशन की तादात बढ़ाई । एपैक्स बाडी, दूसरी कम्पनियों, बैंक और दूसरी जो हमारी संस्थायें हैं उन पर कब्जा करने का प्रयास किया । जबसे हमारी सरकार आयी हम आपकी नीयत को समझ गये । सहकारिता पहले भी हमारे कब्जे में थी । हमने सहकारिता में फिर से आपके द्वारा बढ़ाये गये जस्ट डबल मैम्बर्स को खत्म करके वही पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया है । हमें नुकसान जरूर हुआ है लेकिन लोकतान्त्रिक ढांचे को जिन्दा करने का यही तरीका था कि नियम बदले जायं । जिस दिन इस विषय पर यही बहस होनी चाहिए थी उस दिन सदन की कैफियत ऐसी नहीं थी कि हम यह बता सकते । हमने कुछ बुनियादी परिवर्तन किये हैं । पहले इसमें सदस्य तीन वर्ष के लिए चुनकर आते थे हमने उस समय को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया है ।

जहां समितियां किसी राजनैतिक दबाव में आकर या अधिकारी के दबाव में आकर भंग कर दी जाती थीं और उसमें एक प्रशासक रख दिया जाता था हमने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है । किसी भी तरह के दबाव में आकर इसे भंग करके इसमें प्रशासक नहीं नियुक्त किया जायेगा । अगर किसी वजह से चुनाव समय से नहीं हो पाता है तो उसी समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जायेगा । इसके बावजूद भी अगर किन्ही अपरिहार्य कारणों से चुनाव नहीं हो सकता है तो चुनाव के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है । चुनाव कराया जायेगा प्रशासक नहीं बैठाया जायेगा । इस तरह से कुछ आमूल चूल परिवर्तन किये गये हैं । परिषद् के सदस्यों ने जो आपके दल के हैं उन्होंने भी इस बारे में कहा गया है उसी बुनियाद पर यह तबदीलियां की गयी हैं । आपने अंशपूंजी पर ऐतराज किया है । पहले लाभांश 9 प्रतिशत मिलता था । 9 प्रतिशत लाभांश पर कोई हमारी समिति में पैसा रखने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था इसलिए कि उनको इससे ज्यादा दूसरे बैंकों से मिल जाया करता था । 9 प्रतिशत लाभांश को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है । आज यह कहना सही है कि हम घाटे में हैं लेकिन यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है कि हम समितियों की ख्याति, रैपुटेशन ऐसी बढ़ायें कि लोग आयें और हम उन्हें अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करें । आपने जो कहा, इसका जवाब दिया है । 9 प्रतिशत से 20 प्रतिशत इसलिए किया है ताकि उनको लाभ मिले और वह बैंकों में जाने के बजाय हमारे पास आये । यह अभी 20 प्रतिशत है इसकी सीमा और बढ़ सकती है यह और भी ज्यादा हो सकती है, यह डिपेन्ड करता है कि समिति के अपने मुनाफे पर, अपने काम पर तो यह 20 प्रतिशत से ज्यादा दिया जा सकता है । धारा 107 में हमने किसी चीज को छिपाया नहीं है, गलत बयानी नहीं की है, हमने यह नहीं किया है कि संविधान यह कहता है कि और राजनीतिक सोच यह कहती है, बाहर कुछ कहेंगे और यहां कुछ और कहेंगे, ऐसा नहीं किया है, हम ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं, हमारी समितियों के जो कागजात होंगे रजिस्टर्ड होंगे, लिस्ट होंगी वह रखी जायेंगी उनके परीक्षण का कोई पैसा नहीं लिया जायगा, यह समितियों की जिम्मेदारी है ।

सारे लेखे-जोखे को देखना चाहता है वह देख सकता है । धारा 107 और 108 में हमने इन चीजों को किया है । धारा 115 में जो गरीब किसान हैं, बे-पढ़ा लिखा तबका है, देश के माहौल को बिगाड़ने में हल चलाने वाले की खता नहीं है खता उनकी है जो पार्लियामेंट में अंग्रेजी में भाषण करते हैं । एयरकण्डीशन्ड कारों में चलते हैं वह वर्ग जो बड़ा वर्ग है वही यह कान्सप्रेसी तैयार करता है, उस कांसप्रेसी का शिकार छोटा तबका होता है सहकारिता आन्दोलन में किसान होता है । अपनी गाढ़ी मेहनत का पैसा वह जमा करते हैं, समिति के पास जमा करते हैं लेकिन उनका पैसा जमा नहीं होता है । वहां बैठे लोग फर्जी एन्ट्री कर देते हैं । पवित्र किसान कदाचित यह समझकर उसको लेकर चला जाता है कि समिति के रजिस्टर में उसको लिख लिया गया है वह यह नहीं जानता है कि वह पैसा रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया है । इसमें अब हमने य व्यवस्था कर दी है कि जो पैसा किसान की किताब में चढ़ा होगा वही माना जायगा बैंक या समिति के रजिस्टर में चढ़ा हुआ पैसा नहीं माना जायगा । इसमें एक शंका और साफ कर देना चाहता हूं, किताब में जो चिड़िया बना देते हैं, इनीशियल बना देते हैं, तो यह जो किसी ने चिड़िया बना दिया, किसी ने अण्डा बना दिया, किसी ने फूटा हुआ अण्डा बना दिया, किसी ने मक्का का दाना बना दिया, किसी ने गेहूं की बाली बना दिया तो अब यह नहीं होगा, किताब में पूरा नाम लिखना होगा । यह सब इसलिए किया गया है कि गरीब जनता के साथ सहकारी आन्दोलन के साथ जिसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, अमीर-गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, छोटे-बड़े की हिस्सेदारी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसे सहकारिता आन्दोलन में एक बड़ा ही अहम् मोड़ समझता हूं और यह मानता हूं कि जो प्राविधान इस सरकार में हुए हैं वह इसलिए हुए हैं यह सिर्फ हमारी कोशिश नहीं है पहले जो सहकारिता मंत्री रहे हैं वह जनता बोल रही है कि जो कल होना चाहिए वह आज होना चाहिए । जहां नियमों में इन्कलाब सम्भव नहीं था मैं समझता हूं पुराने मंत्री जी और सभी साथी जानते हैं लेकिन आपको हमारी हर बात को बुरा कहना है तो हम कुछ भी कर लें आपको अच्छा नहीं लगेगा । आप दिये जलाते हैं हम दिये रोशन करते हैं । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

आपने स्योरटी की बात नहीं की है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह तो कानून बन रहा है यह दिल्लगी थोड़े ही है । यह दिल की लगी है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मैंने जिस रूप में संशोधन की मांग की है, उस संशोधन को आपने नहीं स्वीकार किया है । इसलिए मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक खण्ड, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 58 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 58 में,–

(क) उपधारा (1-क) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(घ) ऐसी सहकारी समिति द्वारा जिसकी अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदान हो, बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी धनराशि, जो विहित की जाय, एक निधि में, जिसे साधारण अंशपूंजी निधि कहा जायेगा और जिसकी स्थापना और उपयोग विहित प्रक्रिया में किया जायेगा, संक्रमित में किया जायेगा, संक्रमित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति द्वारा निधि में संक्रमित धनराशि का कुल योग उस सहकारी समिति की अंशपूंजी में राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त धनराशि से अधिक नहीं होगा।"

(ख) उपधारा (2) में,

(एक) खण्ड (क) में, अक्षर और शब्द '9 प्रतिशत से अनधिक' के स्थान पर शब्द 'बीस प्रतिशत से अनधिक' रख दिये जायेंगे :

(दो) खण्ड (घ) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी पूर्व प्रयोजन के लिये स्थापित किसी ऐसी संस्था को, जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था के हित को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अग्रसर करना हो, कोई धनराशि संदत्त नहीं की जायेगी।" धारा 107 का संशोधन

3-(क) मूल अधिनियम की धारा 107 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:- धारा 108 का प्रतिस्थापन

"(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां वह कोई कारोबार करती हो, अपना नाम और अपने निबंधित कार्यालय का पता 'उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबंधित' शब्द के साथ सुपाठ्य अक्षरों में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगी और उनका उल्लेख निम्नलिखित में भी करेगी :-

(क) समस्त सूचनाओं और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रकाशनों में ;

(ख) समस्त कारोबार संविदाओं, कारोबार सम्बन्धी पत्रों, माल के लिये आदेशों, बीजकों लेखा विवरणों, प्राप्ति और साख पत्रों में : और

(ग) समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन के लिये आदेश में, जिन्हें वह हस्ताक्षरित करे, या जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित किये जायं।"

4-मूल अधिनियम की धारा 108 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

अधिनियम आदि की प्रतियों का निरीक्षण के लिये उपलब्ध रखा जाना

"108-प्रत्येक सहकारी समिति इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, अपनी उपविधियों, अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि का लेखा और साधारण अधिवेशनों की कार्यवाही की एक प्रति सभी उचित समयों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए समिति के निबंधित पते पर उपलब्ध रखेगी।" नई धारा 115-क का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 115 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

पास-बुक

"115-क-(1) कोई सहकारी समिति, जो अपने सदस्यों को ऋण देती है या कोई सदस्यों को सहकारी समिति या सहकारी समितियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास-बुक उपलब्ध करायेगी, जिसमें सदस्य के साथ हुये संव्यवहारों का ब्योरा जैसे कि संव्यवहार का दिनांक, दिये गये ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा की गई अदायगियां, शोध्य मूलधन और ब्याज की धनराशि और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसे कि नियत की जायं, अन्तर्विष्ट होंगी। पास-बुक की प्रविष्टियां समय-समय पर अद्यावधिक की जायेंगी और सहकारी समिति को ऐसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेंगी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, और इस प्रयोजन के लिए ऐसा सदस्य ऐसे अधिकारी को पास-बुक प्रस्तुत करेगा जो यदि पास-बुक को प्रविष्टियां करने के लिए रोकना अपेक्षित हो तो उसकी एक रसीद निर्गत करेगा।

(2) पास-बुक में सम्यक् रूप से की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाय, सदस्य के साथ सहकारी समिति के संव्यवहार की प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।"

नई धारा 123-क का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 123 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"123-क–कोई समिति, अपने संघटकों की सेवा के लिये और अपनी उप विधियों के अनुसार, निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :–

शीर्ष समिति के कृत्य

(क) हकारी सिद्धान्तों के पालन के लिये उपाय करना,

(ख) सहकारी समितियों को सम्प्रवर्तित और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिए–आर्दा उपविधियां बनाना, विनियम बनाने के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धान्त और विचारण के लिये नीतियां बनाना,

(ग) सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षण और सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धांतों का प्रचार करना,

(घ) अनुसन्धान और मूल्यांकन करना और सदस्य समितियों की भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना,

(ङ) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना,

(च) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों और विधायन के लिये प्रयास करना,

(छ) अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवायें हाथ में लेना,

(ज) बोर्ड के अधिवेशन में जिनमें सहकारी समितियां आमंत्रित की जाती हैं, भाग लेने के साथ ही सदस्य सहकारी समितियों को सहयोग और प्रबन्धकीय विकास सम्बन्धी सेवायें प्रदान करना,

(झ) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण अधिवेशनों के नियमित संचालन में सहायता करना,

(ट) अपने सदस्यों के लिये आचार संहिता विकसित करना,

(ठ) अपने सदस्यों के लिये सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना,

(ड) अपने सदस्यों को विधि सहायता और सलाह उपलब्ध करना,

(ढ) अपने सदस्यों के हित में कोई अन्य सेवा उपलब्ध करना ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक । प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग का माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास (संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री–(श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे ।

सहकारिता मंत्री जी ने सहकारिता के क्षेत्र में जब कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया तो नाम बदलकर अपना नाम कमाने की सोची । मैं समझता हूं कि इसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा नहीं है । अगर उन्होंने पढ़ा होता तो इस विधेयक की अनुमति ही नहीं देते । लेकिन जल्दी-जल्दी में यह सब हो जाता है । मुख्य मंत्री जी हमारे पुराने परिचित हैं । हम उनके विचारों से अच्छी तरह से अवगत हैं । मतभेद अपनी जगह पर हैं । लेकिन कृषि के प्रति और गांवों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हमेशा जिक्र होता रहता है । जो इनके नाम थे । बैंकों के उन नामों से कृषि नाम को निकाल दिया गया । कृषि को निकाल दिया गया । इसको शायद संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी ठीक से नहीं पढ़ा । अगर कृषि नाम रहता तो क्या पहाड़ टूट जाता ? कृषि के बिना तो गांव का विकास नहीं हो सकता है । कृषि पर ही गांव का पूरा दारोमदार है । तो केवल कृषि नाम निकाल कर कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं मिल गयी है । जो कुछ अब तक था, जो कृषि शब्द था, उसको निकाल कर अगर आप कोई कीर्तिमान स्थापित करना चाहते है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि बैंकों की वर्किंग को किस प्रकार से सुधारा जाय जिससे कि वह सुचारु रूप से काम कर सकें ? मान्यवर इसीलिये मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है जिससे सही माने में जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हम उजागर कर सकें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारा और गुप्त जी का एक बड़ा अजीब रिश्ता है, शर्माएं नहीं । मेरा रामपुर का वतन है और यह सीतापुर के हैं । मैं ज्यादा बुरा नहीं मानता आपकी बातों का ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी, डा० राम मनोहर लोहिया के भक्त हैं । लोहिया जी ने कहा था कि नर-नारी में कोई भेद नहीं होना चाहिये । फिर भी मंत्री जी राम और सीता में भेद कर रहे हैं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

नर-नारी का रिश्ता बता रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं जिस शहर का रहने वाला हूं वहां पर नर-नारी में भेद नहीं होता था ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन शब्दों को इन्हें वापस ले लेना चाहिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

शहर में रहने वाले लोगों को गांव में रहने वालों के विषय में जानकारी न हो तो हैरत नहीं होगी । गांव में किसान होगा, खलिहान होगा, खेत होगा, और गरीबी होगी लेकिन शहर में खेत नहीं होगा, अच्छे बाजार होंगे, अच्छी सड़कें होंगी और गुप्त जी जैसे खुशहाल लोग होंगे, बड़े-बड़े नेता होंगे । वह गांव और खेत किसानों को बारे में क्या जानते हैं ? इसीलिये नाम रखा गया है किसान अनपढ़ है, इस नाम को छोटा करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि इस नाम को ले सके और इसका नाम सहकारी ग्राम्य विकास बैंक कर दिया गया है । यह उपलब्धि है, आप मानें या न माने ।

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी, क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, मैं बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन विधेयक) 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, से खण्ड 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 9 जून, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16 सन् 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे ।

प्रस्तावना का संशोधन

3–मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्दं "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक" और शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे ।

विभिन्न धाराओं का संशोधन

4–मूल अधिनियम की किसी भी धारा में, जहां कहीं भी,–

(क) शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूप भेद आये हों, उनके स्थान पर यथास्थिति, शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूप भेद आये हों, उनके स्थान पर, यथास्थिति, शब्द "ग्राम विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप भेद रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 28-क का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"28-क (1) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिनियत संलेख में-

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के पश्चात् अन्य अधिनियमों में बैंक के लिए किया गया अभिदेश किस प्रकार समझा जायेगा

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायेगा,

(ख) राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा ।

(ग) किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अभिदेश ग्राम विकास बैंक के लिये किया गया अभिदेश समझा जायगा,

(घ) किसी सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लिये किया गया कोई अभिदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अभिदेश समझा जायगा ।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम, क्रमशः, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक तथा ग्राम विकास बैंक के रूप में निबन्धक द्वारा लिखित आदेश द्वारा परिवर्तन कर दिया जायगा और ऐसे बैंक का मूल प्रमाण-पत्र और उप-विधियां तदनुसार संशोधित हो जायेंगी और निबन्धक के आदेश से किया गया ऐसे नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन समिति धारा सम्यक् रूप से परिवर्तित किया गया समझा जायेगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के पक्ष में कोई बन्धक सीधे निष्पादित किया जाय, वहां धारा 14, 20, 22, 23, 26 और 27 में ग्राम विकास बैंक के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवन समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी, क्या आप कुछ कहेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष की ओर से किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम न सिया हैं न सुन्नी हैं, हम मानव हैं और हम सिया और सुन्नी की बात जानते हैं । जब हमारा रिश्ता बताते हैं तो हम उनको भी अच्छी तरह जानते हैं ।

मान्यवर, यह जो विधेयक है देखने में बहुत छोटा है और मासूम मालूम होता है । जब सहकारिता विधेयक पर बालियान जी बोल रहे थे और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो आजम खां साहब बदले-बदले नजर आ रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी की उन पर कृपा अधिक है या यूं कहिए दबाव है । मान्यवर, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं । जहां पर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति करने की व्यवस्था होती है उसमें सभी जगह लिखा होता है एक व्यक्ति अथवा अधिकारी । शिक्षा संस्थाओं में जब साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति करते हैं तो बी० एस० ए० को नियुक्त करते हैं या किसी अच्छे व्यक्ति को साधिकार नियंत्रक बना देते हैं । यह विधेयक है स्वीकार करने के लिए तो स्वीकार कर लें । बोर्ड के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के लिए इस अधिनियम को संशोधित करने का निश्चय किया गया है । राज्य सरकार को यथास्थिति एक सुन्नी मुस्लिम या एक सिया मुस्लिम को बोर्ड के नियन्त्रक के रूप में बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करे के लिए किया जायगा । आपकी जो नीति है उसके खिलाफ मामला है । क्या अच्छे ईमानदार समाजसेवी सिया या सुन्नी लोग नहीं हैं ? कोई अपनी सम्पत्ति को अच्छे काम के लिए वक्फ करता है, आपने साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की व्यवस्था कर दी उसका साधिकार नियंत्रक अधिकारी ही क्यों हो, कोई व्यक्ति क्यों न हो आप अच्छा व्यक्ति नियुक्त करें । सिया बोर्ड में सिया और सुन्नी बोर्ड में सुन्नी, क्योंकि उसकी उपासना पद्धति में आस्था है । अगर किसी आर्य समाजी को कर देंगे तो वह मूर्तिपूजक नहीं होगा उसका स्वरूप अलग होगा । यह जो सरकारीकरण है इसका एक कारण है व्यक्ति का समाजवाद, इसलिए कि जो होगा वह माननीय सहकारिता मंत्री जो वक्फ मंत्री भी हैं के दबाव में काम नहीं करेगा उसकी अपनी मान्यता होगी वक्फ के प्रति, कुरान शरीफ के प्रति जो 5 बातें हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता होगी, उसका सम्मान होगा । सरकारी अधिकारी तो आपका अधिकारी है नम्बर एक और नम्बर दो न्यायालय की अवमानना इसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं –जहां किसी न्यायालय के अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप राज्य सरकार नये बोर्ड को यथोचित रूप से संघठित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो तो क्यों असमर्थ हैं जब न्यायालय का आदेश हो गया तो विज्ञप्ति जारी कीजिए आगे है–या विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो' तो काम करने का मौका दीजिए वहां मुस्लिम वक्फ अधिनियम में संशोधन करके । तो यह न्यायालय की मंशा के खिलाफ है और सरकारीकरण है । इसका

कारण क्या है व्यक्तिगत रागद्वेष । अब मैं व्यक्तिगत रागद्वेष बताना चाहता हूं । मैं केवल 2-4 बातें कहूंगा । आजम खां साहब पुराने साथी हैं पहली बार हम दोनों 77 में चुनकर आये थे तब से साथ है ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

ये अस्सी में आये थे, आपसे जूनियर हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले कोई चुनकर आया हो इससे क्या हम दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, इमरजेंसी में हम दोनों जेल में थे । कोई बात निकले तो उसका सफाई से उत्तर दें । यह रागद्वेष पर आधारित है इस समय बोर्ड के जो वहां अध्यक्ष हैं या जो परिभाषा होती हो, मेरे पास जानकारी है, माननीय आजम साहब मंत्री हुए हैं दो बार, लेकिन उसके पहले सदस्य भी थे, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के तो जब सदस्य थे उस समय एम० एल० ए० के नाते सदस्य थे तो माननीय मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपका पूरा भाषण आपके कारिन्दों ने परिषद् में कह दिया, आप डुप्लीकेट बता रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कारिन्दे शब्द अच्छा नहीं है वह हमारे बराबर के साथी हैं । यह आपका शब्द अच्छा शब्द नहीं है, उसने आपकी कोई पोल खोली इसलिए आपने उसके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसकी निन्दा करता हूं । आप परिषद् में एजाज रिजवी की एक बात का भी उत्तर नहीं दे सके आप उन्हें कारिन्दा कहते हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए, मुझे खुशी होती अगर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपको टोकते ।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)–

कारिन्दे का मतलब आप नहीं जानते हैं आप तो उर्दू विरोधी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो आप ही बता दीजिए कि कारिन्दे का मतलब क्या होता है ?

मैंने कुछ कहा नहीं, कि आप बेचैन हो गये । मैं यह कह रहा था कि जिस समय आजम साहब सुन्नी बोर्ड के सदस्य थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ताजमहल को एक वक्फ बना दिया जाय और उसका मुतवल्ली आजम साहब को बना दिया जाय । फरहद अली साहब ने इसको स्वीकार नहीं किया आजम साहब जनता से जुड़े हुये आदमी हैं । राजा महाराजाओं के साथ परिवार के तनाव रहे । रामपुर के नवाब की प्रापर्टी शिया के वक्फ में और सुन्नी के वक्फ में है । सुन्नी वक्फ का मुतवल्ली बना दिया जाय, फरहद अली साहब ने स्वीकार नहीं किया, वह नाराज हो गये । आज बोर्ड में पैसा नहीं है लोगों को तनख्वाह देने के लिये पैसा नहीं है। एजाज रिजवी साहब ने मुझे बताया कि मुसलमानों के मजहब में जो अच्छी बातें कही गयी हैं वहां यह उल्लेख है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने के पहले दे दी जाय । माननीय पाल जी को याद दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन में मामला राज्यपाल महोदय पास गया उन्होंने 25 लाख रु० वक्फ को दिये कि

कर्मचारियों को दे दिया जाय । आज 5 माह से उनकी तनख्वाह बाकी है । रमजान–ईद–मोहर्रम बारावफात निकल गया वे लोग भूखों पेट हैं जबकि मजहब में यह कहा गया है कि मजदूरों को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दी जाय । राज्यपाल महोदय ने 25 लाख दिये, सरकार पलट गयी, यह सरकार आयी, 25 लाख रु० आज तक रिलीज नहीं हुए वक्फ कर्मचारी भूखों मर रहे हैं । (भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, आज वहां पर बैठे हुये अधिकारी से माननीय मंत्री जी का लगाव ठीक नहीं है 25 लाख रु० का कुछ नहीं हुआ । अब वक्फ बोर्ड ने तय किया, हम अपनी प्रापर्टी बेच देंगे । डा० फरीदी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, वक्फ बोर्ड ने सरकार से अनुमति लेकर उनकी बिल्डिंग बेची ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

31 लाख की बेची गयी बिल्डिंग । लेकिन एक आदर्श जारी हो गया मान्यवर कि यह वक्फ बिल्डिंग्स यह इंस्टीट्यूट को दी जाय स्कूल चलाने के लिये यह व्यवस्था हो जाने के बाद एक संस्था, जिसके अध्यक्ष स्वयं आजम साहब हैं उस संस्था के नाम बिल्डिंग ट्रांसफर करा ली ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कितना समय निर्धारित है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तीन कारण से विरोध कर रहा हूं सरकारीकरण न्यायालय की अवमानना तीसरा राग-द्वेष । न जाने कितनी बिल्डिंग हैं शिक्षा संस्थाओं के नाम पर औने-पौने दाम पर ट्रांसफर की जा रही है । उन इंस्टीट्यूशन को जिनका कि कोई वजूद नहीं है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी आल इंडिया माइनारिटी फोरम के अध्यक्ष हैं, लाईफ प्रेसीडेंट हैं । वह बिल्डिंग आपके कब्जे में हैं । एक लाख 76 हजार वक्फ हैं । कालीजर शरीफ है, जलेसर दरगाह, बहराइच दरगाह–वहां भी स्थिति यही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो आरोप लगा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, फर्रुखाबाद के एम० पी० का मामला मेरे सामने हैं । मैं क्या आरोप नहीं लगा सकता हूं यह विधेयक राग-द्वेष के कारण लाया गया है सड़क की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है । न्यायालय द्वारा स्टे मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रवर समिति को इसे भेजकर इसको देखा जाय विघटित करने का अधिकार सरकार की नियमन के द्वारा नहीं होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जानकारी है कि जिस तरह से आज वक्फ की सम्पत्ति बेची जा रही है यह एक चिन्ता का विषय है । यह नहीं कि आजम खां साहब ने एक विधेयक को रखा और गुप्त जी इसका विरोध करने के लिए खड़े हो गये । यह ज्वाइन्ट सेक्रेट्री स्तर के अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । किसी भी शहर में या किसी भी जनपद में सम्पत्ति बचाये रखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए । आज सहकारिता मंत्री जी, जो इससे पहले विधेयक लाये थे उस पर थोड़ी देर पहले बहस हुई थी वह सहकारिता के हित में भी था । पूर्व सहकारिता मंत्री जी इसमें बोले थे अगर उन्हें सहकारिता का ज्ञान होता तो साधुवाद करते क्योंकि यह विधेयक जनता के हित में मजदूरों के हित में और प्रदेश के कल्याण के लिए था । सच्चाई तो यह है कि अगर वह ईमानदार होते तो.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सहकारिता का विधेयक पास हो गया है और यह उस पर बोल रहे हैं । आपने हमें तो टोक दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब बैठ जायें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे इस बात की हैरत है कि गुप्ता जी, जिनके हाथों में नियमों की किताब रहती है वह नियमों से हटकर बोले हैं । जो विधेयक आज पेश हुआ है उस पर एक शब्द भी नहीं आया है और एक लफ्ज कारिन्दा इस्तेमाल किया था उस पर यह नाराज हो गये । वह ऊर्दू का शब्द था और आप नाराज हो गये । पुराने जमाने से वजीरे सल्तनत के भी कारिन्दे हुआ करते थे । आपकी पार्टी के एक मुसलमान कारिन्दे ने (व्यवधान) कल विधान परिषद् में धर्म परिवर्तन करने की बात कही है । यह उपलब्धि हुई है आपकी पार्टी में ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो परिषद् में एजाज साहब बोले क्या आप उसका उत्तर दिलवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह विधेयक सिर्फ एक मुद्दे पर आया था लेकिन गुप्त जी ने तीन-बार सवाल और कर दिये हैं मैं उसका जवाब दूंगा । उन्होंने कहा था कि मैंने बेईमानी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति अपने कब्जे में कर रखी है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने ऐसा नहीं कहा है । मैंने यह कहा है कि जिस संस्था के आप लाइफ प्रेसीडेंट हैं उसका आपने मुतवल्ली बनना चाहा है । पेशे इमाम और मुतवल्ली दोनों में फर्क को मैं जानता हूं । अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब दें, कि ताजमहल के मुतवल्ली बनने के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी कि नहीं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

गुप्त जी इतना नाराज नहीं होते । मान्यवर, जब हमारी सरकार गयी और इनकी सरकार आयी तो उस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भाषण में यह कहा है कि आजम खां ने राजस्व मंत्री होते हुए अयोध्या में राजस्व में भारी घोटाला किया है ।...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुझे कहने दीजिये । उस वक्त मैंने पीठ पर बैठे हुए स्पीकर महोदय को चिट्ठी लिखी थी और मैंने बिल्कुल अनकंडीशनल रेजिगनेशन भेज दिया था और अनुरोध किया था कि ऐसे ही रेजिगनेशन मुख्य मंत्री से भी ले लिया जाय । मैंने कह दिया था, कि यदि मैंने कहीं कोई गड़बड़ी की है तो मुझे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है । मैं साफ सुथरी जिन्दगी का कायल हूं । यह भारत मां का नाम लेने वालों से मैं अच्छा हूं । मेरी पूरी जिन्दगी में एक बूंद हराम और रिश्वत की शामिल नहीं है । मैं उन लोगों से अच्छा हूं जो गाय और सुअर की चर्बी घी में मिलाते हैं, जो हराम की रोजी कमाते हैं और भारत मां की छाती छेदते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, विषय पर बोल रहे हैं या कुछ और ?

(सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जिन अधिकारी की बात की गयी है, वह सीनियर आई० ए० एस० अफसर, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी रह चुके हैं, वह वक्फ बोर्ड के 14 बरस से कन्ट्रोलर थे । जब आपकी सरकार में, आपके एक मंत्री जी ने अपना कन्ट्रोलर भेजा, एक रिटार्यड अफसर को नियुक्त किया, वह जब वक्फ

बोर्ड पहुंचे तो जिस कार से वह गये थे, वह कार वहां के मुलाजमीन ने छीन ली और वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे, इससे ज्यादा लज्जा की बात और कोई हो नहीं सकती ।

यह भी आरोप लगाया गया कि मैं उन्हें तनख्वाहें नहीं दे रहा हूं । यह सही है कि एक महीने से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली हैं । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ वक्फ बोर्ड चलें, मुझे अन्दर आने से वहां कोई नहीं रोकेगा और हर कुर्सी पर आपको आदमी काम करता मिलेगा, क्योंकि मैं उनसे काम कराना चाहता हूं, लेकिन आपके मंत्री डेढ़ बरस तक, जब तक आपकी सरकार रही, वहां घुस नहीं पाये, इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है ? वह मंत्री जो किसी विभाग का मंत्री हो, उस कार्यालय में डेढ़ बरस तक घुसने की हिम्मत न कर सके, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती । मुझे तो इस बात की आज खुशी थी कि जब यह विधेयक रखूंगा तो आपकी तरफ से शाबाशी मिलेगी क्योंकि जिस तरह से आपके मंत्री के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा था, आपके मंत्री को जहां घुसने नहीं दिया गया था, उस वक्फ बोर्ड में हमने आज यह हालात पैदा कर दिये हैं कि लोग काम करने के लिये मजबूर हैं । यह सही है कि तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड एक जाप्ता है, संस्था है और वक्फ बोर्डों की जायदादों से मिलने वाले कमीशन से इसका काम चलता है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, उनको तनख्वाह दिलाने के दूसरे तरीके हैं, जो अमल में लाये जायेंगे । लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि 5 कमरों की इमारत में 21 चपरासियों को तनख्वाह नहीं दी जा सकती, कहीं से पैसा नहीं है । यह पैसा गरीब जनता का है, लिहाजा वक्फ बोर्ड को इससे तनख्वाह नहीं दी जा सकती । आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस तरह की बातों को कहकर जज्बात उभार सकते हैं, आप 6 दिसम्बर की बात क्यों नहीं करते ? यह जो संशोधन है, उस पर तो ज्यादा बहस नहीं हुई, हुई है, वह दूसरे मुद्दों पर । जो व्यक्ति 14 बरस से था, उसको हमने हटाने का काम किया । कोई मां बच्चे को जन्म दे, बच्चे के जिस्म को जवान करे और जब उसे भूख लगे तो वह उस बच्चे के जिस्म को काटकर फ्रिज में रख दें और थोड़ा-थोड़ा खाने का काम करे, इसी तरह यह वक्फ बोर्ड जायदादों की सुरक्षा के लिये है, न कि उन्हें बेचकर तनख्वाहें निकालने के लिये [8 बजकर 20 मिनट] मैं यह भी सवाल रखना चाहता हूं कि 35 लाख रुपये में एक इमारत बेचने के बाद जब इससे पूर्ति न हो पाती तो दूसरी, तीसरी और चौथी बेचने के बाद कौन सी इमारत बेची जाती, तनख्वाहों के लिये ? इस मामले में एक सीनियर आफिसर ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई । एक ऐसा पी० सी० एस० अफसर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा है, उसको हथकड़ी लगाकर जाना पड़ा । गुप्ता जी, आप क्या जाने की मुतवल्ली क्या होता है, वक्फ क्या होता है, आपने आरोप लगाया कि मैंने मुस्लिम फोरम के नाम से सारी जायदादें हासिल कर ली हैं, मुझ जैसे शख्स पर जिसके बारे में हर इल्जाम तो लग सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी और चोरी का इल्जाम नहीं लग सकता । मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इल्जाम साबित हो जाये तो मैं इस सदन में आज के बाद कभी दिखाई नहीं दूंगा । मान्यवर, मैंने सोचा था कि वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था बने, एक ऐसा कानून बने जिससे प्रदेश की जनता का कल्याण हो । आपने उत्तर प्रदेश की अरबो-खरबों रुपये की जायदाद का बर्बाद कराने का काम किया है, आपने वक्फ बोर्ड की जायदाद को मुस्लिमों की जायदाद माना है लेकिन ऐसा नहीं है ।

यह देश की जायदाद है लेकिन आज आप लोग हर जायदाद को मुस्लिमों की जायदाद मानते हुये बाबरी मस्जिद के नाम से देखा जाता है, यह आपकी मानसिकता है । इसलिए हम उसे बरबाद होने से बचाना चाहते हैं कि जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो देश की आमदनी बढ़ेगी, यहां के गरीब का भला होगा । मेरी सोच यह थी कि जिन जायदादों की कमेटियां बनी है या मुतवल्ली है–मंसूरी, देहरादून, नैनीताल में ऐसी कोठियां या इमारते मुस्लिमों की हैं जिसमें वह कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, अस्पताल खोलना चाहते हैं, और अगर वह वहां स्कूल खोलते हैं तो मुस्लिमों के बच्चे भी पढ़ेंगे और हिन्दुओं के बच्चे भी पढ़ेंगे । अगर अस्पताल खोलेंगे तो मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों का इलाज होगा । अभी गुप्त जी ने ताजमहल के बारे में कहा । ताजमहल उत्तर प्रदेश में है और वह एक कब्र है । अगर वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के हर कब्र का वारिस है तो ताजमहल का भी वारिस वक्फ बोर्ड को होना चाहिए । यह हमारी मंशा थी । मैं उसका मालिक नहीं बनना चाहता । मुझे यह नहीं चाहिए । मैं कब्र का पुजारी नहीं हूं । कब्र पर कितनी ही सुन्दर इमारत बना दी जाये उससे कब्र की हैसियत नहीं बदल सकती । कितने ही बड़े और खूबसूरत मुगल बादशाहों के मकबरे हैं लेकिन उन पर दुआ के लिये कोई हाथ उठाने नहीं जाता है । लोग इमारत की सुन्दरता को देखने जाते हैं । फकीरों की मजारों पर जहां हजारों लोगों के मेले होते हैं वहां हिन्दू और मुसलमान दोनों होते हैं वहां लोग दुआ मांगते है । ताजमहल में मुगल बादशाह की कब्र है । मुगल बादशाह हमारे पेशवा नहीं हो सकते । हमारी नजर में बादशाहत हराम है ।

हमारे यहां चुने हुये लोगों के सिस्टम मे हुकुमत चलाना ठीक माना गया है । बादशाहत हमारे यहां उसी प्रकार हराम है जिस तरह से सूअर का गोश्त खाना हराम है । अगर कोई मुसलमान किसी का कत्ल करता है तो वह कभी भी जन्नत के दरवाजे से अन्दर दाखिल नहीं हो सकता, यह इस्लाम का कहना है । प्रोफेट ने कहा है कि "अगर एक इंसान का कत्ल किसी मुसलमान ने किया तो वह इस्लाम की गल्ती नहीं है, बल्कि वह मुसलमान की गल्ती है और इसके लिये पूरी कौम को आरोपित करना ठीक नहीं है ? लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की गल्ती मानी जा रही है, जबकि यह मुसलमानों की गल्ती है, इस्लाम की नहीं । दूसरी तरफ से, मैं अपने नाम कुछ नहीं कर रहा हूं और न ही अपने प्रयोग में लाने के लिये किसी तरह से किया है, मैं तो यह सब भलाई के लिये कर रहा हूं । मैं समझता हूं और डरता था कि मुसलमान भाई नाराज हो जायेंगे, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गयीं, परन्तु इसके लिये मुझे खतों के जरिये, टेलीफोन के जरिये और टेलीग्राम के जरिये बधाई मिली । ऐसा इसलिए हुआ कि वहां के लोग दुखी थे, वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एक दस्तखत करने के लिये दो सौ रुपये लिये जाते थे, जो उचित नहीं है, नेता के भी दस्तखत हैं । वहां पर श्री फरहत अली थे, श्री जमीर अहमद खां जो सेक्रेटरी हुआ करते थे । जिस बिल्डिंग की कीमत 35 लाख रुपये थी, उसका पी० डब्लू० डी० से मूल्यांकन कराना चाहिए था जो कि नहीं कराया गया और यह कहा गया कि इसकी कीमत 12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है । प्रदेश की जनता का मामला है, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान । मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर ज्यादा दाम की जमीन कम कीमत में बेची जायेगी तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी और यह जरूरी था कि भ्रष्ट अधिकारी को वहां से तुरन्त हटाया जाय, यही मछली मुहाल के संबंध में हुआ ।

मान्यवर, एक कानून है कि जो जमीन खरीदता है वह पहले उसकी आधी रकम अदा करता है, तभी उसको पजेशन मिलता है, परन्तु सुन्नी वक्फ बोर्ड के कन्ट्रोलर ने तीन लाख में ही पजेशन दे दिया ।

इस तरह जो यह बेचा गया, उसी आदेश पर एफ० आई० आर० लाज है, इस पर हाईकोर्ट का प्रतिबन्ध भी लग गया । इस तरह मान्यवर, मेरे द्वारा गलत काम की किसी भी तरह इजाजत नहीं मिलेगी, चाहे किसी की नाराजगी हो या रजामंदी हो । मैं इस तरह से वक्फ सम्पत्ति को बरबाद नहीं होने दूंगा । इस संशोधन में यह प्राविधान किया गया है कि गैर सरकारी व्यक्ति को हटाकर सरकारी व्यक्ति को तैनात किया जाय जो ज्वाइन्ट सेक्रेटरी लेबिल का हो और यही हमने रखा है । यही प्राविधान लागू किया जा रहा है कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को हटाकर कन्ट्रोलर बना सकते हैं परन्तु "व्यक्ति" का प्राविधान भी है । कन्ट्रोलर का प्राविधान पहले से तो मौजूद था लेकिन ज्वाइन्ट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी का प्राविधान पहले से मौजूद नहीं था । इसलिये सरकारी अधिकारी के रूप में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति प्रस्तावित है और वह वहां पर आ सकते हैं । अगर लखनऊ में मुस्लिम अधिकारी इससे बड़ी रैन्क का न हो तो ज्वाइन्ट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को कन्ट्रोलर बनाया जा सके । इस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड में कृषि सचिव को कन्ट्रोलर बनाया गया है जो सीनियर आई० ए० एस० रैन्क के हैं । शिया वक्फ बोर्ड में श्री नसीम जैदी को बनाया गया है जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं । इस मुद्दे पर बहस हुयी और सभी परिस्थितियों को सामने रखा गया । चाहे कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी, अगर वह काम करता है तो उसे वेतन मिलना चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं । बोर्ड में साठ प्रतिशत मुलाजिम हैं, उन्हें प्रदेश भर में जा-जाकर वक्फ सम्पत्ति का निरीक्षण करना है और कम से कम छः प्रतिशत जमा करना है, जब वह छः प्रतिशत जमा करेंगे तो उसी से उनको तनख्वाह मिलेगी । वहां पर जो इन्स्पेक्टर हैं वह काम नहीं करते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, दूसरा काम करते हैं । उनसे छः प्रतिशत जमा करने के लिये कहा जा रहा है तो वह नाकामयाब रहते हैं, जब वह जमा करेंगे तभी काम चलेगा । जो माननीय गुप्ता जी ने कहा, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दो हाथ हैं, अगर हम इन दो हाथों से कुछ करेंगे नहीं और छः महीने तक सीधे रखे रहेंगे तो यह अपाहिज हो जायेंगे । मैं चाहता हूं कि उन हाथों को हम अपाहिज न होने दें । अगर उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो उनके हाथों में जंजीर डालेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

मान्यवर, मोहम्मद आजम खां साहब ने तो इस्लाम की व्याख्या कर दी परन्तु मैंने जो आरोप लगाये, उनका जवाब नहीं दिया गया । जिस बिल्डिंग का मैंने अपने आरोप में जिक्र किया था कि वह किसके नाम की गई, इसका उत्तर नहीं आया । कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतासीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

(2) यह 16 जून, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 की धारा 14 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 14 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार नये बोर्ड की यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति करने से असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार, न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के क्रियाकाल के दौरान, और किसी अन्य दशा में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, बोर्ड के नियंत्रक के रूप में, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम अधिकारी या शिया मुस्लिम अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो नियुक्त कर सकती है और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड और उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नियंत्रक की नियुक्ति पर, उपधारा (2) के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा नियंत्रक नहीं रह जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1994

3-(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जिस समय मैंने इस विधेयक को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। लोकतंत्र में जो लोग विश्वास करते हैं, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक होता है और जिसे कम मिलते हैं वह अल्पसंख्यक होता है परन्तु आज देश में एक नई परम्परा शुरू हो गयी है। पता नहीं ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक की अवधारणा मजहब के आधार पर होने लग गई है। एक ओर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई आपस में हैं भाई-भाई के नारे लगाये जाते हैं और हिन्दू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मुस्लिम आयोग की बात करेंगे, इसाई आयोग की बात करेंगे, यह अवधारणा ठीक है। हम सब भारतीय हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। डाक्टर लोहिया जी ने जाति के नाम पर कोई भेद नहीं किया। मुझे याद है कि 1962 में जब लोहिया जी फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे तो उस समय उनका चुनाव कार्यालय मेरे ही आवास पर था, इसलिए उनके सम्पर्क में रहने का काफी अवसर मिला। उस समय लोहिया जी ने अपने निर्वाचन में जो भाषण दिया तो यह कहा कि देश में एकता व अखण्डता को कायम करने के लिए एक समान सिविल संहिता में विश्वास करना पड़ेगा। जो पुस्तिका बांटी गई है, उसमें इसके अंश हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक हमारे माननीय मंत्री मोहम्मद आजम खां द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह रामपुर के रहने वाले हैं, यह रामपुर की स्थिति को जानते हैं तो क्या रामपुर में इस्लाम को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक है रामपुर में उनकी संख्या ज्यादा है वहां हिन्दू अल्पसंख्यक है। तो देश में कहीं हिन्दुओं की आबादी ज्यादा है तो कहीं मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी। (व्यवधान) किसी के साथ अन्याय न हो समस्या किसी की भी हो सकती है मजहब अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन समस्यायें जिस किसी की हों उनका समाधान होना चाहिये। मानव-मानव एक समान, हिन्दू मुस्लिम एक समान, नर नारी एक समान किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये, किसी के मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये, किसी के शोषण न हो, इन्सान का मजहब के आधार पर भेद हम नहीं कर सकते हैं। यह तुष्टीकरण की नीति आपकी है, इसी तुष्टीकरण से देश का अहित हुआ है हम समझते हैं कि मानव-मानव में कोई भेद नहीं है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है।

सबके लिये समान नियम हों अगर मजहब के आधार पर कोई आयोग बनायेंगे तो वह उचित नहीं होगा। एक आयोग बनायें जिसमें सभी को समाहित करेंगे ताकि समाजवाद होगा। समाजवाद की बात करने वाले, डा० लोहिया को अपना गुरू बताने वाले, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाले लोग इस विधेयक को लायेंगे तो यह समाजवाद के लिये, देश की एकता के लिये बाधक होगा (व्यवधान) मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं। हमने मानवाधिकार आयोग बनाया था जिसमें सब बराबर हैं, आबादी कहीं किसी की ज्यादा हो सकती है। मेरे क्षेत्र में खटकपुरा, मनिहारी में हिन्दू नाममात्र हैं लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें समर्थन मिलता है, हम वहां जाते हैं, हम मजहब के आधार पर बात नहीं करते हैं इसीलिये मानवाधिकार आयोग का गठन किया था गर कोई गरीब है, पिछड़ा है, हिन्दू मुसलमान है (व्यवधान) उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होना चाहिये चाहे वह किसी मजहब को मानने वाला हो। लेकिन आप इससे इन्सान को बांट रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब को आधार बनाने वाले लोग देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अवधारणा को दृष्टि में रख कर लाया गया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने जो अल्पसंख्यक आयोग के गठन का विधेयक प्रस्तुत किया है इसका मैं स्वागत करता हूं इसमें कोई विचार रखने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

यह तो पहले से मालूम था, तो फिर इनको बोलने की क्या जरूरत है ? यह मान लिया जाय कि माननीय आजम खां साहब जो कह रहे थे वही यह भी कह रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे खेद है एक गम्भीर विधेयक जैसे विषय पर आप हल्के ले रहे हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, बीच में टीका टिप्पणी कर रहे हैं यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत है , माननीय ब्रह्मदत्त जी जिन्होंने संशोधन रखा है उस पर वह बल दे रहे हैं कि इस देश में हम किसी को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में नहीं बांटना चाहते हैं बल्कि हम सभी को समान समझकर गरीब और शोषित को मदद करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी कथनी और करनी में अंतर करना बंद करें। मैं चुनौती देता हूं कि श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और जब उनकी सरकार थी तो उनकी कथनी और करनी में अन्तर था यदि वह कह दें कि नहीं था तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। मैं मुस्लिम, इसाई, सिख सभी को समान मानता हूं (व्यवधान) इसलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ था। यह भेद तो अब हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदबिका पाल–

(व्यवधान) आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर जब उत्तर प्रदेश की हुकुमत में थे तो एक ऐसा घृणित कार्य किया जिसको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों को 9 महीनों तक वेतन नहीं दिया चूंकि वह लोग मुसलमान थे। (घोर व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वेतन दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री पाल जी ने आरोप लगाया है कि मेरे शासनकाल में अल्पसंख्यक अध्यापकों के प्रति ताइना की कार्यवाही हुई थी, तो उनके नाम और पता वह बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं तो चुनौती देकर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनाकाल में उत्तर प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों को उत्तर प्रदेश के खजाने से वेतन मिलता था लेकिन इन्होंने एक कलम से फैसला कर दिया कि उनहें वेतन न दिया जाए और ९ महीनों तक उनका वेतन रोक दिया । लेकिन बकरीद के पहले वह लोग जब राज्यपाल महोदय से मिले तो उनके हस्तक्षेप से उनको वेतन मिला है ।

माननीय मंत्री इस बात का जवाब दें...व्यवधान... आपने फिरकापरस्ती की राजनीति की है और जब तक यह लोग और इनकी पार्टियों के लोग फिरकापरस्ती की राजनीति करते रहेंगे सेक्युलर शक्तियों को ऐसे अल्पसंख्यक आयोग बनाकर उन फासिस्ट शक्तियों को पर्दाफाश करना होगा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इन्होंने जो आरोप लगाया है, वह अनर्गल है, उसका जवाब वह सुन लें ''घोर व्यवधान'

श्री जगदम्बिका पाल–

जो लोग इस प्रदेश में फिरकापरस्ती की सियासत करते हैं, लोगों के दिलों में नफरत लकीर खींचते हैं और उनको लड़ाने का प्रयास करते हैं (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

हमारी पार्टी की तो यह स्पष्ट नीति रही है कि न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल और श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक साथ बोलते रहे और परस्पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे, इसके साथ ही दोनों पक्षों के अन्य सदस्य भी बोलने का प्रयास करते रहे ।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आपने हिन्दुस्तान का बंटवारा कराया है.. ''व्यवधान''

श्री जगदम्बिका पाल–

इन्होंने गरीब मजलूमों के हाथों की रोटी छीन ली, उनके दिलों को बांटकर उनके घरों में आग लगाई है ।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

सिद्धार्थनगर के एक हमारे साथी खड़े हैं, यह जिस तरह की सियासत करते हैं, मजलूमों के हाथों की रोटी छीनना चाहते हैं, यह उनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती है। ये लोग साम्प्रदायिक दंगे प्रदेश मे कराना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

(अनेक सदस्य एक साथ जोर-जोर से बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब मैं एक बहुत अच्छी शेर कहकर आप लोगों का झगड़ा खत्म कराना चाहता हूं, सुनें–

"न छेड़ निखते गुल वादे बहार,
राह में ही तुझे अठखेलियां सूझी हैं और हम यहां बेजार बैठे हैं।"

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

यह विसंगति जिन्दगी के द्वार
सौ-सौ बार रोई।
चाह में है और कोई,
सांस में है और कोई,
पास में है और कोई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह अल्पसंख्यक आयोग पहले से ही अल्प संख्यक आयोग के नाम से था। 27-7-92 को उस समय की सरकार ने इस आयोग को समाप्त करके एक दूसरा आयोग बनाया जिसका नाम रखा मानवाधिकार आयोग। यह मानवाधिकार आयोग इसलिये नहीं बनाया गया कि इसके द्वारा मानव के अधिकार देना चाहते हैं। जब तक आपकी सरकार रही आपने कोई नियम नहीं बनाया न कोई नियमावली ही बनाई इसलिये आपको यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि आप अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करके मानवाधिकार आयोग बना रहे थे। अपने डेढ़ साल के शासन काल में कोई नियम कोई नियमावली नहीं बना पाये। आपकी नीयत ही नहीं थी इसे बनाने की। आपकी मंशा तो अल्पसंख्यक आयोग समाप्त करने की थी लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा आयोग बनाने की मंशा आपकी नहीं थी। इस विषय पर पहले भी बहस हो चुकी है इसलिये ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। इस समय सत्ता में जो सरकार है वह यह मानकर चलती है कि यह अल्पसंख्यक आयोग मुस्लिमों का ही नहीं है इस प्रदेश में रहने वाले उन अल्पसंख्यकों का है जो मुस्लिम, सिक्ख, इसाई और पारसी हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि अब भी अल्प संख्यक आयोग की बात होती है, या अल्प संख्यक कहा जाता है तो यह समझते हैं कि यह मुसलमानों का है।

मैंने जब अपने गरेबां के किए टुकड़े
तुमकों क्यूं अपना गरेबां याद आया।

आपने कभी अल्पसंख्यकों के दुःख दर्द को समझने की कोशिश की है ? अगर कोशिश की होती तो कुछ सुझाव रखते । सदन में सीना ठोंक कर जो कहा है वह शायद तब सच होता लेकिन सच तो यह है कि आपको उनका दर्द ही नहीं पता । किस तरह से नफरत की आग में हमारा प्रदेश नहाया हुआ था ? आज उस तारीख का नाम लेते हुए दर्द होता है । जब अन्धेरा होने लगा तो अल्पसंख्यकों की बस्ती में आग लगा दी गई । उनके घरों में आग लगाकर बस्ती में रोशनी की गई । यह आयोग इसीलिये बनाया गया है कि उनके दुःख दर्द को दूर किया जा सके । हमारे यहां पर महिलाएं बैठी हैं जो किसी की मां, किसी की बहिन किसी की बेटी होंगी । मान्यवर, जब वहां पर अल्पसंख्यकों की बस्ती में आग लगा दी गई उस समय एक डेढ़-दो साल का बच्चा अपने घुटने से घिसटता हुआ बाहर निकला तो वहां पर उस दो साल के बच्चे की टांगें पकड़कर उसी जलते हुए घर में फेंक दिया गया ।

मान्यवर, यह आयोग इसीलिये बनाया गया है कि यह मजबूर बेसहारा कमजोर लोगों के आंसू पोंछ सके । किसी की जरूरतों को दूर कर सके । यह आयोग कोई गिरी हुई इमारत तो नहीं बना सकता अगर बनाये भी तो पता नहीं कब तक बने परन्तु यह आयोग यह याद दिलाता है उन लोगों की जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया था । जो लोग आजादी की लड़ाई के बाद बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गये उनका हक तो खत्म हो गया लेकिन वह हमारे लिये बहुत कीमती हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझा और इसे ही अपना मादरे वतन समझा हांलांकि वह जानते थे कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे स्याह जमाने भी आयेंगे उनहें यह समझाया भी गया था कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भागते हुए मुसलमानों से कहा था कि रुक जाओ तुम्हें जामामस्जिद का तकदुस, कुतुबमीनार की बुलन्दी ताजमहल का हुस्न पुकारता है तो हिन्दुस्तान से भागते हुए मुसलमानों के कदम रुक गये थे उनहें नहीं मालूम था कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान क्या होगा और उनके साथ क्या सुलूक होगा । यह आयोग जो बना है इससे मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी, उर्दू का हक नहीं मिलेगा । हम अल्पसंख्यक आयोग के जरिये ।..

कम से कम कलम और कागज से लिखकर यह बता रहे हैं उनको दुःख क्या है उनकी जरूरत क्या है ? मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है आप जितना ज्यादा बहस करेंगे आप उतनी ही मुस्लिम दुश्मनी साबित करेंगे । आप यह कार्य करेंगे कि इस प्रदेश में रहने वाले लोगों से दुश्मनी है । आप जो संशोधन लाना चाहते हैं उसको वापस ले लें ताकि एक बार इस सदन में यह बात आए कि आपने अपनी सोच के तरीके को बदलने की कोशिश की है । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

हमें पता भी नहीं था और हमारे तलुओं से वो खूं रिसा है कि गर्द तक गुलाल हुई ।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपना संशोदान वापस ले रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 19 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक अयोग का गठन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक अयोग अधिनियम, 1994 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में –

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग से है :

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है ;

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है ।

अध्याय–दो

आयोग

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन

3–(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नाम से माना जायेगा ।

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और छः सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे :

परन्तु अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

4–(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी समय पद त्याग कर सकता है ।

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति––

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है :

(ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है ;

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है :

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित होता है :

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकर हो गया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5–(1) सरकार इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालने के लिये आयोग के लिये एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी ।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं ।

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

6–अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा ।

रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

7–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियां इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

8–(1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा अध्यक्ष उचित समझे, अपनी बैठक करेगा ।

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा ।

आयोग के कृत्य

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य

9–(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ख) संविधान और राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपाय के कार्यकरण का अनुश्रवण करना ;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना ;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(च) अल्प संख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विवाद्यकों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(छ) किसी अल्पसंख्यक के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना ;

(ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के संबंध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना; और

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय;

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों को, सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय का कार्यालय से कोई लोक अभिलेख का उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अध्याय चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10–(1) सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी ।

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायगा ।

11–(1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

वार्षिक रिपोर्ट

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उनकी लेखा-परीक्षा करायेगी ।

12–आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा ।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

13–सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसमें दी गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वृन्द लोक सेवक होंगे

14–अयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा ।

शस्ति

15–जो कोई धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश या निदेश की अवज्ञा करे, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहित, 1986 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायगा।

अपराध का संज्ञान

16–कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :––

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों, और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य मामला;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (1), के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायगा;

(घ) रूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्दों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं, लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1994

19-(1) उत्तर प्रदेश अल्प-संख्यक आयोग अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 19 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संस्थान में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आज दिनांक 24 अगस्त, 1994 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। "संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त संस्थान में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायें।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त संस्थान में सदस्यता के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायें ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 की सूचना के पहले रामकुमार वर्मा जी से चाहूंगा कि वह याचिका प्रस्तुत कर दें।

(श्री रामकुमार वर्मा के उपस्थित न होने के कारण याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी)

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है।

श्री हृदय नारायण, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 21-1-94

श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 22-2-94

डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24-2-94

श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 24-2-94

श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 1-3-94

श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 4-3-94

श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 8-4-94

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 18-4-94

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 19-4-94

उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी है।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

(उक्त सभी निर्णय कार्यवाही के अंग मान लिये गये)

श्री हृदय नारायण, सदस्य, विधान सभा द्वारा माध्यमिक शिक्षक संघ उन्नाव के पूर्व जिला मंत्री श्री कामता सिंह चौहान तथा विज्ञप्ति देने वाले शिक्षकों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

। श्री हृदय नारायण, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक संघ, उन्नाव के पूर्व जिला मंत्री श्री कामता सिंह चौहान तथा विज्ञप्ति देने वाले अन्य शिक्षकों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दिनांक 21-1-94 को अभिसूचित की है। माननीय सदस्य का कथन है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उन्नाव ने एक प्रेस बयान जारी करके "आदरणीय सदन के 106 माननीय सदस्यों को अपराधी प्रवृत्ति का बताया है और कहा है कि विधान सभा में काले धन की बदौलत पहुंचने की ललक है, विधान सभा में सत्ता प्राप्ति के लिये, जाति, वर्ग, धर्म के नाम पर भाई-भाई को बांटा जा रहा है तथा जहां राजनीतिकबाज खून की होली खेलकर पीड़ित मानवता की जलती लाशों पर राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं।" माननीय सदस्य ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अनुरूप माध्यमिक शिक्षक संघ, उन्नाव के पूर्व जिला मंत्री श्री कामता सिंह चौहान के हस्ताक्षर से अखबारों को जारी किये गये मूल वक्तव्य की प्रति भी संलग्न की है और यह भी उल्लेख किया है कि वह विशेषाधिकार एवं सदन की अवमान के संदर्भ में किसी समाचार-पत्र में छपी खबर को आधार नहीं बनाना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने श्री चौहान के वक्तव्य के पैरा 3 और विशेष रूप से ध्यान दिलाया है और इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किये जाने का अनुरोध किया है।

मैंने प्रश्नगत मामले में श्री कामता सिंह चौहान का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है। श्री चौहान ने अपने पत्र दिनांक 25-3-94 में कहा है कि विधान सभा के माननीय सदस्यों अथवा माननीय सदन की अवमानना अथवा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन का प्रयास मेरे या मेरे साथियों द्वारा किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। गरिमामय सदन तथा सदन के समस्त सम्मानित सदस्य मेरे लिये सदैव सम्मानित रहे हैं तथा भविष्य में भी रहेंगे। सदन की अवमानना का साहस न मैंने कभी किया है और न भविष्य में भी करने का इरादा है। श्री चौहान ने आगे यह भी कहा है कि प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होने वाले समाचारों जैसे "दैनिक जागरण" दिनांक 2 दिसम्बर, 1993 की ओर संकेत करते हुए तथाकथित शब्द का प्रयोग कर 106 विधायकों को अपराधी प्रवृत्ति का होना कहा था, जानबूझकर अथवा इरादतन किसी सदस्य की गरिमा पर चोट पहुंचाने का इरादा हमारा कदापि नहीं था। श्री कामता सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि "मेरे द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के अग्रिम कथन कि जाति, धर्म तथा वर्ग के नाम पर भाई-भाई को बांटने का कार्य आज के राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है," हमारा यह कथन भी माननीय सदन या सदन के किसी माननीय सदस्य की भावनाओं को आहत

नोट:–। । यह अंश हुआ माना गया।

करने के उद्देश्य से कदापि नहीं है । सम्पूर्ण समाज शिक्षक से यह अपेक्षा करता हूं कि वह सत्य का उद्घाटक तथा भावी पीढ़ी का दिशा निर्देशक बनें, ऐसे में यदि अपनी बात कहते समय देश या प्रदेश के किसी सदन का कोई सदस्य विशेष इसे अपने ऊपर या सदन पर प्रहार मान लेता है तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई गलतफहमी हो रही है ।"

माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण की सूचना तथा इसके संबंध में प्राप्त श्री कामता सिंह चौहान के स्पष्टीकरण पर मैंने सम्यक् रूप से विचार किया है । प्रश्नगत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण की "दैनिक जागरण" समाचार पत्र से हुई भेंट वार्ता की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद उन्नाव द्वारा कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें उल्लिखित तथ्यों का हवाला माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत उक्त श्री चौहान के आलेख्य में दिया गया है परन्तु इस संबंध में आलेख में यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत विज्ञप्ति किस समाचार पत्र में किस तिथि को जारी हुई ? माननीय सदस्य की सूचना में भी इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । यद्यपि माननीय सदस्य ने सूचना में यह कहा है कि उक्त बयान देश के प्रतिष्ठित पत्रों में छपा भी है मगर आदरणीय सदन के विशेषाधिकार हनन व अवमान के संदर्भ में वे किसी समाचार पत्र में छपी खबर को आधार नहीं बनाना चाहते हैं किन्तु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 की अपेक्षानुसार सूचना के आधार के रूप में संबंधित समाचार पत्र भी जिसमें प्रश्नगत विज्ञप्ति छपी थी प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है ।

अतः इस दृष्टि से माननीय सदस्य की सूचना प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 तथा 65 (1) (क) एवं 65 (1) (स) की अपेक्षानुसार नियमानुकूल प्रतीत नहीं होती है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने विज्ञप्ति देने वाले अन्य शिक्षकों के नाम तथा पते आदि का पूर्ण विवरण संसूचित नहीं किये जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना अभिसूचित की है । इस प्रकार यह सूचना अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने श्री कामता सिंह चौहान की जिस विज्ञप्ति का हवाला दिया है । वह दिनांक रहित है तथा उसका प्रकाशन समाचार पत्रों में कब हुआ इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, आगरा के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 22-2-94 को अभिसूचित की थी । मा० सदस्य ने अपनी सूचना में यह

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शिकायत की है कि दिनांक 3 फरवरी, 1994 को जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी के ग्राम सिंगारपुर अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत एकीकृत विकास के लिये चयन किया गया था। मा० सदस्य का इस संबंध में यह भी कथन है कि फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड के सभी ग्राम प्रधान व सिंगारपुर ग्राम के नागरिक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किये गये थे, परन्तु उन्हें उक्त समारोह में सम्मिलित होने हेतु नहीं बुलाया गया और समाचार पत्रों की जानकारी के आधार पर उक्त समारोह में सम्मिलित होने पर उन्हें विशिष्ट व्यक्ति के शिष्टाचार से वंचित रखा गया है। मा० सदस्य का यह भी कहना है कि मुख्य विकास अधिकारी के इस आचरण से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी विधायिका के विशेषाधिकार का हनन एवं अवमानना हुई है। मा० सदस्य ने इस मामले को दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को सदन में भी उठाया था जिस पर मैंने यह व्यवस्था दी थी कि मा० सदस्य श्री बदन सिंह जी ने विशेषाधिकार हनन के संबंध में जो सूचना दी है उस पर जानकारी के लिये शासन को लिखा गया है, अगर दिनांक 11 अप्रैल, 1994 तक सूचना नहीं आयी तो फिर मैं इस पर अपने विवेक से निर्णय लूंगा।

उक्त प्रसंग में दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–5 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने जिलाधिकारी, आगरा तथा मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की आख्या भी संलग्न की है। जिलाधिकारी, आगरा ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 3 फरवरी, 1994 को उनके द्वारा तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक नहीं बुलायी गयी थी। उनका कहना है कि प्रश्नगत बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1994 को ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सिंगारपुर में ग्राम सभा की बैठक के रूप में आयोजित की गयी थी। इस बैठक में उन ग्रामवासियों ने भाग लिया, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं। शासन का यह भी कहना है कि ग्राम सभा की बैठक में किन-किन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय यह निर्णय ग्राम प्रधान का होता है क्योंकि वे ही ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। मुख्य विकास अधिकारी का कथन है कि उनके द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने स्तर से आमंत्रित नहीं किया गया है। जिलाधिकारी, आगरा ने समारोह के दौरान लिये गये फोटोग्राफ की एक प्रति उपलब्ध करायी है जिसमें मा० विधायक श्री बदन सिंह भी मंच पर मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य जन प्रतिनिधियों सहित बैठे हुए प्रतीत होते हैं। शासन का यह भी कहना है कि मुख्य विकास अधिकारी ने शिष्टाचार के किसी नियम की अवहेलना नहीं की है।

प्रश्नगत विषय पर मैंने मा० सदस्य की सूचना तथा शासन से प्राप्त जानकारी का भली-भांति अध्ययन किया है और सम्पूर्ण मामले पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० सदस्य द्वारा जो सूचना दी गयी है उससे मा० सदस्य के सदन से संबंधित कार्यों में अथवा सदन की किसी समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही साथ मा० सदस्य द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1994 की घटना के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 1994 को सूचना अभिसूचित की गयी है जो विलम्बित भी है और प्रक्रिया नियमावली के नियम 65 (1) (क) की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं मा० सदस्य के इस विषय को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं प्रदान करता हूं परन्तु इस संबंध में शासन को यह निर्देशित करता हूं कि शासन द्वारा

समय-समय पर मा० सदस्यों के प्रति शिष्टाचार से संबंधित जारी किये गये शासनादेशों का अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाय ।]

डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 24-2-94 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 23 फरवरी, 1994 को दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" एवं "प्रतिदिन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने सुल्तानपुर में वक्तव्य दिया है कि अब निजी विद्यालयों में भी सरकारी पाठ्यक्रय लागू होंगे एवं सरकारी पाठ्य पुस्तकें चलेंगी । इसकी पुष्टि हेतु माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न की है । माननीय सदस्य का आगे यह भी कहना है कि सदन के बजट अधिवेशन के चलते हुए उक्त वक्तव्य एक महत्वपूर्ण एवं नीतिगत वक्तव्य होने के नाते इसका सर्वप्रथम सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना वांछित है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय शिक्षा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया । माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 4-4-94 में कहा है कि प्रदेश में वर्ष 1976 से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 तक लागू की गयी हैं । उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था, शिक्षा निदेशक के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कोई पाठ्य पुस्तक विहित नहीं करेगी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् और बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें, चाहे वे शासकीय हों या अशासकीय ही क्यों न हों, जिन विषयों में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं उससे भिन्न अन्य कोई उसमें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं और इसको क्रियान्वयन किये जाने हेतु अधिनियम व विनियमों में स्पष्ट प्राविधान है। उनका आगे कहना है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि कतिपय मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पाठ्य पुस्तकें भी पढ़ायी जा रही है जो गैर प्राधिकृत हैं । प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी गैर प्राधिकृत पाठ्य पुस्तकें सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में न पढ़ाई जायं । माननीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा जो वक्तव्य समाचार पत्रों में दिया गया है यह कोई नवीन नीतिगत प्रश्न नहीं है । इस संबंध में नीति पहले से ही है केवल प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जाना है । इस संबंध में नीति पहले से ही है केवल प्रभावी ढंग से इसका क्रियानवयन किया जाना है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्य की सूचना एवं इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 4-4-94 पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इस संबंध में पूर्व में अध्यक्ष पीठ से अनेक निर्णय हुए हैं। अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (1979–84) का पृष्ठ 279 पर (निर्णय संख्या 508) में इसी प्रकार का एक मामला श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध दिनांक 7-7-89 को समाचार पत्रों में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रकाशित होने के संदर्भ में उठाया था। इसमें अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय दिया गया था कि सदन के चलते समय भी शासन की नीति संबंधी घोषणा सदन के बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया अपितु इसे केवल शिष्टाचार का औचित्य का प्रश्न ही माना गया है। इसके अतिरिक्त नियम 64 के अनुसार शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी किन्तु माननीय सदस्य ने ऐसा न करके संदर्भित समाचार पत्रों की केवल कटिंग संलग्न की है जो नियमानुकूल प्रतीत नहीं होती है।

इस संबंध में पूर्व में अध्यक्ष पीठ से अनेक निर्णय हुए हैं। अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 के पृष्ठ 125 पर मद 27 पर यह उल्लेख किया गया है कि समाचार पत्र पर आधारित किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार हनन की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार उक्त संलग्न के पृष्ठ 126 की मद 30 पर यह उल्लेख किया गया है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये समाचार पत्र की पूरी प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए। दिनांक 12 मई, 1978 को श्री राम आसरे वर्मा ने दैनिक जागरण के संवाददाता एवं प्रेस ट्रस्ट के लखनऊ स्थित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दी जिसमें उनका कहना था कि उनको निर्दलीय सदस्य के स्थान पर कम्युनिस्ट सदस्य बताया गया है। इस पर निर्णय देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य को अपनी सूचना के साथ समाचार पत्र की पूरी प्रतिलिपि संलग्न कर देनी चाहिए थी उन्होंने केवल एक कतरन संलग्न करके भेजा है। इसी प्रकार विचाराधीन मामले में भी माननीय सदस्य श्री डंग ने दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" एवं "प्रतिदिन" की मात्र कतरन भेजी है और पूर्ण समाचार पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है।

अतः वर्णित परिस्थिति में मैं माननीय सदस्य की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा ने मा० गन्ना मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 24-2-94 को अभिसूचित की है। इसमें मा० सदस्य ने कहा है कि दिनांक 24-2-94 को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नत्थी (क) पर अंकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते समय मा० गन्ना मंत्री ने यह घोषणा की कि प्रदेश के किसी भी चीनी मिल पर गन्ना किसानों का बकाया

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धनराशि की अवधि 15 दिन से ज्यादा नहीं है जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है और आज भी बहुत से चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य 15 दिन से ऊपर का बकाया है।

मैंने मा० सदस्य की सूचना का अवलोकन किया। मा० सदस्य की शिकायत दिनांक 24-2-94 के नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर आधारित है किन्तु उन्होंने अपनी सूचना के साथ उक्त प्रश्नोत्तर की प्रतिलिपि तथा उससे संबंधित कार्यवाही के संगत अंश का उद्धरण संलग्न नहीं किया है जबकि नियम 64 के अनुसार शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने सूचना केवल एक प्रति में दी है जबकि नियम 64 के परन्तुक के अनुसार यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी जिसकी एक प्रति संबंधित सदस्य (मंत्री) को भेज दी जायेगी। इस प्रकार मा० सदस्य की सूचना प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मा० मंत्री के उत्तर को गलत साबित करने के आशय से मा० सदस्य ने कोई प्रमाण आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त कारणों से उक्त सूचना को मैं विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० परिवहन मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय परिवहन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की लिखित सूचना दिनांक 1 मार्च, 1994 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि उनके तथा श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान ने औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता के उत्तर में माननीय परिवहन मंत्री, श्री आर० के० चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर बस सेवा के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है जबकि विगत दिनों परिवहन मंत्री द्वारा नगर बस सेवा के किराये में वृद्धि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गयी।

दिनांक 1-3-94 को ही उक्त विषय के संबंध में सदन में भी माननीय सदस्य ने कहा था कि सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिये माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना दी और कहा कि उन्होंने ऐसी घोषणा नहीं की है। माननीय सदस्य ने सदन में मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी जिस पर मैंने व्यवस्था दी थी कि लिखकर भेज दीजियेगा, मैं परीक्षण करा लूंगा।

उपर्युक्त के संबंध में माननीय सदस्य ने लिखित सूचना एक प्रति में दी है और सूचना के समर्थन में कोई प्रमाण अथवा लेख्य भी संलग्न नहीं किया है जबकि प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 की अपेक्षानुसार यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए तथा यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होनी चाहिए जिसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को भेजी जाती है। इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना नियम 64 की शर्तों को पूरा नहीं करती है फिर भी मैंने प्रश्नगत मामले में माननीय परिवहन मंत्री

श्री आर० के० चौधरी का अभिकथन इस विषय में प्राप्त किया है। अपने पत्र दिनांक 17-3-94 में माननीय परिवहन मंत्री ने उल्लेख किया है कि उन्होंने सदन को जो सूचना दी है वह पूर्णतया सत्य है। शासन द्वारा नगर बसों के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी। माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि जहां तक नगर बसों के किराये में वृद्धि की घोषणा का प्रश्न है, उन्होंने इस संबंध में न तो सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा की है और न ही उनके द्वारा प्रेस को कोई सूचना दी गयी है। माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि इस प्रकरण में छानबीन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सूचना निदेशालय के एक सूचना अधिकारी द्वारा नगर बस सेवा के किराये के संबंध में एक प्रेस नोट दिनांक 25-2-94 को जारी किया गया है। उक्त प्रेस नोट बिना उनकी अनुमति प्राप्त किये जारी किया गया है। प्रेस नोट जारी करने वाले सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

माननीय सदस्य की सूचना, सदन की दिनांक 1-3-94 की कार्यवाही तथा माननीय परिवहन मंत्री के पत्र दिनांक 17-3-94 पर सम्यक् रुप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रागदर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकरण में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये तथ्यों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है और अब कोई ऐसा बिन्दु शेष नहीं रह जाता है जिसमें अग्रेतर कार्यवाही वांछित हो।

अतः वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य की सू ा को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।।

श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री श्याम पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी, कानपुर के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

। श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री श्याम पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 4 मार्च, 1994 को दी थी। माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 26-2-94 को भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री काला बच्चा की हत्या के संबंध में गोविन्द नगर विद्यार्थी मार्केट में "शहीद दिवस" मनाने का आयोजन किया गया था। उसी दिन लगभग 9.30 बजे प्रातः पुलिस द्वारा उस क्षेत्र को पूर्णतया बन्द कर दिया गया था। मा० सदस्य का आगे यह भी कहना है कि जब वे इस संबंध में क्षेत्राधिकारी से वार्ता करने के लिये पहुंचे तो उन्होंने बिना बात सुने ही उन्हें थाने की तरफ बांह पकड़कर घसीटना शुरू किया और अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 28 जून, 1994 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 26-2-94 को श्री काला बच्चा की कथित हत्या को लेकर "शहीद दिवस" मनाने की घोषणा की गयी थी जिसमें धरना आदि का भी आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा शान्ति

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यवस्था कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किये गये परन्तु गोविन्द नगर स्थित चावला मार्केट के आयोजन स्थल पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी तभी विधायक श्री बाल चन्द्र मिश्र तथा श्रीमती प्रेमलता कटियार अन्य नेताओं के साथ आपत्तिजनक नारे लगवा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के साथ श्री श्याम पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी बल प्रभारी के रूप में वहां तैनात थे। इन अधिकारियों द्वारा वहां पर उपस्थित नेताओं को शासन के निर्देश एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश की जानकारी दी गयी थी तथा धारा 144 का पूर्णरुपेण पालन करने का भी अनुरोध किया गया था। फिर भी माननीय सदस्य श्री बाल चनद्र मिश्र मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने धरना देने के लिये दबाव डाला परन्तु जब उन्हें इस हेतु अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी तो वे भी धमकीपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए मौके से चले गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि कानून का उल्लंघन करते हुए धरना आदि का आयोजन किया गया जिससे निपटने हेतु पुलिस ने अतिरेकता की कार्यवाही न करके मात्र नियमों की अनुपालनात्मक परिधि में रहकर न्यूनतम कार्यवाही करके गम्भीर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उक्त पत्र में आगे यह भी उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से कराई है जिसके अनुसार वर्णित स्थिति उभरकर सामने आयी।

उक्त प्रसंग में मैंने माननीय सदस्य की सूचना तथा प्रश्नगत विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी का भली-भांति अवलोकन किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनांक 26-2-94 को मनाया जाने वाला "शहीद दिवस" का संबंध सदन या उसकी समिति की कार्यवाही से संबंधित कृत्यों से नहीं है।

वर्णित परिस्थितियों में प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत आता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।।

श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा के श्री सुरेश चन्द्र धुसिया, अपर पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

।श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र धुसिया, अपर पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 8-4-94 को अभिसूचित की है। मा० सदस्य ने यह शिकायत की है कि दिनांक 7-4-94 को प्रातः 7.30 बजे जब वे बहराइच से विधान सभा की बैठक में सम्मिलित होने के लिये लखनऊ की बस पकड़ने रिक्शे से बस स्टैण्ड आ रहे थे तो बहराइच शहर में ही अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र धुसिया ने उनके रिक्शे को रोक लिया और कहा कि उन्हें जरूरी बातें करनी हैं इसलिये 10 मिनट का समय दे दें। माननीय सदस्य द्वारा श्री धुसिया से यह कहे जाने पर कि उनका विधान सभा में प्रश्न लगा है और विधान सभा में उनकी उपस्थिति अति आवश्यक है, वापस आकर बात करेंगे, श्री धुसिया नहीं माने और जबरन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपने सरकारी निवास के कमरे में ले गये तथा माननीय सदस्य को धमकी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि "तुम्हारी विधान सभा की क्या औकात है, मैं विधान सभा अध्यक्ष तथा विधायकों को कुछ नहीं समझता हूं।" माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि जिस कमरे में वे थे उसका दरवाजा बाहर से बन्द कर दिया गया और जब अपराह्न 2.00 बजे दरवाजा खोला गया तो वे रात्रि में लखनऊ आये। इस प्रकार माननीय सदस्य का कथन है कि उन्हें दिनांक 7-4-94 की सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने से रोका गया।

माननीय सदस्य ने प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 8-4-94 को सदन में भी उठाया था। उस समय मैंने सदन में यह व्यवस्था दी थी कि प्राग्दर्शन के लिये यह आवश्यक है कि हम गृह मंत्री की बात भी सुन लें और इसके लिये मैं 12 तारीख निश्चित करता हूं। अगर 12 तारीख तक मेरे पास गृह मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर कोई अपना पक्ष नहीं आता है तो दिनांक 13-4-94 को मैं अपना निर्णय दूंगा। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 12-4-94 में यह अवगत कराया है कि उन्होंने प्रश्नगत प्रकरण पर संबंधित अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराने के अतिरिक्त सम्यक् जांच भी करायी। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी श्री पी० पी० एस० सिद्धू, पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद की जांच आख्या जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारी का पक्ष भी अंकित है, संलग्न करते हुए कहा है कि तथ्यात्मक स्थिति यह है कि परमहंस पुत्र करिया लोनिया निवासी ग्राम–सेमरी मलमला, थाना मुर्तिहा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना मुर्तिहा में दिनांक 31-3-94 को अप० सं०–19/94 अन्तर्गत धारा 147/148/149/323/504/506/354/336भा० द० वि० श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा इकौना तथा 8 अन्य के विरुद्ध दायर किया गया। श्री ऊधौ प्रसाद पुत्र अयोध्या प्रसाद द्वारा दिनांक 26-3-94 की घटना की प्राथमिकी दिनांक 9-4-94 को परमहंस सहित 13 व्यक्तियों के विरुद्ध दायर की गयी जो मुकदमा अपराध संख्या–19ए/94 धारा 147/148/149/323/324/326/307/504/506भा० द० वि० 311/दस एस० सी०/एस० टी० एक्ट थाना मुर्तिहा पर दर्ज किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे कहा है कि श्री धुसिया अपर पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस दाखिल कराने की कार्यवाही हेतु स्थानीय स्तर से निर्देशित किया गया था। प्रश्नगत मामले में प्रमाण-स्वरूप कतिपय साक्ष्य की प्रतियां संलग्न करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अन्त में यह भी कहा है कि जांच आख्या से स्पष्ट है कि माननीय विधायक द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचना तथ्यों पर आधारित नहीं प्रतीत होती है।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में प्राप्त माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 12-4-94 पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य ने ऐसा कोई तर्क संगत आधार नहीं दिया है जिससे यह प्रतीत हो कि विधान सभा के उपवेशन में उपस्थित होने से उन्हें जबरदस्ती रोका गया है माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-94 को माननीय सदस्य के विरुद्ध थाना मुर्तिहा में अपराध संख्या–19/94 दायर किया गया। फौजदारी अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के संबंध में माननीय सदस्य को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और उनके वही अधिकार हैं जो कि एक सामान्य नागरिक के होते हैं। इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये

गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979–84 के पृष्ठ 295 पर उल्लिखित निर्णय 530 की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "फौजदारी न्याय के प्रशासन में यदि किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो यह गिरफ्तारी विशेषाधिकार का अंग नहीं है। एक नागरिक भी इस तरह से पकड़ा जा सकता है और उसके साधारण अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिये अदालत मौजूद है। लेकिन विशेषाधिकार द्वारा किसी नागरिक या सदस्य मे भेदभाव नहीं हो सकता यह स्पष्ट है।"

वर्णित परिस्थिति में प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत आता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं इसे इस रूप मेंअग्राह्य घोषित करता हूं।।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल व श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

। श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 केनियम 63 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 18-4-94 को अभिसूचित की है। माननीय सदस्यों का कथन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार दिनांक 18-3-94 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के पैरा 2 के संदर्भ में दिया गया उत्तर परिषद् द्वारा विद्युत प्रदेय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्मित रेगुलेशन आफ बिजनेस एण्ड प्रोसीजर आफ दि बोर्ड के नियम 131(i) व (ii) में उल्लिखित बिनियम के विपरीत है तथा इन प्राविधानों के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति एवं अध्यक्ष को किसी भी नये पदों के सृजन का कोई अधिकार नहीं है।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य है तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। मानीनय सदस्यो की सूचना में संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर गलत होने का आधार विद्युत प्रदेय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्मित रेगुलेशन आफ बिजनेस एण्ड प्रोसीजर आफ दि बोर्ड के नियम 131(i) व (ii) है, किन्तु उक्त लेख्य की प्रति संलग्न न करके माननीय सदस्यों ने केवल संगत विनियम का उद्धरण संलग्न किया है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह उद्धरण किस मूल लेख्य से संबंधित है। अतः प्रश्नगत सूचना प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अनुरूप नहीं प्रतीत होती है। इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने अपनी अन्य शिकायतों की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त सूचना विलम्बित भी है क्योंकि दिनांक 18-3-94 को निर्धारित एवं उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के संबंध में माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन की सूचना एक माह पश्चत् अर्थात दिनांक 18-4-94 को प्रेषित की है।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि विलम्बित सूचना एवं प्रमाण के आभाव में विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न ग्राह्य नहीं होता है । इस प्रसंग में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979-84 के पृष्ठ 264 पर उल्लिखित निर्णय संख्या 410 जिसमें पीठ यह व्यवस्था दी गयी थी कि "श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने अपने आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और नियम 64 की अपेक्षा के अनुसार वे लेख्य भी संलग्न नहीं किये हैं जिन पर उनकी सूचना आधारित है--सूचना विलम्बित भी है और नियम 651(1)(क) की अपेक्षाओं के प्रतिकूल हैं ।" को उद्धत किया जाना समीचीन है ।

उक्त वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, अतः मैं इसे इस रूप में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा वासुदेव सिंह सदस्यगण विधान सभा के द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को दी है । माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 93 तथा तीसरे शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भ्रामक एवं तथ्यों को छुपाते हुये दिया गया है । उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर में यह कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । माननीय सदस्यों का यह आरोप है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । माननीय सदस्यों ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि इस संबंध में कभी तो जांच के लिए एक उच्चस्तरीय अधिकारी की समिति गठित की जाती है और कभी 8 अधिकारियों को दोषी पाया जाता है एवं कभी जांच मुख्य अभियन्ता को सौंपी जाती है और अब 15 अधिकारियों को दोषी पाया गया है जिसमें से 3 सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है ।

जिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप होता है उसी से जांच भी कराई जाती है । माननीय सदस्यों ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि आनपारा के इस अवैध नियुक्तियों में वास्तव में अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं अथवा रिश्वत लेकर नियुक्तियां की गई हैं, जैसा कि जांच से निश्चित तौर पर मालूम होता है । माननीय सदस्यों का आगे यह भी कथन है कि दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के अनुरूप कार्य करने को सचेत किया जाना इस बात का द्योतक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकारियों को बचा रहे हैं जब कि 1984 से जलापूर्ति में लगे ठेका श्रमिकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना का गहन अध्ययन किया है । माननीय सदस्यों ने तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–70 का उत्तर भ्रामक तथा तथ्यों को छुपाते हुये दिया गया बताया है तथा इस सम्बन्ध में द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–93 का सन्दर्भ दिया है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है परन्तु उक्त से यह स्पष्ट नहीं होता है कि शासन द्वारा दिया गया उत्तर किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने भी अपनी सूचना के समर्थन में कोई प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे उनकी शिकायत की पुष्टि हो सके । बिना प्रमाण के माननीय सदस्यों का यह कथन कि "जानबूझकर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं विशेषाधिकार हनन के मामलों में सही नहीं माना जा सकता है । जानबूझकर सदन धोखा देने या गुमराह करने के सम्बन्ध में विषेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में दी गयी सूचना उससे सम्बद्ध अभिलेखों में आवश्यक तथ्य या प्रमाण न होने की दशा में विशेषाधिकार की शिकायत अग्राह्य मानी जाती है । .

अतः स्पष्ट है कि यदि किसी मंत्री ने किसी प्रश्न का जानबूझकर गलत उत्तर दिया तो इसका प्रमाण देने पर ही विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संलग्न (मार्च 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक) के पृष्ठ 123 पर मद संख्या 12 में यह उल्लेख किया गया है कि 27 अप्रैल, 1976 को श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सदस्य विधान सभा ने राज्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार हनन की अवहेलना एवं सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी कि 2 अप्रैल, 1976 को श्री जंग बहादुर वर्मा के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर राज्य मंत्री जी ने जानबूझकर गलत दिया और सदन को गुमराह किया जिससे सदन का अवमान हुआ । इस पर श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि "माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे प्राग्दर्शन यह प्रतीत हो सके कि माननीय राज्य मंत्री ने जानबूझकर गलत उत्तर दिया है ।

अतः इसमें विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता है ।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का हनन सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और विद्यमान प्रकरण में माननीय सदस्यों द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है ।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।।

निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित व्यवस्था के प्रश्न पर पीठासीन अधिष्ठाता को दिये गये निर्णय पर अध्यक्ष द्वारा पुनर्विचार और निर्णय परिवर्तित किये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[दिनांक 24 मार्च, 1994 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अधिष्ठाता द्वारा दिये गये अन्तरिम निर्णय पर माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनर्विचार के उपरान्त दिनांक 31 मार्च, 1994 को सुरक्षित रखा गया निर्णय–दिनांक 24 मार्च, 1994 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिलाधिकारियों द्वारा सी० आर० पी० सी० की धारा 133 का बहाना लेकर विधायकों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, व्यवस्था के उक्त प्रश्न पर नेता, कांग्रेस विधान दल, नेता, जनता विधान दल तथा मा० श्री जगदम्बिका पाल एवं मा० श्री राम आसरे वर्मा ने अपने विचार रखे और उसके सन्दर्भ में मा० संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपने विचार रखे थे । तदुपरान्त उस समय अध्यक्ष पीठ पर आसीन अधिष्ठाता ने प्रश्नगत विषय पर अपना व्यवस्था सुरक्षित रखते हुए सरकार को निर्देशित किया था कि व्यवस्था देने से पूर्व महाधिवक्ता को सदन में बुलाकर उनका परामर्श प्राप्त कर दिया जाय । तदुपरान्त मा० संसदीय कार्य मंत्री, मा० नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि ने अग्रेतर विचारों को सुनने के उपरान्त अध्यक्ष पीठ पर आसीन अधिष्ठाता ने यह भी निर्देश दिये थे कि जब तक एडवोकेट जनरल की राय न आ जाय कोई मुकदमा कायम न किया जाय, यह तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है । " इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी अधिष्ठाता से अनुरीध किया था कि वे अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें ।

बाद में अध्यक्ष पीठ पर मेरे आसीन होने पर मा० संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार रखते हुए मुझसे यह अनुरोध किया था कि "आपके पहले जो पीठासीन थे अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने यहां बहुत गम्भीर व्यवस्था दी, हम अनुरोध ही करते रहे कि इस पुनर्विचार कर लिया जाय । निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था हैं, हम लोग विधायिका के अंग जरूर हैं लेकिन हम लोगों को उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार नहीं है । इस पीठ से समान दृष्टान्त भी परसों उद्धत किये गये थे और आज भी रखे गये हैं । हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो आपकी पीठ से निर्णय हुआ है, एक निर्देश दिया गया है, उस पर पुनर्विचार कर लें, कहीं ऐसा न लगे कि हम लोग अपने को बचाने के लिए, नियमं कानून से बचने का प्रयास कर रहे है । इसी पर मैंने विचार करते हुए निर्णय दिया था कि नियम–311 के अन्तर्गत जो चुनाव आयोग के संबंध में नोटिस की गई थी, उसे सुना ही नहीं गया । मनमाने ढंग से प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार अवश्य रखे हैं । चुनाव आयोग एक संवैधानिक इकाई है उसके कार्य कलापों आदि के संबंध में इस सदन में न ही इस पीठ को नोटिस देने का अधिकार है और न ही किन्हीं माननीय सदस्यों को राय जानने का औचित्य है । ऐसी स्थिति में मैं सूचना को निरस्त करते हुए और माननीय अधिष्ठाता जी के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए निर्णय देता हूं कि न तो एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाने की कोई वैधानिकता शेष रह जाती है और न ही सरकार को अधिकारियों को मुकदमा न दायर करने का निर्देश देने का ही कोई प्रश्न उठता है ।"

तदुपरान्त दिनांक 31 मार्च, 1994 के उपवेशन में पुनः इसी प्रकरण पर मा० श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, नेता जनता विधान दल एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार रखे थे जिस पर मेरे पुनर्विचार करते हुए अपने निर्णय को सुरक्षित रखा था ।

इस प्रकरण में अब मत्र यह बिन्दु विचाराधीन है कि क्या अध्यक्ष पीठ पर आसीन अधिष्ठाता ने निर्णय पर अध्यक्ष द्वारा पुनर्विचार करके उसे परिवर्तित किया जा सकता है ? इस मामले में मैंने अध्यक्ष पीठ से दिये गये पूर्व निर्णयों का अवलोकन किया । इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय का संहत संकलन (अप्रैल, 1952 से 6 मार्च, 1962 तक) के पृष्ठ–11 पर इस आशय का दृष्टान्त उपलब्ध है कि उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता के निर्णय तात्कालिक निर्णय के रूप में तथा अध्यक्ष के निर्णय अन्तिम निर्णय के रूप में माने जाते हैं ।

अध्यक्ष अपने अथवा उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता के निर्णयों को पुनर्विचार करते हुए परिवर्तित कर सकते हैं।

उपर्युक्त दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष पीठ पर आसीन अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय पर अध्यक्ष द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है और पुनर्विचार करते हुए पूर्व में दिये गये निर्णय को संशोधित, परिमार्जित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।।

विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्नों पर समेकित रूप से निर्णय लिये जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने अभी कई विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्नों पर समेकित रूप से निर्णय लिया है। संसदीय इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो।

श्री अध्यक्ष–

सभी को कार्यवाही का अंग माना जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी जो रूलिंग है वह पढ़ी हुई मान ली जायगी। उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह पहला मौका होगा कि अनेक विशेषाधिकार के मामलों को अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमेशा एक-एक मामले को पूरा पढ़ा जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसी के अनुरूप किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लेकिन मान्यवर, आप इसे परिपाटी न बनने दें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजबली यादव की जनपद आजमगढ़ के पकड़ी कलां बाजार में 8 व्यक्तियों की नृशंस हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको ध्यान आकृष्ट हेतु स्वीकृत किया है। दूसरी सूचना श्री मित्रसेन यादव की जनपद सुल्तानपुर के थाना कोतवाली मुसाफिर खाना अन्तर्गत ग्राम नारा मजरे नौरंग पुरवा में मां बेटी के साथ

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बलात्कार कर पुत्र सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको ध्यान आकृष्ट के लिये स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की जनपद देवरिया अन्तर्गत पं० जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज महुवा बारी, लार रोड में संलग्न बालिका विद्यालय व प्राइमरी पाठशाला में प्रबन्धक द्वारा शिक्षा अधिनियम की धारा 16(छ) का उल्लंघन कर अपने पाल्यों की नियुक्ति के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री रंग नाथ मिश्र की जनपद भदोही के सुरियावां विकास खण्ड के अन्तर्गत अर्जुनपुर गांव में 4 लोगों की कातिलाना हमले से मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल और श्री नरेश अग्रवाल की संत कबीर कताई मिल मगहर, बस्ती में रूई की समुचित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ल, श्री रमापति शास्त्री और श्री विश्वनाथ गुट की जनपद गोण्डा के थाना इटिया अन्तर्गत मौजा अनेहगी निवासी कु० बोरा के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री मुक्ति नाथ यादव की जनपद देवरिया की तहसील रूद्रपुर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को गोर्रा और राप्ती नदियों के कटान से उत्पन्न खतरे के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी और श्री रमेश पोखरियाल की प्रदेश के उत्तरांचल में बन्द निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं को चालू कराये जाने के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नवीं सूचना श्री लक्ष्मी चन्द्र की है, जनपद बुलन्द शहर के जेवर विकास खण्ड में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, दसवीं सूचना श्री बदन सिंह की राज्य सम्पत्ति विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल से विधायक निवासों में उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । ग्यारहवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद मे शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण छात्रों के प्रवेश की समस्या के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़ की इलाहाबाद नगर में प्रयाग संगम बांध व उसके आस-पास क्षेत्र में मेला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मंदिरों एवं झोपड़ियों को ढहाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । तेरहवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ल की, कुलदीप ओगल निवासी नई बस्ती, झांसी के मकान पर जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौदहवीं सूचना श्री गोपाल काली की हस्तिनापुर जनपद मेरठ के खादर क्षेत्र में भयंकर बाढ़ एवं गंगा द्वारा कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे है इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

उपाध्यक्ष पद के लिये यह अभी नाम नहीं तय कर पाये है और हमारा सारा विधायी कार्य पूरा हो गया है इसलिये हम प्रस्ताव करते हैं यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, प्रश्न प्रस्तुत करने के पहले आप मेरी बात को सुन लें। मैं 26 तारीख को उपाध्यक्ष पद के लिये नामांकन करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"राष्ट्रगान"

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया राष्ट्रगान के लिये खड़े हो जायं।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। द्रविड़ उत्कल बंग ॥
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। उच्छल जलधि तरंग ॥
तब शुभ नामे जागे। तब शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण-मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ॥

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

इसके बाद सदन रात्रि 9 बजकर 10 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
24 अगस्त, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

यात्राओं का विवरण

क्रमांक	निरीक्षित जनपद	निरीक्षणों की संख्या
1	सहारनपुर	9
2	हरिद्वार	14
3	मुजफ्फरनगर	4
4	मेरठ	17
5	बुलन्दशहर	4
6	गाजियाबाद	11
7	अलीगढ़	2
8	आगरा	3
9	एटा	1
10	बरेली	23
11	बदायूं	8
12	शाहजहांपुर	1
13	बिजनौर	2
14	मुरादाबाद	16
15	रामपुर	3
16	फतेहपुर	2
17	इलाहाबाद	2
18	फरूखाबाद	2
19	कानपुर	11
20	झांसी	11
21	ललितपुर	1
22	जालौन	7
23	हमीरपुर	4
24	बांदा	4
25	गोरखपुर	1
26	उन्नाव	1
27	हरदोई	3
28	बाराबंकी	4

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

क्र०सं०		निर्माण सामग्री	लेखन सामग्री	टेण्डर/कोटेशन/ रेट कान्टैक्ट आदि के माध्यम से क्रय की गई सामग्री का मूल्य	योग
1	2	3		4	5
1	शारदा सहायक खण्ड 39 इलाहाबाद	2,39,448.00	13,081.00	1,37,838.67	3,90367.67
2	शारदा सहायक खण्ड 30 इलाहाबाद	49,151.00	15,402.00	18,142.00	82,695.00
3	सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद	--	7,838.00	34,863.35	42,701.35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

सूची

(देखिये अता० प्र० सं० 121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65-66 पर)

माह दिसम्बर, 1993 में राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय कानफ्रेन्सों में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों

की क्र० सं०	संकाय सदस्य का नाम	कानफ्रेन्स का नाम	समय
1.	प्रो० सावित्री श्रीवास्तव (मेडिकल)	45वीं एनुवल कानफ्रेन्स आफ कार्डियोलाजिकल सोसाइटी आफ इण्डिया, (मद्रास)	18-12-93 से 22-12-93
2.	प्रो० सीता नायक (मेडिकल)	इन्टरनेशनल सिम्पोजियम आफ एच० एल० ए० इन हेल्थ एण्ड डिसीज, नई (दिल्ली)	06-12-93 से 08-12-93
3.	डा० ईशा त्यागी (मेडिकल)	सेमिनार एण्ड वर्कशाप आन आटो-लाजी एण्ड आटोन्यूरोलाजी, (कलकत्ता)	04-12-93 से 05-12-93
4.	डा० अनूप कोहली (मेडिकल)	42वीं एन० एस० आई० कानफ्रेन्स (मद्रास)	16-12-93 से 19-12-93
5.	डा० आर० डी० मित्तल (नान मेडिकल)	62वीं अनुवल मीटिंग आफ सोसाइटी आफ बयोलाजिकल कमेस्ट (मदुरे)	19-12-93 से 22-12-93
6.	डा० अमित गुप्ता (मेडिकल)	नेफ्रेलाजी अपडेट (मद्रास)	17-12-93 को
7.	डा० बलराज मित्तल (नान मेडिकल)	62वीं एनुवल मीटिंग आफ सोसाइटी आफ बायोलाजिकल केमिस्ट (मदुरे)	19-12-93 से 22-12-93
8.	डा० एन० आर० दत्ता (मेडिकल)	सिम्पोजियम रिसेंट एडवन्सेंज इन आनको-लाजी (नई दिल्ली)	09-12-93 से 11-12-93
9.	डा० के० सी० पन्त (मेडिकल)	एक्स० एल० आई० एनुवल कान्फ्रेनस आफ आई० एस० ए०, (बंगलौर)	25-12-93 से 30-12-93
10.	डा० पी० के० गोयल (मेडिकल)	45वीं एनुवल कान्फ्रेन्स आफ द सी० एस० आई०, (मद्रास)	18-12-93 से 22-12-93
11.	डा० वी० के० सिंह (नान मेडिकल)	20वीं एनुवल कानफ्रेन्स आफ इण्डियन इम्नोलाजिकल सोसाइटी (भोपाल)	17-12-93 से 20-12-93
12.	डा० आर० वी० फडके (मेडिकल)	सी० एम० ई० आन मेडिसिन इमेजिन (हैदराबाद)	18-12-93 से 21-12-93
13.	डा० वी० के० जैन (मेडिकल)	एन० एस० कान्फ्रेन्स (मद्रास)	16-12-93 से 19-12-93

14.	डा० बी० के० दास (मेडिकल)	एनुवल कानफ्रेन्स आफ सोसाइटी आफ न्यूक्लियर मेडिसिन (नई दिल्ली)	14-12-93 से 17-12-93
15.	डा० ए० बी० सेवातकार (नान मेडिकल)	एनुवल कान्फ्रेन्स आफ सोसाइटी आफ न्यूक्लियर मेडिसिन (नई दिल्ली)	14-12-93 से 17-12-93
16.	डा० ए० के० शुक्ला (नान मेडिकल)	एनुवल कान्फ्रेन्स आफ सोसाइटी आफ न्यूक्लियर मेडिसिन (नई दिल्ली)	14-12-93 से 17-12-93
17.	डा० मुकेश त्रिपाठी (मेडिकल)	एक्स० एल० आई० एनुवल कान्फ्रेन्स आफ इण्डियन सोसाइटी आफ एनिस-थिटिस्ट्स (बंगलौर)	25-12-93 से 30-12-93
18.	डा० आर० एन० मिश्रा (मेडिकल)	इण्डिया इम्नोलाजी सोसाइटी (भोपाल)	17-12-93 से 20-12-93
19.	डा० सुरेन्द्र सिंह (मेडिकल)	41वीं एनुवल कानफ्रेन्स आफ आई० एस० ए० (बंगलौर)	27-12-93 से 30-12-93
20.	डा० जनक किशोर (मेडिकल)	17वीं नेशनल कान्फ्रेन्स आफ इण्डियन एसोसियेशन आफ माइक्रोबयोलाजिस्ट्स (कलकत्ता)	16-12-93 से 20-12-93
21.	डा० अनिल अग्रवाल (मेडिकल)	एक्स० एल० आई एनुवल कान्फ्रेन्स आफ आई० एस० ए०, (बंगलौर)	25-12-93 से 30-12-93
22.	डा० सोमा कौशिक (मेडिकल)	एनुवल कान्फ्रेंस आफ एक्स० एल० आई० आफ आई० एस० ए० (बंगलौर)	25-12-93 से 26-12-93
23.	डा० के० एन० प्रसाद (मेडिकल)	18वीं नेशनल कानफ्रेन्स आफ इडिण्यन एसोसियेशन आफ मेडिकल माइक्रोबयो-लाजिस्ट्स कम सी० एम० ई०, (कलकत्ता)	16-12-93 से 20-12-93
24.	प्रो० एस० पी० कौशिक (मेडिकल)	एसोसियेशन आफ सर्जनस आफ इण्डिया एण्ड इण्डियन एसो० आफ सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी (मद्रास)	25-12-93 से 30-12-93
25.	प्रो० ए० अय्यागिरि (मेडिकल)	न्यूरोलाजिकल सोसाइटी आफ इण्डिया (मद्रास)	15-12-93 से 19-12-93
26.	डा० अमरीश मिथारा (मेडिकल)	एनुवल मीटिंग आफ बायोलाजिकल केमिस्ट आफ इण्डिया (मदुरै)	19-12-93 से 22-12-93

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

विगत पांच वर्षों में वर्षवार सींचागया कमाण्ड एरिया

क्रमांक	नाम सिस्टम	1397 फ० रकबा सींच हेक्टेयर में 1989-90		1398 फ० रकबा सींच हेक्टेयर में 1989-90		1399 फ० रकबा सींच हेक्टेयर में 1989-90		1400 फ० रकबा सींच हेक्टेयर में 1989-90		1401 फ० रकबा सींच हेक्टेयर में 1989-90	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नेवाजगंज पम्प कैनाल पश्चिमी खण्ड	138	150	180	198	201	193	228	207	160	207
2	भोंका कट	1325	779	1354	880	1439	1009	1136	258	931	1030
3	नेवाजगंज पम्प कैनाल (पूर्वी)	42	121	43	123	47	122	49	125	18	129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 232 विधान सभा (356)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।